



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



उत्तराखण्ड शासन

**उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2018**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2018

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय-1		
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षे उ)		
बजट परिचय	1.1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.1.2	1
राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियां	1.1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.1.4	2
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं सम्पादन	1.1.5	2
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.1.6	3
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ	1.1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही	1.1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.1.9	5
स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में रखने की स्थिति	1.1.10	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों का वर्ष-वार विवरण	1.1.11	6
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पेयजल विभाग		
गंगा नदी का जीर्णोद्धार	1.2	7
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1.3	34
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पेयजल विभाग		
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण	1.4	54
ऊर्जा विभाग		
निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जल विद्युत विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	1.5	62
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
किराये पर लिये गये वाहनों पर संदिग्ध गबन	1.6	68
लोक निर्माण विभाग		
₹ 1.69 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य	1.7	69
अनाधिकृत व्ययाधिक्य	1.8	71
₹ 0.70 करोड़ का निष्फल व्यय	1.9	72
अनुचित व्ययाधिक्य	1.10	74
उद्देश्यों की पूर्ति न होना	1.11	76

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम		
निष्फल व्यय	1.12	77
शहरी विकास विभाग		
नगर निगम देहरादून एवं हरिद्वार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1.13	78
अध्याय-II राजस्व क्षेत्र		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.1.1	91
राजस्व बकायों का विश्लेषण	2.1.4	94
बकाया निर्धारण	2.1.5	94
वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन	2.1.6	94
कर वापसी के प्रकरण	2.1.7	95
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	2.1.8	95
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण	2.1.9	97
विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही	2.1.10	98
लेखापरीक्षा आयोजना	2.1.11	98
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1.12	98
राजस्व अध्याय का आच्छादन	2.1.13	99
अनुपालन लेखापरीक्षा		
वाणिज्य कर विभाग		
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.2	100
प्रपत्र-11 का अनाधिकृत उपयोग	2.3	101
कर का न्यूनारोपण	2.4	102
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.5	103
कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण	2.6	104
आबकारी विभाग		
राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति	2.7	105
भूगर्भ एवं खनन विभाग तथा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग		
स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण	2.8	117
खनन विभाग		
अर्थदण्ड का न्यूनारोपण	2.9	118
रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण	2.10	119
अध्याय-III सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
परिचय	3.1.1	121
जवाबदेही संरचना	3.1.2	121
सांविधिक लेखापरीक्षा	3.1.3	122

सरकार और विधायिका का कार्य	3.1.4	122
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी	3.1.5	123
राज्य सा क्षेत्र में निवेश	3.1.6	123
वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल	3.1.7	125
वित्त लेखे के साथ मिलान	3.1.8	126
लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया	3.1.9	126
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	3.1.10	128
लेखों के अन्तिमीकरण न होने का प्रभाव	3.1.11	128
सा क्षेत्र के नवीनतम अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार उनका निष्पादन	3.1.12	128
अकार्यरत सा क्षेत्र का परिसमापन	3.1.13	130
लेखों पर टिप्पणियाँ	3.1.14	130
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	3.1.15	131
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	3.1.16	132
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	3.1.17	132
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन	3.1.18	132
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई वसूलियाँ	3.1.19	133
सा क्षेत्र का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण	3.1.20	133
इस अध्याय का आच्छादन (सा क्षेत्र अध्याय)	3.1.21	133

अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड वन विकास निगम		
अभिकरण की प्रमाणिकता सत्यापित किये बिना कार्य को सौंपा जाना	3.2	134
कर्मचारी भविष्य निधि का अनियमित योगदान	3.3	135
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड		
निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना को पूरा करने में विलंब के कारण लागत में वृद्धि	3.4	136
उपयुक्त बीमा पॉलिसी लेने में विफलता के कारण हानि	3.5	138
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड		
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना	3.6	139

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.1.1	ले प्र में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृ का टि की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति	153
1.2.1	लेखापरीक्षा के लिए चयनित परियोजनाओं का विवरण	156
1.2.2	लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली	157
1.2.3	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर लेखापरीक्षा परिणाम का विवरण	158
1.2.4	180 उद्योगों/इकाईयों की वर्तमान स्थिति जिनको 2015-16 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किये गये	165
1.2.5	बंद घोषित उद्योगों की सूची	169

1.2.6	44 दोषी उद्योगों की वर्तमान स्थिति जिन्हें 2014-15 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये	170
1.2.7	बंद किये गये उद्योगों की सूची जिन्हें 2014-15 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किये गये	172
1.2.8	106 दोषी उद्योगों की वर्तमान स्थिति जिन्हें 2015-16 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये	173
1.2.9	बंद उद्योगों की सूची जिन्हें 2015-16 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये	176
1.2.10	गंगा नदी में मल प्रवाहित करने वाले नालों का विवरण	177
1.3.1	राज्य सरकार द्वारा एस डब्ल्यू एस एम को विलंब से निधियां अवमुक्त किये जाने के कारण दिये जाने वाले दण्डनीय ब्याज का विवरण	178
1.3.2	नमूना-जाँचित चार जिलों में जल की गुणवत्ता की जाँच का विवरण	179
1.13.1	न नि देहरादून एवं हरिद्वार द्वारा प्राप्त निधियों का वर्ष-वार विवरण	180
2.2.1	दो व्यापारियों से संबंधित चार प्रकरणों के संबंध में अर्थदण्ड के अनारोपण के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण	181
2.3.1	वाणिज्य कर विभाग के तीन कार्यालयों से संबंधित चार व्यापारियों द्वारा घोषणा प्रपत्र-11 के अनाधिकृत उपयोग के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण	182
2.4.1	दो उ आ एवं तीन स आ से संबंधित सात व्यापारियों के 10 प्रकरणों में कर के न्यूनारोपण का विवरण	183
2.5.1	विलंब से कर जमा करने के कारण अर्थदण्ड के अनारोपण का विवरण	184
2.7.1 अ	देशी मदिरा की अधिक तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का आरोपण न किया जाना	185
2.7.1 ब	विदेशी मदिरा की अधिक तीव्रता पर आबकारी शुल्क का आरोपण न किया जाना	185
2.7.2 अ	किण्वन दक्षता प्राप्त न करना	186
2.7.2 ब	न्यूनतम आसवन दक्षता (डी ई) प्राप्त न करना	188
2.7.2 स	टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी आर एस) की पारगमन के दौरान हानि	189
2.7.2 द	शीरे की पारगमन में हानि	190
2.7.3	वर्षा काल के दौरान अनाधिकृत उत्पादन	191
2.7.4	प्रतिदिन उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन	192
2.8.1	दो स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों (देहरादून) और तीन स्टोन क्रैशर स्वामियों (चमोली) के 21 अनुबन्धों के संबंध में स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण	195
2.8.2	दो पट्टा विलेखों के मामले में सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण	197
2.9.1	खनिज के अवैध खनन/परिवहन के दोषी वाहन स्वामियों पर अर्थदण्ड के न्यूनारोपण का विवरण	198
2.10.1	रॉयल्टी के न्यूनारोपण का विवरण	199
2.10.2	ईट भट्टा स्वामियों पर वर्ष 2015-16 तक देय रॉयल्टी का विवरण	199

3.1.1	राज्य सरकार द्वारा सा क्षेत्र में किये गये निवेश, जिनके लेखे बकाया हैं, को दर्शाने वाला विवरण	200
3.1.2	अपने अद्यतन अन्तिम वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यरत परिणाम	202
3.4.1	परियोजना के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब को दर्शाने वाला विवरण	206
3.4.2	यू ई आर सी द्वारा स्वीकृत राशि के सापेक्ष दावा की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण	207
3.6.1	2014-15 से 2016-17 के दौरान नए कनेक्शन जारी करने में देरी के कारण यू ई आर सी द्वारा आरोपित किये गये अर्थदण्ड की राशि को दर्शाने वाला विवरण	208
3.6.2	ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा की बिक्री, ऊर्जा की हानि, स्वीकार्य हानि, वितरण में ऊर्जा की परिहार्य हानि और कुल परिहार्य हानि को दर्शाने वाला विवरण	209
3.6.3	वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए चोरी/चोरी के कारण वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण	210
3.6.4	डी टी आर मीटरिंग की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	211
3.6.5	के सी सी उपभोक्ताओं के एम आर आई करने योग्य और एम आर आई किये हुए को दर्शाने वाला विवरण	212
3.6.6	मार्च 2017 को के सी सी उपभोक्ताओं के संबंध में ए एम आर या मैनुअल के माध्यम से मीटर रीडिंग के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण	213
3.6.7	मार्च 2017 के अनुसार प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि न जमा करने वाले विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण	214
3.6.8	2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान जारी किये गये, वसूल किये गये, लौटाये गये और वसूली के लिए लंबित आर सी के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण	215
3.6.9	के सी सी उपभोक्ताओं (आर टी एस-2 एवं 7) के संबंध में मार्च 2017 तक वांछित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण	216

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाते हैं जबकि अध्याय III भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(अ) के अंतर्गत विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय I, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत संपादित सरकारी विभागों के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षेत्र) के व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपादित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व प्राप्त करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय III, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (इन कम्पनियों में वह कम्पनियाँ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनी माना गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 139 एवं 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपादित की जाती है एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आए साथ ही साथ वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। वे दृष्टांत, जो वर्ष 2016-17 की आगामी अवधि से संबंधित हैं परन्तु वर्ष 2016-17 से संबद्ध हैं, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुए, सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा यथा (i) गंगा नदी का जीर्णोद्धार, (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, तथा एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 24 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर ₹877.65 करोड़ के वित्तीय परिणाम के साथ सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹17,775 करोड़ से बढ़कर ₹30,391 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय, वर्ष 2012-13 में ₹13,960 करोड़ से वर्ष 2016-17 में 81 प्रतिशत से बढ़कर ₹25,272 करोड़ हो गया।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल व्यय में 79 से 84 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था जबकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 20 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 2012-13 से 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 13 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ीं।

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2015-16 के दौरान ₹21,234 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए ₹24,889 करोड़ थी। इसमें से, 49 प्रतिशत की वृद्धि कर राजस्व (₹10,897.31 करोड़) एवं करेत्तर राजस्व (₹1,345.82 करोड़) के द्वारा हुई। शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों का राज्यांश (₹6,411.57 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹6,234.27 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹3,655 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2017 को, राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) एवं सांविधिक निगम (चार अकार्यरत सा क्षे उ को शामिल करते हुए) थे। 30 सितम्बर 2017 तक, अन्तिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ ने ₹7,323.64 करोड़ का कारोबार दर्ज किया था। सा क्षे उ ने ₹10,854.32 करोड़ (प्रदत्त पूँजी, मुक्त संचय एवं दीर्घावधि ऋण) का निवेश किया गया। इस निवेश में 51.95 प्रतिशत प्रदत्त पूँजी, 12.05 प्रतिशत मुक्त संचय एवं 36 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण निहित था। अंश पूँजी बहिर्गमन वर्ष 2014-15 में ₹171.96 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹93.50 करोड़ हो गई। वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान/उपादान के लिए ₹192.57 करोड़ का योगदान दिया। सितम्बर 2017 तक प्राप्त 22 कार्यरत राज्य सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, नौ सा क्षे उ ने ₹211.41 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 13 सा क्षे उ को ₹446.62 करोड़ की हानि हुई।

इस प्रतिवेदन को तीन अध्यायों में संयोजित किया गया है। अध्याय I से सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र, अध्याय II राजस्व क्षेत्र तथा अध्याय III से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) संबद्ध हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ नीचे सारांशित किये जा रहे हैं।

अध्याय-1

निष्पादन लेखापरीक्षा

गंगा नदी का जीर्णोद्धार

भारत सरकार (भा स) ने गंगा नदी की सफाई के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान (गं ए प) की शुरुआत की थी। तत्पश्चात, गंगा में प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और न्यूनीकरण एवं नदी का जीर्णोद्धार करके इसकी प्राकृतिक और प्राचीन स्थिति हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के लिए एक सशक्त योजना, वित्तपोषण, अनुश्रवण और समन्वय प्राधिकरण के रूप में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (एन जी आर बी ए) की स्थापना (2009) की थी। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सभी सहायक नदियों का जीर्णोद्धार करने के लिए एक सम्पूर्ण अवधारणा के रूप में नमामि गंगे कार्यक्रम का अनुमोदन (13 मई 2015) किया गया। गंगा नदी के जीर्णोद्धार से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम की नियोजन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण तन्त्र में कमियों को प्रकट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गये हैं:

मुख्यांश

वार्षिक योजना के संचालन में, गंगा के लिए वानिकी घटकों हेतु अनुमोदित कुल योजना आकार, वर्ष 2016-17 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में नियोजित क्षेत्र का मात्र 4.66 प्रतिशत था।

[प्रस्तर 1.2.6.5 (i)]

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक निधियां उपयोग न करने के कारण 25.46 से 58.71 प्रतिशत तक अव्ययित पड़ी हुई थीं।

[प्रस्तर 1.2.7.1]

सात जिलों की 132 ग्राम पंचायतों में 265 गाँव को खुले में शौच से मुक्ति का विभाग का दावा त्रुटिपूर्ण पाया गया क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन किये गये कुल 1,143 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों में से 41 का निर्माण नहीं किया गया था तथा 34 निर्माणाधीन थे। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण में भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की गयी थी।

[प्रस्तर 1.2.8.1]

नगरपालिका के कचरे को अंधाधुंध रूप से पहाड़ियों के ढलान पर फेंका जा रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.2]

कार्यदायी संस्थाओं के मध्य नियोजन एवं समन्वय की कमी के कारण देवप्रयाग एवं ऋषिकेश में मल शोधन संयंत्र का कम उपयोग किया गया था।

[प्रस्तर 1.2.8.3 (अ)]

प्राथमिकता वाले कस्बों में चिन्हित 112 नालों में से 65 नालों को वर्तमान तक बन्द नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, प्रतिदिन 26.292 मिलियन लीटर प्रतिदिन अनुपचारित मल गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों में बह रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.4 (अ)]

हरिद्वार एवं ऋषिकेश में मल शोधन संयंत्र की क्षमता कस्बे के अपशिष्ट के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप, अनुपचारित मल नदियों में बह रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.4 (ब)]

वन विभाग वर्ष 2016-17 में चार घटकों में से तीन घटकों के लिए, उन्नत मृदा कार्य के प्रकरण में 3.50 प्रतिशत से लेकर शहरी भूनिर्माण के प्रकरण में 87 प्रतिशत तक, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा।

[प्रस्तर 1.2.8.7]

दस चयनित कस्बों में से मात्र तीन कस्बों में जल गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किये गये थे।

[प्रस्तर 1.2.10.1]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

अप्रैल 2009 में, भारत सरकार (भा स) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा ग्रा पे का) की शुरुआत की गई, जिसमें विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण रखते हुए पंचायती राज संस्थानों (पं रा सं) और सामुदायिक संगठनों को शामिल करते हुए पेयता, पर्याप्तता, सुविधा, समर्थता एवं निष्पक्षता के अनुसार जल उपलब्धता कायम करना सुनिश्चित किया गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग (पेयजल विभाग) क्रियान्वयन संस्था है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम के नियोजन, संस्थागत तन्त्र, क्रियान्वयन, वित्त प्रबंधन एवं अनुश्रवण में कमियों को प्रकट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न प्रकार थे:

मुख्यांश

ग्राम और जिला जल सुरक्षा योजनायें जिसमें जन सांख्यिकीय, भौतिक विशेषताएँ, जल स्रोतों, उपलब्ध पेयजल के बुनियादी ढाँचे इत्यादि सम्मिलित होते हैं, नहीं बनाए गये थे। आगे, कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा देने हेतु विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी।

[प्रस्तर 1.3.6.1 (अ) एवं (ब)]

राज्य में आवश्यक संस्थागत तन्त्र में कमी पायी गयी जैसे राज्य जल और स्वच्छता मिशन को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित नहीं किया गया था, महत्वपूर्ण समितियाँ जैसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ एवं स्रोत खोजी समिति का गठन नहीं किया गया था।

[प्रस्तर 1.3.6.2 (अ) से (य)]

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में, राज्य सरकार ने अपना राज्यांश क्रमशः ₹62.84 करोड़ एवं ₹57.85 करोड़ अवमुक्त नहीं किये। सकल वित्तीय प्रबंधन में भी कमियाँ पायी गयीं जैसे 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए निधियों का आवंटन कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुरूप नहीं था।

[प्रस्तर 1.3.7.2]

वर्ष 2017 तक पाइप द्वारा जलापूर्ति एवं घरेलू संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य की उपलब्धि में कमी थी। राज्य 50 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 14.71 प्रतिशत बसावटों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल उपलब्ध कराने में सक्षम था।

[प्रस्तर 1.3.8.2]

पाइप जलापूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने की दर न्यून दर से प्रभावित हुयी तथा ₹185.45 करोड़ लागत की 20 योजनाओं को पूर्ण होने में 5 से 12 वर्ष का विलंब हुआ।

[प्रस्तर 1.3.8.3]

उत्तराखण्ड जल निगम स्थायित्व घटक हेतु अपर्याप्त निधियों के आवंटन/व्यय के औचित्य को प्रदान करने में असफल रहा। स्थायित्व घटक के अंतर्गत व्यय मापदण्डों के अनुसार नहीं किया गया जैसे टिहरी जिले में लघु पेयजल योजनाओं एवं पानी की टंकियों के निर्माण में ₹42.01 लाख व्यय किया गया, जो कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।

[प्रस्तर 1.3.8.5]

अनुश्रवण तन्त्र में कमियाँ थीं जैसे इस कार्य का निष्पादन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया था, जबकि यह कार्य राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाना था, जो कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नामित संस्था थी। इसके अतिरिक्त, आँकड़ों की अपेक्षित जाँच एवं सत्यापन के अभाव में एकीकृत प्रबंधन सूचना तन्त्र के आँकड़ों में विश्वसनीयता का अभाव था।

[प्रस्तर 1.3.9.3 से 1.3.9.5]

अनुपालन लेखापरीक्षा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु किया गया नियोजन और क्रियान्वयन अपर्याप्त था क्योंकि मार्च 2017 तक 546 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और 4,485 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः केवल 63 और 50 का ही निर्माण किया गया था। मई 2017 में खुले में शौच मुक्त के रूप में राज्य की घोषणा सही नहीं थी। भारत सरकार के पोर्टल पर लाभार्थी आँकड़ों को अद्यतन करने में विफलता के परिणामस्वरूप एक लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया। वित्तीय प्रबंधन भी अपर्याप्त पाया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹10.58 करोड़ का अपना अंश जारी नहीं किया था।

[प्रस्तर 1.4]

किराये पर लिये गये वाहनों पर संदिग्ध गबन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दावों की प्रमाणिकता जात किये बिना भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप किराए पर लिए गये वाहनों पर ₹ 1.25 करोड़ का संदिग्ध गबन।

[प्रस्तर 1.6]

₹ 1.69 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा वित्तीय मापदण्डों की अवहेलना कर निर्माण कार्य को उच्च दरों पर प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ का व्ययाधिक्य किया गया।

[प्रस्तर 1.7]

अनाधिकृत व्ययाधिक्य

अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा वित्तीय नियमों के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन पत्र में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹ 0.59 करोड़ का अनाधिकृत रूप से व्ययाधिक्य किया गया।

[प्रस्तर 1.8]

₹ 0.70 करोड़ का निष्फल व्यय

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु नोटिस जारी करने के बावजूद अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा मार्ग के सुदृढीकरण हेतु ₹ 2.83 करोड़ का कार्य आवंटित किया गया। जिसके फलस्वरूप, बाद में ₹ 0.70 करोड़ व्यय करने के उपरान्त कार्य को रोकना पड़ा। परिणामस्वरूप, यह व्यय निष्फल हुआ।

[प्रस्तर 1.9]

अनुचित व्ययाधिक्य

अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत द्वारा वाटर बाउण्ड मैकेडम के स्थान पर महंगी सामग्री (बिटुमिन्स मैकेडम) का उपयोग करने के कारण ₹ 0.80 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य किया गया।

[प्रस्तर 1.10]

उद्देश्यों की पूर्ति न होना

प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त होने के नौ वर्ष पश्चात भी सेतु के निर्माण में विलंब के कारण असम्बद्ध गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। अभी तक के कार्य पर अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा पहले ही ₹ 1.09 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

[प्रस्तर 1.11]

निष्फल व्यय

दोषपूर्ण संरेखण के कारण पेयजल योजना लक्षित आबादी तक पेयजल आपूर्ति करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी द्वारा ₹1.42 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, लक्षित आबादी को पानी उपलब्ध करने के लिए एक ट्यूबवेल के निर्माण पर ₹6.50 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया।

[प्रस्तर 1.12]

नगर निगम देहरादून एवं हरिद्वार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम (न नि) देहरादून एवं हरिद्वार के पास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेत क्रियाओं की रूपरेखा, प्रस्तुतीकरण और समयबद्ध क्रियान्वयन की कोई कार्य योजना नहीं थी। दोनों न नि में आधारभूत संरचना पर अत्यल्प धनराशि व्यय किये जाने के कारण अभिप्रेत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। हरिद्वार में ₹1.21 करोड़ की लागत के नौ वाहन जून 2013 से व्यर्थ खड़े थे। न नि देहरादून की निकाय सीमा के अंतर्गत प्लांट की क्षमता 200 मी टन प्रतिदिन निर्धारित थी जबकि वास्तव में 257 मी टन प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के लागू होने के 16 वर्षों बाद भी दोनों नगर निगम प्रक्रिया इकाई की स्थापना में असफल थे। परिणामस्वरूप, नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं किया गया। दोनों न नि में उपकरणों, वाहनों, कूड़ेदानों एवं मानवशक्ति की कमी के साथ खराब अनुश्रवण तंत्र का खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान रहा।

[प्रस्तर 1.13]

अध्याय-II

अनुपालन लेखापरीक्षा

अर्थदण्ड का अनारोपण

वाणिज्य कर विभाग द्वारा के बि क अधिनियम की धारा 10-क के अंतर्गत ₹1.21 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया जबकि निर्धारितियों द्वारा ऐसे माल रियायती प्रपत्र पर क्रय किये गये थे, जिसके लिए वे पंजीकृत नहीं थे।

[प्रस्तर 2.2]

प्रपत्र-11 का अनाधिकृत उपयोग

माल को रियायती दर पर क्रय करने हेतु घोषणा प्रपत्र-11 के अनाधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप ₹26.61 लाख के कर के न्यूनारोपण के कारण राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹94.95 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

[प्रस्तर 2.3]

कर का न्यूनारोपण

वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर की गलत दर लागू करने से कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 89.52 लाख की राजस्व क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.4]

अर्थदण्ड का अनारोपण

व्यापारियों द्वारा विलंब से कर जमा करने के बावजूद भी वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 15.96 लाख की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

[प्रस्तर 2.5]

कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण कर का अनारोपण तथा माल के वास्तविक अभिग्रहण मूल्य को छिपाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.59 लाख की राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 12.57 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

[प्रस्तर 2.6]

राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति

आसवनियों द्वारा दैनिक स्थापित क्षमता से अधिक और बारिश के मौसम के दौरान मदिरा का उत्पादन करके पर्यावरणीय मापदण्डों का पालन नहीं किया गया, जिस पर विभाग द्वारा ₹ 346.53 करोड़ के जुर्माने का आरोपण नहीं किया गया। न्यूनतम उत्पादन, किण्वन और आसवन क्षमता का नियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राप्त न करने और पारगमन के दौरान टोटल रिड्यूसिंग शुगर और शीरे की हानि के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ के आबकारी राजस्व की हानि हुई। विभाग मदिरा की निर्धारित तीव्रता से उच्च तीव्रता पर ₹ 2.46 करोड़ की ड्यूटी आरोपित करने में विफल रहा। आसवन पर छीजन को गलत अनुमन्य किये जाने और बॉण्डेड वेयर हाउस विदेशी मदिरा के लाइसेंस शुल्क के समायोजन अन्य कारक हैं जिनके कारण आबकारी राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.7]

स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा सही दरों को लागू न किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.05 लाख राजस्व की क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.8]

अर्थदण्ड का न्यूनारोपण

खनन विभाग द्वारा खनिज के अवैध खनन/परिवहन के अपराधों में गलत दरों को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.75 लाख के अर्थदण्ड का न्यूनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.9]

रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण

खनन विभाग द्वारा खनन लाईसेन्स पर संशोधित दरों को लागू न करने और ईट भट्टों का पता न लगाने के कारण ₹ 39.23 लाख की रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.10]

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

अभिकरण की प्रमाणिकता सत्यापित किये बिना कार्य को सौंपा जाना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम ₹ 22.29 लाख व्यय करने के पश्चात भी वन प्रबंधन प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं कर सका।

[प्रस्तर 3.2]

कर्मचारी भविष्य निधि का अनियमित योगदान

उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने कर्मचारियों के अनिवार्य 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की क्षतिपूर्ति करते हुए ₹ 18.79 लाख का अतिरिक्त व्यय किया, जिसे अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को वहन करना था।

[प्रस्तर 3.3]

निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना को पूरा करने में विलंब के कारण लागत में वृद्धि

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एक योजनाबद्ध तरीके से परियोजना को निष्पादित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, लागत में ₹ 38.10 करोड़ की वृद्धि को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं किया जा सका क्योंकि यह नियंत्रणीय कारकों के कारण थी। निगम को परियोजना लागत का ₹ 34.53 करोड़ का एक अतिरिक्त घटक भी छोड़ना पड़ा और इससे टैरिफ निर्धारण के लिए अपने दावे को कम करना पड़ा।

[प्रस्तर 3.4]

उपयुक्त बीमा पॉलिसी लेने में विफलता के कारण हानि

इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी लेने में विफल रहने के कारण उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ₹ 2.18 करोड़ की हानि का दावा नहीं कर सका।

[प्रस्तर 3.5]

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना

समय से नये संयोजनों को जारी करने में असफलता के कारण उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) पर ₹ 6.52 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया। छः खण्डों में यू पी सी एल की वितरण हानि ₹ 240.91 करोड़ थी। यू पी सी एल के सतर्कता दल द्वारा 14 वितरण खण्डों में मात्र 0.18 प्रतिशत से 0.54 प्रतिशत तक उपभोक्ताओं की जाँच की गई। यू पी सी एल द्वारा, अतिरिक्त प्रतिभूति राशि ₹ 58.60 करोड़, प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि ₹ 2.87 करोड़ एवं विलंब भुगतान अधिभार राशि ₹ 132.58 करोड़ वसूल नहीं की जा सकी।

[प्रस्तर 3.6]

अध्याय-।

**सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)**

अध्याय-1

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षे उ)

1.1 परिचय

1.1.1 बजट परिचय

राज्य में 63 सरकारी विभाग एवं 41 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार के बजट आकलन और व्यय की स्थिति निम्न तालिका-1.1.1 में दी गयी है।

तालिका-1.1.1: वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बजट आकलन	व्यय								
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	5,443.94	5,372.23	6,804.28	6,182.04	8,157.61	7,402.28	8,910.83	8,409.98	11,129.62	9,934.09
सामाजिक सेवाएं	6,856.51	6,095.84	7,766.53	7,298.01	10,555.22	9,223.69	11,386.47	9,926.69	14,217.69	10,528.57
आर्थिक सेवाएं	2,568.74	1,995.29	2,755.73	2,067.95	4,271.41	3,856.47	4,394.41	3,983.21	5,648.75	3,902.66
सहायता अनुदान एवं अंशदान	847.92	496.86	727.66	668.41	807.79	681.27	1,046.63	766.56	1,254.33	906.18
योग (1)	15,717.11	13,960.22	18,054.20	16,216.41	23,792.03	21,163.71	25,738.34	23,086.44	32,250.39	25,271.50
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	3,653.48	3,542.09	4,874.19	3,712.03	4,591.37	4,939.01	4,004.85	4,217.38	5,744.36	4,954.22
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	264.05	272.57	248.66	277.99	212.59	150.97	172.67	83.15	395.22	165.05
लोक ऋण का पुनर्भगतान	2,297.13	1,472.21	2,152.79	1,316.81	1,757.79	893.89	2,776.79	1,996.56	2,032.23	1,127.40
आकस्मिकता निधि	40.00	32.07	40.00	194.48	180.00	194.15	175.00	385.46	205.00	227.70
लोक लेखों का संवितरण	12,872.30	20,961.24	14,212.33	25,190.33	15,683.06	33,534.94	16,247.59	36,536.73	6,602.72	26,607.34
अन्तिम रोकड़ शेष	-	1,945.54	-	2,433.41	-	1,772.02	-	1,462.80	0.00	2,785.95
योग (2)	19,126.96	28,225.72	21,527.97	33,125.05	22,424.81	41,484.98	23,376.90	44,682.08	14,979.53	35,867.66
महायोग (1+2)	34,844.07	42,185.94	39,582.17	49,341.46	46,216.84	62,648.69	49,115.24	67,768.52	47,229.92	61,139.16

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखों।

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य का कुल व्यय¹ ₹17,775 करोड़ से बढ़ कर ₹30,391 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2012-13 में ₹13,960 करोड़ से वर्ष 2016-17 में 81 प्रतिशत से बढ़कर ₹25,272 करोड़ हो गया।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल व्यय में 79 से 84 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था जबकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 20 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 2012-13 से 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 13 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ीं।

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

1.1.3 राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियां

विगत वर्षों में भारत सरकार (भा स) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियां अन्तरित की गईं। भा स द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अन्तरण वर्ष 2014-15 से समाप्त कर दिया गया। तथापि, भा स द्वारा कुल ₹ 1,629.70 करोड़ की धनराशि, केंद्रीय क्रियान्वयन अभिकरणों को सम्मिलित करते हुए, राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई, जिसमें से ₹ 719.50 करोड़ (44.15 प्रतिशत) की धनराशि राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई। राज्य के बजट से बाहर के लेन देन होने के कारण इन राशियों की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

1.1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण निम्न तालिका-1.1.2 में दिया गया है।

तालिका-1.1.2: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेत्तर अनुदान	869	981	944	1,043	824
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,040	3,558	4,083	1,173	1,532
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	8	13	99	609	843
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	540	523	1,879	2,479	3,035
योग	4,457	5,075	7,005	5,304	6,234
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	9	14	38	(-) 24	18
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	28	29	35	25	25

वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान भा स से प्राप्त सहायता अनुदान में वृद्धि देखी गई किन्तु वर्ष 2015-16 में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,701 करोड़ (24.28 प्रतिशत) की कमी आई है। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भा स से सहायता अनुदान की प्राप्तियों में ₹ 930 करोड़ (17.53 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (₹ 556 करोड़), राज्य आयोजनागत योजनाओं (₹ 359 करोड़) एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (₹ 234 करोड़) हेतु अनुदान में वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर अनुदान ₹ 219 करोड़ घट गये थे।

1.1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं सम्पादन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं, जिसमें पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ ही साथ मीडिया रिपोर्टों को भी ध्यान में रखने के अतिरिक्त, उनकी गतिविधियों की विकटता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियन्त्रण और हितधारकों की चिंताएं, के जोखिम निर्धारण से प्रारम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा का निर्णय लिया जाता है एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ले प प्र) लेखापरीक्षित इकाईयों के अध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस पर एक माह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो निस्तारण कर लिया जाता है या पुनः अनुपालन हेतु आगामी कार्यवाही के लिए सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ले प प्र में समाहित करने हेतु संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य के 343 आहरण और संवितरण अधिकारियों और नौ स्वायत्त निकाय की इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। इसके अतिरिक्त, दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी सम्पादित की गईं।

1.1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ ही साथ चयनित विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनसे कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कार्यकलाप पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, की जानकारी दी। यह विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार लाने के लिए कार्यकारी को उपयुक्त सिफारिशें पेश करने पर केन्द्रित थी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप प्रस्तारों को जिन्हें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएँ छः सप्ताह के अन्दर दें। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के व्यक्तिगत संज्ञान में यह भी लाया जाता है कि ऐसे प्रस्तारों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना की दृष्टि से, जिसे उत्तराखण्ड विधानसभा में रखा जाना है, यह वांछनीय होगा कि इस प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को इसमें सम्मिलित किया जाये। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रस्तारों को सम्बन्धित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ² और एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 14 लेखापरीक्षा प्रस्तारों को सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया। तथापि, एक मात्र प्रकरण³ में सरकार का औपचारिक उत्तर प्राप्त हुआ है (दिसम्बर 2017)।

² गंगा नदी का जीर्णोद्धार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।

³ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

1.1.7 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई वसूलियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि के लिए एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित करने के लिए संदर्भित किया गया। लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पितौरागढ़ द्वारा ₹ 70.55 लाख की वसूली की गई।

1.1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, विहित नियमों एवं क्रियाविधियों के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखाभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण की जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) जारी किये जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे नि प्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को अवगत करवाएँ। गम्भीर अनियमितताओं को कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लम्बित नि प्र पर अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों के संज्ञान में लाया जाता है।

31 मार्च 2017 को नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 3,067 नि प्र में निहित 8,552 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ बकाया थीं, जिसका विवरण निम्न तालिका-1.1.3 में दिया गया है।

तालिका-1.1.3: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन ⁴	प्रस्तर	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)
1.	सामाजिक क्षेत्र	1,705	5,452	10,415.13
2.	सामान्य क्षेत्र	429	843	913.00
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षेत्र)	933	2,257	6,947.76
योग		3,067	8,552	18,275.89

नि प्र एवं उनमें सम्मिलित प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति में तेजी एवं अनुश्रवण के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियाँ गठित की हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा समितियाँ की 19 बैठकें आयोजित हुईं, जिसमें 91 प्रस्तर निस्तारित हुए। विभागीय अधिकारी विहित समय सीमा के अंदर नि प्र पर उचित कार्यवाही करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी रही।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र और उचित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकरण की जाँच कर सके।

⁴ बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर 2006-07 से लिए गये हैं।

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.1.9.1 स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (कृ का टि) का प्रस्तुतिकरण

लोक लेखा समिति की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित समस्त लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर स्वप्रेरित कार्यवाही शुरू करनी चाहिए चाहे इनको लोक लेखा समिति द्वारा जाँच हेतु लिया गया हो या नहीं। राज्य विधानमण्डल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर विभागों को भी उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कृत कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को दर्शाते हुए, विस्तृत टिप्पणियाँ, जिसकी यथोचित रूप से लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की जाती है, प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

तथापि, यह देखा गया कि 31 मार्च 2017 तक, वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 371 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से 46 विभागों के 130 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं (जैसाकि **परिशिष्ट-1.1.1** में वर्णित है)। वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 2 मई 2017 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। इससे सम्बन्धित कृत कार्यवाही व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं (दिसम्बर 2017)।

1.1.9.2 लो ले स की अनुशंसा पर कृत कार्यवाही

लो ले स द्वारा लेखापरीक्षा प्रस्तर, जिन पर उनके द्वारा चर्चा की गई, के संबंध में की गई टिप्पणियों/अनुशंसाओं पर, कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ, जिनकी महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा यथोचित जाँच की गई, ऐसी की गई टिप्पणियों/संस्तुतियाँ की तिथि से छः माह के अंदर समिति को प्रस्तुत करनी होती हैं। वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 371 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से लोक लेखा समिति द्वारा 31 मार्च 2017 तक केवल 221 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर चर्चा की गई। लोक लेखा समिति के द्वारा 124 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में संस्तुतियाँ की गई हैं। समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार की ओर से छः प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ लम्बित हैं।

1.1.10 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में रखने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। इन निकायों में से कईयों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है एवं उनके लेन-देनों, परिचालन गतिविधियाँ और लेखों, विनियामक मुद्दों, आंतरिक नियन्त्रण आदि की जाँच की जाती है। राज्य में एक स्वायत्त निकाय (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी (मई 2012) गई है। वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा

जारी उत्तराखण्ड जल संस्थान की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ ले प्र) राज्य विधानसभा के समक्ष अभी तक रखा जाना शेष है।

1.1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों का वर्ष-वार विवरण

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा प्रस्तरों का उनकी मुद्रा मूल्य सहित वर्ष-वार विवरण निम्न तालिका-1.1.4 में दिया गया है।

तालिका-1.1.4: वर्ष 2014-16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और प्रस्तरों के सम्बन्ध में विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		प्रस्तर		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर
2014-15	03	371.70	12	135.00	03	10
2015-16	02	124.08	17	170.76	02	निरंक

इस अध्याय में ₹ 151.09 करोड़ की मुद्रा मूल्य की दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं और 10 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्युत्तरों को, जहाँ कहीं भी प्राप्त हुए, उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

पेयजल विभाग

1.2 गंगा नदी का जीर्णोद्धार

भारत सरकार (भा स) ने गंगा नदी की सफाई के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान (गं ए प) की शुरुआत की थी। तत्पश्चात, गंगा में प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और न्यूनीकरण एवं नदी का जीर्णोद्धार करके इसकी प्राकृतिक और प्राचीन स्थिति हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के लिए एक सशक्त योजना, वित्तपोषण, अनुश्रवण और समन्वय प्राधिकरण के रूप में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (एन जी आर बी ए) की स्थापना (2009) की थी। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सभी सहायक नदियों का जीर्णोद्धार करने के लिए एक सम्पूर्ण अवधारणा के रूप में नमामि गंगे कार्यक्रम का अनुमोदन (13 मई 2015) किया गया। गंगा नदी के जीर्णोद्धार से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम की नियोजन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण तन्त्र में कमियों को प्रकट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गये हैं:

मुख्यांश

- **वार्षिक योजना के संचालन में, गंगा के लिए वानिकी घटकों हेतु अनुमोदित कुल योजना आकार, वर्ष 2016-17 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में नियोजित क्षेत्र का मात्र 4.66 प्रतिशत था।**
[प्रस्तर 1.2.6.5 (i)]
- **कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक निधियां उपयोग न करने के कारण 25.46 से 58.71 प्रतिशत तक अव्ययित पड़ी हुई थीं।**
[प्रस्तर 1.2.7.1]
- **सात जिलों की 132 ग्राम पंचायतों में 265 गाँव को खुले में शौच से मुक्ति का विभाग का दावा त्रुटिपूर्ण पाया गया क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन किये गये कुल 1,143 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों में से 41 का निर्माण नहीं किया गया था तथा 34 निर्माणाधीन थे। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण में भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की गयी थी।**
[प्रस्तर 1.2.8.1]
- **नगरपालिका के कचरे को अंधाधुंध रूप से पहाड़ियों के ढलान पर फेंका जा रहा था।**
[प्रस्तर 1.2.8.2]
- **कार्यदायी संस्थाओं के मध्य नियोजन एवं समन्वय की कमी के कारण देवप्रयाग एवं ऋषिकेश में मल शोधन संयंत्र का कम उपयोग किया गया था।**
[प्रस्तर 1.2.8.3 (अ)]

- प्राथमिकता वाले कस्बों में चिन्हित 112 नालों में से 65 नालों को वर्तमान तक बन्द नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 26.292 मिलियन लीटर प्रतिदिन अनुपचारित मल गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों में बह रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.4 (अ)]

- हरिद्वार एवं ऋषिकेश में मल शोधन संयंत्र की क्षमता कस्बे के अपशिष्ट के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप, अनुपचारित मल नदियों में बह रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.4 (ब)]

- वन विभाग वर्ष 2016-17 में चार घटकों में से तीन घटकों के लिए, उन्नत मृदा कार्य के प्रकरण में 3.50 प्रतिशत से लेकर शहरी भूनिर्माण के प्रकरण में 87 प्रतिशत तक, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा।

[प्रस्तर 1.2.8.7]


- दस चयनित कस्बों में से मात्र तीन कस्बों में जल गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किये गये थे।

[प्रस्तर 1.2.10.1]

1.2.1 परिचय

भागीरथी नदी, जिसका उद्गम गोमुख का गंगोत्री ग्लेशियर है, को गंगा नदी का स्रोत माना गया है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से गंगा नदी बनती है। गंगा नदी अपने उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक 2,500 किमी की दूरी तय करती है जिसमें से 294 किमी का फैलाव उत्तराखण्ड राज्य में है। यद्यपि राज्य में गंगा के मुहाने में कई छोटी धाराएँ शामिल हैं, राज्य की छः लम्बी नदियाँ अलकनंदा, धौलीगंगा, नन्दाकिनी, पिंडर, मन्दाकिनी और भागीरथी मुख्य सहायक नदियाँ हैं।

उत्तराखण्ड में गंगा घाटी



गंगा नदी से सम्बन्धित पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं, इन समस्याओं के बारे में जागरूकता और समझ में वृद्धि हुई है। गंगा के जीर्णोद्धार के पूरे अभ्यास में विभिन्न अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं।

नमामि गंगे के अंतर्गत लघु और मध्यम अवधि के घटकों को शामिल करने वाले सात मुख्य क्षेत्रों (1) प्रदूषण का न्यूनीकरण (2) बहाव को बनाए रखना (3) नदी तट का विकास (4) क्षमता निर्माण (5) शोध और अनुश्रवण (6) जैव विविधता संरक्षण और (7) संचार एवं सार्वजनिक पहुँच पर जोर दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने एक याचिका⁵ में आदेश (02.12.2016) पारित किया जिसमें राज्य सरकार के साथ ही भारत सरकार को गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने के निर्देश जारी किये गये थे।

1.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (रा का प्र स), जो संस्था के रूप में पंजीकृत (मार्च 2011) है, एन जी आर बी ए कार्यक्रम के प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए शामिल छः मुख्य संस्थाएं, अवरोधन एवं विपथन (अ एवं वि) परियोजना तथा मल शोधन संयंत्र (म शो सं) के निर्माण के लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम की निर्माण और मरम्मत इकाई (गंगा), इन परियोजनाओं के संचालन एवं मरम्मत (सं एवं म) के लिए उत्तराखण्ड जल संस्थान, नदी तट के विकास के लिए सिंचाई विभाग, गंगा हेतु वनीकरण घटकों के क्रियान्वयन के लिए राज्य का वन विभाग, वायु और जल प्रदूषण के निवारण के लिए उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड और ग्रामीण स्वच्छता सुविधा के लिए पेयजल विभाग के अंतर्गत स्वजल निदेशालय शामिल है।

1.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- गंगा नदी के जीर्णोद्धार और प्रदूषण को कम करने के लिए पर्याप्त नियोजन एवं संस्थागत तथा समन्वय तन्त्र मौजूद है;
- कार्यक्रम के लिए समय पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे और कार्यक्रम को मितव्ययी, कुशल और प्रभावकारी तरीके से क्रियान्वित किया गया;
- माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशों का पालन किया गया; और
- कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अनुश्रवण तन्त्र पर्याप्त था।

1.2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यविधि

वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से जून 2017 एवं अगस्त 2017 से सितम्बर 2017 के दौरान 13 जिलों में से गंगा घाटी में पड़ने वाले सात जिलों⁶ में संपादित की गयी। उत्तराखण्ड के 15 कस्बों⁷ में चल रहीं

⁵ 2015 की संख्या-1401

⁶ चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार एवं देहरादून।

⁷ (1) मुनि की रेती, ढालवाला, (2) ऋषिकेश (3) तपोवन (4) गोपेश्वर (5) बद्रीनाथ (6) कर्णप्रयाग (7) उत्तरकाशी (8) हरिद्वार ज्वालपुर क्षेत्र एवं भेल सहित (9) जोशीमठ (10) देवप्रयाग (11) नंदप्रयाग (12) कीर्तिनगर (13) रुद्रप्रयाग (14) गौचर (15) श्रीनगर।

38 आधारभूत परियोजनाओं में से 10 कस्बों⁸ में चालू 23 परियोजनाओं का नमूना, जैसाकि परिशिष्ट-1.2.1 में दिया गया है, को प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज़ विद रिप्लेसमेंट (पी पी एस डबल्यू आर) पद्धति के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक परियोजना, गंगा के लिए वनीकरण घटकों को भी विस्तृत जाँच के लिए चयनित किया गया। गंगा घाटी पर पड़ने वाले सात जिलों के 132 ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) में 10,010 लाभार्थियों में से, ग्राम पंचायतों में अधिकतम संख्या में निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (व्य घ शौ) के आधार पर नौ ग्रा पं⁹ के 16 गाँव में 1,362 लाभार्थियों के व्य घ शौ का भौतिक सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त, दस चयनित कस्बों में चयन की गई आधारभूत परियोजनायें जो सात¹⁰ नगर पालिका परिषद (न पा प)/नगर पंचायत (न पं) द्वारा क्रियान्वित की गई थीं, का भी भौतिक सत्यापन किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा को आरम्भ करने से पहले, प्रवेश गोष्ठी में सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन से लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड, कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गयी (अप्रैल 2017)। रा का प्र स, उत्तराखण्ड पर्यावरण निवारण एवं प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड (उ प नि प्र नि बो), निदेशालय शहरी विकास और परियोजना प्रबंधन इकाई (स्वजल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम (उ पे ज नि), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान (उ ज सं), प्रभागीय वन कार्यालय, सात नगर पालिका परिषद/पंचायत और सात जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (जि प प्र ई)¹¹ के अभिलेखों की जाँच की गई। इसके अतिरिक्त, सात जिलाधिकारी कार्यालय¹² और अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) देहरादून से भी सूचना प्राप्त की गई।

सचिव, पेयजल विभाग और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ 29 नवम्बर 2017 को बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित की गयी और शासन तथा कार्यदायी संस्थाओं के विचारों को रिपोर्ट में उपयुक्त जगहों पर सम्मिलित किया गया है।

1.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त हुए थे:

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- पर्यावरण निवारण अधिनियम, 1986;
- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन जी आर बी ए) के कार्यक्रम, ढाँचा और दिशानिर्देश;
- गंगा नदी (जीर्णोद्धार, निवारण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016;

⁸ (1) मुनि की रेती, ढालवाला, (2) ऋषिकेश (3) तपोवन (4) गोपेश्वर (5) बद्रीनाथ (6) कर्णप्रयाग (7) उत्तरकाशी (8) हरिद्वार ज्वालामुखी क्षेत्र एवं भेल सहित (9) जोशीमठ (10) देवप्रयाग

⁹ बालेश्वर, चाका, केवरमल्ला, माला, किनसुर, झाला, बागोड़ी, बादशाहपुर एवं बीरपुर खुर्द।

¹⁰ (1) नगर निगम, हरिद्वार (2) न पा प, ऋषिकेश (3) न पा प, मुनि की रेती (टिहरी) (4) न पा प, गोपेश्वर (5) न पा प, कर्णप्रयाग (6) न पा, बद्रीनाथ (7) न पा प, उत्तरकाशी (बड़कोट)।

¹¹ जि प प्र ई, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार एवं देहरादून।

¹² देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली एवं उत्तरकाशी।

- सामान्य वित्तीय नियम;
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा निर्देश; और
- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का दिनांक 02.12.2016 का निर्णय।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.2.6 नियोजन

किसी भी कार्यक्रम की सफलता मजबूत संस्थागत और नियोजन व्यवस्थाओं तथा उनके कुशल एवं प्रभावी कार्यस्थल को स्थापित करने पर निर्भर करती है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण एवं लम्बी अवधि के नदी संरक्षण के संदर्भ में संस्थागत व्यवस्थाओं को संरचनात्मक, दृष्टिकोण, प्रथाओं या नियमों के रूप में निर्णय लेने वालों और हितधारकों द्वारा सभी स्तरों पर परिभाषित कर स्थापित किया जाता है ताकि क्रियान्वयन की गतिविधियों जैसेकि पहचान की गई कमजोरियों और जोखिमों के लिए आवश्यकताओं का आकलन करना; क्रियान्वयन के लिए योजना; निवारण और संरक्षण उपायों और क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को संचालित किया जा सके। नियोजन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं।

1.2.6.1 वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण में विलंब

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, राज्य स्तरीय वार्षिक योजना की बैठक को रा का प्र स द्वारा राज्य के लिए मसौदा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रत्येक वर्ष सितम्बर के आरम्भ में सभी सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय (श स्था नि) और कार्यदायी संस्थाओं (का सं) के साथ आयोजित किया जाना था। रा का प्र स को अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना सितम्बर के अंत तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (रा स्व गं मि) को प्रस्तुत करना था। यह पाया गया कि वार्षिक कार्ययोजना (वा का यो) प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का पालन नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की वा का यो चार से पाँच माह के विलंब से प्रस्तुत की गयी। विभाग ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वा का यो को समय पर तैयार नहीं किया जा सका का सं द्वारा परियोजना प्रस्ताव विलंब से प्रस्तुत किये गये। का सं द्वारा परियोजना प्रस्तावों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित न किया जाना विभागीय विफलता को दर्शाता है। सचिव, पेयजल विभाग, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया गया कि भविष्य में वा का यो को समय पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

1.2.6.2 बजट समीक्षा समिति का गठन न होना

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, प्रत्येक क्रियान्वयन राज्य के रा का प्र स की, बजट के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए इंजीनियरिंग, वित्त, खरीद, अनुश्रवण आदि के प्रमुख को शामिल करते हुए, बजट समीक्षा समिति (ब स स) होनी चाहिए जो रा का प्र स के प्रमुख को अपनी त्रैमासिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करे। यह पाया गया कि उत्तराखण्ड में ब स स का गठन नहीं किया गया था और वा का यो तथा बजट रा का प्र स के वित्त विभाग द्वारा ही का सं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर तैयार किये जा रहे थे जोकि रूपरेखा में निहित प्रावधानों के विपरीत था। सचिव, पेयजल

विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी में अवगत कराया गया कि ब स स का गठन सितम्बर 2017 में कर दिया गया है।

1.2.6.3 क्रियाकलापों में समन्वय के लिए रूपरेखा

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, रा स्व गं मि, रा का प्र स और सम्बन्धित श स्था नि के मध्य क्रियान्वयन, सं एवं म और स्थानीय निकाय को निवेश के अंततः स्थानांतरण के संबंध में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम स्तर त्रिपक्षीय अनुबंध ज्ञापन (अ ज) निष्पादित किया जाना था। इसी तरह, रा का प्र स, का सं और सम्बन्धित श स्था नि के मध्य भी एक परियोजना स्तर त्रिपक्षीय अ ज निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014 के बाद उक्त स ज विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि प प्र) के साथ संलग्न नहीं थे। इस संबंध में इंगित किये जाने पर रा का प्र स ने कहा कि रा स्व गं मि द्वारा सभी रा का प्र स को एक नया अ ज मसौदा का टैम्पलेट परिचालित किया गया था (मई, 2016)। सचिव, पेयजल विभाग, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी में अवगत कराया गया कि रा स्व गं मि द्वारा अभी तक नए अ ज को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

1.2.6.4 संचार और सार्वजनिक आवागमन

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, संचार और सार्वजनिक आवागमन (सं सा आ) का उद्देश्य सामरिक संचार के माध्यम से गंगा नदी के प्रदूषण और संरक्षण के प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करना एवं सार्वजनिक भागीदारी और आवागमन को बढ़ाना है। ये गतिविधियाँ प्रदूषण नियंत्रण संदेशों और सार्वजनिक संवेदनशीलता पर केन्द्रित हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से पूर्व सं सा आ गतिविधियों के लिए कोई भी वा का यो नहीं बनाई गयी थी। तथापि, रा का प्र स द्वारा मई 2017 में सं सा आ गतिविधियों के लिए वा का यो को तैयार कर रा स्व गं मि को प्रस्तुत की गयी जिसे अभी तक (सितम्बर 2017) अनुमोदित होना शेष था। आगे, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि रा का प्र स ने चारधाम यात्रा 2017 हेतु सूचना, शिक्षा और संचार (सू शि सं) गतिविधियों के लिए एक अलग प्रस्ताव पेश किया जिसे रा स्व गं मि द्वारा जून 2017 में अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, सार्वजनिक भागीदारी और आवागमन गतिविधियों को केवल आंशिक रूप से शुरू किया गया था।

1.2.6.5 गंगा के लिए वानिकी घटक योजना में नियोजन की कमी

“गंगा के लिए वानिकी घटक (गं वा घ)” हेतु वि प प्र वन अनुसंधान संस्थान (व अ सं), देहरादून द्वारा तैयार किया गया था तथा इसे पाँच साल (2016-17 से 2020-21) तक लागू किया जाना है। इसमें चार घटक अर्थात् प्राकृतिक भूनिर्माण, कृषि भूनिर्माण, शहरी भूनिर्माण और संरक्षण गतिविधियाँ शामिल थीं। वि प प्र को दिनांक 22.03.2016 को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया तथा अंगीकृत किया गया था। परियोजना प्रबंधन इकाई (प प्र इ), गं वा घ, उत्तराखण्ड, संचालन की वार्षिक योजना (सं वा यो) के अनुसार राज्य के 21 वन प्रभागों के माध्यम से, जिसे सम्बन्धित प्रभागों द्वारा तैयार किया जाता है तथा प प्र ई द्वारा समेकित कर रा स्व गं मि को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व था।

प प्र इ, गं वा घ, उत्तराखण्ड के अभिलेखों की जाँच में गं वा घ की योजना में कई कमियाँ पाई गईं जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

i) वि प प्र के योजना आकार और 2016-17 की अनुमोदित संचालन की वार्षिक कार्ययोजना में अन्तर

गं वा घ के वि प प्र में उल्लिखित लक्ष्यों को पाँच वा का यो के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक था। इसलिए प्रत्येक वा का यो के लिए वित्तीय आवंटन को वि प प्र में अनुमोदित वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप होना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा स्व गं मि के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए वि प प्र में ₹358.91 करोड़ की लागत से लक्षित 32,633 हेक्टर (हेक्ट) आच्छादित क्षेत्र के सापेक्ष वा का यो में, इसी अवधि के लिए, ₹84.47 करोड़ की लागत से 9,674 हेक्ट क्षेत्रफल¹³ को आच्छादित करने हेतु प्रस्तावित किया गया था। तथापि, रा स्व गं मि ने प्राकृतिक भूनिर्माण में 92 प्रतिशत, कृषि भूनिर्माण और शहरी भूनिर्माण प्रत्येक में 98 प्रतिशत तथा संरक्षण घटकों के प्रकरण में 95 प्रतिशत कटौती के साथ प्रस्तावित योजना के आकार में और कटौती कर सिर्फ 1,521 हेक्ट क्षेत्रफल हेतु ₹15.93 करोड़ अनुमोदित किये जैसेकि नीचे तालिका-1.2.1 में देखा जा सकता है:

तालिका-1.2.1 वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित वि प प्र तथा वा का यो के मध्य लक्ष्यों में कमी

घटक/गतिविधि	वि प प्र वर्ष 2016-17 के अनुसार लक्ष्य (हेक्ट)	अनुमोदित वा का यो वर्ष 2016-17 के अनुसार लक्ष्य (हेक्ट)	कमी हेक्ट में (प्रतिशत)
प्राकृतिक भूनिर्माण (उन्नत मृदा कार्य और पर्यावरण टास्क फोर्स)	12,149.50	1,000	11,149.50(92)
कृषि भूनिर्माण	15,100.00	300	14,800.00(98)
शहरी भूनिर्माण	1,079.58	21	1,058.58(98)
संरक्षण घटक	4,304.00	200	4,104.00(95)

अतः वर्ष 2016-17 की वा का यो में अनुमोदित कुल योजना आकार वि प प्र में वर्ष के लिए आच्छादित योजना का मात्र 4.66 प्रतिशत था। वि प प्र और अनुमोदित वा का यो के योजना आकार के बीच इतने बड़े अन्तर के परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के पहले वर्ष (2016-17) के परिणाम के साथ ही अनुवर्ती गतिविधियाँ एवं परिणाम भी प्रभावित होंगे।

परियोजना निदेशक, प प्र इ, गं वा घ उत्तराखण्ड के द्वारा (मई 2017) वा का यो में अनुमोदित मामूली आकार के लिए रा स्व गं मि के पास पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया गया।

ii) वार्षिक कार्य योजना का देरी से प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2016-17 के लिए वा का यो को 20 अप्रैल 2016 तक प्रस्तुत किया जाना था जिसे 10 मई 2016 तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, राज्य वन विभाग इसे 10 जून 2016 को प्रस्तुत कर पाया एवं इसे रा स्व गं मि द्वारा 14 जुलाई 2016 को अनुमोदित किया गया। चूंकि, वा का यो तैयार करने की प्रक्रिया में देरी हुई थी, विभाग ने वा का यो में पौधे लगाने की गतिविधि शामिल नहीं की तथा इसके बजाय अगले वर्ष (जुलाई 2018) के लिए केवल उन्नत मृदा कार्य की योजना बनाई। राज्य में जुलाई-अगस्त के महीने में पौधरोपण किया जाता है तथा पौधरोपण से 3-4 महीने पहले ही

¹³ प्राकृतिक भूनिर्माण के लिए 2,650 हेक्ट उन्नत मृदा कार्य, कृषि भूनिर्माण के लिए 5,280 हेक्ट, शहरी भूनिर्माण के लिए 170 हेक्ट एवं संरक्षण घटकों के लिए 1,574 हेक्ट।

अग्रिम मृदा कार्य किया जाता है। अतः उत्तराखण्ड राज्य को क्रियान्वयन की अवधि के पहले वर्ष (2016-17) के दौरान, स्वयं को केवल अग्रिम मृदा कार्य तक ही सीमित करना पड़ा और प्राकृतिक भूनिर्माण के घटक के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि, अर्थात् पौधरोपण, निरंक था।

परियोजना निदेशक, प प्र ई, गं वा घ, उत्तराखण्ड द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि की गई (मई 2017)।

iii) राज्य स्तरीय कार्यक्रम संचालन समिति का गठन न किया जाना (रा का सं स)

राज्य स्तरीय गं वा घ की सर्वोच्च संस्था यानि राज्य स्तरीय कार्यक्रम संचालन समिति (रा का सं स), जो वा का यो को स्वीकृति देने और परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार थी, राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन अवधि के पहले वर्ष के बाद भी स्थापित नहीं की गई थी। अतः कार्यक्रम की वा का यो को रा स्त सं स के अनुमोदन के बिना ही रा स्व गं मि को प्रस्तुत किया गया था तथा अन्य हितधारकों जैसे अन्य रेखीय विभाग, सिविल संस्थाएँ, गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधियों, जो रा स्त सं स का एक अंश थे, से मूल्यवान सुझाव प्राप्त करने एवं उन्हें वा का यो में शामिल करने की कोई सम्भावना नहीं थी।

iv) परियोजना प्रबंधन इकाई की कार्यपद्धति

वन विभाग में गंगा के लिए वानिकी घटक (गं वा घ) के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (प प्र ई) मात्र मुख्य वन संरक्षक (मु व सं)/परियोजना निदेशक (प नि) ही कार्य कर रहे थे। परियोजना संयोजक (वन संरक्षक) एवं परियोजना प्रबंधक के चार पद रिक्त थे। इन रिक्त पदों का प्रभाव वर्ष 2016-17 की वा का यो तैयारी में देरी, भौतिक लक्ष्य की कम प्राप्ति तथा निष्पादित कराये जा रहे कार्य के अनुश्रवण में कमी के रूप में प्रस्तर 1.2.6.5 (ii), 1.2.8.7 और 1.2.10.3 में वर्णित है।

v) गं वा घ के अंतर्गत वृ प क्रि स एवं प्र क्रि स का गठन न किया जाना


वृत्तीय परियोजना क्रियान्वयन समिति (वृ प क्रि स) तथा प्रभाग स्तरीय क्रियान्वयन समिति (प्र क्रि स) का गठन किसी भी क्रियान्वयन वृत्त/प्रभाग में नहीं किया गया था। अतः वा का यो को तैयार करने का कार्य वृ प क्रि स के मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों से निविष्टियाँ, जो कि वि प प्र के मापदण्डों के अनुसार आवश्यक थे, प्राप्त किये के बिना ही प्रभागीय वनाधिकारियों (प्र व अ) पर छोड़ दिया गया था।

1.2.7 वित्तीय प्रबंधन

एन जी आर बी ए के गठन (फरवरी 2009) के समय केन्द्रीय और सम्बन्धित राज्य सरकारों ने 70:30 के अनुपात में नदी संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की लागत साझा की थी। नमामि गंगे कार्यक्रम के शुभारंभ (जुलाई 2014) के बाद राज्य द्वारा बनायी गयी संपत्तियों के पूरे जीवन चक्र हेतु प्रबंधन लागत तथा 15 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव (सं एवं र) हेतु केन्द्र सरकार से 100 प्रतिशत सहायता रा का प्र स को उपलब्ध कराई जा रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन के अनुसार वर्ष 2014 के बाद, रा का प्र स को विभिन्न परियोजनाओं/ गतिविधियों की आवश्यकता के अनुसार मदर खाते में उपलब्ध निधियों का उपयोग करने की छूट दी गई थी। यह प्रत्येक परियोजना के लिए उप-परियोजना विशिष्ट शून्य शेष बैंक खाते (शिशु खाते),

उसी बैंक में जिसके साथ रा का प्र स ने अपने मदर खाते का रखरखाव किया है, के माध्यम से कार्यदायी संस्था को निधियां प्रेषित करता है। प्रत्येक का सं को उक्त उद्देश्य के लिए एक परियोजना विशेष शिशु खाते का रख रखाव करता है। मदर और शिशु खाते का संचालन निम्न फ्लो चार्ट में दिखाया गया है:



1.2.7.1 निधियों की उपलब्धता और उपयोग

अनुमोदित परियोजना के लिए रा स्व गं मि द्वारा रा का प्र स को एकमुश्त आधार पर निधियां अवमुक्त की जाती है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, विभिन्न घटकों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और उपयोग की स्थिति नीचे तालिका-1.2.2 में दी गई है:

तालिका-1.2.2 निधियों की उपलब्धता और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधियां					कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	अव्ययित शेष	अनुपयोगित निधियों की प्रतिशतता
		केंद्रांश	राज्यांश	ब्याज	अन्य	कुल				
2012-13	0.02	12.85	2.40	0.06	0.10	15.41	15.43	9.63	5.80	37.59
2013-14	5.80	17.05	8.68	0.24	0	25.97	31.77	23.68	8.09	25.46
2014-15	8.09	4.25	13.92	0.22	4.25*	22.64	30.73	13.62	17.11	55.68
2015-16	17.11	30.26	0	1.15	0.01	31.42	48.53	20.04	28.49	58.71
2016-17	28.49	35.37	5.98	0.80	0.01	42.16	70.65	39.86	30.79	43.58
योग		99.78	30.98	2.47	4.37	137.60	197.11	106.83		

स्रोत: रा का प्र स, परियोजना प्रबंधन इकाई (स्वजल) और सी ई ओ नमामि गंगे।

नोट: तालिका में दर्शाई गई राशि में गैर-ई ए पी, ई ए पी, वि प प्र निधि, एन जी पी निधि, घाट सौंदर्यीकरण निधि, ग्रामीण स्वच्छता निधि और वनीकरण निधि शामिल हैं।

* रा स्व गं मि द्वारा पेयजल निगम को सीधे अवमुक्त की गयी राशि में से बचत होने के कारण पेयजल निगम द्वारा रा का प्र स को ₹4.25 करोड़ की राशि वापस की गयी थी।

यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 25.46 से लेकर 58.71 प्रतिशत तक अव्ययित शेष था। रा का प्र स ने अवगत कराया कि का सं द्वारा निधियों का उपयोग न करने का कारण कार्य की धीमी प्रगति और सीमित स्रोत था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव, पेजल विभाग द्वारा तथ्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

1.2.7.2 केंद्र और राज्य सरकार के मध्य अंशों की भागीदारी

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अंतर्गत, मार्च 2011 में, उत्तराखण्ड में रा का प्र स का गठन अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। वर्ष 2012-13 से, रा स्व गं मि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प एवं व मं) के बजट से एन जी आर बी ए निधियां प्राप्त करता है और उसे राज्य के रा का प्र स को अंतरित करता है। एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अंतर्गत रा स्व गं मि से रा का प्रा स को निधियों की किश्त प्राप्त होने के दो माह के अंदर राज्य सरकार को अपने अंश की निधियों को भी अवमुक्त करना आवश्यक था। यह पाया गया कि राज्य अपने अंश को एकमुश्त आधार पर पूर्व वर्षों के अपने अंश सहित बिना यह बताये कि अंश किस अवधि से सम्बन्धित है अवमुक्त कर रहा था, जो एन जी आर बी ए के दिशानिर्देशों के विपरीत था। केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्थिति निम्न तालिका-1.2.3 में दिखाई गयी है:

तालिका-1.2.3: केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	ई ए पी ¹⁴ अवमुक्त				गैर-ई ए पी अवमुक्त			
	केन्द्रांश	दिनांक	राज्यांश	दिनांक	केन्द्रांश	दिनांक	राज्यांश	दिनांक
2012-13	60.00	02.05.2012	16.67	13.06.2012	820.00	14.11.2012	189.87	07.02.2013
	94.70	01.03.2013	9.04	09.11.2012	310.00	22.03.2013		
			24.29	08.01.2013				
2013-14	527.00	28.02.2014	-	-	313.00	30.04.2013	300.00	22.05.2013
			-	-	181.00	30.04.2013	568.00	25.03.2014
			-	-	174.00	26.09.2013		
			-	-	236.00	23.10.2013		
			-	-	59.00	23.10.2013		
			-	-	215.00	30.12.2013		
2014-15	25.35	03.07.2014	27.16	07.11.2014	300.00	18.06.2014	664.00	14.10.2014
			27.84	07.02.2015	100.22	30.01.2015	297.00	07.02.2015
			226.00	07.02.2015				
2015-16					211.00	21.01.2016		
					485.00	01.03.2016		
2016-17			56.77	21.09.2016	36.00	02.06.2016	318.72	02.09.2016
					518.90	28.07.2016	181.28	15.09.2016
					535.00	07.02.2017	41.11	22.12.2016

स्रोत: रा का प्र स।

राज्य सरकार द्वारा अंश के वर्णन/विभाजन के अभाव में विशिष्ट केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश को विश्लेषित नहीं किया जा सका। इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि वित्तीय बाधाओं एवं सीमित संसाधनों के कारण, राज्यांश समय पर अवमुक्त नहीं किया जा सका। उसके द्वारा आगे यह भी अवगत कराया गया कि राज्यांश अवमुक्त न किये जाने के कारण कार्य बाधित हुए थे तथा लक्ष्य समय पर प्राप्त नहीं किये जा सके। सचिव, पेयजल विभाग ने, बहिर्गमन गोष्ठी दौरान, रा का प्र स को प्रकरण को राज्य सरकार के पास ले जाने हेतु निर्देशित किया।

¹⁴ वाह्य सहायतित परियोजना।

1.2.7.3 खाते को तैयार करना

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, रा स्व गं मि बाद में निधियों को किस्तों में तभी अवमुक्त कर सकेगा जब (i) रा का प्र स विगत वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रा स्व गं मि को प्रस्तुत करेगा और (ii) रिपोर्टिंग वर्ष की पहली किश्त का उचित उपयोग करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षक न होने के कारण रा का प्र स द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किये जा रहे थे। इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि बिना जाँच के तलपट, आय एवं व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी रा स्व गं मि को जब भी आवश्यक हूये प्रस्तुत किये गये थे। अतः एन जी आर बी ए की रूपरेखा में निहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था चूंकि रा स्व गं मि द्वारा प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किये बिना निधियां अवमुक्त की जा रही थी।

1.2.7.4 ब्याज का संचय

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को, भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों पर, बैंक खाते में जमा अर्जित ब्याज की धनराशि को सम्बन्धित लेखा शीर्ष¹⁵ में जमा करना आवश्यक था। गं वा घ में शामिल 11 क्रियान्वयन प्रभागों में से नमूना जाँच के दौरान चयनित किये गये नौ वन प्रभागों में पाया गया कि प्रभागों द्वारा मुख्य वन संरक्षक/परियोजना निदेशक (मु व सं/प नि) नमामि गंगे के द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधियों को सम्बन्धित बैंकों (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) में शिशु खाते (बचत खाते) में जमा कराया गया था जिस पर जुलाई 2017 तक ₹5.20 लाख ब्याज अर्जित हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो रा स्व गं मि और न ही मु व सं/प नि नमामि गंगे द्वारा बैंक खाते में जमा ब्याज की धनराशि के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

1.2.7.5 अन्य अनियमितता

- यह देखा गया कि रा स्व गं मि ने जून 2011 में रा का प्र स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू बी आई) में दो पृथक बैंक खाते (मदर खाता) एक ई ए पी और एक गैर-ई ए पी निधियों के लिए खोलने हेतु निर्देशित किया था, जिसको उसी बैंक में का सं के शून्य शेष शिशु खाते से लिंक करना था। जिसका उद्देश्य का सं के निर्माण कार्य के लिए निधियों के अंतरण में विलंब से बचना था। इसके अनुपालन में, रा का प्र स ने अगस्त 2011 में यू बी आई में दो बैंक खाते खोले थे। रा का प्र स द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को नवम्बर 2012 में शिशु खाते को मदर खाते से लिंक करने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन का सं द्वारा तीन वर्षों के विलंब के बाद जून 2014 में शिशु खाते खोले गये थे। तब तक, रा का प्र स निधि को चेक के माध्यम से का सं को धनराशि उपलब्ध कराता रहा, जिसने शून्य शेष शिशु खाते के उद्देश्य को निष्फल किया।
- वर्तमान में रा का प्र स द्वारा निम्नलिखित मदर खातों का रख-रखाव किया गया था।

¹⁵ मुख्य शीर्ष 0049 (ब्याज प्राप्ति)-01 (राज्य सरकार से ब्याज)-800 (विविध प्राप्ति)।

तालिका-1.2.4: रा का प्र स द्वारा रखे गये मदर खातों का विवरण

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	बैंक का नाम	खाता खोलने की तिथि
1.	गैर-ई ए पी	पंजाब नेशनल बैंक	18.06.2014
2.	ई ए पी	बैंक ऑफ इंडिया	24.09.2013
3.	घाट सौंदर्यीकरण	एक्सिस बैंक	02.03.2016
4.	राष्ट्रीय गंगा योजना	एक्सिस बैंक	02.03.2016

यह पाया गया कि रा का प्र स द्वारा घाट सौंदर्यीकरण और राष्ट्रीय गंगा योजना के मदर खाते एक्सिस बैंक में खोले गये थे, जोकि एक निजी बैंक था। अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग उत्तरकाशी (का सं) ने रा का प्र स को सूचित (मई 2017) किया कि उत्तरकाशी में एक्सिस बैंक की कोई भी शाखा न होने के कारण का सं द्वारा शिशु खाता खोला नहीं जा सका। इस प्रकार, निजी बैंक में मदर खाता खोलने से उसी बैंक में का सं का शिशु खाता खोलने में बाधा उत्पन्न हुई, परिणामस्वरूप, कार्यों के निष्पादन के लिए राशि अवमुक्ति में विलंब न होने का उद्देश्य निष्फल रहा।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि रा का प्र स के अभिलेख (गैर-ई ए पी) में दिखाये गये शेष और बैंक खाते (मदर खाते) में दिखाये गये शेष के मध्य ₹7.42 लाख का अन्तर था। इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि का सं के साथ मिलान किया जाएगा और सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।
- यह देखा गया की का सं द्वारा भौतिक और वित्तीय प्रगति में दिखाये गये व्यय को कार्य सार/लेजर से मिलान नहीं किया था। इस ओर इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि समीक्षा बैठकों और पत्राचार के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे।

सचिव, पेयजल विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, रा का प्र स को निर्देशित किया कि रा स्व गं मि के निर्देशानुसार बैंक खाते खोले। आगे, रा का प्र स ने अवगत कराया कि बैंक के साथ धनराशि में अन्तर का मिलान किया जाएगा।

1.2.8 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1.2.8.1 ग्रामीण स्वच्छता

गंगा नदी के जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के गंगा बेसिन में आने वाली ग्राम पंचायतों में पूर्ण स्वच्छता के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य कार्य योजना (रा का यो) अग्रेषित (जुलाई 2014) की गयी थी। रा का यो के अनुसार गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के समीप स्थित सात जिलों में 132 ग्रा पं के 265 गाँवों को वर्ष 2019 तक खुले में शौच मुक्त (खु शौ मु) किया जाना था। रा का यो का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को सुधारने के लिए समस्त 132 ग्रा पं में 10,010 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य घ शौ), 132 सामुदायिक स्वच्छता परिक्षेत्र (सा स्व प) और 132 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन¹⁶ (ठो त अ प्र) इकाईयों का निर्माण करने का था।

व्य घ शौ, सा स्व प और ठो त अ प्र के निर्माण का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे तालिका-1.2.5 में दर्शायी गयी है:

¹⁶ ठो त अ प्र में में गड्डों का निर्माण, वर्मी कंपोस्ट पिट्स, नालियों, कूड़ेदान और बायोगैस संयंत्र की स्थापना और कचरा/खाद के उपचार शामिल हैं।

तालिका-1.2.5: व्य घ शौ, सा स्व प एवं ठो त अ प्र के निर्माण का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण


क्रमांक	घटक का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (प्रतिशत में)
1.	व्य घ शौ	10,010	10,010	100
2.	सा स्व प	132	10	08
3.	ठो त अ प्र	132	02	02

यह स्पष्ट है कि सा स्व प एवं ठो त अ प्र के निर्माण में प्रगति नगण्य थी। फिर भी विभाग ने गंगा नदी के समीप की 132 गा पं के समस्त 265 गाँवों को, इस तथ्य के बावजूद कि 1,143 व्य घ शौ में से 41 वास्तव में नहीं बने थे तथा 34 व्य घ शौ जिनके बारे में पूर्ण होने का दावा किया गया था अभी भी निर्माणाधीन थे, खु शौ मु घोषित (मई 2017) कर दिया। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 14.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता स्तर के अनुश्रवण के लिए एक स्वतन्त्र संस्था की आवश्यकता थी। तथापि, उत्तराखण्ड में स्वजल के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित भौतिक सत्यापन किया गया। सचिव, पेयजल विभाग, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि प्रारम्भ में व्य घ शौ के निर्माण पर ध्यान दिया गया था और अब सा स्व प एवं ठो त अ प्र के लिए वि प प्र तैयार कर दी गई है तथा बजट जारी कर दिया गया है।

1.2.8.1 (अ) भौतिक सत्यापन के परिणाम

लेखापरीक्षा ने भौतिक सत्यापन के लिए व्य घ शौ के 10,010 (19 मई 2017 के अनुसार) लाभार्थियों में से 1,362 लाभार्थियों का चयन किया था। तथापि, 44 लाभार्थियों (43 लाभार्थियों के नाम दो बार तथा एक लाभार्थी का नाम तीन बार दोहराया गया है) का नाम दोहराने तथा 174 लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के समय उपलब्ध न होने के कारण प्रभावी नमूना आकार 1,143 तक घट गया। भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि 1,143 लाभार्थियों में से 41 लाभार्थियों (3.6 प्रतिशत) ने व्य घ शौ का अभी तक निर्माण प्रारम्भ ही नहीं किया था तथा 34 व्य घ शौ (तीन प्रतिशत) का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था। अतः, व्य घ शौ के वास्तविक लाभार्थियों की संख्या केवल 1,068 थी। 1,068 लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन का परिणाम (परिशिष्ट-1.2.2 में दिये मापदण्डों के अनुसार) नीचे चार्ट-1.2.1 में दिया गया है:

चार्ट-1.2.1: भौतिक सत्यापन का परिणाम



जैसाकि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि 71 प्रतिशत¹⁷ व्य घ शौ बिना तकनीकी सहायता के निर्मित किये गये थे, 70 प्रतिशत¹⁸ व्य घ शौ आवासीय परिसर के बाहर निर्मित किये गये थे,

¹⁷ 1,068 व्य घ शौ में से 763।

¹⁸ 1,068 व्य घ शौ में से 752।

19 प्रतिशत¹⁹ व्य घ शौ में पानी की सुविधा नहीं थी एवं नों प्रतिशत²⁰ व्य घ शौ मानकों से निम्न स्तर के थे।

1.2.8.2 नगरीय कचरे का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण न किया जाना

उत्तराखण्ड राज्य के लिए शहरी नगरपालिका कचरा प्रबंधन कार्ययोजना का प्रारूप 2015 में तैयार किया गया था। इस कार्ययोजना को ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुसार पुनरीक्षित (अगस्त 2017) किया गया तथा इसे राज्य के 92 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जाना था। अभिलेखों की जाँच और सात नगर पालिका परिषद के दस चयनित कस्बों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया था कि गोपेश्वर और मुनि की रेती को छोड़कर अन्य कस्बों में नगरीय ठोस कचरे का निस्तारण निर्धारित वैज्ञानिक तरीके²¹ से नहीं किया जा रहा था। न तो कूड़े को नष्ट होने योग्य और नष्ट न होने योग्य श्रेणियों में पृथक्कीकरण किया गया था और न ही नष्ट होने योग्य कूड़े से खाद बनाई जा रही थी। आगे, यह भी पाया गया था कि दस चयनित कस्बों में से तीन²² में अपृथक्कृत नगरीय कूड़ा पहाड़ों की ढलान पर अंधाधुंध तरीके से डाला जा रहा था जो कि अंततः, विशेषकर बरसात के मौसम में, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में गिर जाएगा।



बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के किनारे कूड़ा डालने का स्थान



कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे कूड़ा डालने का स्थान

1.2.8.3 अवरोधन एवं विपथन परियोजना और मल शोधन संयंत्र (म शो सं)

कच्चे मल का अवरोधन एवं विपथन (अ एवं वि) प्रदूषण में कमी का एक महत्वपूर्ण भाग है। म शो सं अवरोधित/विपथित मल को शुद्ध करके प्रदूषण फैलने से रोकता है। राज्य में, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (उ पे ज नि) सीवेरेज नेटवर्क एवं म शो सं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। उत्तराखण्ड जल संस्थान (उ ज सं) संस्थाओं और घरों को बिछाये गये सीवेरेज नेटवर्क को जोड़ता है और इसके संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2017 को पाँच पूर्ण (पू) परियोजनाओं सहित 23 चयनित आधारभूत परियोजनायें नीचे दर्शायी गई हैं:

¹⁹ 1,068 व्य घ शौ में से 208।

²⁰ 1,068 व्य घ शौ में से 95।

²¹ संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान जिसमें लैंडफिल और कंपोस्ट संयंत्र का निर्माण शामिल है।

²² (1) न पा प, कर्णप्रयाग (2) न पं, बद्रीनाथ (3) न पा प, बड़कोट।



अ एवं वि	दोनों (अ एवं वि तथा म शो सं)	म शो सं
<ul style="list-style-type: none"> अहबाबनगर हरिद्वार (पूर्ण) त्रिवेणीघाट, ऋषिकेश (पूर्ण) मरम्मत और पुनर्निर्माण देवप्रयाग (पूर्ण) देवप्रयाग सराय, हरिद्वार जगजीतपुर हरिद्वार 	<ul style="list-style-type: none"> तपोवन (पूर्ण) गंगोत्री किर्तीनगर, टिहरी गोपेश्वर कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग मुनि की रेती, ढालवाला ऋषिकेश 	<ul style="list-style-type: none"> देवप्रयाग (पूर्ण) उच्चीकरण, जानसु उत्तरकाशी उच्चीकरण, श्रीनगर जगजीतपुर, हरिद्वार सराय, हरिद्वार

नदी तट विकास/घाट/शवदाहग्रह

- देवप्रयाग से उत्तरकाशी
- उत्तरकाशी से मनेरी
- रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग
- कर्णप्रयाग से विष्णुप्रयाग

निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं :

(क) मल शोधन संयंत्र का कम उपयोग

- देवप्रयाग में तीन क्षेत्रों²³ के मल शोधन के लिए 1.4 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम एल डी) शोधन क्षमता के मल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को (अक्टूबर 2011) ₹2.83 करोड़ की लागत में 12 महीने में पूर्ण करने के लिए दिया गया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य फरवरी 2013 तक प्रारम्भ नहीं हो सका था। आगे, परियोजना के लिए भूमि विकास कार्य जो फरवरी 2013 में आरम्भ किया गया था, जून 2013 में आपदा (बाढ़) के कारण कार्य रोक दिया गया तथा नवम्बर 2013 में पुनः प्रारम्भ किया गया। अंततः, परियोजना मई 2016 में पूर्ण हुई थी। यह भी पाया गया कि तीन क्षेत्रों में से केवल एक क्षेत्र²⁴ का सीवेज लोड म शो सं द्वारा शोधित किया जा रहा था क्योंकि दो अन्य म शो सं (75 के एल डी और 150 के एल डी) प्रस्तावित (2014) और 2015 में स्वीकृत किये गये थे। परिणामस्वरूप, 1.4 एम एल डी कुल क्षमता के सापेक्ष केवल 0.05 एम एल डी (3.57 प्रतिशत) मल का शोधन किया जा रहा था। आगे, उ पे ज नि (गंगा)

²³ शांति बाजार, संगम बाजार और बाह बाजार।

²⁴ बाह बाजार (0.05 एम एल डी)।

और उ ज सं के अधिकारियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2016) में पाया गया कि कम मल आने के कारण म शो सं के संचालन का परीक्षण भी नहीं किया जा सका।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया कि शांति बाजार और संगम बाजार सीवर नेटवर्क प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के कारण जोड़े नहीं जा सके थे। आगे यह भी अवगत कराया गया कि कार्य आरम्भ होने के पश्चात देवप्रयाग म शो सं की क्षमता कम करना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं था। उ ज सं को सीवर नेटवर्क हस्तांतरण किये जाने के पश्चात बाह बाजार क्षेत्र में केवल 10 घर जोड़े गये थे (मई 2017), विभाग को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि क्षेत्र के सभी सीवर कनेक्शन म शो सं से जुड़े हों ताकि पूरे मल का शोधन किया जा सके।

(ii) ऋषिकेश के तपोवन में 3.5 एम एल डी शोधन क्षमता का एक म शो सं बनाया गया था जिसे मई 2016 से संचालित किया गया। अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि म शो सं जून 2017 तक उ पे ज नि द्वारा उ ज सं को संचालन एवं रखरखाव के लिए हस्तगत नहीं किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि परियोजना क्षेत्र के समस्त संस्थान/घर म शो सं से नहीं जुड़े थे। परिणामस्वरूप, 3.5 एम एल डी की कुल क्षमता के सापेक्ष केवल 0.29 एम एल डी सीवेज शोधित किया जा रहा था। इस बारे में इंगित किये जाने पर परियोजना प्रबंधक (प प्र), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) ने अवगत कराया कि संयोजन उ ज सं द्वारा किया जाना था।

सचिव, पेयजल विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि उ पे ज नि एवं उ ज सं दोनों के प्रशासनिक प्रमुखों को संयोजन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गये थे।

(ख) परियोजना के पूर्ण होने में असामान्य विलंब

उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम के लिए सीवेरेज प्रणाली और एक एम एल डी शोधन क्षमता के म शो सं की योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 30 अप्रैल 2014 था जो वास्तव में अक्टूबर 2017 में पूर्ण हुई थी। प प्र, उत्तरकाशी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कस्बे में उत्पन्न होने वाले सीवेज का वर्तमान दैनिक भार 0.75 एम एल डी था। परियोजना के पूर्ण होने में अप्रत्याशित विलंब के कारण अतिरिक्त तीन वर्षों की अवधि में प्रतिदिन 0.75 एम एल डी अशोधित मल भागीरथी नदी, जिसे गंगा नदी का स्रोत माना जाता है, में जा रहा था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने अवगत कराया कि पहाड़ की विषम परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदा के कारण विलंब हुआ। विभाग को किसी भी परियोजना को पूरा करने की तिथि निर्धारित करने से पहले क्षेत्र के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सचिव, पेयजल विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान इस तर्क को स्वीकार किया गया।

(ग) अर्थदण्ड की वसूली न होना

उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में सीवेरेज प्रणाली और म शो सं की योजना का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 6.92 करोड़ (₹ 4.74 करोड़ निर्माण कार्य एवं ₹ 2.18 करोड़ संचालन एवं रखरखाव के लिए) में दिया (जुलाई 2011) गया। ठेकेदार ने अनुबंध पत्र के सापेक्ष पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल द्वारा जारी किया गया ₹ 69.21 लाख का सावधि जमा पावती (सा ज पा)

प्रतिभूति निधि के रूप में जमा किया जिसे संभाग ने सम्बन्धित बैंक से सत्यापित कराया। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि जुलाई 2011 व कार्य समाप्ति की तिथि जुलाई 2012 थी। ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं किया गया और उसे अंतिम रूप से सितंबर 2015 तक कार्य पूर्ण करने हेतु अनेक बार समय वृद्धि दी गयी थी। यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा विस्तारित तिथि तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया और महाप्रबंधक (म प्र), निर्माण खण्ड (गंगा), हरिद्वार ने 17 नवम्बर 2015 को अनुबंध रद्द कर दिया। प प्र, उ पे ज नि, उत्तरकाशी ने ₹69.21 लाख²⁵ का अर्थदण्ड लगाया। ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति निधि के रूप में जमा की गयी सा ज पा प्रस्तुति के समय जाली पायी (अगस्त 2015) गयी। इस संबंध में इंगित करने पर, प प्र, उ पे ज नि, उत्तरकाशी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि जाली सा ज पा के कारण अर्थदण्ड की वसूल नहीं की जा सकी है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹69.21 लाख की हानि हुई। म प्र, निर्माण खण्ड (गंगा) द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया गया कि विभागीय स्तर पर जाँच चल रही है।

(घ) ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम दिया जाना

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 48 का प्रावधान शासन की स्वीकृति के बिना ठेकेदारों को मोबलाइजेशन अग्रिम (मो अ) दिये जाने को प्रतिबंधित करता है। तथापि, यह पाया गया कि तपोवन ऋषिकेश में 3.5 एम एल डी के म शो सं के निर्माण के लिए ठेकेदार को ₹40.14 लाख की राशि का ब्याज रहित मो अ दिया गया था। इस संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को अग्रिम दिया गया था। आगे, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अनुबंध में ब्याज के घटक का उल्लेख नहीं था। अनुबंध में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव एवं ऊपर दिये गये नियम के विरुद्ध ठेकेदार को ब्याज रहित मो अ का भुगतान किया जाना अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

(ड.) त्रुटिपूर्ण वि प प्र के कारण राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त भार

भारत सरकार द्वारा ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 3.5 एम एल डी म शो सं के निर्माण हेतु ₹23.02 करोड़ (70:30 के अनुपात में) की परियोजना लागत से प्रशासकीय अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान (मार्च 2011) की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि का सं द्वारा निर्माण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण किये बिना ही वि प प्र तैयार किया गया था। बाद में किये (नवम्बर 2011) गये भूगर्भीय सर्वेक्षण में म शो सं को भू-क्षरण से बचाने के लिए आर सी सी सुरक्षा दीवार बनाने की संस्तुति की गई। राज्य सरकार द्वारा ₹29.75 लाख की लागत से आर सी सी दीवार का निर्माण कराया गया। जिसके फलस्वरूप राज्य के खजाने पर ₹20.82 लाख²⁶ का अतिरिक्त भार पड़ा। सचिव, पेयजल विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया।

²⁵ ठेका लागत (₹ 692.08 लाख) का 0.50% प्रति सप्ताह की दर से अथवा ठेका लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत जो भी कम हो।

²⁶ ₹ 29.75 लाख x 70 प्रतिशत = ₹ 20.82 लाख।

1.2.8.4 गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में सीवेज का बहाव एवं नालों का खुलना

गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण का प्रमुख घटक नदी में खुलने वाले नालें हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

अ) उ पे ज नि द्वारा प्राथमिकता वाले कस्बों²⁷ में 112 नालों, जो गंगा एवं इसकी सहायक नदियों²⁸ में 56.871 एम एल डी सीवेज छोड़ रहे थे, को चिन्हित (2015) किया। रा का प्र स के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक 30.579 एम एल डी प्रवाह वाले 47 नालों को टैप किया गया था। इस प्रकार शेष 65 नालों द्वारा 26.292 एम एल डी सीवेज का प्रवाह अभी भी गंगा और इसकी सहायक नदियों में किया जा रहा था।

हरिद्वार में 22 नालों में से 17 नाले टैप करके जल संस्थान, हरिद्वार को हस्तगत किये गये थे। शेष पाँच नालों²⁹ के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि पाँच नालों में से तीन³⁰ आंशिक रूप से टैप थे और मल ऊपर से बहकर बिना किसी शोधन के गंग नहर में जा रहा था। दो नाले (रामराखा और मातृ सदन) टैप नहीं किये गये थे और उनका अशोधित जल गंग नहर और गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा था।



हरिद्वार में मातृ सदन नाला गंगा नदी में गिरता हुआ



हरिद्वार में पांडेवाला नाला गंग नहर में गिरता हुआ

सहायक अभियन्ता (स अ), उ पे ज नि, हरिद्वार ने सूचित किया कि गंग नहर का पानी सिंचाई कार्य में प्रयोग किया जा रहा था और इसकी सहायक नदियां कानपुर और आगरा के पास क्रमशः गंगा नदी और यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त गंग नहर का पानी मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली को पीने के लिए भी सप्लाई किया जाता है।

म प्र, निर्माण खण्ड (गंगा), ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि 60 नालों की वि प प्र स्वीकृत हो गई है और पाँच नालों की वि प प्र, रा स्व गं मि स्तर पर विचाराधीन है।

²⁷ हरिद्वार (बी एच ई एल रानीपुर को सम्मिलित करते हुए), ऋषिकेश, गोपेश्वर, टिहरी (तपोवन-ऋषिकेश), श्रीनगर, जोशीमठ, उत्तरकाशी (बड़कोट) मुनि की रेती-ढालवाला, गौचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कीर्तिनगर, नंदप्रयाग, बद्दीनाथ, देवप्रयाग।

²⁸ अलकनन्दा एवं भागीरथी।

²⁹ (1) कसावन नाला (2) रामरखा नाला (3) पांडे वाला नाला (4) मातृ सदन नाला (5) लाल मंदिर नाला।

³⁰ (1) कसावन नाला (2) पांडे वाला नाला (3) लाल मंदिर नाला।

ब) उ ज सं, अनुरक्षण खण्ड (गंगा), हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 18.0 एम एल डी तथा 27.0 एम एल डी के दो म शो सं जगजीतपुर, हरिद्वार में अप्रैल 2011 में उ ज सं को हस्तगत किये गये थे। इन म शो सं में 80 एम एल डी सीवेज प्रवाहित किया जा रहा था जिसमें से केवल 45 एम एल डी सीवेज का शोधन किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप, 35 एम एल डी अशोधित सीवेज नदी में प्रवाहित हो रहा था जैसाकि स्थल के भौतिक सत्यापन में पाया गया। परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं मरम्मत खण्ड, उ पे ज नि (गंगा) ने अवगत कराया कि 18 एम एल डी एवं 27 एम एल डी के म शो सं जगजीतपुर की वि प प्र 1981 एवं 2001 के जनसंख्या के आधार पर क्रमशः 1989 और 2005 में बनाई गई थी। आगे, यह भी अवगत कराया गया कि स्थायी निवासियों की आबादी में काफी अधिक वृद्धि होने से एवं परियोजना आगणन से अत्यधिक वृद्धि होने तथा पर्यटकों एवं आगंतुकों की अस्थायी वृद्धि होने से काफी मात्रा में अशोधित जल उत्सर्जित हो जाने के कारण म शो सं की क्षमता अपर्याप्त हो गई थी।



जगजीतपुर, हरिद्वार में अनुपचारित सीवेज उपचारित सीवेज में मिलते हुए



सराय हरिद्वार के उपचारित पानी में सिडकुल के औद्योगिक कचरे का मिलना

इसी प्रकार, ऋषिकेश में लगभग 16 एम एल डी सीवेज लकड़घाट ऑक्सीकरण तालाब में जा रहा था जबकि ऑक्सीकरण तालाब की क्षमता केवल छः एम एल डी थी। परिणामस्वरूप, 16 एम एल डी सीवेज, जो कि आंशिक रूप से शोधित हुआ था, खुली नालियों, जो गंगा की एक सहायक सोंग नदी में बहती है, में प्रवाहित हो रहा था। प प्र, अनुरक्षण खण्ड (गंगा), हरिद्वार, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया कि हरिद्वार में 68 एम एल डी और ऋषिकेश में 26 एम एल डी के म शो सं स्वीकृत हो गये हैं तथा म शो सं हरिद्वार का कार्य आवंटित कर (अक्टूबर 2017) दिया गया था एवं ऋषिकेश म शो सं के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति में है।

स) उ ज सं, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सराय के म शो सं में 18.0 एम एल डी सीवेज शोधित किया जा रहा था तथा शोधित सीवेज सूखी नदी, जो कि गंगा नदी में समाहित होने से पहले लगभग आठ किलोमीटर बहती है, में प्रवाहित किया जा रहा था। शोधित मल के प्रवाह मार्ग के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) हरिद्वार के औद्योगिक अपशिष्ट को भी इस शोधित जल को ले जाने वाले चैनल में छोड़ा जा रहा था, इस प्रकार से शोधित पानी प्रदूषित हो रहा था। इस स्थान पर बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी ओ डी) स्तर की जाँच की गई और इसे 22 मि ग्रा/लीटर पाया गया जो कि स्वीकार्य मापदण्ड 10 मि ग्रा/लीटर से काफी अधिक था।

तथापि, मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि पुनरीक्षित मापदण्डों के अनुसार बी ओ डी का स्तर 20 मि ग्रा/लीटर तक मान्य है। इसके अतिरिक्त, रा का प्र स ने अवगत कराया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) के निर्देशानुसार, सिडकुल को नोटिस जारी कर दिया गया है।

द) उ ज सं (अनुरक्षण खण्ड-गंगा) हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हरिद्वार की पाँच बसावटों का मल सीवेज पंपिंग स्टेशन (सी पं स्टे) ब्रह्मपुरी में एकत्रित किया जा रहा था। एकत्रित मल ब्रह्मपुरी सी पं स्टे से राइसिंग मेन, जिसकी लंबाई 1,100 मीटर है, के द्वारा डैमकोठी के पास मेनहोल लाईन में पहुँचाया जा रहा था।

यह पाया गया कि उक्त राइसिंग मेन नियमित रूप से फट रहा था तथा फटने की अवधि में सी पं स्टे बन्द करना पड़ता था जिससे सीवेज ऊपर से बहता था। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के मध्य राइसिंग मेन 53 से 60 बार फटा था तथा प्रत्येक बार मरम्मत में लगभग 24 से 36 घंटे लगते थे। सी पं स्टे की पंपिंग क्षमता तथा फटने की संख्या एवं मरम्मत में लगने वाले औसत समय को देखते हुए खण्ड द्वारा सूचित किया गया कि लगभग 260 मिलियन-लीटर अशोधित सीवेज वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक लालतारो नदी में प्रवाहित हो चुका था जो कि अंततः गंगा नदी में मिलती है।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता (अ अ), उ ज सं, हरिद्वार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि राइसिंग मेन बहुत पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है तथा इसे बदला जा रहा था।

1.2.8.5 मीथेन गैस का फैलाव

उ पे ज नि ने गंगा एकशन प्लान (गैप-1) के अंतर्गत जगजीतपुर हरिद्वार में 18.0 एम एल डी क्षमता के एक म शो सं का निर्माण किया गया था। म शो सं को वर्ष 2011 में उ ज सं को हस्तगत किया गया था। अ अ, अनुरक्षण इकाई (गंगा), उ ज सं, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011 से 350 से 400 घन मीटर मीथेन गैस प्रतिदिन निकल कर म शो सं के परिसर की खुली हवा में फैल रही थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, म शो सं को संचालित करने के लिए उ प नि प्र नि बो से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जल संस्थान ने उ प नि प्र नि बो से, वर्ष 2011 में अधिग्रहण तिथि से, न तो म शो सं संचालित करने हेतु सहमति प्राप्त की थी और न ही अनापत्ति प्रमाणपत्र (अ प्र) प्राप्त किया था। इस संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि अ प्र के लिए उ प नि प्र नि बो को मई 2016 में आवेदन किया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी, उ प नि प्र नि बो, रुड़की के अभिलेखों के क्रॉस सत्यापन में पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (मई 2016) कर लिया गया था तथा विभाग को शुल्क जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था जो कि अभी तक नहीं किया गया था।

इस प्रकार संयंत्र विगत पाँच वर्षों से संचालन की सहमति के बिना चल रहा था और विद्यमान वायु प्रदूषण नियंत्रण मापदण्डों का अनुपालन किये बिना मीथेन गैस का नियमित फैलाव हो रहा था।

सचिव, पेयजल विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।

1.2.8.6 शोधित पानी एवं मल का पुनः उपयोग

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यान्त्रिकी संगठन के मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यावन्धन संस्थाओं को म शो सं से निकलने वाले शोधित पानी एवं मल का कृषि, बागवानी आदि में पुनः उपयोग हेतु प्रावधान करना चाहिए।



सराय हरिद्वार में जमा मल अवशिष्ट

उ पे ज नि ऋषिकेश एवं उ ज सं हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ऋषिकेश के 3.5 एम एल डी म शो सं और हरिद्वार के 18 एम एल डी म शो सं से शोधित पानी का पुनः उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा इसे गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित किया जा रहा था। साथ ही यह भी पाया गया कि दोनों इकाईयों में मल अवशिष्ट के पुनः उपयोग का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इसे म शो सं के पास ही जमा किया जा रहा था जिससे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा था। सचिव, पेयजल विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि शोधित पानी अब किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया गया कि निजी भागीदारों से मल अवशिष्ट की बिक्री हेतु परामर्श किया गया था।

1.2.8.7 गंगा के लिए वानिकी घटकों के अंतर्गत भौतिक प्रगति

रा स्व गं मि द्वारा वर्ष 2016-17 की वा का यो के अंतर्गत 1,521 हेक्ट क्षेत्र में वानिकी घटकों के क्रियान्वयन को अनुमोदित किया। घटकों की प्रगति को निम्न तालिका-1.2.6 में दिया गया है:

तालिका-1.2.6: लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

भूनिर्माण/गतिविधियाँ	वा का यो के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी की प्रतिशतता
प्राकृतिक भूनिर्माण			
उन्नत मृदा कार्य (हेक्ट)	1,000.00	965.00	3.50
पौधशाला में पौधों की संख्या (लाख)	27.45	19.55	29.00
कृषि भूनिर्माण (हेक्ट)	300.00	304.00	-
शहरी भूनिर्माण (हेक्ट)	21.00	2.75	87.00
संरक्षण घटक (हेक्ट)	200.00	171.14	14.00

विभाग वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित किये गये चार वानिकी घटकों में से तीन में, उन्नत मृदा कार्य के प्रकरण में 3.50 प्रतिशत से लेकर शहरी भूनिर्माण के प्रकरण में 87 प्रतिशत तक, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा।

शहरी भूनिर्माण को चार जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार में किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा उत्तरकाशी एवं देहरादून में भौतिक सत्यापन किया गया। यद्यपि उत्तरकाशी में वि प प्र में प्रावधानों के अनुसार पौधरोपण किया गया था फिर भी लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों में कमी थी। उत्तरकाशी प्रभाग के लिए पाँच हेक्टेयर (मार्ग पर छायादार पौधरोपण के लिए तीन हेक्टेयर और इको-पार्क के लिए दो हेक्टेयर) का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष, निधियों को देरी से अवमुक्त करने के कारण, मार्च 2017 तक केवल दो हेक्टेयर मार्ग को छायादार पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया था

तथा इको-पार्क के विकास के लिए कोई भी गतिविधि शुरू नहीं की गयी थी। देहरादून में मार्ग पर छायादार पौधरोपण शुरू नहीं किया गया था। इको-पार्क के विकास के लिए लक्षित तीन हेक्टेयर में से केवल 0.75 हेक्टेयर विकसित हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर परियोजना निदेशक, प प्र ई, गं वा घ, उत्तराखण्ड ने अवगत (मई 2017) कराया कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना, कर्मचारियों की व्यवस्था तथा तकनीकी दिशानिर्देशों को जारी करने में विलंब के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

1.2.8.8 गंगा के लिए वानिकी घटकों के अंतर्गत पौधरोपण प्रकरण

(i) रा स्व गं मि द्वारा अनुमोदित वि प प्र खण्ड-1 के प्रस्तर 5.5.2 के अनुसार, पौधरोपण के कार्यों में पौधरोपण से काफी पहले गड्डे को पौधरोपण क्षेत्र में मानक पद्धति के अनुसार खोदा जाना चाहिए तथा गड्डे की खुदाई और निर्धारित पौधरोपण समय के मध्य चार माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए जिससे हवा और मिट्टी का कटान कम किया जा सके। उत्तराखण्ड में, नियमित पौधरोपण कार्यक्रम मानसून के दौरान जुलाई-अगस्त में किया जाता है और इसलिए गड्डे खोदने का आदर्श समय अप्रैल या बाद का होना चाहिए।

नमूना जाँच किये गये नौ वन प्रभागों की लेखापरीक्षा के दौरान, सात वन प्रभागों ने जनवरी-मार्च, 2017 के दौरान गड्डे की खुदाई की सूचना दी। इस प्रकार, प्राकृतिक पौधरोपण के लिए गड्डे अनुशंसित समय के 1-3 माह पूर्व खोदे गये थे जो कि कार्यक्रम दिशानिर्देश का उल्लंघन था।

(ii) वि प प्र (खण्ड-1 के प्रस्तर 5.5.2) के अनुसार जैविक खाद के प्रयोग से नर्सरी एवं पौधरोपण में पौधों के विकास में बढ़ावा मिलता है। कृत्रिम रसायनों के उपयोग का सहारा लिए बिना पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाया जाना था।

नमूना जाँच किये गये नौ प्रभागों में से चार³¹ वन प्रभागों ने सूचित किया कि पौधरोपण के लिए जैविक खाद तथा कृत्रिम रसायनों का मिश्रण प्रयुक्त किया गया था। प्रभागों द्वारा कृत्रिम रसायनों का उपयोग वि प प्र के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(iii) जैव उपचार एवं जैव निस्पंदन, औद्योगिक पौधरोपण, तटवर्ती वन्यजीव प्रबंधन, आद्र भूमि प्रबंधन तथा नदी के मुहाने का विकास आदि गतिविधियों, जो कि शहरी भूनिर्माण और संरक्षण घटक का अंश थे, का इस तथ्य के बावजूद कि ये गतिविधियाँ औद्योगिक समूहों तथा शहरी एवं पेरी-शहर से निकलने वाले दूषित पदार्थों के कारण प्रदूषण के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल प्रयास नहीं किया गया।

(iv) वर्ष 2016-17 में हरिद्वार वन प्रभाग में पाँच हेक्ट में मार्ग पर छायादार पौधरोपण³² का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके लिए फरवरी 2017 में ₹12 लाख की राशि आवंटित की गयी थी। तथापि, प्रभाग द्वारा कोई पौधरोपण नहीं किया गया एवं मई 2017 में आवंटित धनराशि समर्पित कर दी गई थी। इंगित किये जाने पर, प्रभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए

³¹ उत्तरकाशी, भूमि संरक्षण उत्तरकाशी, टिहरी डैम II और हरिद्वार का चिड़ियापुर क्षेत्र।

³² सड़क के किनारे पर वृक्षारोपण।

अवगत कराया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जगह देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य पिछले कई वर्षों से हो रहा था तथा वा का यो को तैयार करने से पूर्व इलाके की उपलब्धता की पुष्टि होनी चाहिए थी।

1.2.8.9 वानिकी घटकों के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रीति से मजदूरी का भुगतान

भारत सरकार ने निर्देश जारी (नवम्बर 2016) किये कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं ठेकेदारों को कार्यरत कर्मचारियों हेतु बैंक खाते खोलने चाहिए तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी बी टी)/ इलेक्ट्रानिक रीति के माध्यम से भुगतान करें। श्रमिकों के बैंक खाते खोलने हेतु कैम्प लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। परियोजना निदेशक, प प्र ई, गं वा घ, द्वारा प्रभागों को कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश (दिसम्बर 2016) जारी किया गया।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किये नों में से सात³³ प्रभागों में पाया गया कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्य संपादित किये गये तथा श्रमिक लागत के रूप में ₹5.27 करोड़ का भुगतान किया गया। दो प्रभागों³⁴ ने सभी कार्य विभागीय मजदूरी के आधार पर संपादित किये थे। तथापि, प्रभागों ने ₹82.43 लाख का नगद भुगतान इस आधार पर किया कि श्रमिकों के बैंक खाते नहीं खुले थे। इस प्रकार डी बी टी के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ।

प्रभागीय वनाधिकारियों (प्र व अ) ने उत्तर में अवगत कराया कि ठेकेदारों को इलेक्ट्रानिक रीति से भुगतान किया गया था। तथापि, किसी भी प्रभाग ने ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में यह शर्त नहीं लगाई कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान डी बी टी के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रकार, श्रमिकों द्वारा डी बी टी के माध्यम से उनकी मजदूरी मिली या नहीं का आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

1.2.9 माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशों का अनुपालन

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड ने गंगा नदी की सफाई से संबंधित एक रिट याचिका पर आदेश पारित (02.12.2016) किया, जिसमें गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश जारी किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, ऋषिकेश और हरिद्वार में म शो सं, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड और हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं द्वारा म शो सं की स्थापना, दोषी उद्योगों, जिनको बंदी आदेश निर्गत किये गये थे, के संचालन की स्थिति; उद्योग/होटल/वाणिज्यिक संस्थान/आश्रम द्वारा अशोधित सीवेज का प्रवाह, गंगा नदी में नालो का खोलना; प्लास्टिक थैलों का संग्रह, उपयोग, विक्रय और जानवरों के गंगा नदी में नहाने पर प्रतिबंध से सम्बन्धित निर्देश शामिल थे। इनके संबंध में निष्कर्षों का विवरण परिशिष्ट-1.2.3 में दिया गया है।

³³ उत्तरकाशी, भूमि संरक्षण उत्तरकाशी, टिहरी डैम -II, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार।

³⁴ नरेंद्र नगर वन प्रभाग, टिहरी डैम I वन प्रभाग।

1.2.10 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण और प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण घटक है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

1.2.10.1 गंगा नदी की जल गुणवत्ता अनुश्रवण

उ प नि प्र नि बो, जो कि एक सांविधिक संगठन है, जल अधिनियम (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) 1974 की धारा-4 के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरणीय विधि एवं नियमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था, जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण कर रहा था। उ प नि प्र नि बो के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि अनुश्रवण केन्द्रों पर जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण एक विशेष कस्बे के प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर नहीं किया जा रहा था। इसलिए, एक कस्बे के प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर जल की गुणवत्ता की तुलना करना कठिन था। यह कमी इन कस्बों से निकलने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में म शो सं और अ एवं वि परियोजनाओं की प्रभावशीलता को मापने से रोकती है। उ प नि प्र नि बो की जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रतिवेदन के अनुसार जल गुणवत्ता की स्थिति निम्नानुसार थी:

- गंगोत्री से ऋषिकेश तक का फैलाव : 'अ' श्रेणी
- ऋषिकेश से हरिद्वार : 'ब' श्रेणी
- हरिद्वार से निचली धारा : 'स' श्रेणी

प्रतिवेदन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि नदी में निचली धारा की ओर जल गुणवत्ता खराब हो गई थी। चूंकि अधिकांश क्रियाशील म शो सं ऋषिकेश एवं हरिद्वार में हैं फिर भी यह इंगित किया कि म शो सं के संचालन के बावजूद ऋषिकेश-हरिद्वार विस्तार में नदी में प्रदूषण निरंतर जारी रहा जैसाकि विभिन्न कार्यान्वयन मुद्दों पर पूर्व में चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त, उ प नि प्र नि बो के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दस चयनित कस्बों³⁵ में से केवल तीन केन्द्रों³⁶ पर जल गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र स्थापित किये गये थे। सचिव, पेयजल विभाग, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि रा स्व गं मि ने अनुश्रवण कार्यक्रम को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया है।

1.2.10.2 बजटीय अनुश्रवण

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, रा का प्र स को आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के आंकलन एवं आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट की निजी फ़र्म की सेवाएँ आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में लेनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि रा का प्र स द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी (जून 2017) थी। इंगित किये जाने पर रा का प्र स द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि सितंबर 2012 एवं मई 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे परन्तु चयन को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि रा स्व गं मि ने सूचित किया था

³⁵ 1. बड़कोट (उत्तरकाशी) 2. गोपेश्वर 3. बद्दीनाथ (पुरी) 4. कर्णप्रयाग 5. हरिद्वार बी एच ई एल तथा रानीपुर सहित 6. ऋषिकेश 7. टिहरी तपोवन, ऋषिकेश 8. मुनि की रेती, ढालवाला 9. देवप्रयाग 10. जोशोमठ।

³⁶ ऋषिकेश, हरिद्वार एवं देवप्रयाग।

कि वह अपना आंतरिक लेखापरीक्षा दल नियुक्त करेगी। सचिव, पेयजल विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी में अवगत कराया कि आंतरिक लेखापरीक्षक का पद नवम्बर 2017 में भर दिया गया था। अतः नवम्बर 2017 तक आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता को आंकलित करने का तन्त्र स्थापित नहीं था।

आगे, यह भी पाया गया कि का सं द्वारा किये गये व्यय का रा का प्र स के अभिलेखों से नियमित रूप से मिलान नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि नियमित आधार पर लेखों के मिलान हेतु का सं को आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे थे।

1.2.10.3 गंगा कार्यो हेतु वानिकी घटकों का अनुश्रवण

वि प प्र खण्ड-1 के प्रस्तर 6.6 में निर्धारित किया गया है कि प प्र ई द्वारा राज्य परियोजना संचालन समिति (रा प सं स) के परामर्श से एक समग्र 25 प्रतिशत आंतरिक अनुश्रवण हेतु विस्तृत तन्त्र को अंतिम रूप दिया जायेगा। तथापि, रा प सं स की स्थापना न होने से आंतरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कोई प्रणाली राज्य में विद्यमान नहीं थी। समवर्ती अनुश्रवण पद्धतियों के पाँच प्रकारों अर्थात् आई टी युक्त अनुश्रवण, सुदूर संवेदन आधारित अनुश्रवण, डाटा रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण, धरातल पर अनुश्रवण एवं सहभागिता अनुश्रवण में से प प्र ई के साथ-साथ प्रभागों द्वारा कोई भी पद्धति नहीं अपनाई जा सकी थी। किसी भी प्रकार के अनुश्रवण की अनुपस्थिति में, किये गये कार्यो की गुणवत्ता एवं सफलतापूर्वक उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इंगित किये जाने पर, परियोजना निदेशक, प प्र ई, गं वा घ, उत्तराखण्ड ने अवगत कराया (मई 2017) कि रा प सं स का गठन न होने के कारण अनुश्रवण का आंतरिक तन्त्र स्थापित नहीं किया जा सका था।

1.2.11 क्षमता निर्माण

शहरी विकास विभाग में क्षमता निर्माण की महत्ता को ध्यान में रखकर, यह पाया गया कि 24 शहरों में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो केंद्रीय कार्यक्रम का भाग थे, आयोजित (नवम्बर 2016 और अप्रैल 2017) किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय फ़र्म [इयूश जीसेल शाफ्ट फर इंटरनेशनले जूसम्मेनार्बेट (जी आई जेड)] के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्वच्छता योजना³⁷ (श स्व यो) को बनाने के लिए सुविधा प्रदान करना था। तथापि, यह पाया गया कि उक्त श स्व यो को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि श स्व यो दिसंबर 2017 तक तैयार हो जाएगी। यह भी पाया गया कि 15 प्राथमिक कस्बों में से 12 को ही इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आच्छादित किया गया था। सचिव, पेयजल विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सूचित किया गया कि शहरी स्वच्छता योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

³⁷ उचित स्वच्छता के संबन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए मौजूदा स्वच्छता कार्य का सुदृढीकरण और मजबूत करने की योजना तथा शहर को साफ और कूड़ा मुक्त रखने के अंतिम उद्देश्य के लिए कर्मचारियों, चुने हुए प्रतिनिधियों और समस्त हितधारकों को प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रदान करना।

- वि प प्र के अनुच्छेद 5.5.4.2 [डी(बी)] खण्ड-1 के अनुसार, वनीकरण घटकों के लिए, समुदाय के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण, वन विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रभाग स्तरीय प्रशिक्षण, राज्य और राज्य के बाहर राज्य स्तर की कार्यशाला की शुरुआत तथा एक्सपोजर यात्रा शुरू की जानी थी। यह पाया गया कि राज्य में वर्ष 2016-17 में लक्षित 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सापेक्ष मात्र पाँच स्थानीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसके अतिरिक्त, 11 कार्यान्वयन प्रभागों में से केवल चार प्रभागों के कर्मियों के लिए ही प्रभाग स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अतः विभागीय कर्मियों के साथ-साथ सामान्य नागरिक के मध्य जागरूकता प्रसार का स्तर कम रहा। इंगित किये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आकस्मिकता मद से आयोजित किये गये थे क्योंकि क्षमता निर्माण के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं था।

1.2.12 मानव संसाधन विकास

संस्वीकृत पद के सापेक्ष कार्मिकों की स्थिति

31 मार्च 2017 को, रा का प्र स में स्वीकृत पद के साथ-साथ तैनाती की स्थिति नीचे तालिका-1.2.7 में दर्शायी गयी है:

तालिका-1.2.7: संस्वीकृत पद और कार्मिकों की स्थिति का विवरण

संस्वीकृत पद		कार्मिकों की स्थिति		आधिक्य (+)/कमी (-)	
तकनीकी	गैर-तकनीकी	तकनीकी	गैर-तकनीकी	तकनीकी	गैर-तकनीकी
8	11	4	9	(-) 4	(-) 2

यह पाया गया कि चार महत्वपूर्ण पदों अर्थात् नदी तट विकास विशेषज्ञ, सामाजिक प्रबंधन विशेषज्ञ, सहायक प्रबंधक (सिविल) और सहायक प्रबंधक तकनीकी को लेखापरीक्षा तिथि (सितम्बर 2017) तक नहीं भरा गया था। सचिव, पेयजल विभाग ने बर्हिगमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि अब पद भर दिये गये थे।

विभिन्न पर्यावरण सम्बन्धित अधिनियमों एवं नियमों का पालन करने के लिए उ प नि प्र नि बो में भी पर्याप्त मानव संसाधनों की कमी थी। प्रत्येक संवर्ग में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी। वैज्ञानिक और तकनीकी संवर्ग में कमी 71 और 56 प्रतिशत के मध्य होने के कारण उ प नि प्र नि बो को गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में कठिनाई थी।

1.2.13 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति

सतत विकास लक्ष्य (स वि ल) का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों का एक समूह बनाना है जो सतत विकास के तीन आयामों पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक को संतुलित करता है। कुल मिलाकर 17 लक्ष्य स वि ल के रूप में निर्धारित किये गये हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है।

स वि ल का छठवाँ लक्ष्य साफ जल और स्वच्छता की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और निरंतरता का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। फिर भी गंगा नदी के जलग्रह क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से कचरे के निस्तारण की घटनाएँ, स्वच्छता सम्बन्धित आधारभूत परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब और नालों की टैपिंग न होने के कारण गंगा और इसकी सहायक नदियों में अशोधित सीवेज का बहाव, जैसाकि पूर्व के प्रस्तरों में दिया गया है, यह दर्शाता है कि साफ जल और स्वच्छता के लिए और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

1.2.14 निष्कर्ष

एन जी आर बी ए की रूपरेखा में निर्धारित समय सारणी के अनुसार वार्षिक योजना प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। वर्ष 2017-18 से पूर्व संचार और सार्वजनिक पहुँच गतिविधियों के लिए वार्षिक योजना नहीं बनाई गयी थी। सं वा यो में, गंगा के लिए वानिकी घटकों हेतु अनुमोदित कुल योजना आकार, वर्ष 2016-17 के लिए वि प प्र में नियोजित क्षेत्र का मात्र 4.66 प्रतिशत थी। राज्यांश एकमुश्त अवमुक्त किया जा रहा था जो कि एन जी आर बी ए की रूपरेखा के विपरीत था। सात जिलों की 132 गा पं के सभी 265 गाँव को खु शौ मु करने का विभाग का दावा गलत पाया गया। का सं के मध्य समन्वय की कमी के कारण म शो सं का उचित उपयोग नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी में अशोधित मल प्रवाहित हुआ। चिन्हित 112 नालों में से, 65 नालों को टैप न करने के कारण 26.292 एम एल डी अशोधित मल गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित हुआ। म शो सं को विलंब से चालू करने और मल शोधन हेतु मौजूदा म शो सं की अपर्याप्त क्षमता के कारण अशोधित मल गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित हुआ। नगरपालिका का कचरा एवं संचालित म शो सं का मल अवशिष्ट क्रमशः पहाड़ी ढलानों एवं म शो सं क्षेत्र में जमा किया जा रहा था। जल गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशनों को आधिकांश प्राथमिकता वाले कस्बों में स्थापित किया जाना बाकी था जिससे सम्पूर्ण गंगा नदी के क्षेत्र में जल गुणवत्ता का पता लगाना संभव नहीं था। मानव संसाधनों की निरंतर कमी थी तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तन्त्र प्रभावी नहीं था।

1.2.15 संस्तुतियाँ

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

- i. कार्यदायी संस्थाओं से प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत हों ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को वार्षिक कार्ययोजना समय पर प्रस्तुत की जा सके;
- ii. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह, कार्यदायी संस्था और सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय के मध्य परियोजना स्तरीय अनुबंध ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए राज्य में समन्वय व्यवस्था स्थापित हो;
- iii. वनीकरण घटकों हेतु वि प प्र में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वार्षिक योजना का बेहतर नियोजन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण हो;
- iv. लक्षित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं का निर्माण। यह 100 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित कर सकती है। खुले में शौच मुक्त की घोषणा स्वतन्त्र अनुश्रवण अभिकरण के भौतिक सत्यापन पर आधारित होनी चाहिए;
- v. उचित पृथक्करण के पश्चात नगरपालिका कचरे का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हो;
- vi. मल शोधन संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन किया जाय ताकि अशोधित मल नदी में प्रवाहित न हो; और
- vii. प्राथमिकता वाले कस्बों में चिन्हित किये गये सभी नालों को बन्द किया जाय तथा गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में मल प्रवाहित होने से रोका जाय।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

1.3 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

अप्रैल 2009 में, भारत सरकार (भा स) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा गा पे का) की शुरुआत की गई, जिसमें विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण रखते हुए पंचायती राज संस्थानों (पं रा सं) और सामुदायिक संगठनों को शामिल करते हुए पेयता, पर्याप्तता, सुविधा, समर्थता एवं निष्पक्षता के अनुसार जल उपलब्धता कायम करना सुनिश्चित किया गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग (पेयजल विभाग) क्रियान्वयन संस्था है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम के नियोजन, संस्थागत तन्त्र, क्रियान्वयन, वित्त प्रबंधन एवं अनुश्रवण में कमियों को प्रकट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न प्रकार थे:

मुख्यांश

- ग्राम और जिला जल सुरक्षा योजनाएँ जिसमें जन सांख्यिकीय, भौतिक विशेषताएँ, जल स्रोतों, उपलब्ध पेयजल के बुनियादी ढाँचे इत्यादि सम्मिलित होते हैं, नहीं बनाए गये थे। आगे, कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा देने हेतु विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी।
[प्रस्तर 1.3.6.1 (अ) एवं (ब)]
- राज्य में आवश्यक संस्थागत तन्त्र में कमी पायी गयी जैसे राज्य जल और स्वच्छता मिशन को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित नहीं किया गया था, महत्वपूर्ण समितियाँ जैसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ एवं स्रोत खोजी समिति का गठन नहीं किया गया था।
[प्रस्तर 1.3.6.2 (अ) से (य)]
- वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में, राज्य सरकार ने अपना राज्यांश क्रमशः ₹62.84 करोड़ एवं ₹57.85 करोड़ अवमुक्त नहीं किये। सकल वित्तीय प्रबंधन में भी कमियाँ पायी गयीं जैसे 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए निधियों का आवंटन कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुरूप नहीं था।
[प्रस्तर 1.3.7.2]
- वर्ष 2017 तक पाइप द्वारा जलापूर्ति एवं घरेलू संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य की उपलब्धि में कमी थी। राज्य 50 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 14.71 प्रतिशत बसावटों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल उपलब्ध कराने में सक्षम था।
[प्रस्तर 1.3.8.2]
- पाइप जलापूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने की दर न्यून दर से प्रभावित हुयी तथा ₹185.45 करोड़ लागत की 20 योजनाओं को पूर्ण होने में 5 से 12 वर्ष का विलंब हुआ।
[प्रस्तर 1.3.8.3]
- उत्तराखण्ड जल निगम स्थायित्व घटक हेतु अपर्याप्त निधियों के आवंटन/व्यय के औचित्य को प्रदान करने में असफल रहा। स्थायित्व घटक के अंतर्गत व्यय मापदण्डों के अनुसार नहीं किया गया जैसे टिहरी जिले में लघु पेयजल योजनाओं एवं पानी की टंकियों के निर्माण में ₹42.01 लाख व्यय किया गया, जो कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।
[प्रस्तर 1.3.8.5]

- अनुश्रवण तन्त्र में कमियाँ थीं जैसे इस कार्य का निष्पादन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया था, जबकि यह कार्य राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाना था, जो कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नामित संस्था थी। इसके अतिरिक्त, आँकड़ों की अपेक्षित जाँच एवं सत्यापन के अभाव में एकीकृत प्रबंधन सूचना तन्त्र के आँकड़ों में विश्वसनीयता का अभाव था।

[प्रस्तर 1.3.9.3 से 1.3.9.5]

1.3.1 परिचय

वर्ष 2009 में, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा गा पे का) के रूप में संशोधित किया गया। यह कार्यक्रम इसके छः घटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात् (i) आच्छादन (अनाच्छादित, आंशिक आच्छादित तथा पुनः अनाच्छादित बसावटों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना), (ii) स्थायित्व (स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करना), (iii) जल गुणवत्ता (जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना), (iv) संचालन और अनुरक्षण (पेयजल आपूर्ति परियोजना के संचालन, मरम्मत और प्रतिस्थापन पर व्यय), (v) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी (क्षेत्रीय स्तर पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने के साथ-साथ राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन) और (vi) समर्थित (विभिन्न गतिविधियाँ, जो ग्रामीण समुदायों को पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, हेतु सहायता प्रदान करना)। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जल के कई स्रोतों का उपयोग करके, प्रणाली तथा स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित कर, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल गुणवत्ता कार्यक्रम को संस्थागत बनाकर, सामुदायिक जागरूकता पैदा करना, लोगों को प्रशिक्षण देकर एवं एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई एम आई एस) के माध्यम से कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करके, प्रत्येक ग्रामीण हेतु पेयजल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन की कार्यनीति

बारहवीं योजना अवधि (2012-17) हेतु, भारत सरकार द्वारा संस्तुति की गयी (i) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सेवा को 40 ली प्र व्य प्र दि³⁸ से 55 ली प्र व्य प्र दि तक बढ़ाने की आवश्यकता; (ii) पाइप जल आपूर्ति (पा ज आ) पर ध्यान केन्द्रित करना एवं (iii) पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर संयुक्त³⁹ दृष्टिकोण। मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सामयिकता के साथ एक नीतिगत योजना बनाई गयी:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि (वर्ष 2017 तक)

- कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति प्रदान की जाय;
- कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू संयोजन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति पहुँचाना; 20 प्रतिशत से कम सार्वजनिक नल का प्रयोग करें तथा 45 प्रतिशत से कम हैंडपम्प या अन्य सुरक्षित व उचित निजी जल स्रोतों का प्रयोग करें;

³⁸ लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

³⁹ पेयजल एवं स्वच्छता दोनों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए सम्मिलित दृष्टिकोण।

- सभी सेवाएँ गुणवत्ता एवं प्रतिदिन आपूर्ति के घण्टों की संख्या सम्बन्धित निर्धारित मानकों को पूर्ण करें;
- ग्रामीण भारत के सभी परिवारों, विद्यालयों व आँगनवाड़ियों तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो एवं प्रयोग करें;
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों और प्रणालियों के प्रबंधन के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें सहायता एवं वातावरण प्रदान करना।

1.3.2 संगठनात्मक व्यवस्थाएँ

उत्तराखण्ड में, राज्य सरकार द्वारा पेयजल मंत्रालय के अधीन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा ज स्व मि) के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में तीन कार्यदायी संस्थाएँ (का सं) जैसे उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (उ पे नि) आच्छादन व स्थायित्व घटक के कार्य कर रहा है, उत्तराखण्ड जल संस्थान (उ ज सं) संचालन व अनुरक्षण एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी घटक के कार्य कर रहा है तथा स्वजल आच्छादन एवं समर्थन घटक के कार्य कर रहा है। उत्तराखण्ड में, किसी भी क्षेत्र की पहचान जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के रूप में नहीं की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने हेतु उ पे नि को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

1.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या:

- कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त योजना व आवश्यक संस्थागत तन्त्र विद्यमान था;
- वित्त प्रबंधन मित्तव्ययी व प्रभावी था;
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावी व दक्ष था; तथा
- कार्यक्रम की अनुश्रवण व मूल्यांकन हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी तन्त्र विद्यमान था।

1.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 के मध्य निष्पादित की गई जिसमें 2012-13 से 2016-17 की अवधि को आच्छादित किया गया। राज्य के 13 जिलों में से, चार जिले⁴⁰ लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये थे।

राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा रा ज स्व मि, उत्तराखण्ड तथा उपरोक्त चयनित चार जिलों⁴¹ से प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विदाउट रिपलेसमेंट (पी पी एस डब्लू ओ आर) प्रद्वति के आधार पर चयनित उ पे नि के आठ खण्डों (प्रत्येक चयनित जिले से दो) के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा की गई थी। लाभार्थी सर्वेक्षण सम्पादित करने के लिए आकार की माप हेतु पेयजल आपूर्ति योजनाओं की संख्या को लेते हुए, पी पी एस डब्लू ओ आर विधि से चार चयनित जिलों के 10 खण्डों से 20 ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) से 70 बसावटों का चयन किया गया। सिम्पल रैनडम सैंपलिंग विदाउट रिपलेसमेंट (एस आर एस डब्लू ओ आर) विधि से प्रत्येक खण्ड से दो ग्राम पंचायतों

⁴⁰ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विदाउट रिपलेसमेंट विधि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र (कूमाँ एवं गढ़वाल) से (कम से कम दो जिले) 25 प्रतिशत जिलों का चयन व्यय के आधार पर किया गया। अल्मोड़ा व नैनीताल कुमाँ क्षेत्र से एवं पौड़ी व टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से चयनित किये गये।

⁴¹ अल्मोड़ा (चार खण्ड), टिहरी (चार खण्ड), नैनीताल (तीन खण्ड) एवं पौड़ी (पाँच खण्ड)।

का चयन किया गया। एस आर एस डब्लू ओ आर विधि से 15 ग्राम पंचायतों से 60 बसावटों (प्रत्येक ग्राम पंचायत से चार बसावट) का चयन किया गया तथा पाँच ग्राम पंचायतों की 10 बसावटों में चार से कम बसावटें थीं। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों से सम्बन्धित उ ज सं एवं स्वजल के प्रभागों के अभिलेखों की भी जाँच की गयी।

सचिव, पेयजल विभाग के साथ 20 अप्रैल 2017 को आयोजित प्रवेश गोष्ठी में निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्ड एवं कार्यक्षेत्र/कार्यविधि की चर्चा की गई। 29 नवम्बर 2017 को आयोजित बहिर्गमन गोष्ठी में सचिव, पेयजल विभाग एवं विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार/कार्यदायी संस्थाओं के प्रत्युत्तरों को प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

1.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

- लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये:
- 2009 व 2013 में जारी रा ग्रा पे का के दिशानिर्देश, नीतिगत योजनाएँ, अधिसूचनाएँ, आदेश तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र;
- रा ग्रा पे का के क्रियान्वयन से सम्बन्धित राज्य सरकार के आदेश;
- कार्यक्रम की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) के अंतर्गत प्रतिवेदित की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति आख्या (indiawater.gov.in)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.3.6 नियोजन

1.3.6.1 व्यापक जल सुरक्षा योजना तैयार करना

(अ) ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं अनुश्रवण में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के क्रम में, कार्यक्रम दिशानिर्देश ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं (ग्रा ज सु यो) को बनाए जाने का प्रावधान करते हैं, जो अन्य बातों के साथ ग्राम की जनसांख्यिकीय, भौतिक विशेषताओं, जल स्रोतों, उपलब्ध पेयजल संरचना व अन्य विवरण को समाहित करें। जिले की ग्रा ज सु यो को जिले स्तर पर संकलित किया जाना था जो जिला जल सुरक्षा योजनाओं (जि ज सु यो) को तैयार करने का आधार बनता।

यह पाया गया कि राज्य में ग्रा ज सु यो नहीं बनाये जा रहे थे जिसके फलस्वरूप, जि ज सु यो भी तैयार नहीं की गई थी। ग्रा ज सु यो एवं जि ज सु यो न बनाए जाने से विकेंद्रीकृत नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया था।

(ब) कार्यक्रम दिशानिर्देशों में कार्यक्रम को निश्चित दिशा प्रदान करने एवं प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में की गई प्रगति की नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जल सुरक्षा योजना (व्य ज सु यो) तैयार करने की परिकल्पना भी की गई है। राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक राज्य विशिष्ट नीति बनाने की आवश्यकता थी तथा इस नीति एवं राज्य द्वारा निर्धारित व्यापक लक्ष्य के आधार पर, एक पंचवर्षीय व्य ज सु यो तैयार किया जाना था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, केंद्र के साथ आपसी परामर्श के आधार पर उप-लक्ष्य और प्राथमिकताओं को भी तय करना आवश्यक था।

यह पाया गया कि जैसा कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में उपबंधित था, विभाग द्वारा न तो कोई राज्य क्षेत्र नीति और न ही कोई पंचवर्षीय व्यज सु यो बनाई गई। इस प्रकार, विभाग कार्यक्रम को एक दीर्घकालिक निश्चित दिशा प्रदान करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग राज्य द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति में की गई प्रगति का नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित नहीं कर पाया। तथापि, कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उ पे नि द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना (व का यो) तैयार किया जा रहा था। यह पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अवधि के दौरान राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मात्र 16 प्रतिशत⁴² योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु लिया गया।

प्रबंध निदेशक (प्र नि), उ पे नि ने अवगत कराया कि गैर-सरकारी संगठनों की मदद से ग्राम जल स्वच्छता समितियों (ग्रा ज स्व स) द्वारा तैयार की जाने वाली ग्राम जल सुरक्षा योजना (ग्रा ज सु यो) तैयार नहीं की जा सकी क्योंकि समुदाय ग्रा ज सु यो की तैयारी के लिए आवश्यक आँकड़े एकत्र करने के लिए सुसज्जित नहीं था और निधियों की कमी के कारण गैर-सरकारी संगठनों को नहीं लगाया जा सका। परिणामस्वरूप, ग्रा ज सु यो, जि ज सु यो और सा ज सु यो तैयार नहीं हो सकी।

1.3.6.2 कार्यक्रम के प्रतिपादन हेतु संस्थागत तन्त्र

ग्रामीण पेयजल एक राज्य विषय है तथा भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों जो राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जाना था, में सम्मिलित था। भारत सरकार देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। कार्यक्रम के प्रतिपादन हेतु संस्थागत तन्त्र के सापेक्ष विद्यमान संस्थागत ढाँचे को नीचे तालिका-1.3.1 में दिया गया है:

तालिका-1.3.1: कार्यक्रम के प्रतिपादन हेतु आवश्यक संस्थागत तन्त्र

क्र सं	संस्था का नाम	स्तर	वर्तमान स्थिति
1.	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा ज स्व मि)	राज्य	अस्तित्व में
2.	राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति (रा स्त यो अ स)	राज्य	अस्तित्व में
3.	स्रोत खोजी समिति (स्रो खो स)	राज्य	अस्तित्व में नहीं
4.	राज्य तकनीकी संस्था (रा त सं)	राज्य	अस्तित्व में नहीं
5.	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (ज स्व स सं)	राज्य	अस्तित्व में नहीं
6.	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि ज स्व मि)	जिला	अस्तित्व में
7.	ब्लॉक संसाधन केन्द्र (ब्ला सं के)	ब्लॉक	अस्तित्व में नहीं
8.	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा ज एवं स्व स)	ग्राम	अस्तित्व में

(अ) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

कार्यक्रम के दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि राज्य स्तर रा ज स्व मि की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में ग्रामीण जल आपूर्ति करने वाले विभाग के अधीन की जाए जो जलपूर्ति योजनाओं के भौतिक व वित्तीय निष्पादन एवं प्रबंधन के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अतिरिक्त, नीति निर्देशन प्रदान करें, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ जलापूर्ति गतिविधियों का अभिसरण करें। राज्य में, रा ज स्व मि का गठन फरवरी 2010 में किया गया था जिसमें दो

⁴² वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक रा स्त यो अ स द्वारा 4,787 योजनाओं का अनुमोदन किया गया एवं 2,668 योजनाओं को राज्य के वार्षिक कार्य योजना (वा का यो) में शामिल किया गया जिसमें से मात्र 772 योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु लिया गया।

समितियाँ नामतः आठ सदस्य वाली शीर्ष समिति एवं विभिन्न⁴³ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच नामित सदस्यों सहित 16 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति, सम्मिलित थीं।

यह पाया गया कि राजस्व मि एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित नहीं थी। राजस्व मि बिना किसी कानूनी दर्जा प्राप्त किये, कार्यक्रम के वित्तीय प्रकरणों का संचालन कर रही थी जो कि अनियमित था। इसके अतिरिक्त, मिशन न तो क्रियान्वयन का अनुश्रवण और न ही कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन कर रहा था। इसके बजाय, उ पे नि को कार्यक्रम के अनुश्रवण का कार्य सौंपा गया। उ पे नि एक नोडल संस्था के साथ-साथ उसने कार्यक्रम को क्रियान्वित भी किया। इस प्रकार, उ पे नि को सौंपे गये उत्तरदायित्व में हितों का टकराव था एवं इस कमी के कारण आँकड़ों की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा जिसका उल्लेख **प्रस्तर 1.3.9.3 से 1.3.9.5** में किया गया है।

बहिर्गमन गोष्ठी में, प्र नि, उ पे नि और अधिशासी अभियन्ता (अ अ) राजस्व मि ने अवगत कराया कि दोनों का सं द्वारा कार्यक्रम का सामूहिक रूप से अनुश्रवण किया जा रहा था। तथापि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व मि वास्तव में कार्यक्रम की अनुश्रवण में शामिल नहीं था जो दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विरुद्ध था।

(ब) स्रोत खोजी समिति एवं राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति

कार्यक्रम के दिशानिर्देश दो समितियाँ नामतः स्रोत खोजी समिति (स्रो खो स) एवं राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति (रा स्त यो अ स) स्थापित करने का प्रावधान करते हैं। स्रो खो स द्वारा राज्य की ग्रामीण बसावटों में विद्यमान जल आपूर्ति योजनाओं हेतु पर्याप्त पीने योग्य जल की मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यपद्धति/निष्पादन की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता थी एवं स्रो खो स के अनुमोदन के पश्चात कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण जल आपूर्ति (ग्रा ज आ) परियोजनायें/योजनायें और समर्थन गतिविधियाँ राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित की जानी थी। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित योजनाओं की प्रगति, पूर्णता एवं प्रवर्तन में लाने की समीक्षा भी राजस्व यो अ स द्वारा की जानी थी। सौंपे गये कार्य को करने के लिए, राजस्व यो अ स की बैठक को वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करना आवश्यक था। यह पाया गया कि न तो स्रो खो स को स्थापित किया गया था और न ही स्रो खो स के कार्य को किसी अन्य अभिकरण को सौंपा गया था। राजस्व यो अ स द्वारा ₹1,676.40 करोड़ की 4,787 योजनाओं को स्रो खो स से बिना इनपुट प्राप्त किये अनुमोदित की गई थी जो कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहायक मानी गई थी। राजस्व यो अ स, जिसे फरवरी 2010 में गठित किया गया था, इसने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान अपेक्षित 10 बैठकों के बजाय सात बैठकों का ही आयोजन किया। इसके प्रत्युत्तर में, राजस्व मि द्वारा अवगत कराया गया कि सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं।

(स) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन

कार्यक्रम के दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि ग्रा ज सु यो का विश्लेषण करने और समेकित करने, जि ज सु यो बनाने, सम्बन्धित कार्यक्रम के अभिसरण करने तथा त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से

⁴³ सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू शि सं), मानव संसाधन विकास (मा सं वि), एम आई एस, मीडिया एवं गैर-सरकारी संगठन (गैर-स सं)।

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर⁴⁴ पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि ज स्व मि) का गठन किया जाएगा। जि ज स्व मि का गठन राज्य के सभी 13 जिलों में मई 2005 में किया गया।

यह पाया गया कि जि ज स्व मि कार्यक्रम में वर्णित अनुश्रवण कार्य का निष्पादन नहीं कर रहे थे तथा समस्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण उ पे नि द्वारा किया जा रहा है जो कि कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए नोडल संस्था है। आगे, ग्रा ज सु यों के अभाव में, उनका विश्लेषण, संकलन व जि ज सु यों को तैयार करने का कार्य जि ज स्व मि द्वारा नहीं किये जा रहे थे।

(द) ब्लॉक संसाधन केन्द्र

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संचालन नम्यता तथा जल स्वच्छता के मुद्दों पर ग्रा पं को समर्थन प्रदान करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक संसाधन केन्द्र (ब्लॉ सं के) की स्थापना की आवश्यकता थी। तथापि, उत्तराखण्ड में कोई भी ब्लॉ सं के स्थापित (दिसम्बर 2017) नहीं किया गया था एवं अन्य कोई अभिकरण भी ब्लॉ सं के के स्थान पर नहीं लगाया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्र नि, उ पे नि द्वारा अवगत कराया गया कि समर्थित क्रियाकलापों के लिए अपर्याप्त निधियां होने के कारण ब्लॉ सं के स्थापित नहीं किये जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में निधियां अनुपयोगी रहीं जैसाकि प्रस्तर 1.3.7.2 में इंगित किया गया है।

(य) ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्रा पं में नियोजन, अनुश्रवण, प्रतिपादन और जल आपूर्ति योजना के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए एक स्थायी समिति/उपसमिति के रूप में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा ज स्व स)⁴⁵ के गठन की आवश्यकता थी। यह पाया गया कि राज्य में 7,971 ग्रा पं में से 1,291 (16 प्रतिशत) में ग्रा ज स्व स का गठन नहीं गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी में, प्र नि, उ पे नि ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं ग्रा ज स्व स शेष ग्रा पं में स्थापित किये जाने का आश्वासन दिया।

प्रतिपादन तन्त्र में विभिन्न कमियों एवं रा ज स्व मि तथा जि ज स्व मि के स्तर पर अनुश्रवण में कमी से वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसका उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

⁴⁴ जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद (जि प) के अध्यक्ष करेंगे एवं जिले के सभी एम पी/एम एल ए एवं एम एल सी, जि प की स्थायी समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण, आइ सी डी एस, पी एच ई डी, जल संसाधन, कृषि, सूचना व जन संपर्क के जिला स्तरीय अधिकारी जि ज स्व मि के सदस्य होंगे।

⁴⁵ पंचायत सदस्य, अनु जा, अनु जन व गाँव का पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुये छः से 12 (जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हों) सदस्य हों।

1.3.7 वित्तीय प्रबंधन

1.3.7.1 परिचय

रा गा पे का एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है तथा 2015-16 से पूर्व, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण कार्यक्रम निधि (आच्छादन, जल गुणवत्ता एवं संचालन व अनुक्षण) के लिए 50:50 अनुपात में विभाजित किया गया था, स्थायित्व घटक (कार्यक्रम निधि के अंतर्गत), समर्थित एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी (ज गु अ एवं नि) (समर्थित निधि के अंतर्गत) के लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निधि प्रदान की गई थी। अप्रैल 2015 से, वित्तपोषण केंद्र और राज्य के मध्य 90:10 के अनुपात में विभाजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदाओं/आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं के लिए निर्धारित कुल केंद्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति परिव्यय के दो प्रतिशत से सहायता प्रदान की जाती है।

1.3.7.2 निधि प्रवाह एवं वित्तीय निष्पादन

योजना की वित्तपोषण पद्धति के अनुसार, भा स अपना अंश राज्य को जारी करती है जोकि राज्य अपने राज्यांश सहित इस निधि को रा ज स्व मि को अवमुक्त करता है। रा ज स्व मि द्वारा दो अलग अलग लेखे, एक कार्यक्रम⁴⁶ के लिए और दूसरा समर्थित⁴⁷ गतिविधियों के लिए बनाए गये हैं। बाद में निधियां कार्यदायी संस्थाओ (का सं) को उनकी माँग के अनुसार अवमुक्त की जाती थीं।

2012-17 की अवधि के दौरान, भा स व राज्य सरकार द्वारा रा ज स्व मि को अवमुक्त की गयी निधियों का विवरण निम्न तालिका-1.3.2 में दिया गया है:

तालिका-1.3.2: रा गा पे का के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति		विविध (बैंक ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ)	योग	व्यय		कुल व्यय	अंतिम अवशेष (प्रतिशतता)
		केन्द्र	राज्य			केन्द्र	राज्य		
2012-13	239.26	74.28 ⁴⁸	0.00	8.72	322.26	147.99	0.00	147.99	174.27 (54)
2013-14	174.27	79.83 ⁴⁹	0.00	8.88	262.98	138.71	0.00	138.71	124.27 (47)
2014-15	124.27	111.48 ⁵⁰	99.76	6.99	342.50	145.00	24.16	169.16	173.34 (51)
2015-16	173.34	60.06 ⁵¹	41.65	5.73	280.78	99.79	68.95	168.74	112.04 (40)
2016-17	112.04	88.19 ⁵²	9.78	10.97	220.98	103.16	40.76	143.92	77.06 (35)
योग		413.84	151.19	41.29		634.65	133.87		

स्रोत: रा गा पे का के लेखा।

⁴⁶ कार्यक्रम निधि में आच्छादन, जल गुणवत्ता, संचालन व अनुक्षण एवं स्थायित्व घटक शामिल हैं।

⁴⁷ समर्थित निधि में समर्थित एवं जल गुणवत्ता अनुक्षण एवं निगरानी शामिल हैं।

⁴⁸ कार्यक्रम निधि: ₹ 62.84 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 7.66 करोड़ को छोड़ कर), समर्थित निधि: ₹ 3.78 करोड़ एवं स्थायित्व: ₹ 7.66 करोड़।

⁴⁹ कार्यक्रम निधि: ₹ 57.85 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 7.90 करोड़ को छोड़ते हुये), प्राकृतिक आपदा: ₹ 14.08 करोड़ एवं स्थायित्व: ₹ 7.90 करोड़।

⁵⁰ कार्यक्रम निधि: ₹ 95.75 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 10.64 करोड़ के को छोड़ते हुये), समर्थित निधि: ₹ 2.54 करोड़, स्थायित्व: ₹ 10.64 करोड़ एवं ज गु अ एवं नि निधि: ₹ 2.55 करोड़।

⁵¹ कार्यक्रम निधि: ₹ 50.94 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 5.66 करोड़ के को छोड़ते हुये), समर्थित निधि: ₹ 2.16 करोड़, स्थायित्व: ₹ 5.66 करोड़ एवं ज गु अ एवं नि निधि: ₹ 1.30 करोड़।

⁵² कार्यक्रम निधि: ₹ 60.03 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 6.67 करोड़ के को छोड़ते हुये), समर्थित निधि: ₹ 2.45 करोड़ एवं स्थायित्व: ₹ 6.67 करोड़, ज गु अ एवं नि निधि: ₹ 2.72 करोड़ एवं प्राकृतिक आपदा: ₹ 16.32 करोड़।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि;

- वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में, राज्य सरकार ने कार्यक्रम निधि के घटकों के लिए अपना अंश क्रमशः ₹62.84 करोड़ व ₹57.85 करोड़ अवमुक्त नहीं किया। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, ₹77 करोड़ (कुल उपलब्ध निधि का 35 प्रतिशत) से लेकर ₹174 करोड़ (कुल उपलब्ध निधि का 54 प्रतिशत) अव्ययित शेष थी।

राज्य स्तर पर कार्यक्रम निधि का घटक-वार आवंटन किया जाना था जैसाकि निम्न चार्ट-1.3.1 में दर्शाया गया है;

चार्ट-1.3.1: राज्य स्तर पर कार्यक्रम निधि का घटक-वार आवंटन का विवरण



कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को निधियों का आवंटन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था, जैसाकि निम्न तालिका-1.3.3 में दिया गया है:

तालिका-1.3.3 : घटकवार निधि का आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल निधि	आच्छादन, जल गुणवत्ता		सं व अ		स्थायित्व		ज गु अ एवं नि		समर्थित	
		वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता	वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता	वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता	वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता	वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता
2012-13	83.00	57.10	69	12.23	15	8.28	10	2.07	2	2.30	3
2013-14	88.71	52.73	59	12.94	15	8.62	10	0.46	0.5	-0.12 [@]	0
2014-15	218.23	191.56	88	34.16	16	-12.94*	00	2.62	1	2.83	1
2015-16	107.44	90.68	84	17.20	16	-4.15 [#]	00	1.39	1	2.32	2
2016-17	108.94	62.22	57	13.87	13	7.43	7	3.03	3	2.89	3

स्रोत: राजस्व मि से एकत्रित सूचना।

@ वर्ष 2013-14 में, समर्थित घटक से ₹ 0.44 करोड़ ज गु अ एवं नि घटक में अंतरित हुए व समर्थित घटक में ₹ 0.32 करोड़ विविध प्राप्त के रूप में प्राप्त हुए।

* वर्ष 2014-15 में, स्थायित्व घटक के लिए ₹ 10.64 करोड़ अवमुक्त हुए जबकि आच्छादन घटक को ₹ 23.58 करोड़ अंतरित हुए।

वर्ष 2015-16 में, स्थायित्व घटक के लिए ₹ 5.66 करोड़ अवमुक्त हुए जबकि आच्छादन घटक को ₹ 9.81 करोड़ अंतरित हुए।

यह पाया गया कि:

- कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटन 67 प्रतिशत रखने के बजाय, आच्छादन व जल गुणवत्ता घटक में 57 प्रतिशत से लेकर 88 प्रतिशत तक आवंटन किया गया;
- सं व अ घटक में 15 प्रतिशत के मापदण्ड के सापेक्ष 13 प्रतिशत से लेकर 16 प्रतिशत तक आवंटन किया गया;

- ज गु अ एवं नि घटक में तीन प्रतिशत के मानक के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत तक आवंटन किया गया; तथा
- समर्थित घटक में हमेशा पाँच प्रतिशत के मानक से कम आवंटन किया गया और वर्ष 2013-14 में कोई धन आवंटन नहीं किया गया।

अ अ, रा ज स्व मि ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि का आवंटन राज्य स्तर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि निधि का घटक वार विनियमन केंद्र सरकार के दायरे में आता है। सरकार का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार घटक-वार निधियों को राज्य स्तर पर निर्धारित प्रतिशत जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, में आवंटित किया जाना चाहिए था।

1.3.7.3 भा स द्वारा समर्थित निधि का कम अवमुक्त किया जाना

वित्तीय वर्ष 2016-17 में, भा स ने कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थित निधि के लिए राज्य सरकार को ₹4.89 करोड़ आवंटित किये। जिसमें से ₹2.45 करोड़ अवमुक्त (मई 2016) किये गये। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि भा स ने शेष राशि राज्य को अवमुक्त नहीं की क्योंकि इस घटक के लिए राज्य सरकार अपने अंश का योगदान करने में असफल रही। इस प्रकार, समर्थित निधि में अपने अंश को अवमुक्त करने में असफल रहने के फलस्वरूप राज्य ₹2.44 करोड़ रुपए की राशि के केंद्रीय अनुदान से वंचित रहा।

निदेशक, जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (ज स्व स सं) ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया।

1.3.7.4 राज्य सरकार द्वारा रा ज स्व मि को निधियां अवमुक्त करने में विलंब

भा स के नियमों एवं शर्तानुसार, राज्य सरकार को केन्द्रांश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर राज्यांश के साथ केन्द्रांश रा ज स्व मि को अवमुक्त करना चाहिए था। केन्द्रांश को रा ज स्व मि को अंतरित करने में देरी की स्थिति में, राज्य सरकार को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दायित्व ब्याज तथा ब्याज की राशि मूल राशि सहित रा ज स्व मि को अंतरित करनी थी। 2014-17 के दौरान, भा स ने ₹150.15 करोड़ (जैसा परिशिष्ट-1.3.1 में वर्णित है) अवमुक्त किये, जिसे राज्य ने आठ से 267 (प्रथम 15 दिनों को छोड़कर) दिनों की देरी से रा ज स्व मि को अंतरित किया। विलंब से निधियों को अंतरण करने के कारण राज्य, रा ज स्व मि को ₹2.45 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। तथापि, अभी तक (दिसम्बर 2017) राज्य द्वारा रा ज स्व मि को कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव, पेयजल विभाग ने तथ्यों से सहमत होते हुये अवगत कराया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1.3.7.5 रा ज स्व मि के लेखे

कार्यक्रम के दिशा-निर्देश प्रावधान करते हैं कि रा ज स्व मि के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गये चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ही की जानी चाहिए तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्रों को ऐसे प्रारूप में दिया जाना चाहिए, जिसमें लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, प्राप्ति

तथा भुगतान लेखे, आय और व्यय लेखे, तुलन-पत्र, लेखे पर टिप्पणी तथा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ शामिल हों। रा ज स्व मि के लेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि राज्य से अनुदान के रूप में प्राप्त राज्यांश को किसी भी प्रारूप में अलग से नहीं दर्शाया गया था। इसके बदले, बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम, राज्य एवं जिला योजना के अंतर्गत ग्रामीण जल क्षेत्र में सभी अवमुक्त निधियों को रा ज स्व मि के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे एवं आय और व्यय लेखे में राज्यांश के रूप में दिखाये गये थे। अतः लेखे में राज्यांश के रूप में दर्शाए गये आँकड़े विविध निधियों से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार, रा ज स्व मि के तुलन पत्र से वास्तविक राज्यांश का आंकलन नहीं किया जा सका।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, अ अ ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1.3.7.6 प्राकृतिक आपदा हेतु निर्धारित निधि का उपयोग न होना

2012-17 की अवधि के दौरान, केन्द्र और राज्य द्वारा अवमुक्त की गई निधियों का विवरण निम्न तालिका-1.3.4 में दिया गया है:

तालिका-1.3.4: प्राकृतिक आपदा हेतु प्रदान कि गई निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति		विविध प्राप्ति (बैंक ब्याज एवं अन्य प्राप्ति)	कुल उपलब्ध निधि (कु उ नि)	व्यय		अंतिम अवशेष (कु उ नि की प्रतिशतता)
		केन्द्र	राज्य			केन्द्र	राज्य	
2012-13	41.05	0.00	0.00	1.02	42.07	30.68	0.00	11.39 (27)
2013-14	11.39	14.08	0.00	0.00	25.47	9.12	0.00	16.35 (64)
2014-15	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	11.06	0.00	5.29 (32)
2015-16	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	1.61	0.00	3.68 (70)
2016-17	3.68	16.32	1.81	1.37	23.18	2.01	0.00	21.17 (91)

स्रोत : उ पे नि से सूचना एकत्र की गई।

यह पाया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा न तो इन निधियों का उपयोग किया गया और न ही इनको सरकार को वापस किया गया जिससे 27 प्रतिशत से लेकर 91 प्रतिशत तक की निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

रा ज स्व मि ने कहा कि वर्ष 2016-17 में भा स ने फरवरी 2017 में ₹ 16.32 करोड़ अवमुक्त किये और इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका। तथापि, वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक बड़ी अप्रयुक्त धनराशियों का न तो उपयोग किया गया और न ही उन्हें अभ्यर्पित किया गया।

1.3.7.7 अन्य विविध अनियमिततायें

निर्माण खण्ड (नि ख), उ पे नि, अल्मोड़ा ने ₹ 40 लाख की राशि नि शा, उ पे नि, भिकियासैण को ऋण स्वरूप अंतरित (सितम्बर 2015) की थी। दो महीने की अवधि के उपरांत ऋण प्राप्त करने वाले खण्ड ने मात्र ₹ 30 लाख की राशि नि ख, उ पे नि, अल्मोड़ा को वापस लौटाई। यह पाया गया है कि दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी, ऋण प्राप्त करने वाले खण्ड के पास इसकी उपयोगिता की सूचना दिये बिना शेष राशि ₹ 10 लाख पड़ी रही। प्रत्युत्तर में, खण्ड ने अवगत कराया (जून 2017) कि यह प्रकरण सम्बन्धित खण्ड के समक्ष उठाया गया था। किसी विशिष्ट उत्तर के अभाव में लेखापरीक्षा इस राशि के उपयोग को अभिनिश्चित नहीं कर सका।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सचिव, पेयजल विभाग, ने सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता से प्रकरण के समाधान एवं सुलझाने हेतु निर्देश दिया।

1.3.8 क्रियान्वयन

1.3.8.1 बसावटों का आच्छादन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को घर से 100 मीटर के दायरे में एक सार्वजनिक अथवा सामुदायिक स्रोत के माध्यम से अपूरित, आंशिक रूप से पूरित और स्लिपड बैक⁵³ बसावटों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करना था।

वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य में पेयजल सुविधाओं के साथ बसावटों के आच्छादन (40 ली प्र व्य प्र दि के अनुसार) की स्थिति निम्न तालिका-1.3.5 में दी गई है:

तालिका-1.3.5: राज्य में पेयजल सुविधाओं के साथ बसावटों के आच्छादन की स्थिति

वर्ष	कुल बसावटों की संख्या	पूर्ण आच्छादित बसावटों की संख्या (40 ली प्र व्य प्र दि के अनुसार)	पूर्ण आच्छादित बसावटों की प्रतिशतता	आंशिक रूप से आच्छादित बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से आच्छादित बसावटों की प्रतिशतता
2012-13	39,142	26,997	69	12,145	31
2013-14	39,142	2,483	6	36,659	94
2014-15	39,142	24,195	62	14,947	38
2015-16	39,209	21,323	54	17,986	46
2016-17	39,209	21,345	54	17,864	46

स्रोत: उ पे नि से एकत्रित सूचना।

वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान, कार्यदायी संस्थाओं (का सं) द्वारा 'आच्छादन मद' में ₹537.90 करोड़⁵⁴ का व्यय किया जबकि पूर्ण आच्छादित बसावटों का आच्छादन 2012-13 में कुल बसावटों के 69 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में कुल बसावटों का 54 प्रतिशत हो गया।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, पूर्ण आच्छादित और आंशिक रूप से आच्छादित बसावटों की संख्या में असामान्य रूप से भिन्नता थी। 2016-17 में कुल बसावटों की संख्या में भी गिरावट दिखाई गई है। ये इंगित करते हैं कि आँकड़ों की विश्वसनीयता संदेह से परे नहीं थी। अनाच्छादित बसावटों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

बहिर्गमन गोष्ठी में प्र नि, उ पे नि ने तथ्यों को स्वीकार किया कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि से संबन्धित आँकड़े त्रुटिपूर्ण हैं और अवगत कराया कि सॉफ्टवेयर में समस्या के कारण इनमें सुधार नहीं किया जा सका। तथापि, इस स्वीकारोक्ति के बावजूद, उ पे नि ने आँकड़ों के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

1.3.8.2 लक्ष्य और उपलब्धियां

नीतिगत योजना के अनुसार, भा स द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जिन्हें राज्य द्वारा दिसंबर 2017 तक प्राप्त किया जाना था।

➤ कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति (पा ज आ) प्रदान की जाय;

⁵³ बसावटें जो पूर्ण आच्छादित से आंशिक आच्छादित हो जाती हैं तथा जो पूर्ण आच्छादित व आंशिक आच्छादित से अनाच्छादित हो जाती हैं।

⁵⁴ 2012-13: ₹97.00 करोड़, 2013-14: ₹97.48 करोड़, 2014-15: ₹109.11 करोड़, 2015-16: ₹134.76 करोड़ एवं 2016-17: ₹99.55 करोड़।

- कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू संयोजन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति पहुंचाना; तथा
- ग्रामीण भारत के सभी परिवारों, विद्यालयों व आँगनवाड़ियों तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो;

आगे, 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को 55 ली प्र व्य प्र दि पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए।

यह पाया गया कि 50 प्रतिशत परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति (पा ज आ) करने के लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उ पे नि द्वारा घरों की बजाय बसावटों एवं राज्य की ग्रामीण आबादी की संख्या से प्रगति प्रदर्शित की जा रही थी। 31 मार्च 2017 को लक्ष्यों/उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धियां नीचे वर्णित हैं:

लक्ष्य	उपलब्धियां
कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान की जाय।	बसावटों व ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में क्रमशः 95 प्रतिशत व 74 प्रतिशत
कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू संयोजन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति पहुंचाना।	13.80 प्रतिशत
सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो।	95 प्रतिशत
सभी ग्रामीण क्षेत्रों के आँगनवाड़ियों तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो।	69 प्रतिशत
12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को 55 ली प्र व्य प्र दि पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए।	14.71 प्रतिशत बसावटें 55 ली प्र व्य प्र दि प्राप्त कर रहे थे।

55 ली प्र व्य प्र दि पेयजल प्रदान करने के संबंध में प्र नि, उ पे नि द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी में अवगत कराया गया कि प्रत्येक बसावट को 40 ली प्र व्य प्र दि पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गयी तथा 55 ली प्र व्य प्र दि पर बाद में विचार किया जाएगा।

1.3.8.3 बहु और एकल ग्राम योजनाओं के पूरा होने की निम्न दर

2012-17 की अवधि के दौरान, कार्यक्रम के अंतर्गत 243 पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनायें शुरू की गईं, जैसाकि निम्न तालिका-1.3.6 में वर्णित किया गया है:

तालिका-1.3.6: रा ज़ा पे का के अंतर्गत 2012-17 के दौरान पे ज़ा आ योजनाओं की स्थिति

योजनाओं का प्रकार	योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	पूरा होने का प्रतिशतता
बहु ग्राम योजना (एम वी एस)	89	22	25
एकल ग्राम योजना (एस वी एस)	154	72	47
योग	243	94	39

स्रोत: रा ज़ा स्वामि से एकत्रित सूचना।

वर्ष 2012-17 के दौरान, विभिन्न योजनाओं को पूर्ण करने का कुल प्रतिशत मात्र 39 था। इसके अतिरिक्त, ₹185.45 करोड़ लागत की 20 योजनायें⁵⁵ विगत पाँच से 12 वर्ष तक पूर्ण होने के लिए लम्बित थी। बहु ग्राम योजना का निष्पादन निम्न था एवं दर्ज की गयी पूर्णता प्रतिशत मात्र 25 थी। उ पे नि द्वारा अवगत कराया कि निधियों की कमी (34 प्रतिशत योजनाओं में), स्रोत एवं भूमि विवाद (20 प्रतिशत योजनाओं में), वन विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण में देरी (10 प्रतिशत योजनाओं में) एवं पं रा सं द्वारा वितरण लाईनों के कार्यों का निष्पादन न करना (36 प्रतिशत योजनाओं में) विलंब के कारण थे।

बहिर्गमन गोष्ठी में इंगित किये जाने पर सचिव, पेयजल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निधियों की कमी के कारण योजनायें निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की जा सकीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान रा ज़ा स्वामि के पास प्रत्येक वित्त वर्ष में अव्ययित अवशेष था, जैसाकि तालिका-1.3.2 में दर्शाया गया है।

एम वी एस की निम्न पूर्णता दर के लिए खराब नियोजन और समन्वय की कमी के कारण हो सकती है, क्योंकि इसमें वन विभाग, निजी भूस्वामि और पं रा सं आदि जैसी कई संस्थाएँ शामिल हैं।

निर्धारित समय में उपर्युक्त योजनाओं को पूरा न करने पर निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और राज्य निर्धारित समय के भीतर निर्धारित मानकों के अनुसार पानी की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा।

1.3.8.4 विद्यालय और आँगनवाड़ी

कार्यक्रम क्रियान्वयन की कार्यनीति के अंतर्गत, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों एवं आँगनवाड़ियों को वर्ष 2017 तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। रा ज़ा स्वामि एवं कार्यदायी संस्थाओं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यह मुद्दा प्राथमिकता पर नहीं लिया गया था। दिसंबर 2017 को ग्रामीण इलाकों के 16,985 सरकारी विद्यालयों⁵⁶ के सापेक्ष 888 विद्यालय पानी की सुविधा के बिना चल रहे थे। इसी प्रकार, 17,069 आँगनवाड़ियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के सापेक्ष उ ज़ा सं मात्र 11,857 आँगनवाड़ियों⁵⁷ (69 प्रतिशत) को जल सुविधाएँ प्रदान करने में सक्षम था।

इस प्रकार, 888 सरकारी विद्यालयों एवं 5,212 आँगनवाड़ियों को अभी भी पानी की सुविधा प्रदान किया जाना शेष था। रा ज़ा स्वामि/उ पे नि द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल नहीं था।

बहिर्गमन गोष्ठी में, सचिव, पेयजल विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं आश्वस्त किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

⁵⁵ ₹181.52 करोड़ लागत की 18 एम वी एस, ₹3.93 करोड़ लागत की 2 एस वी एस, कुल लागत ₹185.45 करोड़।

⁵⁶ शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार।

⁵⁷ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार।

1.3.8.5 स्थायित्व

स्थायित्व का तात्पर्य अनुकूल लागत के साथ पूरे वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पानी के स्रोतों एवं योजनाओं का स्थायित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मौजूदा/नई पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, संकट अवधि के दौरान, भूजल, सतह के पानी और छत के पानी के संचयन द्वारा जल की आपूर्ति हो सके। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में प्रावधानित हैं कि उपलब्ध रा गा पे का की निधि का 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष स्थायित्व घटक के लिए प्रयुक्त किया जाना था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों में इस बात का भी प्रावधान है कि जिन राज्यों ने स्थायित्व घटक के सापेक्ष 10 प्रतिशत से कम निधि का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा था, वे भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को औचित्य प्रस्तुत करें। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान स्थायित्व घटक पर किये गये व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका-1.3.7 में दिया गया है:

तालिका-1.3.7: स्थायित्व के संबंध में केंद्र/राज्य से प्राप्त कुल निधि, आवंटन और उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्थायित्व घटक का प्रारम्भिक अवशेष	कुल उपलब्ध निधि (केंद्र+राज्य) समस्त घटक हेतु	उपलब्ध कुल निधि में से स्थायित्व के लिए अवमुक्त करायी गयी निधि	स्थायित्व के लिए उपलब्ध निधि की प्रतिशतता	वास्तविक व्यय	अंतिम अवशेष
1	2	3	4	5 (4 *100/3)	6	7=(2+4)-6
2012-13	42.77	83.00	8.28	10	3.09	47.96
2013-14	47.96	88.71	8.62	10	7.87	48.71
2014-15	48.71	218.23	-12.94*	00	16.29	19.48
2015-16	19.48	107.44	-4.15*	00	6.03	9.30
2016-17	9.30	108.94	7.43	07	5.76	10.97
योग		606.32	7.24		39.04	

स्रोत: रा ज स्व मि से एकत्रित सूचना।

* वर्ष 2014-15 व 2015-16 में, स्थायित्व घटक के लिए ₹ 10.64 करोड़ एवं ₹ 5.66 करोड़ अवमुक्त किये गये थे। तथापि, क्रमशः ₹ 23.58 करोड़ एवं ₹ 9.81 करोड़ इस घटक से आच्छादन घटक को अंतरित किये गये थे।

यह पाया गया कि;

- वर्ष 2016-17 में यह आवंटन 10 प्रतिशत के मानक से कम था। इसके अतिरिक्त, वास्तविक व्यय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2016-17 में आवंटन से भी कम था। 2013-14 व 2014-15 के दौरान, निधि इस घटक से आच्छादन घटक में व्यय की गई। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान स्थायित्व पर ₹ 39.04 करोड़ खर्च किये गये जो कुल उपलब्ध निधि का छः प्रतिशत था। इसप्रकार, कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू, जिसका उद्देश्य पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल प्रदान करना था, पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उ पे नि स्थायित्व के लिए निधियों के अपर्याप्त आवंटन/व्यय के लिए औचित्य बताने में विफल रहा। यह पाया गया कि, चयनित जिलों में पाँच मौजूदा जल आपूर्ति योजनायें स्रोतों के सूखने के कारण अक्रियाशील हो गईं। स्थायित्व घटक पर अपर्याप्त फोकस पूरे वर्ष में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को लम्बे समय तक प्रभावित कर सकता है।

पुनः, लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि स्थायित्व घटक पर मानक के अनुसार व्यय नहीं किया गया जैसाकि टिहरी जिले में, स्थायित्व घटक की निधि से ₹ 42.01 लाख (2012-17 के दौरान) लघु जल योजनाओं एवं पानी की टंकियों के निर्माण पर व्यय किया गया जो कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

1.3.8.6 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी और प्रयोगशालाओं की आधारभूत संरचना

भारत सरकार राज्य को बसावटों में जल की गुणवत्ता हेतु अनुश्रवण और निगरानी के लिए एवं राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर पानी की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने और उनके उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए, रा ग्रा पे का की निधि का तीन प्रतिशत आवंटित किया जाना था। प्राप्त और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे तालिका-1.3.8 दिया गया है:

तालिका-1.3.8: केंद्र/राज्य से प्राप्त कुल निधि का विवरण, ज गु अ एवं नि के संबंध में आवंटन व आवंटन की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधि (केंद्र+राज्य)	ज गु अ एवं नि हेतु आवंटन	आवंटित निधि की प्रतिशतता
2012-13	83.00	2.07	2
2013-14	88.71	0.46	0.5
2014-15	218.23	2.62	1
2015-16	107.44	1.39	1
2016-17	108.94	3.03	3

स्रोत: रा ज स्व मि से एकत्रित सूचना।

स्पष्ट है कि कुल रा ग्रा पे का की निधि से ज गु अ एवं नि के लिए आवंटन तीन प्रतिशत के मानक (2016-17 को छोड़कर) से कम था। इस घटक के अंतर्गत धन के अल्प आवंटन से पानी की अनुश्रवण पर सीधा प्रभाव पड़ा क्योंकि राज्य स्तरीय अभिनिर्देशित प्रयोगशाला अभी भी निर्माणाधीन थी (निर्माण कार्य प्रारम्भ की तिथि: दिसम्बर 2016, पूर्ण करने की निर्धारित तिथि: दिसंबर 2018), सभी 13 जिला प्रयोगशालाएं 34 की आवश्यकता के सापेक्ष केवल 19 मापदण्डों पर पानी परीक्षण करने के लिए सक्षम थीं और महत्वपूर्ण मापदण्ड जैसेकि जैविक ऑक्सीजन की माँग (बी ओ डी), केमिकल ऑक्सीजन की माँग (सी ओ डी), सीसा, निकल, जिंक, ऑयल एंड ग्रीस, आदि का परीक्षण नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्रोत पर रसायनों का पता लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार और जीवाणु संक्रमण का पता लगाने के लिए वर्ष में दो बार मानसून से पूर्व व बाद में परीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, प्रत्येक स्रोत के पानी के नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता का पालन चार चयनित जिलों में नहीं किया गया (जैसा परिशिष्ट-1.3.2 में वर्णित है)। वर्ष 2012-17 के दौरान अल्मोड़ा में पानी के परीक्षण में 95 प्रतिशत, नैनीताल में 92 प्रतिशत, पौड़ी में 91 प्रतिशत और टिहरी में 93 प्रतिशत कमी थी। इसके अतिरिक्त, यह प्रयोगशालाएं परीक्षण और जाँच प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थी।

बहिर्गमन गोष्ठी में, मुख्य महाप्रबंधक, उ ज सं ने अवगत कराया कि जिला स्तर की प्रयोगशालाओं को 19 मापदण्डों पर जल परीक्षण करने की आवश्यकता थी। उ ज सं का यह विवाद अनिवार्य आवश्यकता पर जागरूकता की कमी का संकेत करता है। 19 मापदण्डों पर जल परीक्षण वास्तव में उप-जिला स्तर प्रयोगशालाओं द्वारा किये जाने की आवश्यकता है और जिला स्तर प्रयोगशालाओं को रा ग्रा पे का के दिशानिर्देशों के अनुसार पालन किये जाने वाले समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित 34 मानकों पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करना अनिवार्य है।

1.3.8.7 कार्य निष्पादन

अप्रमाणित व्यय

सितंबर 2012 में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत ₹ 21.81 करोड़ की अनुमानित लागत पर लक्ष्मोली हदीम की धार जल आपूर्ति योजना (एम वी एस के अंतर्गत) का कार्य नि ख, उ पे नि, मुनी की रेती, ऋषिकेश को आवंटित किया गया। फलस्वरूप, ₹ 1.35 करोड़ को नि ख, मुनी की रेती के लिए जारी किया गया था (मई 2011) और इकाई द्वारा ₹ 26.23 लाख⁵⁸ का कुल व्यय किया गया। 2013 में, यह कार्य नि ख, देवप्रयाग को हस्तांतरित किया गया था (अगस्त 2013)। नि ख, उ पे नि, देवप्रयाग ने कार्य हस्तगत करते समय पाया कि वास्तव में पिछली इकाई द्वारा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था और उसके द्वारा व्यय के रूप में दिखायी गयी राशि की वापसी की माँग (अप्रैल 2014) की गई। तथापि, तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी प्रकरण पर आगे कोई भी प्रगति नहीं हुई है। इंगित किये जाने पर, नि ख, देवप्रयाग ने अवगत कराया कि यह प्रकरण आगे पत्राचार के माध्यम से नि ख, उ पे नि, मुनी की रेती, ऋषिकेश के साथ उठाया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तीन साल के बाद भी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की।

बहिर्गमन गोष्ठी में, सचिव, पेयजल विभाग एवं प्र नि, उ पे नि ने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा को अवगत कराते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

1.3.9 आंतरिक नियंत्रण तन्त्र

कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण और कार्यक्रम की रिपोर्टिंग एक प्रमुख घटक है। लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी हैं।

1.3.9.1 परियोजना अनुश्रवण और मूल्यांकन

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण जल आपूर्ति (ग्रा ज आ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और अनुश्रवण के अध्ययन की आवश्यकता थी एवं इन अध्ययनों के प्रतिवेदन के आधार पर सुधारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता थी। यह पाया गया है कि इस प्रकार का अध्ययन करने के लिए विभाग द्वारा कोई स्वतन्त्र संस्था नियुक्त नहीं की गई। परिणामस्वरूप, शीर्ष स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं की जा सकी और राज्य सरकार को कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तन्त्र से वंचित रहा और राज्य के समग्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ जैसा की प्रस्तर 1.3.8.1 से 1.3.8.7 में चर्चा की गयी है।

1.3.9.2 अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ अभिसरण

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में राज्य द्वारा कार्यान्वित अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं⁵⁹ और जिला स्तर पर सभी सम्बन्धित कार्यक्रमों के साथ अभिसरण प्रावधानित है। तथापि, यह देखा गया कि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य द्वारा कार्यान्वित किसी भी अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के

⁵⁸ भाड़ा: ₹ 1.33 लाख, आकस्मिकता: ₹ 8.06 लाख, वर्क चार्ज: ₹ 3.93 लाख व सेंटेज: ₹ 12.91 लाख।

⁵⁹ मनरेगा, भूमि संसाधन विभाग की एकीकृत जलाशय प्रबंध परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग निधि, एन आर एच एम, कृषि मंत्रालय के विभिन्न जलाशय एवं सिंचाई योजनाएँ, जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न योजनाएँ इत्यादि।

साथ, एन आर एच एम के अंतर्गत पी एच सी में पानी का परीक्षण या मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं के निष्पादन हेतु लगे श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग आदि करके का सं को समर्थकारी बनाकर, कोई अभिसरण नहीं किया गया था।

1.3.9.3 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली

भारत सरकार द्वारा प्रभावी अनुश्रवण और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है "एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली" (आई एम आई एस) के नाम से एक ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली विकसित की गयी। राज्य में, कार्यक्रम की रूपरेखा, क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु उ पे नि को नोडल संस्था के रूप में नामित किया गया था तथा कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय प्रगति सम्बन्धित सभी आँकड़े उ पे नि द्वारा प्रभागीय और राज्य स्तर पर ऑनलाइन अपलोड किये जा रहे थे। आई एम आई एस में अपलोड किये गये डाटा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं:

1.3.9.4 रा ज स्व मि के वित्तीय आँकड़ों की तुलना आई एम आई एस आँकड़ों के साथ

यह पाया गया कि आई एम आई एस में दर्शाए गये तथा रा ज स्व मि के अनुसार वित्तीय आँकड़ों में असमानता थी जिनको समाधान की आवश्यकता थी। आई एम आई एस के अनुसार, केंद्र और राज्य से प्राप्त धनराशियों एवं उनसे किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका-1.3.9 में दिया गया है:

तालिका-1.3.9: आई एम आई एस के अनुसार अनमुक्त राशि और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन		विविध	कुल	व्यय		कुल व्यय	अंतिम अवशेष
		केंद्र	राज्य			केंद्र	राज्य		
2012-13	239.27	74.28	40.74	8.72	363.01	147.99	114.80	262.79	174.27
2013-14	174.27	87.61	77.18	1.03	340.09	138.59	52.71	191.30	124.32
2014-15	124.32	111.48	131.34	0.00	367.14	138.05	72.32	210.37	97.76
2015-16	97.76	60.06	45.21	5.73	208.76	99.79	82.14	181.93	63.75
2016-17	63.75	88.19	9.98	0.68	162.60	99.95	106.30	206.25	52.66
योग		421.62	304.45			624.37	428.27	1,052.64	

स्रोत: indiawater.gov.in (आई एम आई एस आँकड़े)।

उपर्युक्त आँकड़ों की तुलना रा ज स्व मि के वित्तीय लेखों के आँकड़ों के साथ, जैसाकि तालिका-1.3.2 में दर्शाया गया है, करने पर यह पाया गया कि, लगभग सभी वर्षों में, केन्द्र से अवमुक्त, राज्य से अवमुक्त एवं व्यय के आँकड़ों में भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त, आई एम आई एस आँकड़ों में निम्नलिखित कमियाँ भी पाई गईं:

- वर्ष 2012-17 के दौरान, आई एम आई एस के प्रारम्भिक और अंतिम अवशेष में राज्यांश को शामिल नहीं किया गया था।
- रा ज स्व मि के लेखों के अनुसार, वर्ष-वार अवमुक्त (वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र से अवमुक्त) और राज्यांश से संबन्धित व्यय, रा ज स्व मि के लेखों के अनुसार अवमुक्त राशि और व्यय से मेल नहीं रखते थे।
- वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 में केन्द्रांश से किये गये व्यय तथा कार्यक्रम की विविध प्राप्तियाँ रा ज स्व मि के लेखों से मेल नहीं खा रहे थे।

अतः, आई एम आई एस के आँकड़े केंद्र तथा राज्य द्वारा अवमुक्त अनुदान के लेखों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत नहीं करते थे। इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए प्र नि, उ पे नि एवं अ अ, रा ज स्व मि द्वारा यह अवगत कराया गया कि आवश्यक सुधार किये जाएंगे।

1.3.9.5 आई एम आई एस के वास्तविक आँकड़ों का विश्लेषण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अन्य संस्थाओं/लेखापरीक्षा द्वारा संपादित भौतिक सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े आई एम आई एस के आँकड़ों से मेल नहीं खा रहे थे जैसाकि नीचे बताया गया है:

- आई एम आई एस के आँकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की कुल संख्या 6,545 दर्शायी गयी थी जबकि शिक्षा विभाग के अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों की कुल संख्या 16,985 थी।
- आई एम आई एस में जल सुविधा से वंचित विद्यालयों की संख्या 1,239 दर्शायी गयी थी, जबकि शिक्षा विभाग के अभिलेखों के अनुसार संख्या 888 थी।
- आई एम आई एस के आँकड़ों के अनुसार, 10 में से पाँच आँगनवाड़ियों में पानी की सुविधा थी। तथापि, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अनुसार राज्य में 17,069 आँगनवाड़ी अस्तित्व में थीं, जिनमें से 5,212 आँगनवाड़ियों में जल सुविधा नहीं थी।
- लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया है कि 66 बसावटों में परिवारों की संख्या आई एम आई एस के आँकड़ों से भिन्न थी। यद्यपि आई एम आई एस में दिखायी गई संख्या से, 54 बसावटों में वास्तविक परिवारों की संख्या (एक से 67 तक) अधिक थी तथा 12 बसावटों में (एक से 49 तक) कम थी। पौड़ी जिले में, पाबो ब्लॉक के दो ग्रा पं की पाँच बसावट⁶⁰ अनाच्छादित बसावटों (एन सी) के रूप में पिछड़ गई क्योंकि मौजूदा जल आपूर्ति योजना उचित देखरेख के अभाव में असक्रिय थी, जबकि उपर्युक्त बसावटों को आई एम आई एस में आंशिक रूप से आच्छादित (पी सी) दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, आई एम आई एस में दिखाये गये चार बसावटों⁶¹ का नाम सम्बन्धित ग्रा पं में नहीं दर्शाया गया था।

यह भी पाया गया कि यद्यपि उ पे नि कार्यक्रम का नियोजन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण कर रहा था और आई एम आई एस में आँकड़ों को अद्यतन कर रहा था, जबकि क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा दर्ज आँकड़ों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पुनः जाँच नहीं हो रही थी। काउंटर जाँच तथा सत्यापन के अभाव में आँकड़ों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र नहीं था। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, प्रबंध निदेशक, उ पे नि एवं अ अ, रा ज स्व मि ने अवगत कराया कि आवश्यक सुधार किये जाएंगे।

1.3.10 सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि

सतत विकास लक्ष्यों (स वि ल) का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों का एक समूह तैयार करना है जो सतत विकास के तीन यथा पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक आयामों को संतुलित करता है। कुल मिलाकर, 17 लक्ष्य स वि ल के रूप में स्थापित किये गये हैं, जो 2030 तक प्राप्त किये जाने हैं।

स वि ल का 6 वां लक्ष्य 'स्वच्छ जल और स्वच्छता' की अवधारणा से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। तथापि, रा ग्रा पे का के क्रियान्वयन के लिए उचित संस्थागत तन्त्र की अनुपलब्धता, लक्ष्य की उपलब्धि में कमी, परियोजनाओं की निम्न पूर्णता दर, जैसाकि पूर्व के प्रस्तारों में वर्णित है, इंगित करते हैं कि

⁶⁰ बसावट बरसूड़ी, गायरे, राजीबाटा और रिखोट (ग्रा पं चौफिंडा) तथा बसावट मोलठा (ग्रा पं बरसूड़ी)।

⁶¹ ग्रा पं दसीली से कपरखली (जिला अल्मोडा), ग्रा पं कंडोली से कंडोली तल्ली तथा ग्रा पं गजेली से निसजात (जिला पौड़ी), ग्रा पं चचखिंडा से ख्यालधार (जिला टिहरी)।

ग्रामीण समुदायों हेतु साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

1.3.11 निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नियोजन एवं संस्थागत वितरण तंत्र में कमियों से ग्रस्त था। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान ग्राम और जिला जल सुरक्षा योजना, जिसमें जनसांख्यिकीय, भौतिक विशेषताओं, जल स्रोतों, पीने के पानी की उपलब्ध अवसंरचना और गाँव के अन्य वितरण शामिल थे एवं पंचवर्षीय व्यापक जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं किये गये थे और न ही राज्य द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था क्योंकि निधि अवमुक्त करने में देरी और कार्यक्रम के घटकों के बीच निधियों के वितरण के प्रकरणों में दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था। पाँच प्रतिशत ग्रामीण विद्यालय एवं 31 प्रतिशत आँगनवाड़ियाँ अभी भी पेयजल की सुविधा से वंचित थीं और राज्य वर्ष 2017 तक 50 प्रतिशत ग्रामवासियों को 55 ली प्र व्य प्र दि उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत पीछे था। पानी की गुणवत्ता का परीक्षण अपर्याप्त था क्योंकि राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं के अभी भी निर्माणाधीन होने तथा जिलों में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक 34 मानकों के लिए जल का परीक्षण करने हेतु सक्षम नहीं थीं। चयनित जिलों में पेयजल स्रोतों के जीवाणु-संक्रमण एवं रासायनिक संदूषण की जाँच हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ नगण्य थीं। प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों द्वारा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अध्ययन कराने को सम्मिलित करते हुये आंतरिक नियंत्रण तन्त्र विद्यमान नहीं थे। कार्यक्रम के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के संदर्भ में एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के आँकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

1.3.12 संस्तुतियाँ

राज्य सरकार/विभाग विचार कर सकते हैं:

- जैसाकि कार्यक्रम दिशानिर्देशों में परिकल्पित है संस्थागत तन्त्र को मजबूत बनाया जाए। विकेंद्रीयकृत योजना एवं व्यापक जल सुरक्षा योजना में विशिष्ट सामयिकता के साथ वर्णित प्रदेय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ग्राम एवं जिला जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना सुनिश्चित कर सकती है;
- योजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा किये जाने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीमा के अंतर्गत अनुश्रवण और मूल्यांकन तन्त्र को सुदृढ़ बनाया जाए;
- कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाये; तथा
- आई एम आई एस आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कार्यदायी संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/प्राधिकरण से सत्यापन/जाँच कराई जाय।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

अनुपालन लेखापरीक्षा

पेयजल विभाग

1.4 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु किया गया नियोजन और क्रियान्वयन अपर्याप्त था क्योंकि मार्च 2017 तक 546 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और 4,485 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः केवल 63 और 50 का ही निर्माण किया गया था। मई 2017 में राज्य को खुले में शौच मुक्त के रूप में राज्य की घोषणा सही नहीं थी। भारत सरकार के पोर्टल पर लाभार्थी आँकड़ों को अद्यतन करने में विफलता के परिणामस्वरूप एक लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया। वित्तीय प्रबंधन भी अपर्याप्त पाया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹10.58 करोड़ का अपना अंश जारी नहीं किया था।

1.4.1 परिचय

नवीकृत कार्यनीतियों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को अधिक व्यापक रूप से आच्छादित करने और एक संतृप्ति दृष्टिकोण⁶² को अपनाने के उद्देश्य से भारत सरकार (भा स) द्वारा पूर्व से जारी सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (स स्व अ) कार्यक्रम के बदले वर्ष 2012 “निर्मल भारत अभियान” (नि भा अ) शुरू किया गया था। तत्पश्चात, सार्वभौमिक स्वच्छता आच्छादन को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने हेतु भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [स्व भा मि (ग्रा)] की शुरुआत की गई थी। स्व भा मि (ग्रा) का उद्देश्य ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो त अ प्र) की गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के स्तर में सुधार कर और ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) को खुले में शौच से मुक्त (खु शौ मु) कर वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति को प्राप्त करना है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 31 मई 2017 को घोषित किया गया था कि उसने खुले में शौच से मुक्त की स्थिति प्राप्त कर ली। उत्तराखण्ड में मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान राज्य की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए एक अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से जून 2017 की अवधि में संपादित की गई थी। कुल 13 जिलों में से दो जिले; कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र⁶³ प्रत्येक में एक जिला, अधिकतम उपलब्धि⁶⁴ वाले और दो जिले, इन्हीं क्षेत्रों⁶⁵ से प्रत्येक में एक जिला, न्यूनतम उपलब्धि वाला नमूने के रूप में लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित किये

⁶² जागरूकता पैदा करने हेतु घरों, विद्यालयों, आँगनवाड़ी, सामुदायिक समूह के स्थानों और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए स्वच्छता की सुविधा के लिए माँग उत्पत्ति, समुदाय आधारित और सामुदायिक संतृप्ति को अपनाने के लिए दृष्टिकोण।

⁶³ कुमाऊं क्षेत्र: अल्मोड़ा, गढ़वाल क्षेत्र: टिहरी।

⁶⁴ लक्ष्य के सापेक्ष व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य घ शौ) के निर्माण के संबंध में उपलब्धि।

⁶⁵ कुमाऊं क्षेत्र: उधम सिंह नगर, गढ़वाल क्षेत्र: हरिद्वार।

गये। इसके अतिरिक्त, इसी प्रकार के मानदण्ड का उपयोग करते हुए, प्रत्येक चयनित जिले में, दो ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉक में, पाँच ग्रा पं का चयन किया गया था। भौतिक सत्यापन के लिए, चयनित जिलों के आठ ब्लॉकों⁶⁶ की 40 ग्रा पं में से 400 लाभार्थियों को क्रमरहित ढंग से चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (रा प प्र ई), देहरादून के अभिलेखों की भी जाँच की गयी थी।

1.4.2 नियोजन

राज्य में स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए, 2013-14 में आधार भूत सर्वेक्षण (आ भू स) किया गया था। आ भू स के आधार पर, एक परियोजना कार्यान्वयन योजना (प का यो) को भारत सरकार को भेजा (जून 2016) गया था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि मिशन अवधि के दौरान राज्य में 4,89,108 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य घ शौ), 831 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सा स्व प) और 7,900 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो त अ प्र) सुविधाओं का निर्माण करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 30 जून 2015 तक आधारभूत सर्वेक्षण के आँकड़ों को अद्यतन करने के लिए सभी राज्यों को निर्देशित (मई 2015) किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा प प्र ई ने 1,79,868 परिवारों की एक सूची, जो कि जून 2015 से अगस्त 2015 के मध्य किये गये पुनरीक्षित सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित किये गये थे, को पूर्व चिन्हित किये गये लाभार्थियों की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को अग्रेषित किया था। भारत सरकार को निर्धारित समय सीमा (30 जून 2015) के बाद संशोधित आंकड़े प्रेषित करने के कारण भारत सरकार द्वारा इन अतिरिक्त लाभार्थियों को प का यो में शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल में लाभार्थियों के आँकड़ों को अद्यतन किया जाना था। रा प प्र ई समय पर आँकड़ों का वार्षिक अद्यतन करने में विफल रही, जिसके कारण इन 1,79,868 अतिरिक्त परिवारों को शामिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, मिशन का लक्ष्य निर्धारण आवश्यकता से कम निर्धारित किया गया। इस संबंध में इंगित किये जाने पर रा प प्र ई ने कहा कि भारत सरकार से आ भू स के आँकड़ों को अद्यतन करने के लिए एक पत्र भेजा गया था तथा भारत सरकार स्तर से कार्यवाही प्रतीक्षित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रा प प्र ई ने अतिरिक्त लाभार्थियों की सूची निर्धारित समय सीमा के बाद भारत सरकार को प्रेषित की थी।

1.4.3 वित्तीय पद्धति

स्व भा मि (ग्रा) के अंतर्गत, सा स्व प को छोड़कर, सभी घटकों को 90:10 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। सा स्व प के प्रकरण में यह अनुपात 81:9 है, और शेष दस प्रतिशत को ग्रा पं द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। व्य घ शौ और सा स्व प के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान क्रमशः ₹12,000 और ₹दो लाख था।

⁶⁶ उधम सिंह नगर: सितारगंज और बाजपुर, हरिद्वार: नारसन और बहादुराबाद, अल्मोड़ा: हवालबाग और लामगढ़, टिहरी: नरेंद्र नगर और भिलंगना।

स्व भा मि (ग्रा) के अंतर्गत मुख्य घटक के साथ-साथ कुल आवंटन के प्रत्येक उप-घटक के लिए वित्तीय पद्धति एवं उनकी प्रतिशतता नीचे तालिका-1.4.1 में दी गई है:

तालिका-1.4.1: वित्तीय पद्धति

संघटक	स्व भा मि (ग्रा) परियोजना के प्रतिशत के रूप में चिन्हित धनराशि	योगदान अंश (प्रतिशत में)		
		भारत सरकार	राज्य सरकार	व्यक्तिगत/समुदायिक लाभार्थी
सू शि सं, प्रारम्भिक क्रियाकलाप एवं क्षमता निर्माण	कुल परियोजना लागत का 5 % तक	90	10	00
व्य घ शौ	₹ 12,000	90	10	00
सा स्व प	अधिकतम इकाई लागत ₹ दो लाख	81	09	10
ठो त अ प्र	150 परिवारों वाली ग्रा पं हेतु: ₹ 7 लाख, 300 परिवारों वाली ग्रा पं हेतु: ₹ 12 लाख, 500 परिवारों वाली ग्रा पं हेतु: ₹ 15 लाख, 500 से अधिक परिवारों वाली ग्रा पं हेतु: ₹ 20 लाख।	90	10	00
प्रशासनिक प्रभार	परियोजना लागत का दो प्रतिशत	90	10	00

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, रा प प्र ई ने निर्देश जारी किया कि व्य घ शौ इकाईयों के निर्माण के बाद प्रोत्साहन राशि (प्रो रा) का भुगतान किया जाएगा तथा आर्थिक रूप से अति कमजोर वर्ग के परिवारों के प्रकरण में प्रो रा को ग्रा पं को एकमुस्त अग्रिम के रूप में प्रदान किया जाएगा।

1.4.3.1 निधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मिशन के अंतर्गत धन की उपलब्धता एवं उपयोग का वर्षवार विवरण तालिका-1.4.2 में नीचे दिया गया है:

तालिका-1.4.2: निधि की उपलब्धता एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति					व्यय (प्रतिशत में)	शेष (प्रतिशत में)
		भारत सरकार	राज्य	ब्याज	अन्य	कुल		
2014-15	13.08*	40.52	7.17	0.40	0.04	61.21	55.24 (90.25)	5.97 (9.75)
2015-16	5.97	49.37	5.49	0.49	0.01	61.33	51.18 (83.45)	10.15 (16.55)
2016-17	10.15	216.69	10.82	0.97	(-) 0.01 ⁶⁷	238.62	183.46 (76.88)	55.16 (23.12)

* स्व भा मि (ग्रा) कार्यक्रम अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। वर्ष 2014-15 के लिए शेष राशि और आवंटन में पहले चल रहे कार्यक्रम (नि भा अ) की राशि शामिल है।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2014-15 में अव्ययित राशि नौ प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 23 प्रतिशत हो गई। विभाग ने अपने उत्तर में अव्ययित अवशेष का कारण वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का प्राप्त होना बताया। विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सा स्व प और ठो त अ प्र की अपेक्षा व्य घ शौ के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, भले ही वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां प्राप्त हुई हों, ये अगले वर्ष उपयोग की जा सकती थी।

⁶⁷ वर्ष 2016-17 में ऋणात्मक आँकड़े हैं, क्योंकि रा प प्र ई ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 में एकत्र किये गये गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण शुल्क को आंशिक रूप से वापस लौटाया था।

तथापि, ऐसा नहीं किया गया जैसाकि उपरोक्त तालिका में अव्ययित अवशेष में वृद्धि से देखा गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग 2,02,953 लाभार्थियों, जो कुल व्य घ शौ के निर्माण का 45 प्रतिशत था, को प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहा। केवल चयनित चार जिलों में 1,36,910 लाभार्थियों को ₹159.85 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी।

1.4.3.2 राज्यांश जारी करने में विलंब/अवमुक्त न किया जाना

स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 13.1.1 के अनुसार, राज्य को केन्द्रांश जारी करने के 15 दिनों के भीतर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपने 10 प्रतिशत अंश को जारी करना था। यह पाया गया कि 2014-17 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने ₹306.58 करोड़ अवमुक्त किये थे जिसके सापेक्ष राज्य सरकार को ₹34.06 करोड़ जारी करने थे। राज्य सरकार ने अप्रैल 2017 तक राज्यांश के सापेक्ष केवल ₹23.48 करोड़ रुपये अवमुक्त किये थे तथा वर्ष 2016-17 के लिए अभी तक ₹10.58 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 में, राज्य द्वारा 10 दिनों से लेकर 110 दिनों तक के विलंब से अपना अंश अवमुक्त किया गया।

1.4.3.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत न करना

स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 5.4.3 के अनुसार व्य घ शौ के निर्माण में तेजी लाने के लिए ग्रा पं को निधियां अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जानी थी। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (जि प प्र ई) और ग्रा पं के बीच गठित किये गये समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) के अनुसार, ग्रा पं को व्य घ शौ का निर्माण हेतु निधियों की प्राप्ति के 15 से 30 दिनों के अंदर करना था और तदनुसार ही सम्बन्धित जि प प्र ई को उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) भी प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चयनित जिलों में ₹9.96 करोड़ की राशि के उ प्र पत्र जून 2017 तक लंबित थे। इंगित किये जाने पर, सम्बन्धित जि प प्र ई ने तथ्यों की पुष्टि की और अवगत कराया कि सम्बन्धित ग्रा पं से उ प्र प्राप्त किये जाएंगे।

1.4.4 मिशन के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

स्व भा मि (ग्रा) के अंतर्गत गतिविधियों के मुख्य रूप से चार घटक हैं; (i) व्य पा शौ (ii) सा स्व प (iii) ठो त अ प्र संरचनाएं और (iv) सूचना, शिक्षा और संचार (सू शि सं)।

1.4.4.1 वैयक्तिक घरेलू शौचालय

ग्रा पं को स्वच्छ बनाने के लिए व्य घ शौ घटक के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य तैयार किये गये थे। प्रोत्साहन राशि @ ₹12,000 प्रति व्य घ शौ की दर से उपलब्ध करायी:

- गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) सभी परिवार
- गरीबी रेखा से ऊपर (ए पी एल) परिवारों, जो निम्न तक सीमित था
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,
 - छोटे और सीमांत किसान,
 - घरों के साथ भूमि रहित मजदूर,
 - शारीरिक रूप से विकलांग मुखिया वाले परिवार और

- महिला प्रमुख वाले परिवार।

अनुमोदित प का यो के अनुसार, राज्य में 4,89,108 व्य घ शौ का निर्माण किया जाना था, जिसमें से 4,50,804 शौचालय (92 प्रतिशत) मार्च 2017 तक बनाए जा चुके थे। मई 2017 में राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। तथापि, जैसा ऊपर वर्णित है, 1,79,868 लाभार्थियों को प का यो में शामिल नहीं किया गया था एवं इसलिए वास्तविक आच्छादन केवल 67.39 प्रतिशत ही था। व्य घ शौ के निर्माण के संबंध में आँकड़ों की विश्वसनीयता भी संदिग्ध थी क्योंकि जाँच में यह पाया गया कि जिला अल्मोड़ा को 22 दिसंबर 2016 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था जबकि 26 दिसंबर 2016 से 3 जनवरी 2017 के बीच 241 ग्रा पं को 5,672 शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ दो करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी, जिन्हें जून 2017 तक पूरा नहीं किया गया था। इससे यह पता चलता है कि जिला अल्मोड़ा दिसम्बर 2016 में खुले में शौच से मुक्त नहीं हुआ था।

1.4.4.1 (अ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के भौतिक सत्यापन का परिणाम

चालीस ग्रा पं के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 400 में से 253 व्य घ शौ⁶⁸ (63.25 प्रतिशत) में पानी की सुविधा नहीं थी और 27 परिवार⁶⁹ विभिन्न गलत धारणाओं के कारण आंशिक रूप से अपने शौचालयों का उपयोग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, भौतिक रूप से सत्यापित 40 ग्रा पं में ग्राम प्रधानों से प्राप्त जानकारी से पता चला कि गाँवों में रह रहे 41,150 परिवारों में से 1,694 परिवारों⁷⁰ (4.12 प्रतिशत) में शौचालय नहीं थे और ये मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं थे। यह दर्शाता है कि खुले में शौच मुक्त की स्थिति पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी।

1.4.4.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर

सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सा स्व प) स्व भा मि (ग्रा) का अभिन्न अंग हैं। सा स्व प, जिसमें एक उचित संख्या में शौचालय सीटें, घनाकार स्नानागार, वॉशिंग प्लेटफार्म, वॉशबेसिन इत्यादि शामिल होती हैं, को गाँव में सभी को स्वीकार्य एवं सुलभ स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। सामान्यतः, ऐसे परिसरों का निर्माण केवल तभी किया जाएगा जब व्य घ शौ के निर्माण के लिए जगह की कमी हो और समुदाय/ग्रा पं एक विशिष्ट माँग करता है और उसके संचालन एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। प का यो के अनुसार, वर्ष 2019 तक 831 सा स्व प बनाए जाने थे, जिनमें से वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना (वा का यो) के अनुसार मार्च 2017 के अंत तक 546 सा स्व प बनाए जाने थे। यह पाया गया कि मार्च 2017 तक केवल 63 सा स्व प का निर्माण किया गया, जो कुल लक्ष्य का केवल 11.54 प्रतिशत था। चयनित जिलों में 213 सा स्व प में से केवल 42 (19.72 प्रतिशत) का निर्माण किया गया। इस प्रकार, सा स्व प का निर्माण और उनका उपयोग सुनिश्चित किये बिना स्व भा मि (ग्रा) की मूल भावना और लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। इंगित किये जाने पर, रा प प्र ई ने अवगत कराया कि राज्य में व्य घ शौ के निर्माण पर जोर दिया गया था, और व्यक्तिगत शौचालय सुविधाओं के साथ अधिक से अधिक घरों को आच्छादित करने के प्रयास किये गये जिसके परिणामस्वरूप सा स्व प घटक के अंतर्गत कम भौतिक

⁶⁸ हरिद्वार-55, नई टिहरी-56, उधम सिंह नगर-87 और अल्मोड़ा-55।

⁶⁹ हरिद्वार-11, नई टिहरी-04, उधम सिंह नगर-11 और अल्मोड़ा-01।

⁷⁰ हरिद्वार-857, टिहरी-170, उधम सिंह नगर-504 और अल्मोड़ा-163।

प्रगति हुई। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 831 सा स्व प उन ग्रा पं में बनाये जाने थे जहां लाभार्थियों के पास व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी।

1.4.4.2 (अ) सा स्व प के भौतिक सर्वेक्षण का परिणाम

तीन चयनित जनपदों⁷¹ के सात सा स्व प का भौतिक सत्यापन किया गया था जिसमें तीन सा स्व प में कोई कमी नहीं पायी गयी। अन्य चार सा स्व प में मिली कमियों को नीचे दर्शाया गया है:-

- जिला हरिद्वार में दो सा स्व प, एक नारसन ब्लॉक के मकदूमपुर गाँव में दो सीटों का शौचालय हैं और दूसरा बहादुराबाद ब्लॉक के जसवावाला गाँव में छः सीटों का शौचालय क्रमशः वर्ष 2014-2015 और 2015-16 में बनाए गये थे जो जनता के लिए सुलभ नहीं थे और बिना पानी की आपूर्ति एवं बिजली के कनेक्शन के थे।
- जिला उधम सिंह नगर में गदरपुर ब्लॉक के ढिमरी गाँव में वर्ष 2014-15 में एक छः सीटों का सा स्व प का निर्माण किया गया था। इसमें पानी की आपूर्ति और बिजली कनेक्शन नहीं था तथा इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा था।
- जिला अल्मोड़ा में हवालबाग ब्लॉक के मॉल ग्राम पंचायत में वर्ष 2016-17 में दो सीटों के सा स्व प का निर्माण किया गया था जिसका प्रयोग भंडारण के रूप में किया जा रहा था।

1.4.4.3 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ठो त अ प्र मुख्य घटकों में से एक था। ठो त अ प्र प्रत्येक ग्रा पं में प्रोजेक्ट मोड में किया जाना था। इस घटक के अंतर्गत खाद गड्डों, कम लागत वाली जल निकासी एवं सोक चैनल/गड्डों का निर्माण तथा अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना और घरेलू कचरे का संग्रह, पृथक्करण और निपटान के लिए व्यवस्था बनाने जैसी गतिविधियाँ शुरू होनी थीं।

प का यो के अनुसार वर्ष 2019 तक 7,900 ठो त अ प्र संरचनाएं तैयार की जानी थीं, जिनमें से वर्ष 2014-15 से 2016-17 की वा का यो के अनुसार मार्च 2017 के अंत तक 4,485 ठो त अ प्र संरचनाओं का निर्माण किया जाना था। यह पाया गया कि मार्च 2017 के अन्त तक केवल 50 ठो त अ प्र संरचनाओं, जो कि केवल 1.11 प्रतिशत होता है, का निर्माण किया गया था। चयनित जिलों में 1,512 में से केवल 27 (1.79 प्रतिशत) ठो त अ प्र संरचनाओं⁷² का निर्माण किया गया था। यह इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा व्य घ शौ के निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठो त अ प्र घरेलू कचरा संग्रह, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और घरेलू कम्पोस्टिंग एवं बायोगैस संयंत्र जैसी विकेन्द्रीकृत प्रणाली स्थापित करने के लिए स्व भा मि के अंतर्गत इनका अन्य घटकों के साथ सीधा संबंध था। अतः ठो त अ प्र को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

⁷¹ हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं अल्मोड़ा।

⁷² वरमी कम्पोस्ट पिट्स, गारबेज पिट्स, सोक पिट्स एवं आउटलेट ड्रेन्स।

1.4.4.4 खुले में शौच मुक्त की स्थिति

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने यह परिभाषित किया है कि खुले में शौच मुक्त (खु शौ मु) स्थिति केवल तब ही प्राप्त की जा सकती है जब पर्यावरण/गाँव में कोई दृश्यमान मल न हो और मल के निपटान के लिए प्रत्येक घर के साथ-साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्था सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकल्प का उपयोग करें।

उत्तराखण्ड सरकार ने 31 मई 2017 को राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। तथापि, 1,79,868 घरों में व्य घ शौ के निर्माण के लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया था और सा स्व प और ठो त अ प्र के निर्माण में महत्वपूर्ण कमी थी जैसाकि उपरोक्त प्रस्तर 1.4.2, 1.4.4.2 एवं 1.4.4.3 में वर्णित किया गया है। अतः राज्य को खुले में शौच मुक्त की घोषणा की स्थिति सही नहीं थी।

1.4.4.5 सूचना, शिक्षा और संचार

सूचना, शिक्षा और संचार (सू शि सं) की गतिविधियाँ कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए स्वच्छता सुविधाओं की माँग को गति देने हेतु सूचना और जागरूकता पैदा करने के माध्यम से समुदाय-व्यापी व्यवहार में परिवर्तन लाने की परिकल्पना करता है। इस घटक के अंतर्गत, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक गाँव में स्वच्छता दूत⁷³ की नियुक्ति और ग्रामीण एवं जल स्वच्छता समिति के गठन के अतिरिक्त जि प प्र ई द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे गाने और नाटक, कठपुतली शो, बैनर एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा कर एक निरंतर तरीके से शौचालयों के निर्माण और उपयोग पर जोर दिया जाना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित जिलों में सू शि सं की गतिविधियाँ पूर्ण रूप से संचालित नहीं थी। वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल ₹5.67 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष निर्धारित निधि के ₹1.40 करोड़ (24.69 प्रतिशत) का उपयोग सू शि सं गतिविधियों जैसे जागरूकता बैठकों, होर्डिंग्स, सू शि सं सामग्री, गाने और नाटक आदि के वितरण के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि चयनित जिलों में न तो स्वच्छता दूत नियुक्त किये गये थे और न ही ग्रामीण एवं जल स्वच्छता समिति का गठन किया गया था। भौतिक सर्वेक्षण के दौरान अपर्याप्त सू शि सं गतिविधियों का प्रभाव देखा गया क्योंकि 400 घरों में से 27 घर (6.75 प्रतिशत) विभिन्न मिथ्या धारणाओं के कारण शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे थे।

1.4.5 सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

सतत विकास लक्ष्य (स वि ल) का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों का एक समूह बनाना है जो सतत विकास के तीन आयामों पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक को संतुलित करता है। कुल मिलाकर 17 लक्ष्य स वि ल के रूप में निर्धारित किये गये हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है।

स वि ल का छठवाँ लक्ष्य 'स्वच्छ जल और स्वच्छता' की अवधारणा से जुड़ा है। इसका उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। तथापि, अपर्याप्त योजना, वित्तीय प्रबंधन में की कमी, कार्यान्वयन और अनुश्रवण तथा कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को शामिल न किया जाना, जैसाकि पूर्व प्रस्तरों में वर्णित किया गया है, दर्शाता है कि

⁷³ लाभार्थियों की पहचान करने और कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गा पं / ग्राम जल और स्वच्छता समिति द्वारा स्वच्छता दूत नामित किया जाना था।

ग्रामीण समुदाय को उचित स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

1.4.6. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1.4.6.1 अनुश्रवण इकाईयों का गठन नहीं किया जाना

स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 14.3 के अनुसार, मिशन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक था। मिशन की गतिविधियों की निगरानी के लिए दोनों, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेषज्ञों सहित समर्पित विशेष अनुश्रवण इकाईयाँ बनाई जानी थीं। इन इकाईयों द्वारा अनुश्रवण रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर तैयार की जानी थी। चयनित जिलों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि न तो आवश्यक अनुश्रवण इकाईयाँ गठित की गईं और न ही त्रैमासिक अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार की गईं, जो कार्यक्रम के अपर्याप्त अनुश्रवण को दर्शाता है।

चयनित जि प प्र ई ने स्वीकार किया कि उन्होंने अनुश्रवण इकाईयों का गठन नहीं किया लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताए गये।

1.4.6.2 आवधिक मूल्यांकन

दिशानिर्देशों के प्रस्तर 16.1 के अनुसार, राज्यों को मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करने की आवश्यकता थी। प्रतिष्ठित संस्थानों, जिनका नाम भारत सरकार को प्रेषित किया जाना था, के माध्यम से मूल्यांकन का अध्ययन किया जाना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि रा प प्र ई द्वारा आवधिक मूल्यांकन, जैसाकि दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई थी, नहीं किया गया था। इसे इंगित किये जाने पर, रा प प्र ई ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई तृतीय पक्ष से निरीक्षण नहीं कराये गये थे। तथापि, यह अवगत कराया गया है कि 15 जून 2015 से 15 अक्टूबर 2015 तक अकादमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (ए एम एस) द्वारा तृतीय पक्ष के निरीक्षण किये गये।

रा प प्र ई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त रिपोर्ट स्व भा मि (ग्रा) के अंतर्गत आवधिक मूल्यांकन से सम्बन्धित नहीं थी। यह उत्तराखण्ड ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना नामित विश्व बैंक की प्रायोजित परियोजना से सम्बन्धित था और इस सर्वेक्षण में केवल एक घटक अर्थात् व्य घ शौ शामिल था।

1.4.7 निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु राज्य की नियोजन और कार्यान्वयन अपर्याप्त थी। राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भारत सरकार के पोर्टल पर लाभार्थियों के आँकड़े अद्यतन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एक लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया। दो महत्वपूर्ण घटक अर्थात् सामुदायिक स्वच्छता परिसर और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन में काफी कमी थी। मई 2017 में राज्य को खुले में शौच मुक्त की घोषणा भी गलत थी। चयनित जिलों में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को पर्याप्त रूप से नहीं किया गया था। वित्तीय प्रबंधन में भी कमी पायी गयी क्योंकि राज्य ने 2016-17 के दौरान अपना अंश जारी नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, यह समर्पित विशेष अनुश्रवण इकाईयाँ स्थापित नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शासन (जुलाई 2017) को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

ऊर्जा विभाग

1.5 निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जल विद्युत विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

1.5.1 परिचय

“निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जल विद्युत विकास” की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 1993 से मार्च 2009 की अवधि आच्छादित थी, को 31 मार्च 2009 की एकल-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था। यह प्रतिवेदन सितम्बर 2010 में राज्य विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी। लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जून 2017 तक चर्चा हेतु शामिल नहीं किया गया था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

अनुवर्ती लेखापरीक्षा, एकल-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009 में शामिल 23 आपत्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा बहिर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2009) में स्वीकार की गयी 13 संस्तुतियों के क्रियान्वयन का आंकलन करने के उद्देश्य से अप्रैल से मई 2017 में सम्पादित की गयी। लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड सरकार (उ स), महानिदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम (उ ज वि नि) लिमिटेड और उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प सं एवं प्र नि बो) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच सम्मिलित थी। पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित 13 जल विद्युत परियोजनाओं में से पाँच⁷⁴ का भौतिक सत्यापन भी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में सम्पादित किया गया था। लेखापरीक्षा में वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक की अवधि आच्छादित थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.5.3 लेखापरीक्षा संस्तुतियों का क्रियान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में प्रतिवेदित 23 स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति निम्नलिखित तीन श्रेणियों में व्यवस्थित गई हैं:

अ. नगण्य या कोई प्रगति नहीं

पूर्व प्रतिवेदन में उठाये गये लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गयी संस्तुति	विभाग द्वारा सूचित वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
(i) उ स द्वारा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना विकासकर्ता से क्रियान्वयन अनुबन्ध (क्रि अ) अन्य परियोजनाओं के मुकाबले अधिक अनुकूल शर्तों पर किया गया था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.3)।		उ स ने राज्य जल नीति 2016 का प्रारूप तैयार किया है जिसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि “जल का स्वामित्व निजी नहीं बल्कि राज्य का होगा”। सम्बन्धित नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् भविष्य में समस्त परियोजनाओं की शर्तें एक समान हो जाएंगी।	राज्य जल नीति का प्रारूप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व विभिन्न परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ किये गये क्रि अ की शर्तों को सीमित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। श्रीनगर परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना के प्रस्तावक द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/समस्त परिवर्तनों को अभी भी (जून 2017) किया जाना शेष है।

⁷⁴ राजवक्ती, देवाल, बिराहीगंगा, भिलंगना-III एवं बिराहीगंगा-III।

<p>(ii) राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अंतर्गत अत्यधिक जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का प्रभाव पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी साबित हो सकता है। वर्तमान में 42 जल विद्युत परियोजनायें प्रचालन में हैं, 203 निर्माणाधीन या मंजूरी के स्तर में हैं जबकि कई अन्य वैचारिक चरण में हैं। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.3.2)।</p>	<p>1. नदी के मोड़ के साथ जुड़े हैंड पौण्ड, वियर व इन्टेक का ऐसा डिजाइन हो कि जलीय जीवन, चट्टानों की परतीय हलचल एवं बाढ़ सहित उसके प्रभाव न्यूनतम हो जाए।</p> <p>2. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना से एक प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करवाकर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु निर्धारित किया जा सकता है।</p>	<p>1. उ स ने दो नदी घाटियों (सरयू एवं रामगंगा) के प्रकरण में न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के सम्बन्ध में आदेश (अप्रैल/मई 2013) जारी कर दिए थे। अन्य नदी घाटियों (अलकनन्दा एवं भागीरथी) के लिए प्रकरण अभी माननीय उच्चतम न्यायलय में लम्बित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प व एवं ज प म) ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रकरणों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।</p> <p>2. उत्तराखण्ड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि नीति तैयार कर ली गयी है। उसकी मंजूरी विचाराधीन है।</p>	<p>1. संस्तुति अभी भी कार्यान्वित नहीं हुई है। पाँच परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान यह सत्यापित किया गया कि परिवर्तित हिस्से (मोड़) में नदी का बहाव नीचे की ओर नहीं था।</p> <p>2. संस्तुति अभी तक लागू नहीं की गई है क्योंकि नीति अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।</p>
<p>(iii) अचानक आई बाढ़ के खतरे को रोकने हेतु किसी भी परियोजना की योजना/डिजाइन में कोई भी विशिष्ट उपाय नहीं किये गये थे। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.7)।</p>		<p>विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) के परीक्षण/अनुमोदन के दौरान डिजाइन का आंकलन, बाढ़ एवं बाढ़ आवृत्ति का विश्लेषण मानक दिशानिर्देशों और गणना/सूत्रों अनुसार किया गया। आपदा 2013 के पश्चात् प एवं व मं, भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा और आपदा न्यूनीकरण योजना के बारे में संस्तुतियाँ देने के लिए एक समिति गठित की है, जो प्रगति पर है।</p>	<p>इस आपत्ति पर अनुवर्ती कार्यवाही अभी भी प्रगति पर है।</p>

ब. आंशिक कार्यान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में उठाये गये लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गयी संस्तुति	विभाग द्वारा सूचित वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
<p>(i) भावी विकासकर्ता की तकनीकी और वित्तीय क्षमता के आधार पर एकल चरण द्वारा परियोजनायें कई इकाईयों जिनकी दक्षता इस्पात उत्पादन, पर्यटन, चीनी निर्माण, जल आपूर्ति परियोजनायें, सामान्य निर्माण इत्यादि में थी, को आवंटित की गई और इन्हें विद्युत क्षेत्र में कार्य करने का पूर्व में कोई अनुभव नहीं था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.2.7)।</p>		<p>परियोजनाओं को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। उत्तराखण्ड गठन के उपरान्त शासन द्वारा इन्हें विकासकर्ताओं के साथ नया क्रि अ किया। इसलिए, मूल विकासकर्ता के स्वामित्व में संशोधन/परिवर्तन करने का कोई अवसर नहीं है। तथापि, नई जल विद्युत नीति, 2015 में परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए प्रावधान किया गया है।</p>	<p>विभाग ने नई नीति में आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए प्रावधान किया है। लेखापरीक्षा को राज्य सरकार द्वारा उठाए गये किसी भी प्रयास के साक्ष्य नहीं मिले जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मौजूदा परियोजनाओं के संस्थापकों/प्रमोटर्स ने जल विद्युत संचालन हेतु आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त की हो।</p>
<p>(ii) क्षमता पुनः निर्धारण के नाम पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के लिए लिक्विडेटेड डैमैज</p>	<p>विकासकर्ताओं के लिए अग्रिम प्रीमियमों एवं वित्तीय क्षमताओं के सम्बन्ध में, शासन को उन</p>	<p>उ स ने वर्ष 2012 में क्षमता वृद्धि पर एक नई नीति तैयार की है जिसमें यथानुपात आधार पर अग्रिम प्रीमियम</p>	<p>विभाग ने नई परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा संस्तुति क्रियान्वित की है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि</p>

<p>के बिना अनुचित अवधि विस्तार के कई उदाहरण थे जिससे विद्युत से प्रत्याशित लाभ से वंचित रहने तथा रॉयल्टी की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, सरकार को अग्रिम प्रीमियम के कारण भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.4)।</p>	<p>सभी प्रकरणों में जहाँ क्षमताओं में अधिक वृद्धि प्रस्तावित है, के लिए विचार करना चाहिए एवं दिशा निर्देश बनाने चाहिए। विस्तार के लिए अनुमति एवं अनुबन्ध रद्द करने के लिए एक स्थायी एवं सुदृढ़ नीति बनायी जानी चाहिये।</p>	<p>देने का प्रावधान है।</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किये गये प्रकरणों में सरकार को जानकारी लेना बाकी है जहाँ पर संस्थापकों/प्रमोटर्स ने परियोजनाओं की क्षमता में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया था।</p>
<p>(iii) नदी के मोड़ पर अनुप्रवाह को बनाये रखने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य की जल विद्युत परियोजना नीति मौन थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.3.1)।</p>	<p>1. नदी के अनुप्रवाह के पृथक व संचित प्रभावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए ताकि पर्यावरण को परियोजनाओं के विनाशकारी परिणामों से बचाया जा सके। 2. दिशा परिवर्तन वाले स्थानों में न्यूनतम प्रभाव को नदी की भूतल जल क्षमता, सिंचाई, पारिस्थितिकी एवं सिल्ट वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए संगणित तथा विहित करना चाहिए।</p>	<p>उ स ने दो नदी घाटियों (सरयू एवं रामगंगा) के प्रकरणों में न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के सम्बन्ध में आदेश जारी (अप्रैल/मई 2013) किये। अन्य नदी घाटियों (अलकनन्दा एवं भागीरथी) के लिए प्रकरण अभी माननीय उच्चतम न्यायलय के समक्ष लम्बित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प व एवं ज प म) ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रकरणों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अभी भी अपेक्षित है।</p>	<p>संस्तुति पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं की गयी है। पाँच परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि मोड़ों पर नदी का बहाव नीचे की ओर नहीं था।</p>
<p>(iv) वर्ष 1993 से 2006 की अवधि में आवंटित कुल 48 परियोजनाओं में से 15 वर्ष बाद केवल पाँच परियोजनाएँ (10 प्रतिशत) ही पूर्ण तथा कार्यरत थी। परिणामस्वरूप, परिकल्पित 2,005.05 मेगा वाट (मे वा) ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.1)।</p>	<p>जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के कारणों की भली-भाँति जाँच होनी चाहिए जिससे कि नयी परियोजनाओं में देरी से बचाव के लिए अधिक जिम्मेदार अनुश्रवण तन्त्र की स्थापना की जा सके।</p>	<p>वर्तमान में निजी विकासकर्ताओं को आवंटित 53 परियोजनाओं (2,588.45 में वा) में से 18 परियोजनायें (881.65 में वा) संचालन में है और शेष 35 परियोजनायें (1,706.80 में वा) निर्माण के विभिन्न चरणों जैसे निर्माणाधीन एवं विकास के अधीन/प्रारम्भिक चरणों में हैं। उत्तराखण्ड सरकार ने परियोजना विकासकर्ताओं के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें की थीं और निर्दिष्ट समय के अन्दर परियोजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए थे।</p>	<p>राज्य में संचालित जल परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन आधिकांश परियोजनायें (35) अभी भी विकास/निर्माणाधीन चरणों में है। उ स राज्य में परियोजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, अत्यधिक जलविद्युत क्षमता होने के बावजूद उत्तराखण्ड एक विद्युत कमी वाला राज्य है।</p>
<p>(v) क्रि अ की शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी भी विकासकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का कोई प्रमाण नहीं था। एक भी प्रकरण में परियोजना के संचालन में अनुचित विलंब के लिए लिक्विडेटेड डैमेज (लि डै) की वसूली नहीं की गयी थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.2.1)।</p>	<p>कार्यपालिका को क्रि अ में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए।</p>	<p>लिक्विडेटेड डैमेज को जमा करने के लिए विभिन्न विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किये गये थे। विकासकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रस्तुत किये गये हैं। तथापि, विकासकर्ताओं ने लि डै जमा नहीं किया है। प्रकरण पर शासन स्तर पर चर्चा की गई और समय विस्तार देने के लिए एक नीति बनाने का निर्णय (जनवरी 2013) लिया गया है। तथापि, नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।</p>	<p>प्रकरण सात वर्ष पूर्व इंगित किये जाने के पश्चात् भी विकासकर्ताओं ने कोई भी लि डै जमा नहीं किया है। यहाँ तक कि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए विकासकर्ताओं को समय विस्तार देने की नीति को मंजूरी भी नहीं दी गई है।</p>
<p>(vi) आठ परियोजनाओं, जो निर्माणाधीन/ संचालन के अंतर्गत थी, में से केवल पाँच के द्वारा बोर्ड से परियोजनाओं की स्थापना की स्वीकृति (सी टी ई) प्राप्त की गयी थी। इसके अतिरिक्त, संचालन के</p>		<p>पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार 25 में वा तक की परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। तथापि, जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अनुसार परियोजनाओं को स्थापित</p>	<p>यद्यपि सी टी ई प्रदान करने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, शेष सात परियोजनाओं को अभी तक सहमति जारी होना बाकी है। राज्य में नदियों की परिस्थितिकी से जुड़ी संवेदनशीलता को देखते हुए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रकरण में</p>

लिए केवल एक परियोजना द्वारा स्वीकृति (सी टी ओ) प्राप्त की गयी जबकि चार परियोजनायें संचालित थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.1)।		करने की सहमति आवश्यक है जबकि व्हाईट केटेगरी के प्रकरण में संचालित करने हेतु सहमति अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में, 22 परियोजनाओं में से जो निर्माणाधीन/संचालन के अधीन थी, 15 परियोजनाओं के प्रकरणों में सी टी ई दिया गया है।	धीमी प्रगति केवल सरकार की ओर से अत्यावश्यकता की कमी को रेखांकित करती है।
(vii) वृक्षारोपण गतिविधि अत्यधिक कम थी, क्योंकि 38 प्रतिशत परियोजनाओं में मुश्किल से ही कोई वृक्षारोपण प्रतिवेदित हुआ। जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी व पहाड़ी ढलानों की स्थिरता दोनों को ही गम्भीर खतरा पैदा होने की सम्भावना थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.4.1)।		आठ परियोजनाओं (1993-2009 की समयावधि से सम्बन्धित) में से लोहारखेत को छोड़कर समस्त परियोजनाओं में वृक्षारोपण किया गया था। वर्तमान में (2009-2017), 28 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाओं में वृक्षारोपण किया गया।	वनीकरण एवं वृक्षारोपण गतिविधियों में अभी भी कमी थी। 28 परियोजनाओं में से 10 ने अनिवार्य वृक्षारोपण गतिविधियों को आरम्भ नहीं किया। इस प्रकार, अस्थिर पहाड़ी ढलानों से उत्पन्न खतरे परियोजना क्षेत्रों में कायम हैं। परियोजना के क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी को हुए नुकसान की अभी भी भरपाई होनी बाकी है।
(viii) अनेक प्रकरणों में 85 दिन से लेकर 295 दिनों तक की देरी के साथ वन भूमि की मंजूरी प्राप्त हुई थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 6.1.2)।	राज्य सरकार तत्काल ऐसी परियोजनाओं के लिए भू-अधियहण, वन भूमि स्वीकृति तथा पुनः भू-व्यवस्था एवं पुनर्वास की समस्याओं के समाधान हेतु नोडल प्राधिकरण गठित करे।	मानक परिचालन कार्यविधि तैयार की गई है तथा वन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आगे, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, विभागों और परियोजना समर्थकों को इस प्रक्रिया में कमियों को दूर करने के लिए सूचित किया गया। विभाग द्वारा किये गये उपचारात्मक कार्यवाही के बावजूद राज्य स्तर पर छः प्रकरणों में 125 से 171 दिनों और प एवं व मं, भा स स्तर पर 27 प्रकरणों में छः से 3,248 दिनों का विलंब हुआ।	राज्य सरकार के साथ-साथ प एवं व मं, भा स के स्तरों पर अभी भी वन भूमि की मंजूरी प्राप्त करने में विलंब पाया गया।

स. पूर्ण कार्यान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में उठाये गये लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गयी संस्तुति	विभाग द्वारा सूचित वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
(i) प्राधिकारियों द्वारा नदी तल के भू-सर्वेक्षण, इसकी स्थलाकृति और जल विज्ञान पर आधारित नदी/धारा की जल विद्युत क्षमता के सही मूल्यांकन के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययनों को सावधानीपूर्वक पूरा नहीं किया था क्योंकि 85 प्रतिशत परियोजनाओं की क्षमताओं में 22 प्रतिशत से लेकर 329 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण परिवर्तन पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन की विश्वसनीयता पर गम्भीर संदेह दर्शाता है। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.1)।	पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन सावधानी-पूर्वक किये जाने चाहिए जिससे कि परियोजनाओं की विद्युत क्षमता की गणना के विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त किये जा सकें।	क्षमता वृद्धि हेतु 2012 में नई अधिसूचना जारी की गयी थी। उ स ने 2015 की नीति में आवश्यक प्रावधान किये हैं जिसके अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करें एवं अनुमोदन के पश्चात् परियोजनाओं की बोली लगाई जा रही है।	विभाग ने नई परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा संस्तुति क्रियान्वित की है।
(ii) वर्ष 2003-06 के मध्य आवंटित परियोजनायें विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अनुभवी आवेदकों को आवंटित की गई। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.2.2)।		बोलीदाताओं के तकनीकी अर्हता हेतु तकनीकी अंक मानदण्ड संशोधित किये गये हैं (नवम्बर 2014) जबकि पिछले अनुभवों का विस्तार किया गया था। संशोधन के पश्चात्, ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा गया था।	विभाग ने नई परियोजनाओं हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय किये हैं।

<p>(iii) क्षमता वृद्धि के आधारों को प्रमाणित करने के लिए कोई भी विशेष संस्थागत तन्त्र नहीं था क्योंकि परियोजना के विकासकर्ताओं के क्षमता वृद्धि प्रस्तावों में विद्युत क्षमता के मापदण्डों में भिन्नता पायी गयी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.3)।</p>	<p>निर्माण करने से पूर्व नदियों के बहाव एवं बायोटा के उचित समयावधि के समुचित आँकड़े एकत्रित करने चाहिए और इन आधारभूत आँकड़ों को योजना एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाना चाहिए।</p>	<p>उ स द्वारा परियोजना की क्षमता वृद्धि हेतु नई अधिसूचना (सितम्बर 2012) जारी की गयी ताकि राजस्व हानि से बचाव और परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता परीक्षण हेतु विद्युत विभाग के अधीन ऊर्जा प्रकोष्ठ को सुदृढ़ किया जा सके।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति क्रियान्वित की है।</p>
<p>(iv) नोडल एजेन्सी परियोजना विकासकर्ताओं पर नियमित एवं समयबद्ध त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करवाने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप शासन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी को रोकने के लिए उनकी प्रगति का आंकलन नहीं कर सका। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.2.2)।</p>	<p>सिविल निर्माण एवं संचालन के दौरान निजी विकासकर्ताओं के स्तर पर होने वाली कमियों से बचने के लिए उचित अनुश्रवण तन्त्र की स्थापना की आवश्यकता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।</p>	<p>परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता एवं अनुश्रवण की जाँच के लिए उ स द्वारा ऊर्जा प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने हेतु आदेश (2008 एवं 2015) जारी किये हैं। यूजेवीएन लिमिटेड एवं ऊर्जा प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति क्रियान्वित की है।</p>
<p>(v) पर्यावरण एवं सुरक्षा के प्रति विवेकपूर्ण उपयोगिता रीतियों का पालन सुनिश्चित न कर पाना भी नोडल एजेन्सी के कमजोर अनुश्रवण का एक कारण था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.4)।</p>		<p>उ स ने विभिन्न नदियों के लिए संचयी पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन किया और सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन बनाए रखने के लिए क्रि अ में प्रावधान किया।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्यवाई की है। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह सत्यापित किया गया कि राजवक्ती परियोजना का चैनल अब ढक दिया गया था।</p>
<p>(vi) क्रियान्वयन चरण में ₹ 2.64 करोड़ की 10.57 मिलियन विद्युत युनिटों की उत्पादन हानियाँ पायी गयी जिसका मुख्य कारण ग्रिड विफलता तथा कम वोल्टेज व स्थानीय लोगों द्वारा पैदा किये गये व्यवधानों के कारण पारेषण में रुकावट थी जो ग्रिड अवस्थापन के अपर्याप्त रखरखाव का सूचक था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.5)।</p>		<p>विभाग निरन्तर विभिन्न संचालित परियोजना विकासकर्ताओं के साथ समन्वय और मासिक उत्पादन रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पारेषण के प्रकरणों को विकासकर्ताओं के साथ साझा किया गया और सम्बन्धित अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए चर्चा की गयी। उत्तराखण्ड विद्युत नियमीकरण आयोग (उ वि नि आ) विनियम 2013 के अनुसार, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (उ पा का लि) यदि उचित पाता है तो उत्पादन के दावे को मान सकता है। यद्यपि, यदि उ पा का लि इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति करता है तो विकासकर्ता उ वि नि आ के समक्ष अपनी याचिकाओं को प्रस्तुत कर सकता है।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्यवाई की है।</p>
<p>(vii) पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं के प्रति प्रत्यक्ष लापरवाही थी, क्योंकि खुदाई व निर्माण कार्यों से उत्पन्न मलबे को खुले आम नदियों में फेंका जा रहा था जिससे जल की मलिनता बढ़ रही थी। परियोजनायें इस तथ्य से अनभिज्ञ थी कि इस तरह की घोर लापरवाही से जल की गुणवत्ता निम्न होती है तथा</p>	<p>पर्यावरण की अनदेखी व उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के विरुद्ध उपयुक्त एवं सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उ प सं एवं प्र नि बो को अपने अनुश्रवण तन्त्र को तत्काल सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।</p>	<p>प एवं व मं तथा ज प ने पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना 2006 के अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं/ गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण/पर्यावरण प्रबंधन योजना (प प्र नि/प प्र यो) रिपोर्ट के संदर्भ में मानक मापदंड जारी किये हैं। उ प सं एवं प्र नि बो ने भी सहमति निर्गत</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति पर कार्यवाई की है। पंच परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह सत्यापित किया गया कि इन परियोजनाओं के प्रकरण में मलबे का ढेर नदी के तटों पर नहीं डाला गया था।</p>

जलीय बायोटा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.3.3)।		करते समय मलबा निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये थे।	
(viii) भिलंगना-III व श्रीनगर की परियोजनाओं के परिसरों में ही पत्थर तोड़ने वाली मशीनों की स्थापना की गयी थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.3.4)।		उ स ने समस्त जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर लाईसेंस नीति 2016 जारी की है जिसमें स्टोन क्रेशर्स की स्थापना के लिए नदी से न्यूनतम दूरी निर्दिष्ट की गयी है।	विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कार्यवाई की है। पाँच परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह सत्यापित किया गया कि इन प्रकरणों में परियोजना परिसरों में स्टोन क्रेशर्स मशीनें स्थापित नहीं की गयी थी।
(ix) सम्यक निर्माण मापदण्डों को लागू करने तथा सम्यक तकनीकी उपायों के बिना परियोजना को संरचित करने में लापरवाही से परियोजनाएँ तीव्र भूकम्पीय भेद्यता का सामना कर सकती हैं। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.5)।		भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण /ऊर्जा प्रकोष्ठ जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) का परीक्षण करता है और भूकम्पता के अनुसार परियोजना घटक के सुरक्षित डिजाइन हेतु आवश्यक निर्देश/अनुमोदन देता है। यूजेबीएनएल/ऊर्जा प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा पत्राचार (त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट इत्यादि की माँग) के माध्यम से नियमित अनुवर्ती/अनुश्रवण की जा रही है। सिवाय श्रीनगर, पौड़ी के एक प्रकरण में जहाँ अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया था।	जैसा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि ऊर्जा प्रकोष्ठ एवं यूजेबीएनएल पत्राचार एवं दौरों के माध्यम से अनुश्रवण करते हैं, रख-रखाव से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं पाए गये। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में इसे सत्यापित नहीं किया जा सका।
(x) इन परियोजनाओं के एक ही भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद भी परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा अपनाए गये सुरक्षा उपायों में भारी भिन्नताएँ थीं। पर्याप्त जाँच के अभाव में उल्लिखित उपायों के कार्यान्वयन की गारण्टी नहीं दी जा सकती। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.6)।		राज्य सरकार की प्रतिक्रिया उपरोक्त के समान है।	विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कार्यवाही प्रारम्भ की है।
(xi) सुनिर्धारित नीति के अभाव में भू-अधिग्रहण एक मुख्य बाधा साबित हुई जिससे परियोजना विकास समयावधि में पूर्ण नहीं हो सका। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 6.1.1)।	राज्य सरकार तत्काल ऐसी परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण, वन भूमि अनुमोदन तथा पुनः भू-व्यवस्था व पुनर्वास की समस्याओं के समाधान हेतु नोडल प्राधिकरण गठित करे।	राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण में विलंब को कम करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2013 जारी की।	विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति पर कार्यवाई की है।
(xii) एक विशिष्ट प्रकरण में सही समय पर विद्युत निकासी हेतु ग्रिड अवस्थापना स्थापित नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप, ऊर्जा हानियाँ हुईं एवं सरकार को रॉयल्टी भुगतान स्थगित रहा। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 6.2)।	यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि निकासी सुविधा के अभाव में ऊर्जा हानियों से बचने हेतु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रत्याशित संश्लेषण से काफी पूर्व विश्वसनीय ग्रिड अवस्थापना उपलब्ध करायी जाए।	परियोजनाओं को चालू करने से पूर्व विकासकर्ताओं को पारोषण सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बैठकें बुलाई गई थी। उ पा का लि एवं उत्तराखण्ड पाँवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (उत्तराखण्ड पिटकुल) ने अपनी पारोषण व्यवस्था की योजना तैयार की है ताकि जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत निकासी और पारोषण सुनिश्चित किया जा सके।	विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति पर कार्यवाई की है।

1.5.4 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा की गई कुल संस्तुतियों और टिप्पणियों में, सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा टिप्पणियों और संस्तुतियों के कार्यान्वयन की सीमा 52 प्रतिशत थी; 35 प्रतिशत संस्तुतियों को आंशिक रूप से लागू किया गया था एवं 13 प्रतिशत जून 2017 तक क्रियान्वित नहीं हुई थीं। यद्यपि राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा में उठाये गये कुछ विषयों के संदर्भ में प्रगति की है, फिर भी नीतिगत प्रकरणों जैसे पानी के अधिकारों, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, नदी के अनुप्रवाह को सुनिश्चित करने, परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने, लिक्विडेटेड डैमेज की वसूलियाँ, स्थापना/संचालन की स्वीकृति निर्गत करने, अचानक आने वाली बाढ़ के खतरे की क्षतियों को कम करने, वनीकरण एवं वन भूमि अनुमोदन में विलंब पर महत्वपूर्ण कार्य किया जाना बाकी था। प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (जून 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1.6 किराए पर लिए गये वाहनों पर संदिग्ध गबन

दावों की प्रामाणिकता ज्ञात किये बिना भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप किराए पर लिए गये वाहनों पर ₹1.25 करोड़ का संदिग्ध गबन।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V के अनुच्छेद 46-अ के अनुसार, एक सामान्य नियम के अंतर्गत, प्रत्येक भुगतान, किसी भी प्रयोजन के लिए हो, दावे के पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण वाउचर द्वारा समर्थित होना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु चि अ), ऊधम सिंह नगर, के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (अगस्त 2013) कि किराए पर ली गयी टैक्सियों के 18 बिलों का ₹6.96 लाख का भुगतान संदिग्ध बिलों के विरुद्ध किया गया था। इस प्रकरण की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रतिवेदित (दिसम्बर 2013) की गई थी। आगे, मु चि अ, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (मई 2015) कि किराये पर ली गई टैक्सियों के 41 बिलों का ₹18.60 लाख का भुगतान भी संदिग्ध बिलों के विरुद्ध किया गया था। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए लेखापरीक्षा आच्छादन का विस्तार कर दो और मु चि अ⁷⁵ के साथ ही देहरादून एवं उधमसिंह नगर के मु चि अ से अतिरिक्त सूचना प्राप्त करते हुए अभिलेखों की जाँच की (अगस्त 2016 से नवम्बर 2016) गई। अभिलेखों की जाँच में पाया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिलों की धनराशि ₹1.25 करोड़⁷⁶ (₹6.96 लाख और ₹18.60 लाख सम्मिलित करते हुए, जैसाकि ऊपर दर्शित हैं) का भुगतान, दावों की प्रामाणिकता की जाँच के बिना पारित कर, ट्रैवल एजेंसी को किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा में निम्न कमियाँ पाई गई;

⁷⁵ टिहरी और हरिद्वार।

⁷⁶ देहरादून ₹22.64 लाख, हरिद्वार ₹1.78 लाख, टिहरी ₹17.41 लाख एवं उधम सिंह नगर ₹82.76 लाख।

- ₹ 58.44 लाख की धनराशि का भुगतान ऐसे 183 बिलों के सापेक्ष किया गया था जिन पर वाहन पंजीकरण संख्या अंकित नहीं थी;
- ₹ 48.52 लाख का भुगतान ऐसे 142 बिलों के सापेक्ष किया गया था जिन पर वाहन पंजीकरण संख्या एवं यात्रा की तिथि अंकित नहीं थी;
- ₹ 3.11 लाख का भुगतान ऐसे बिलों के सापेक्ष किया गया, जहां एक ही वाहन दो या तीन स्थानों पर अलग अलग जनपदों में एक ही दिन एवं समय पर चल रहे थे; एवं
- 37 वाहनों के बिलों के प्रकरण में, जिनमें वाहनों की पंजीकरण संख्या अंकित थी, क्षेत्रीय सम्भागीय कार्यालय (क्षेत्र स का), देहरादून से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करके वाहनों की पंजीकरण संख्या का मिलान किया गया था। जिसमें पाया गया कि ₹ 3.68 लाख का भुगतान ऐसे बिलों के विरुद्ध किया गया था जिसमें 12 वाहनों का पंजीकरण स्कूटर/थ्रीव्हीलर/प्राइवेट कार के रूप में था और ₹ 11.12 लाख का भुगतान ऐसे बिलों के विरुद्ध किया गया था जिसमें 21 वाहनों का पंजीकरण क्षेत्रीय सम्भागीय कार्यालय में दर्ज ही नहीं था।

उपरोक्त अनियमितताएँ इस तथ्य को दर्शाती हैं कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रचलित वित्तीय नियमों को अनदेखा कर तथा आवश्यक विवरण और दावों की प्रामाणिकता की जाँच किये बिना ही ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दावों के विरुद्ध भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ का संदिग्ध गबन हुआ।

प्रकरण शासन को संदर्भित (मार्च 2017) किया गया था जिसके द्वारा अवगत (अप्रैल 2017) कराया गया कि एक विभागीय स्तर जाँच की (अप्रैल 2014) गई एवं एक अन्य राज्य स्तरीय जाँच संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा, की अध्यक्षता (मई 2016) में भी की गई थी तथा जाँच के आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों को आरोप पत्र निर्गत किये गये थे। तथापि, राजकोष को हुई ₹ 1.25 करोड़ की वित्तीय हानि की वसूली अभी तक (अगस्त 2017) नहीं की गयी थी।

लोक निर्माण विभाग

1.7 ₹ 1.69 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य

वित्तीय मापदण्डों की अवहेलना कर निर्माण कार्य को उच्च दरों पर प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ का व्ययाधिक्य किया गया।

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा जून 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड, राष्ट्रीय राजमार्ग-107 (कि मी 1 से 25) के पाँच भागों में बी एम⁷⁷ एवं बी सी⁷⁸ द्वारा सुधारीकरण कराने हेतु ₹ 15.09 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (अप्रैल 2014) की गई। कार्य हेतु तीन भागों में (कि मी 1 से 18 के लिए) ₹ 10.24 करोड़ (₹ 2.51 करोड़, ₹ 2.74 करोड़ एवं ₹ 4.99 करोड़) एवं दो भागों में (कि मी 19 से 25 के लिए) ₹ 4.85 करोड़ (₹ 2.38 करोड़ एवं ₹ 2.47 करोड़) की

⁷⁷ बिटुमिन्स मैकेडम।

⁷⁸ बिटुमिन्स कंक्रीट।

तकनीकी स्वीकृति क्रमशः मुख्य अभियन्ता (मु अ), गढ़वाल क्षेत्र एवं अधीक्षण अभियन्ता (अधी अ), रुद्रप्रयाग द्वारा प्रदान (अप्रैल 2014) की गई।

अधिशासी अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड (प्रां ख), लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2015) में पाया गया कि चार धाम यात्रा⁷⁹ के प्रारंभ⁸⁰ होने से पहले उक्त कार्यों के निष्पादन के संबंध में तत्काल आवश्यकता के कारण, अधी अ ने फर्मों, जो कार्य तुरंत शुरू करने के लिए तैयार थी, द्वारा उद्धृत दरों पर कार्य करवाने का प्रस्ताव दिया (अप्रैल 2014)। यह प्रस्ताव मु अ द्वारा स्वीकार किया (22.04.2014) गया। तदनुसार उसी दिन अधी अ द्वारा दो अनुबंध⁸¹ गठित (22.04.2014) किये गये। चयनित फर्मों द्वारा उद्धृत दरों पर अनुबंध गठित करने के एक सप्ताह से कम समय में, विभाग ने वर्ष 2014-15 के लिए पुनरीक्षित दरों की अनुसूची (द अ) को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया (26.04.2014)। तथापि, यह पाया गया कि प्राइम कोट, टैक कोट, बी एम तथा बी सी की दरें, जिनको द अ के पुनरीक्षण के पूर्व सुधारात्मक कार्यों के विभिन्न भागों हेतु अंतिम रूप दिया गया था, पुनरीक्षित द अ से 15 से 31 प्रतिशत तक अधिक थीं। इस प्रकार, विभाग सुधारात्मक कार्यों हेतु अनुबंधों को अंतिम रूप देते समय प्रचलित बाजार दरों को सुनिश्चित करने में यथेष्ट सावधानी रखने में असफल रहा।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़⁸² का अनुचित व्यय हुआ, क्योंकि कार्यों को प्रचलित बाजार दरों, जिनके आधार पर कार्य स्वीकृत करने के एक सप्ताह से भी कम समय के भीतर द अ को बाद में पुनरीक्षित किया गया, से उच्च दरों पर स्वीकृत एवं निष्पादित किया गया।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, खण्ड ने अवगत कराया गया (दिसम्बर 2015) कि शासन द्वारा अधी अ को चयन के आधार पर बाजार दरों पर कोटेशन के माध्यम से अनुबंध गठित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अभिलेखों में इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं था जो कि यह दर्शाता कि ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों की बाजार में प्रचलित दरों से तुलना करने में यथोचित प्रयास किये गये थे क्योंकि चयनित ठेकेदारों द्वारा 11 अप्रैल 2014 को अपनी दरें उद्धृत की गयी थी एवं अधी अ द्वारा शासन से उसी दिन अनुबंध गठित करने के लिए मंजूरी मांगी गयी थी। इसके अतिरिक्त, कार्यों को अति आवश्यक व्यक्त किया गया था एवं 20 दिनों के अन्दर पूर्ण

⁷⁹ उत्तराखण्ड में चार पवित्र स्थानों की धार्मिक यात्रा (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री)।

⁸⁰ अप्रैल-मई।

⁸¹ अनुबंध संख्या-02/एस ई/2014-15 कि मी 1 से 10 के लिए एवं अनुबंध संख्या-03/एस ई/2014-15 कि मी 11 से 25 के लिए।

⁸²

क्रम संख्या	कार्य मद	अनुबंधित दर (₹ में)	अ द (मई 2014)	दर में अंतर	निष्पादित मात्रा	धनराशि (₹ में)
1.	प्राइम कोट	60.00	45.80	14.20 (31%)	32,587.28	4,62,739.38
2.	टैक कोट	16.00	13.20	2.80 (21%)	54,763.60	1,53,338.08
3.	बी एम	12,000.00	9,869.00	2,131.00(22%)	626.83	13,35,774.73
		12,100.00	9,869.00	2,231.00(23%)	1,866.065	41,63,191.02
4.	टैक कोट	13.00	10.90	2.10 (19%)	1,50,042.35	3,15,088.94
5.	बी सी	16,400.00	14,293.33	2,106.67 (15%)	1,998.36	42,09,885.06
		16,500.00	14,293.33	2,206.67 (15%)	2,841.333	62,69,884.29
योग						1,69,09,901.50

किया जाना था, उन्हें चार धाम यात्रा की अवधि में क्रियान्वयन करने में दो से तीन माह लग गये। आगे, प्रमुख अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया (16.06.2017) कि 2014-15 द अ के पुनरीक्षण हेतु समस्त मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित (17.02.2014) किया गया कि वे अपने क्षेत्र के बाजार का सर्वेक्षण कर आधार दरों को 30.03.2014 तक प्रस्तुत करें। जो यह दर्शाता है कि अधी अ मार्च 2014 तक प्रचलित बाजार दर के बारे में अच्छी तरह से परिचित थे। इसके बावजूद अधी अ द्वारा अप्रैल 2014 में उच्च दर पर कार्य निष्पादित कराना प्रस्तावित किया गया।

इस प्रकार, विभाग विवेकपूर्ण वित्तीय मापदण्डों का अनुपालन करने में विफल रहा एवं अनुचित जल्दबाजी में उच्च दरों को स्वीकार कर कार्यों पर ₹ 1.69 करोड़ के अनुचित व्यय किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

1.8 अनाधिकृत व्ययाधिक्य

खण्ड द्वारा वित्तीय नियमों के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन पत्र में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹0.59 करोड़ का अनाधिकृत रूप से व्ययाधिक्य किया गया।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (वि.ह.पु.) खण्ड -VI का प्रस्तर 317 निर्धारित करता है कि निर्माण कार्य के प्रकरण में, जिस राशि हेतु व्यय की स्वीकृत दी गई है उससे आधिक्य की राशि की शासन से पुनरीक्षित व्यय की स्वीकृति आवश्यक है। आगे, उक्त नियम के उद्देश्य हेतु, मुख्य अभियन्ता को मूल व्यय की राशि से 10 प्रतिशत तक आधिक्य (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2010 के अनुसार 15 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है) इस शर्त के साथ स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया गया कि वृद्धि पूर्णतः सामग्री एवं मजदूरी की लागत से सम्बन्धित हो।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लाक में पौड़ी-देवप्रयाग वैकल्पिक मार्ग (12 किमी) के निर्माण हेतु ₹4.60 करोड़⁸³ की प्रशासनिक अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान (मार्च 2013) की गयी। इसी कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (मु अ), गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), पौड़ी द्वारा उतनी ही राशि की प्राविधिक स्वीकृति (प्रा स्वी) प्रदान (सितम्बर 2013) की गयी।

अधिशाली अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड, लो नि वि, पौड़ी के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2016) में पाया गया कि उक्त कार्य को निष्पादित कराने हेतु खण्ड द्वारा ठेकेदारों के साथ 12 अनुबंध (सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2013) गठित किये गये थे। कार्य सितम्बर 2013 में प्रारम्भ किया गया एवं जुलाई 2014 में समाप्त किया गया। आगे, यह पाया गया कि 13 अतिरिक्त मर्दों पर ₹0.84 करोड़⁸⁴ का व्यय किया गया, जिसमें से नौ मर्दों⁸⁵, जो कि अनुमोदित विस्तृत आगणन का

⁸³ ₹4.53 करोड़ कार्य के लिए प्रावधानित एवं ₹0.07 करोड़ आकस्मिकता के लिए।

⁸⁴ अतिरिक्त मर्दों पर किया गया वास्तविक व्यय ₹0.84 करोड़ (₹0.59 करोड़ स्वीकृत लागत से आधिक्य धनराशि से समायोजित किया गया एवं अवशेष ₹0.25 करोड़ की धनराशि अनुबंध के अनुसार निष्पादित अन्य मर्दों की बचतों से समायोजित की गयी।

⁸⁵ अर्थ वर्क इन हिल साइड कटिंग, एक मीटर स्पान स्करपर का निर्माण, कैचपिट का निर्माण, सीमेन्ट प्लम मैसोनरी 40 प्रतिशत प्लम एवं 60 प्रतिशत 1:3:7 सीमेन्ट कंक्रीट, एक्सावेशन इन फाऊन्डेशन फार रिटेनिंग वाल, रैण्डम रूबल स्टोन मैसोनरी लेड ड्राई, रैण्डम रूबल स्टोन मैसोनरी लेड इन 1:6, हैण्ड पैकड स्टोन फिलिंग, कच्चा ड्रेन का निर्माण।

भाग थी परन्तु शिड्यूल 'बी'⁸⁶ में सम्मिलित नहीं की गयी थी, पर ₹0.72 करोड़ का व्यय किया गया एवं शेष ₹0.12 करोड़ चार अन्य मदों⁸⁷, जो न तो विस्तृत आगणन का भाग थी और न ही शिड्यूल 'बी' का भाग थी, पर व्यय किया गया। निर्माण कार्य पर ₹5.12 करोड़ व्यय किये गये जो कि निर्माण कार्य हेतु वास्तविक स्वीकृत लागत ₹4.53 करोड़⁸⁸ से अधिक थी। इस प्रक्रिया में, खण्ड द्वारा ₹0.59 करोड़ का व्ययाधिक्य अतिरिक्त मदों, जो कि ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के शिड्यूल 'बी' का भाग नहीं थी, पर किया गया। खण्ड द्वारा व्ययाधिक्य (स्वीकृत लागत का 13.02 प्रतिशत) के अनुमोदन हेतु मु अ से माँग (नवम्बर 2014) की गई। मु अ द्वारा व्ययाधिक्य इस शर्त के साथ अनुमोदित किया (दिसम्बर 2014) गया कि व्ययाधिक्य केवल सामग्री एवं मजदूरी में होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित हो। तथापि, किया गया भुगतान मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन में दी गयी शर्तों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 317 में निर्धारित मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि सामग्री एवं मजदूरी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि व्ययाधिक्य मु अ द्वारा अनुमोदित किया गया था। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मुख्य अभियन्ता केवल 15 प्रतिशत तक उसी व्ययाधिक्य को अनुमोदित कर सकता है जहाँ लागत में वृद्धि पूर्णतया मदों की इकाई दरों में होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित हो। आगे, मुख्य अभियन्ता द्वारा भी इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था कि व्ययाधिक्य पूर्णतया सामग्री एवं मजदूरी की दरों में होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित होगा। तथापि, अनुमोदित आगणन में सम्मिलित किसी भी मद की इकाई दर में वृद्धि नहीं हुई थी। कार्य की लागत में वृद्धि पूर्णतया अतिरिक्त मदों के निष्पादन के कारण हुई थी।

खण्ड द्वारा, इस प्रकार, मौजूदा वित्तीय नियमों एवं मु अ द्वारा व्ययाधिक्य हेतु प्रदत्त अनुमोदन में दी गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹0.59 करोड़ का अनाधिकृत व्ययाधिक्य किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

1.9 ₹ 0.70 करोड़ का निष्फल व्यय

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु नोटिस जारी करने के बावजूद खण्ड द्वारा मार्ग के सुदृढीकरण हेतु ₹2.83 करोड़ का कार्य आवंटित किया गया। जिसके फलस्वरूप, बाद में ₹0.70 करोड़ व्यय करने के उपरान्त कार्य को रोकना पड़ा। परिणामस्वरूप, यह व्यय निष्फल हुआ।

शासन द्वारा पौड़ी गढ़वाल जिले में प्रेमनगर-गडोली-बुआखाल बाईपास मोटर मार्ग के चौड़ीकरण सहित बिटुमिन्स मैकेडम एवं सेमी डेन्स बिटुमिन्स कंक्रीट द्वारा सुदृढीकरण हेतु ₹3.72 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2011) की गई थी। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (मु अ)

⁸⁶ शिड्यूल 'बी' अनुबंध का एक भाग होता है जिसमें ठेकेदार द्वारा निष्पादित किये जाने वाली कार्य मदों की मात्रा और उनकी दर अंकित होती है।

⁸⁷ जी आई वायर क्रेट का बिछान, टैक कोट @ 40 प्रतिशत किग्रा./वर्ग किमी., पीसीसी 1:2:4, प्रोवाइडिंग कंक्रीट फार प्लेन/रेनफोर्स कंक्रीट इन ओपेन फाउण्डेशन।

⁸⁸ अनुमोदित आगणन में आकस्मिकता हेतु स्वीकृत राशि सम्मिलित नहीं है।

गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), पौड़ी द्वारा ₹3.13 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (त स्वी) प्रदान (मई 2012) की गई थी।

अधिकांश अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो नि वि, पौड़ी के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2016) में पाया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) द्वारा, उक्त मार्ग पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर निर्माण कराये जाने के आरोप लगाने वाले प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, 10 मई 2012 में प्रतिवादियों⁸⁹ को नोटिस जारी किया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को किसी भी गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग करने के आदेश नहीं दे सकता है। इस प्रकरण में कार्य, जिसमें सड़क के विभिन्न हिस्सों पर 750 मीटर वन भूमि शामिल थी, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुमोदित किया गया था। एन जी टी द्वारा उक्त प्रकरण 12 जुलाई 2012 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। एक जून 2012 को एन जी टी से नोटिस प्राप्त करने के बावजूद खण्ड द्वारा 07 जून 2012 को ₹2.83 करोड़ की अनुबंधित लागत से एक अनुबंध गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथियाँ क्रमशः जून 2012 एवं जून 2013 निर्धारित की गई थी। कार्य 07 जून 2012 में प्रारम्भ किया गया था। एक माह पश्चात, एन जी टी द्वारा निर्देशित (04 जुलाई 2012) किया गया कि प्रतिवादी मार्ग पर आगे कोई कार्य नहीं करेगा। तथापि, उसके द्वारा मौजूदा सड़क के रखरखाव की अनुमति दी गयी। तत्पश्चात, एन जी टी द्वारा 13 सितम्बर 2012 के अपने आदेश में निर्देशित किया गया था कि अगली सुनवाई तक विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य रोक दिया जाय। एन जी टी के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा ठेकेदार को मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य को रोकने, परन्तु सोलिंग का कार्य जारी रखने के लिए निर्देशित (21 सितम्बर 2012) किया गया। तथापि, केवल तीन दिन पश्चात खण्ड द्वारा कार्य स्थल पर लायी गई सामग्री (सोलिंग, इन्टर, ग्रेट एवं मैक्सफाल्ट) हेतु ₹0.41 करोड़ का ब्याजरहित सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया (24 सितम्बर 2012) गया एवं ठेकेदार द्वारा विद्यमान मार्ग पर 07.11.2012 तक कार्य का निष्पादन जारी रखा गया। पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य की माप ली (जनवरी 2017) गई एवं सुरक्षित अग्रिम का समायोजन करते हुए ₹0.70 करोड़ का भुगतान (मार्च 2017) किया गया।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, खण्ड द्वारा अवगत कराया (दिसम्बर 2016) गया कि उन्होंने पहले ही ठेकेदार को टेण्डर की स्वीकृति प्रेषित कर दी थी जिसके कारण, उन्हें अनुबंध गठित करना पड़ा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार के साथ अनुबंध गठित करने से पूर्व विभाग को एन जी टी से नोटिस प्राप्त हो चुका था। खण्ड द्वारा कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए था जब तक कि एन जी टी द्वारा प्रकरण का निराकरण नहीं कर दिया जाता। इसके अतिरिक्त, ई-निविदा नोटिस में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया था कि विभाग के पास बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जब एन जी टी कार्य को चुनौती देने वाली याचिका की योग्यता पर विचार-विमर्श कर रहा था तो कथित कार्य को आरम्भ कराना और सुरक्षित

⁸⁹ प्रतिवादी-1 (संघ सरकार), प्रतिवादी-2 (राज्य सरकार), प्रतिवादी-3 (जिलाधिकारी), प्रतिवादी-4 (निर्माण खण्ड, लो नि वि पौड़ी), प्रतिवादी-5 (प्रभागीय वन अधिकारी, पौड़ी), प्रतिवादी-6 (नगरपालिका पौड़ी), प्रतिवादी-7 (सब रजिस्ट्रार, पौड़ी)।

अग्रिम एवं सम्बन्धित भुगतान करना विवेकपूर्ण नहीं था तथा इसके कारण ₹ 0.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

प्रकारण शासन की संदर्भित किया गया (मई 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

1.10 अनुचित व्ययाधिक्य

वाटर बाउण्ड मैकेडम के स्थान पर महंगी सामग्री (बिटुमिन्स मैकेडम) का उपयोग करने के कारण ₹ 0.80 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य किया गया।

उत्तराखण्ड शासन (उ शा) द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत चम्पावत जिले में चम्पावत-खेतीखान मोटर मार्ग (लम्बाई-30 कि मी) में बिटुमिन्स मैकेडम (बी एम) एवं सेमी डेन्स बिटुमिन्स कंक्रीट (एस डी बी सी) द्वारा सुधारीकरण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2013) की गयी थी। कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (कुमाऊं क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), अल्मोड़ा द्वारा ₹ 13.94 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2013) की गयी। कार्य निष्पादन हेतु खण्ड द्वारा ठेकेदार के साथ ₹ 13.44 करोड़ का अनुबंध⁹⁰ गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि जून 2015 थी।

अधिसासी अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड, लो नि वि, चम्पावत के अभिलेखों की जाँच (सितंबर 2016) में पाया गया कि विस्तृत आगणन में किये गये प्रावधानों के अनुसार बिटुमिन्स कार्य मार्ग की संपूर्ण लम्बाई (30 कि मी) के साथ 3.75 मीटर चौड़ाई में निष्पादित कराया जाना था। आवश्यकतानुसार प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स (पी सी सी) हेतु बी एम की अतिरिक्त मात्रा (10 प्रतिशत) का भी प्रावधान किया गया था। आगे, आगणन में बड़े गड्ढों को भरने हेतु वाटर बाउण्ड मैकेडम (डब्ल्यू बी एम) (1,761 घन मी) का भी प्रावधान किया गया था। तथापि, ठेकेदार को भुगतान (अगस्त 2016) किये गये नौवें चालू देयक के अनुसार मार्ग पर प्रावधानित 1,761 घन मी डब्ल्यू बी एम के सापेक्ष केवल 603.52 घन मी (34 प्रतिशत) डब्ल्यू बी एम का कार्य निष्पादित कराया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा इस दौरान पैच मरम्मत पर भी ₹ 3.96 लाख का व्यय किया गया था।

आगे, बी एम की निष्पादित मात्रा, आवश्यक मात्रा से 20.40 प्रतिशत (पी सी सी कार्य हेतु अनुमन्य 10 प्रतिशत के अतिरिक्त) अधिक थी जैसाकि निम्न तालिका 1.10.1 में वर्णित है:

तालिका-1.10.1: बिटुमिन्स मैकेडम के अनुचित अधिक उपयोग का विवरण

क्र. सं.	विवरण	गणना	मात्रा
1.	नौवें चालू देयक के अनुसार बी एम की निष्पादित मात्रा		7,947.38 घन मी
2.	टैक कोट से आच्छादित क्षेत्र के अनुसार बी एम की मात्रा	1,20,016.47 वर्ग मी x 0.050 मी = 6,000.82 घन मी	6,000.82 घन मी
3.	पीसीसी हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त	6,000.82 x 10/100 = 600.08 घन मी	600.08 घन मी
4.	बी एम की अधिक मात्रा	7,947.38 - 6,600.90	1,346.48 घन मी
5.	बी एम की अधिक निष्पादित मात्रा पर किया गया व्यय	1,346.48x@7,582.26 ⁹¹	₹ 1,02,09,361.44
6.	यदि बी एम के बदले डब्ल्यू बी एम (₹1,504 प्रति घन मी) किया जाता	1,346.48 घन मी. X ₹ 1,504	₹ 20,25,105.92
		(+) 9 प्रतिशत से अधिक	₹ 1,82,259.53
		कुल	₹ 22,07,365.45
		अनुचित व्ययाधिक्य (पंक्ति 5-6)	₹ 80,01,995.99

⁹⁰ सी बी सं 08/एस ई-III दिनांक 28.12.2013।

⁹¹ बी एम की दर = ₹ 6,956.20 प्रति घन मीटर तथा अनुबंध 9 प्रतिशत उच्च दर पर गठित किया गया।

7,947.38 घन मी मात्रा बी एम के उपयोग के बजाय, पी सी सी हेतु 10 प्रतिशत अधिक मात्रा सहित, बी एम की 6,600.90 घन मी मात्रा, जिस पर ₹ पाँच करोड़⁹² का व्यय सम्मिलित होता, का उपयोग होना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधान से अधिक 1,346.48 घन मी बी एम का उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप, ₹ 0.80 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, अ अ द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2016) कि बी एम की मात्रा में भिन्नता विद्यमान पी सी⁹³ एवं पी-1, पी-2⁹⁴ मार्ग पर अत्यधिक डिप्रेशन एवं अन्ड्यूलेशन के कारण थी जिसे डब्ल्यू बी एम के द्वारा निष्पादित नहीं कराया जा सकता था।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की डेटाबुक का अनुच्छेद 501.8.2.4 (ii) यह निर्धारित करता है कि यदि पी सी सी की अधिकतम मोटाई 40 एम एम से अधिक नहीं है तो इसे ऊपरी परत अर्थात बी एम के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। अन्य प्रकरणों में, पी सी सी का निर्माण ऐसे निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एवं अभियन्ता द्वारा अनुमोदित उपकरणों का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट प्रकार की सामग्री बिछाते हुए एक अलग परत की तरह किया जाएगा। इस प्रकरण में, चूंकि प्रत्येक चैनेज में मोटाई 100 एम एम (40 एम एम से अधिक) थी, डब्ल्यू बी एम के स्थान पर बी एम का उपयोग किया जाना उपर्युक्त अनुच्छेद का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा पी सी सी हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान स्वीकार्य करते हुए बी एम की अधिक मात्रा, जो टैंक कोट से आच्छादित क्षेत्र के आधार पर है, इंगित की गई है। आगे, तकनीकी स्वीकृति में यह स्पष्ट रूप से नियत था कि मार्ग के खराब भाग में भराव के लिए डब्ल्यू बी एम का प्रयोग किया जायेगा जिसका विभाग द्वारा प्रावधान किया गया था।

इससे अतिरिक्त, विभाग द्वारा ₹ 1.24 करोड़ लागत की आठ मर्दें⁹⁵, जो अनुबंध एवं विस्तृत आगणन में भी सम्मिलित थी, निष्पादित नहीं करायी गयी जिसकी राशि का कुछ भाग बी एम की अधिक मात्रा को बिछाने में उपयोग किया गया था।

⁹² बी एम की मात्रा (6,600.90 घन मी) × @ (₹ 7,582.26) = ₹ 5,00,49,740 (अर्थात ₹ पाँच करोड़)।

⁹³ प्रीमिक्स कारपेट।

⁹⁴ रोड पर पेंटिंग-1 और पेंटिंग-2।

⁹⁵

क्र. सं.	मद	मात्रा	दर	राशि (₹ में)
1.	मकेनिकल वोवेन डबल टुइस्टिड हैक्सजोनल आकार गबिऑस प्रदान करना एवं बिछाना	80 संख्या	5,064.30	4,05,144.00
2.	तैयार की गयी ग्रेनूलर बेस पर बिटुमिन एमल्सन (एस एस-1) के साथ कम पोषकता प्राइम कोट प्रदान करना एवं बिछाना	2,888 व मी	29.30	84,618.40
3.	1 सीमेंट 1.5 कोर्स सैंड एवं 3 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट 20 एम एम नोमिनल साइज़ विशिष्ट ग्रेड की स्थिति सीमेंट कंक्रीट आर सी सी ग्रेड एम 20 में प्रदान करना और बिछाना	193 घन मी	5,197.50	10,03,117.50
4.	के सी टाइप कंक्रीट नाली-पक्का नाली का निर्माण	4,300 रनिंग मी	1,149.00	49,40,700.00
5.	यू आकार की पक्की नाली का निर्माण (साइज़ 45x45 सेमी, 15 सेमी तली और 20 सेमी किनारे के साथ) इत्यादि	3,560 रनिंग मी	1,564.00	55,67,840.00
6.	यू आकार की पक्की नाली का निर्माण (साइज़ 75x75 सेमी, 15 सेमी तली, 20 सेमी खड़जा और 20 सेमी किनारे के साथ) इत्यादि	140 रनिंग मी	2,798.00	3,91,720.00
7.	अनुच्छेद 1701.2.3 के अनुसार इनकैपसुलेटेड लैस टाईप परावर्तनशील सीट (1.5 सेमी मोटी 600 X 600 मिमी वर्गाकार) एल्यूमिनियम सीट के ऊपर, आई आर सी 67 के अनुसार चैतावनी के संकेत हेतु रेट्रो-परावर्तनशील प्रदान करना एवं लगाना	10 संख्या	2,497.80	24,978.00
8.	अनुच्छेद 1701.2.3 के अनुसार इनकैपसुलेटेड लैस टाईप परावर्तनशील सीट (1.5 सेमी मोटी एवं 600 मिमी गोलाकार) एल्यूमिनियम सीट के ऊपर, आई आर सी 67 के अनुसार चैतावनी के संकेत हेतु रेट्रो-परावर्तनशील प्रदान करना एवं लगाना	3 संख्या	2,356.20	7,068.60
योग				1,24,25,186.50

इस प्रकार, प्रावधान से अधिक महंगी सामग्री अर्थात् 1,346.48 घन मी बी एम का उपयोग करने के कारण ₹0.80 करोड़ का व्यय अनुचित था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

1.11 उद्देश्यों की पूर्ति न होना

प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त होने के नौ वर्ष पश्चात भी सेतु के निर्माण में विलंब के कारण असम्बद्ध गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। अभी तक के कार्य पर पहले ही ₹ 1.09 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अल्मोड़ा जिले के सेयाल्दे-देघाट के गोलना गाँव में तामाढौन-गोलना-खल्डुवा मोटर मार्ग में 70 मीटर स्पान झूला पुल के निर्माण हेतु ₹1.81 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (मार्च 2008) की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड, लो नि वि, रानीखेत के अभिलखों की जाँच (नवम्बर 2016) में पाया गया कि स्थानीयों लोगों द्वारा भूमि हस्तान्तरण का विरोध करने के कारण परियोजना का निष्पादन रूक गया था। प्रकरण के समाधान हेतु एक समिति⁹⁶ द्वारा, निर्माण कार्य की स्वीकृति के दो वर्ष उपरांत, प्रस्तावित स्थल का दौरा (जनवरी 2010) किया गया एवं 70 मी झूला पुल के स्थान पर 72 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण की अनुशंसा की गयी। सेतु की लंबाई के साथ-साथ श्रम एवं सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण खण्ड द्वारा शासन को ₹3.56 करोड़ का नया विस्तृत आगणन स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित (जून 2011) किया गया। तथापि, शासन से संशोधित आगणन की स्वीकृति प्राप्त होने एवं सुपर स्ट्रक्चर की डिजाइन को अंतिम रूप देने से पूर्व ही अधीक्षण अभियन्ता (अल्मोड़ा) द्वारा अबेटमेंट (सबस्ट्रक्चर), सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण के लिए ₹1.42 करोड़ की आंशिक तकनीकी स्वीकृति, जो कि पूर्व के अनुमोदित आगणन के आधार पर थी, प्रदान (8 दिसम्बर 2011) की गई। खण्ड द्वारा इस हेतु ₹1.24 करोड़ की लागत का अनुबंध⁹⁷ गठित (22 दिसम्बर 2011) किया गया जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि दिसम्बर 2012 थी। उक्त कार्य को 18 माह के विलंब से पूर्ण (जून 2014) किया गया तथा ठेकेदार को ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान (मार्च 2015) किया गया। इसी बीच, शासन द्वारा पूर्व अनुमोदन को रद्द करते हुए ₹3.42 करोड़ की पुनरीक्षित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (24 दिसम्बर 2011) की गई। सम्बन्धित घटनाक्रम में, निर्माण खण्ड कपकोट द्वारा तैयार किया गया 72 मी स्पान सेतु के सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन, जिसे निर्माण हेतु अपनाया जाना था, सुपाठ्य नहीं पाये जाने के कारण सेतु को खड़ा करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सका। इसके पश्चात खण्ड द्वारा दिसम्बर 2013 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा प्रौ सं) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (ब हिं वि) से सुपरस्ट्रक्चर का डिजाइन प्राप्त किया गया। सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन में उपयोग होने वाली स्ट्रक्चरल स्टील⁹⁸ आयोजनित मात्रा से अधिक परिकल्पित थी। आगे

⁹⁶ अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो नि वि, अल्मोड़ा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो नि वि नैनीताल, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो नि वि, रानीखेत।

⁹⁷ 11/एस ई-01/11 दिनांक 22/12/2011।

⁹⁸ अनुमोदित डी पी आर में लोड 210.38 टन था जबकि आई आई टी (बी एच यू) द्वारा प्रदान की गयी डिजाइन में यह 247.00 टन था।

इसी बीच सामाजिकी की दरों में भी वृद्धि हो चुकी थी। इसके कारण ₹4.97 करोड़ के पुनरीक्षित आगणन की आवश्यकता हुई जिसे शासन के अनुमोदन हेतु पुनः प्रेषित (सितम्बर 2015) किया गया। उक्त अनुमोदन आतिथि (मई 2017) तक प्राप्त नहीं हुआ था।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया (नवम्बर 2016) कि शासन से पुनरीक्षित आगणन का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कार्य पूर्ण हो जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्ति के नौ वर्ष पश्चात भी सेतु का निर्माण नहीं किया जा सका। सबस्ट्रक्चर का कार्य शासन से आवश्यक अनुमोदनों एवं डिजाइन की प्रतीक्षा किये बिना ही प्रारम्भ कर दिया गया। निर्मित सबस्ट्रक्चर तीन वर्ष से अधिक समय से व्यर्थ पड़ा हुआ है जिसे प्रकृति की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिया गया।

इस प्रकार प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त होने के नौ वर्षों पश्चात भी असम्बद्ध गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने वाले उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2017); उत्तर प्रतिक्रिया थी (दिसम्बर 2017)।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

1.12 निष्फल व्यय

दोषपूर्ण संरेखण के कारण पेयजल योजना लक्षित आबादी तक पेयजल आपूर्ति करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप, ₹1.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, लक्षित आबादी को पानी उपलब्ध करने के लिए एक ट्यूबवेल के निर्माण पर ₹6.50 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी में सांगराली-पाटा पेयजल योजना के निर्माण के लिए ₹2.43 करोड़⁹⁹ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2010) इन शर्तों के साथ प्रदान की गयी थी कि सभी मानक तकनीकी औपचारिकताएँ जैसे स्थल निरीक्षण, कार्य की ड्राईंग/डिजाइन सहित विस्तृत आगणन तैयार करना, भूगर्भीय सर्वेक्षण करना, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना इत्यादि कार्य प्रारम्भ करने के पहले सुनिश्चित किया जाए। योजना का उद्देश्य, सांगराली, पाटा और बगयालगाँव ग्राम पंचायतों के 2,314 निवासियों को पेयजल आपूर्ति करना था। कार्य अक्टूबर 2010 में प्रारम्भ किया गया था तथा अप्रैल 2012 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

अधिकांश अभियन्ता (अ अ), निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (मार्च 2017) में उद्घटित हुआ कि कार्य के मुख्य घटक, स्रोत का निर्माण, ग्रेवटी मेन एवं स्वच्छ जलाशयों का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किया जाना था। जिसके लिए ₹1.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। निगम ने कार्य अक्टूबर 2010 में प्रारम्भ किया जो जुलाई 2014 में पूर्ण हुआ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम द्वारा कार्य कार्यस्थल का विस्तृत भौतिक एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण किये बिना ही कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ग्रेवटी मेन का संरेखण दोषपूर्ण हुआ और ग्रेवटी मेन, स्रोत से स्वच्छ जलाशयों तक

⁹⁹ ₹1.92 करोड़ (स्रोत, ग्रेवटी मेन एवं सी डब्ल्यू आर) + ₹0.45 करोड़ (वितरण) + ₹0.06 करोड़ (कैचमेंट एवं टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम)।

पानी आपूर्ति करने में असफल रहा तथा कुल 23,232.75 मीटर बिछाई गई पानी आपूर्ति पाइप में से 19,736.95 मीटर पानी आपूर्ति पाइप (ग्रेवैटी मेन) का उपयोग नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायतों की लक्षित आबादी निर्माण की गई पानी की आपूर्ति पाइप लाइन, जिस पर ₹1.42 करोड़ का व्यय किया गया था, के माध्यम से पेयजल नहीं पा सकी। विभाग ने काम के दोषपूर्ण निष्पादन के लिए कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं की थी तथा लक्षित आबादी में पानी की आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए खण्ड को ₹6.50 लाख की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर अ अ ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत (मार्च 2017) कराया कि उक्त पेयजल योजना के माध्यम से पानी की आपूर्ति करना सम्भव नहीं था क्योंकि पाइप लाइन बहुत तेज ढाल पर बिछाई गयी थी। आगे, अ अ ने अवगत कराया कि विभागीय जाँच प्रगति में है एवं जाँच के बाद ज़िम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

कार्य स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पहले स्थल का भौतिक एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप, मुख्य आपूर्ति लाइन के संरेखण में गम्भीर त्रुटि हुई जिससे पूरी योजना के विफल होने से कार्य पर किया गया व्यय ₹1.42 करोड़ निष्फल रहा।

प्रकरण शासन को संदर्भित (जून 2017) किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

शहरी विकास विभाग

1.13 नगर निगम देहरादून एवं हरिद्वार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम (न नि) देहरादून एवं हरिद्वार के पास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेत क्रियाओं की रूपरेखा, प्रस्तुतीकरण और समयबद्ध क्रियान्वयन की कोई कार्य योजना नहीं थी। दोनों न नि में आधारभूत संरचना पर अत्यल्प धनराशि व्यय किये जाने के कारण अभिप्रेत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। हरिद्वार में ₹1.21 करोड़ की लागत के नौ वाहन जून 2013 से व्यर्थ खड़े थे। न नि देहरादून की निकाय सीमा के अंतर्गत प्लांट की क्षमता 200 मी टन प्रतिदिन निर्धारित थी जबकि वास्तव में 257 मी टन प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के लागू होने के 16 वर्षों बाद भी दोनों नगर निगम प्रक्रिया इकाई की स्थापना में असफल थे। परिणामस्वरूप, नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं किया गया। दोनों न नि में उपकरणों, वाहनों, कूड़ेदानों एवं मानवशक्ति की कमी के साथ निम्न अनुश्रवण तन्त्र का खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान रहा।

1.13.1 प्रस्तावना

नगरीकरण के कारण उत्पादित अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा के प्रबंधन हेतु भारत सरकार ने सितम्बर 2000 में “नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000” (न ठो अ नियम) अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (रा ह अ) के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य ने भी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो अ प्र) की एक कार्य योजना तैयार की (मार्च 2015)।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान देहरादून एवं हरिद्वार के नगर निगमों (न नि) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन पर आधारित एक विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक दोनों नगर निगमों के अभिलेखों की नमूना जाँच कर संपादित की गई। इसके अतिरिक्त शहरी विकास निदेशालय (श वि नि), देहरादून एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प नि प्र नि बो) से भी सूचना संग्रहित की गयी।

1.13.2 नियोजन

1.13.2.1 कार्ययोजना का न बनाया जाना

“नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन” के मैनुअल (मैनुअल) के प्रस्तर 26.1 के अनुसार भविष्य की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियोजन एक सजग प्रक्रिया है। आगे, अभिप्रेत क्रियाओं हेतु समयसीमा एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ठो अ प्र नियम के प्रभावी होने (2000) के प्रथम पंद्रह वर्षों में राज्य स्तर पर कोई कार्य योजना नहीं थी। मार्च 2015 में रा ह अ के निर्देश पर ही राज्य ने कार्य योजना तैयार की।

इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि ठो अ प्र नियम 2000 में कार्य योजना तैयार किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। विभाग के उत्तर को तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए कि ठो अ प्र मैनुअल स्पष्ट रूप से ठो अ प्र के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना बनाये जाने की वकालत करता है।

1.13.2.2 जन सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम (आई ई सी)

ठो अ प्र मैनुअल के प्रस्तर 18.3.1 के अनुसार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम जन सहभागिता आवश्यक है।

यह पाया गया कि न नि द्वारा अपशिष्ट का पृथक्करण कर डालने हेतु जन जागरूकता के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया था। न नि देहरादून ने इस अवधि में वर्ष 2015-16 में ₹1.40 लाख के आवंटन के सापेक्ष केवल ₹1.14 लाख व्यय किया था। जबकि न नि हरिद्वार का न तो कोई बजट प्रावधान था न ही इस दौरान गतिविधि पर कोई व्यय किया गया था।

1.13.2.3 कम्पोस्ट प्लांट की क्षमता का कम निर्धारण

ठोस अपशिष्ट प्रक्रिया इकाई, कम्पोस्ट स्थल और वैज्ञानिक भू-भरण हेतु न नि देहरादून ने शीशमबाड़ा में आवश्यक ढाँचागत विकास के लिए बी ओ टी (निर्माण, संचालन और हस्तांतरण) प्रारूप में एक फ़र्म के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया (अक्टूबर 2016)। परियोजना को ₹36 करोड़ (राज्य का भाग: ₹21.97 करोड़ और शेष भाग फ़र्म द्वारा वहन करना था) की आंगणित लागत पर जुलाई 2017 तक पूर्ण किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्लांट की क्षमता 200 मी टन प्रतिदिन (अक्टूबर 2016) निर्धारित की गई थी जबकि न नि देहरादून के नगरीय सीमा में 2016-17 के दौरान प्रतिदिन उत्पादित होने वाला वास्तविक अपशिष्ट 257 मीट्रिक टन प्रतिदिन था। इसके अतिरिक्त, आसपास के नगरीय क्षेत्रों¹⁰⁰ के अपशिष्ट को भी इसी प्लांट में निस्तारित किया जाना नियोजित था। इस प्रकार,

¹⁰⁰ नगर पालिका परिषद मसूरी, नगर पालिका परिषद विकास नगर एवं ब्लॉक सहसपुर।

शीशमबाड़ा, देहरादून प्लांट, जो अभी अपूर्ण है (जून 2017), देहरादून के अपशिष्ट प्रबंधन में सक्षम नहीं होगा जो कि अपर्याप्त नियोजन को दर्शाता है। इसके निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा ₹21.97 करोड़ वहन किया जाना था जिसमें से आज तक ₹10.76 करोड़ राज्य द्वारा व्यय किया जा चुका था।

इंगित किये जाने पर न नि देहरादून ने अवगत कराया कि भविष्य में प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन से 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन की जाएगी। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार माँगे जाने पर भी न नि किसी प्रकार की कार्यवाही सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

1.13.3 वित्तीय प्रबंधन

देहरादून एवं हरिद्वार के नगर निगमों को केन्द्रीय वित्त आयोग (के वि आ), राज्य वित्त आयोग (र वि आ), स्वच्छ भारत मिशन (स्व भा मि), जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (ज ने श न मि) (ठो अ प्र से सम्बन्धित ज ने श न मि परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत केंद्रान्श भाग और 20 प्रतिशत राज्यांश) एवं अन्य एजेंसियों यथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (म दे वि प्रा) एवं इसके अपने संसाधनों¹⁰¹ से धनराशियां प्राप्त होती हैं। दोनों न नि के लेखा अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित पाया गया:

1.13.3.1 निधियों की उपलब्धता एवं उपयोगिता

दोनों चयनित निकायों के वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निधियों¹⁰² की उपलब्धता एवं उपयोग सम्बन्धित वर्षवार विवरण नीचे तालिका-1.13.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.13.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नगर निगम देहरादून और हरिद्वार में निधियों की उपलब्धता एवं उपयोगिता

देहरादून (₹ करोड़ में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	से निधियों की प्राप्ति					व्यय			अंत शेष
		केंद्र सरकार	राज्य सरकार	स्वयं के संसाधन	अन्य	योग	वेतन पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	ठो अ प्र के अवस्थापना विकास पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	कुल व्यय	
2014-15	6.33	1.87	17.95	9.76	0.00	35.91	27.40(93)	2.05(7)	29.45	6.46
2015-16	6.46	2.55	25.51	10.77	1.00	46.29	32.43(91)	3.20(9)	35.63	10.66
2016-17	10.66	7.11	22.41	10.36	0.00	50.54	32.76(80)	8.08(20)	40.84	9.70
योग		11.53	65.87	30.89	1.00	132.74	92.59(87)	13.33 (13)	105.92	
हरिद्वार (₹ करोड़ में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	से निधियों की प्राप्ति					व्यय			अंत शेष
		केंद्र सरकार	राज्य सरकार	स्वयं के संसाधन	अन्य	योग	वेतन पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	ठो अ प्र के अवस्थापना विकास पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	कुल व्यय	
2014-15	1.67	1.61	8.65	3.17	0.00	15.10	12.00(92)	1.00(8)	13.00	2.10
2015-16	2.10	4.68	8.84	2.90	4.97	23.49	11.83(74)	4.21(26)	16.04	7.45
2016-17	7.45	0.45	7.37	2.91	0.21	18.39	10.27(59)	7.08(41)	17.35	1.04
योग		6.74	24.86	8.98	5.18	56.98	34.10 (74)	12.29 (26)	46.39	

स्रोत : सूचनाएँ न नि देहरादून एवं हरिद्वार से एकत्रित की गईं।

टिप्पणी: उपर्युक्त निधियों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1.13.1 में दिया गया है।

¹⁰¹ स्वयं के स्रोत: सभी प्रकार के कर, पट्टे से किराया, शुल्क, दण्ड और सड़क काटने का खर्च आदि।

¹⁰² केन्द्रीय निधि - के वी आ, स्व भा मि, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं जे एन एन यू आर एम, राज्य निधि-अवस्थापना/कूड़ादान खरीद, र वि आ, सफाई अनुदान एवं मुख्यमंत्री अनुदान, स्वयं के संसाधन एवं अन्य - मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (म दे वि प्रा), काँवड़ मेला, विधायक निधि, अर्ध कुम्भ मेला और चार धाम यात्रा।

निधियों की प्राप्ति एवं व्यय के विश्लेषण में पाया गया कि कार्यक्रम का संसक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु ठो अ प्र के विभिन्न मदों पर किये गये व्यय को दोनों नगर निगमों द्वारा आनुपातिक वितरण नहीं किया गया। ठो अ प्र हेतु निर्धारित धनराशि के उपयोग के संबंध में न तो सरकार/निदेशालय द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये और न ही कार्ययोजना में कोई स्पष्ट निर्देश थे। तालिका में देखा जा सकता है कि न नि देहरादून एवं हरिद्वार ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ठो अ प्र सम्बन्धित अवस्थापना विकास पर अपने कुल व्यय का क्रमशः 7, 9 और 20 प्रतिशत तथा 8, 26 और 41 प्रतिशत ही व्यय किया। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान नगर निगम देहरादून ने अपने कुल व्यय का 90 प्रतिशत से अधिक व्यय वेतन पर किया। वर्ष 2016-17 के दौरान, यह व्यय कुल व्यय का लगभग 80 प्रतिशत था। इन तीन वर्षों के दौरान न नि हरिद्वार ने कुल व्यय का लगभग 92 प्रतिशत, 74 प्रतिशत और 59 प्रतिशत वेतन पर व्यय किया। दोनों न नि में अवस्थापना कार्यों पर अल्प व्यय ठो अ प्र के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी था, जैसाकि आगे के प्रस्तरो में उल्लिखित है।

1.13.3.2 उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) का अप्रस्तुतिकरण

न नि देहरादून एवं हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि देहरादून एवं हरिद्वार के न नि द्वारा ₹139.90 करोड़¹⁰³ के उपयोगिता प्रमाणपत्र ही प्रेषित किये गये थे, जैसाकि निम्नलिखित तालिका-1.13.2 में दिया गया है:

तालिका-1.13.2: 2014-15 से 2016-17 के दौरान लम्बित उ प्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	न नि देहरादून				न नि हरिद्वार			
	उपलब्ध निधियां	व्यय	प्रेषित उ प्र	लम्बित उ प्र	उपलब्ध निधियां	व्यय	प्रेषित उ प्र	लम्बित उ प्र
2014-15	35.91	29.45	1.87	27.58	15.10	13.00	0.94	12.06
2015-16	46.29	35.63	0.83	34.80	23.49	16.04	1.68	14.36
2016-17	50.54	40.84	6.47	34.37	18.39	17.35	0.62	16.73
योग	132.74	105.92	9.17	96.75	56.98	46.39	3.24	43.15


2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त निधियों के संबंध में पाया गया कि न नि ने भा स से ₹18.27 करोड़ प्राप्त किया (तालिका-1.13.1) जिसके सापेक्ष उ प्र केवल ₹12.41 करोड़ जो कि 13 वें और 14 वें वित्त से सम्बन्धित थे, प्रस्तुत किया गया।

उ प्र प्रेषित न किया जाना आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है क्योंकि इससे निर्धारित उद्देश्यों पर निधियों का किया गया व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इंगित किये जाने पर दोनों न नि ने बताया कि लापरवाही के कारण नियमित रूप से उ प्र प्रेषित नहीं किये जा रहे थे। आश्वस्त किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से उ प्र प्रेषित किये जाएंगे।

1.13.4 न ठो अ नियम का क्रियान्वयन

न ठो अ नियम, नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण को बताता है। प्रत्येक नगरीय प्राधिकरण को अपने परिक्षेत्र में न ठो अ नियमों को लागू करना है। न ठो अ नियम-2000 में निर्धारित मापदंड एवं उसके सापेक्ष क्रियान्वयन को नीचे दर्शाया गया है:

¹⁰³ न नि देहरादून: ₹96.75 करोड़ और न नि हरिद्वार: ₹43.15 करोड़।



1.13.4.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट का कम संग्रहण

न ठो अ नियम, 2000 की अनुसूची II में प्रावधानित है कि नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट का जगह-जगह फैलाव प्रतिबंधित होगा। आगे, नगरीय प्राधिकरण नियमित रूप से एवं पूर्व निर्धारित समय पर अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करेगा। अपशिष्ट का जलाया जाना भी प्रतिबंधित होगा। अपशिष्ट के संग्रहण स्थल के आस पास आवारा जानवरों का विचरण प्रतिबंधित होगा। न नि देहरादून एवं हरिद्वार के नगरीय क्षेत्रों में 2014-15 से 2016-17 की अवधि में अपशिष्ट का उत्पादन एवं संग्रहण नीचे तालिका-1.13.3 में दिया गया है।

तालिका-1.13.3: न नि देहरादून एवं हरिद्वार के नगरीय क्षेत्रों में 2014-15 से 2016-17 की अवधि में अपशिष्ट का उत्पादन एवं संग्रहण का विवरण

विवरण	देहरादून			हरिद्वार		
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	5,75,000			2,31,338		
प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन (मीट्रिक टन में)	257	257	257	190	210	237
प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का संग्रहण (मीट्रिक टन में)	200	200	227	135	150	180
प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का संग्रहण न किया जाना (प्रतिशत में)	22	22	12	29	29	24

स्रोत: न नि देहरादून एवं हरिद्वार से संग्रहित सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि न नि देहरादून में 12 से 22 प्रतिशत अपशिष्ट और न नि हरिद्वार में 24 से 29 प्रतिशत अपशिष्ट का संग्रहण 2014-17 के दौरान नहीं किया गया। शेष असंग्रहित

अपशिष्ट सामान्य सामुदायिक कूड़ेदानों में पड़ा था। यह असंग्रहित अपशिष्ट सामुदायिक स्थलों पर फैला हुआ था जो जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के साथ नगर के सामान्य माहौल को दूषित कर रहा था।

यह इंगित करने पर दोनों न नि ने तथ्यों को स्वीकार किया। न नि देहरादून ने बताया कि अपर्याप्त संसाधनों (श्रम शक्ति, कूड़ेदान और वाहन इत्यादि की कमी) के कारण ठोस अपशिष्ट का कम उठान हुआ। जबकि दूसरी ओर न नि हरिद्वार ने अपशिष्ट के उठान में कमी के लिए वैज्ञानिक भू-भरण एवं कम्पोस्ट प्लांट का पूर्ण न होना बताया।

क्रय किये गये वाहनों का अनुपयोगी पड़े रहना

न नि हरिद्वार ने समन्वित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मैसर्स के आर एल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ बी ओ टी (निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण) प्रारूप में एक अनुबंध हस्ताक्षरित (अक्टूबर 2012) किया। परियोजना के अंतर्गत, फ़र्म को स्रोत पर अपशिष्ट के संग्रहण, नियमित गलियों की सफाई और नालियों की सफाई, बन्द डिब्बों में अपशिष्ट का द्वितीय संग्रहण, अपशिष्ट का परिवहन और अपशिष्ट का उपचार एवं निस्तारण जिसमें भू-भरण और कम्पोस्ट प्लांट का निर्माण शामिल था, की व्यवस्था करनी थी। रियायत अवधि 15 वर्षों की थी। परियोजना की लागत ₹16.72 करोड़ थी और न नि द्वारा परियोजना स्थापित किये जाने हेतु पूँजी अनुदान किस्तों में दिया जाना था। अभी तक न नि ने फ़र्म को ₹ 9.58 करोड़ भुगतान किया था (दिसम्बर 2017)।



चित्र संख्या 1: ठोस अपशिष्ट के लिए क्रय किये गये वाहन हरिद्वार के कम्पोस्ट प्लांट परिसर में अनुपयोगी खड़े हैं।

न नि हरिद्वार की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि न नि हरिद्वार में भू-भरण के निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया था (जुलाई 2017)। इसी बीच, न नि के 30 वार्डों से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन हेतु फ़र्म ने उपरोक्त धनराशि से 22 वाहनों का क्रय किया (जून 2013)। तथापि, यह भी पाया गया कि फ़र्म द्वारा शहर के 30 वार्डों में से केवल 22 वार्डों से ही अपशिष्ट का संग्रहण किया जा रहा था। शेष आठ वार्डों में, न नि द्वारा स्वयं संग्रहण का कार्य किया जा रहा था। आगे 22 वाहनों में से ₹ 1.21 करोड़ लागत के नौ वाहन न नि के शेष आठ वार्डों से अपशिष्ट संग्रहण न किये जाने के कारण क्रय किये जाने के बाद से ही निष्क्रिय खड़े थे। ये वाहन कम्पोस्ट प्लांट परिसर में खुले में खड़े थे जैसाकि चित्र संख्या 1 में दर्शित है। परिणामस्वरूप, अपशिष्ट के संग्रहण में कमी थी।

इंगित करने पर न नि हरिद्वार ने अवगत कराया कि कम्पोस्ट प्लांट एवं वैज्ञानिक भू-भरण की स्थापना के उपरांत शेष आठ वार्डों¹⁰⁴ से अपशिष्ट का संग्रहण आरम्भ होने पर वाहनों को उपयोग में लाया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि चार वर्षों के बीत जाने के बावजूद न नि हरिद्वार फ़र्म द्वारा समस्त 30 वार्डों से अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित न कर सका, जैसाकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक था। यह अपशिष्ट के संग्रहण में समस्त वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने में भी

¹⁰⁴ (i) बाल्मीकी बस्ती, (ii) मैदानियन (ज्वालापुर), (iii) गडघाट, (iv) खड़खड़ी, (v) भूपतवाला, (vi) मेहतान (ज्वालापुर), (vii) लोघामंडी और (viii) कसावन (ज्वालापुर)।

असफल था। इसके अतिरिक्त, समय के साथ खुले में खड़े नों वाहनों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

1.13.4.2 नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं भंडारण न किया जाना

नगर निगम देहरादून और हरिद्वार में, अपशिष्ट का संग्रहण बाह्य एजेंसी द्वारा किया जा रहा था। स्रोत पर कूड़े के पृथक्कीकरण का प्रारम्भिक आशय ठोस अपशिष्ट को दो मुख्य भागों में रखना है, यथा जैव अपघटित अपशिष्ट को एक कूड़ेदान में तथा अजैव अपघटित अपशिष्ट को दूसरे कूड़ेदान में। उत्पादित ठोस अपशिष्ट को मुख्यतः चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: (अ) घरेलू और व्यावसायिक अपशिष्ट (ब) निर्माण अपशिष्ट (स) जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं (द) औद्योगिक अपशिष्ट। न तो अ नियम ठोस अपशिष्ट के मानवीय हथालन को प्रतिबंधित करता है तथा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त सावधानी बरतने की बात करता है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये न नि में अपशिष्ट का पृथक्कीकरण स्रोत पर नहीं किया जा रहा था।

न नि देहरादून एवं हरिद्वार में ठोस अपशिष्ट जैव अपघटित, पुनर्चक्रीय एवं अन्य श्रेणियों में पृथक्कीकृत किये बिना सड़क के किनारे एक कूड़ेदान में डाला जा रहा था। कूड़ा स्थल पर आवारा जानवर पाये गये जैसाकि चित्र संख्या 2 एवं 3 में दर्शित है। उचित सुरक्षा कवच यथा मास्क, दस्ताने और गम बूट के बिना अपशिष्ट का कर्मियों द्वारा हथालन किया जा रहा था जैसाकि चित्र संख्या 4 में दर्शित है।

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर न नि देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि नगर में अपशिष्ट के फैलाव को कम करने हेतु भूमिगत कूड़ेदानों का निर्माण किया जा रहा है। न नि हरिद्वार ने अवगत कराया कि जनता द्वारा ठोस अपशिष्ट को कूड़ेदानों के बाहर डाला जाता है जिसे पुनः सफाई कर्मचारी अंदर डालते हैं। उत्तर मान्य नहीं है और न नि की बाह्य संस्था की कार्य सम्पादन और अकुशलता/अपर्याप्त कार्य क्षमता के लिए दण्ड लगाए जाने में विफलता इंगित करता है।

1.13.4.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन हेतु ढके वाहनों की कमी

उत्पादन के स्रोत से मध्यवर्ती भंडारण स्थल तक अपशिष्ट के परिचालन के प्राथमिकता दी जाती है। मध्यवर्ती भंडारण स्थल से अपशिष्ट को ट्रीटमेंट प्लांट/भू-भरण स्थल तक ले जाना द्वितीयक परिवहन है। न तो अ नियमों की अनुसूची 11 में प्रावधानित है कि अपशिष्ट के परिवहन हेतु बन्द वाहनों का प्रयोग किया जाएगा ताकि अपशिष्ट खुले वातावरण में न रहे व दिखाई न दे। इसके



चित्र संख्या 2: नगर निगम, देहरादून



चित्र संख्या 3: नगर निगम, हरिद्वार



चित्र संख्या 4: नगर निगम, देहरादून

अतिरिक्त, वाहन इस प्रकार डिज़ाइन किये जाए ताकि अंतिम निस्तारण से पूर्व अपशिष्ट के बहु-हथालन से बचा जा सके।

दोनों न नि में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट का ट्रैचिंग ग्राउंड तक खुले वाहनों में परिवहन किया जाता है जिससे पूरे रास्ते पर अपशिष्ट फैलता है, जैसाकि चित्र संख्या 5 एवं 6 में दर्शित है।



चित्र संख्या 5: नगर निगम, देहरादून



चित्र संख्या 6: नगर निगम, हरिद्वार

न नि देहरादून एवं हरिद्वार में कुल उपलब्ध वाहनों में से क्रमशः 58 एवं 64 प्रतिशत क्रियाशील थे। जिनमें, देहरादून एवं हरिद्वार में क्रमशः 7 एवं 46 प्रतिशत वाहन ढके थे, जैसाकि नीचे तालिका-1.13.4 दर्शित है।

तालिका-1.13.4: चालू खराब पड़े, ढके एवं खुले वाहनों का विवरण

ज़िले का नाम	वाहनों की संख्या	चालू (प्रतिशत में)	ढके वाहन (प्रतिशत में)
देहरादून	99	57(58)	04(07)
हरिद्वार	61	39(64)	18(46)

स्रोत: न नि देहरादून एवं हरिद्वार से संग्रहित सूचना।

इसे इंगित किये जाने पर दोनों न नि ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं उत्तर दिया कि सम्बन्धित कार्मिकों को प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश जारी कर दिए गये हैं और पुनः अवगत कराया कि इस कार्य हेतु तिरपाल उपलब्ध कराये गये हैं।

1.13.4.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निस्तारण

(i) न ठो अ नियम के अनुसार उचित तकनीक के प्रयोग से अपशिष्ट का उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि भू-भरण पर दबाव कम हो। जैविक रूप से अपघटित होने वाले अपशिष्ट का कम्पोस्टिंग, कृमि-कम्पोस्टिंग, अवायुजीवी उपचारण से प्रसंस्करण करना चाहिए या अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए अन्य उपयुक्त जैविकीय प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। पुनर्प्राप्य संसाधन युक्त मिश्रित अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए।

यह पाया गया कि दोनों न नि द्वारा अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं की जा रहा था और आवश्यक पृथक्कीकरण किये बिना ही संग्रहित किया गया सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट ट्रैचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा था।



चित्र संख्या 7: देहरादून स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड



चित्र संख्या 8: देहरादून स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड

इंगित किये जाने पर, दोनों न नि द्वारा अवगत कराया गया कि वैज्ञानिक भू-भरण (एस एल एफ)¹⁰⁵ और प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के बाद अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि न नि हरिद्वार में ऐसे प्लांट की स्थापना का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ था और न नि देहरादून में यह अभी तक अपूर्ण था। कार्य अक्टूबर 2016 में आरम्भ हुआ था और कार्य पूर्ण की तिथि जुलाई 2017 में समाप्त हो चुकी थी। परिणामतः, उपलब्ध ट्रेचिंग ग्राउंड पर भार अधिक था एवं अपशिष्ट असंग्रहित पड़ा रहा।



चित्र संख्या 9: हरिद्वार स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड

(ii) दोनों न नि द्वारा संग्रहित सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट बिना पृथक्करण एवं प्रसंस्करण के ट्रेचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 की अनुसूची III, जिसके अनुसार अपशिष्ट भू-भरण घनी आबादी से दूर होना चाहिये के प्रावधानों के विरुद्ध, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून स्थित वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड घनी आबादी में स्थित था, जैसाकि चित्र संख्या 7 एवं 8 में दर्शित है।



चित्र संख्या 10: हरिद्वार स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़ा जलाया जाना

(iii) दोनों न नि के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि आवारा जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु कोई चाहरदीवारी नहीं थी जैसाकि चित्र संख्या 8 एवं 9 में दर्शित है।

(iv) लेखापरीक्षा में पाया गया कि न नि हरिद्वार के सराय गाँव स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड (चित्र संख्या 10) में और न नि देहरादून के रॉक वैली अपार्टमेंट के पास अपशिष्ट का निस्तारण इसे जला कर किया जा रहा था। यह न केवल रा ह अ द्वारा जारी निर्देश (दिसम्बर 2016) और राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था बल्कि वातावरण के लिए भी खतरनाक था।

इंगित किये जाने पर दोनों न नि ने वै भू भ और कम्पोस्ट प्लांट के अनारम्भ/पूर्ण न होने के तथ्यों की पुष्टि की और अवगत कराया कि वै भू भ की स्थापना के बाद ही अपशिष्ट की सही तरीके से व्यवस्था की जाएगी। उत्तर को तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि न नि के पास अभी तक वै भू भ और कम्पोस्ट प्लांट नहीं है यद्यपि इनके पास पाँच लाख एवं दो लाख से अधिक आबादी वाले नगर की जिम्मेदारी है।

1.13.5 प्रशिक्षण की कमी

न ठो अ मैनुअल के प्रस्तर 19.5.1 में प्रावधान है कि सफाई कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षण स्टाफ के लिए लघु एवं मध्यम अवधि के कोर्स बनाए जाने चाहिए। स्थानीय निकायों द्वारा अप्रशिक्षित स्टाफ हेतु विशेष प्रशिक्षण तथा समस्त स्टाफ हेतु रिफ्रेशर कोर्स के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

¹⁰⁵ नगरीय ठोस अपशिष्ट (न ठो अ) का नियंत्रित निस्तारण एवं वैज्ञानिक उपचार करने हेतु वैज्ञानिक भू-भरण विकसित किया जाता है।

दोनों न नि के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के बीच न तो कोई निधियां आवंटित की गईं और न ही न ठो अ कार्य में लगे स्टाफ की दक्षता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कराया गया।

इसे इंगित किये जाने पर, दोनों निगमों ने अवगत कराया कि शहरी विकास निदेशालय से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्थानीय निकाय स्वयं प्रशिक्षण कराने हेतु जिम्मेदार था और प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

1.13.6 श्रम शक्ति, उपकरण, बिन एवं वाहनों की कमी

ठो अ प्र परियोजना के उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु उचित श्रमशक्ति, उपकरण, कूड़ेदान और वाहन आधारभूत आवश्यकता है। दोनों निगमों में इन आवश्यकताओं की स्थिति निम्न तालिका-1.13.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.13.5: ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन हेतु आवश्यक श्रमशक्ति, उपकरण, कूड़ेदान और वाहनों की स्थिति

विवरण	आवश्यकता		उपलब्धता		कमी (प्रतिशतता में)		
	न नि देहरादून	न नि हरिद्वार	न नि देहरादून	न नि हरिद्वार	न नि देहरादून	न नि हरिद्वार	
श्रमशक्ति	1,215	1,000	785	817	430 (35)	183 (18)	
कूड़ेदान	इंपर प्लेसर (डी पी- 8.1 मीट्रिक टन)	90	-	60	-	30 (33)	-
	4.5/3.5 घ मी कूड़ेदान	-	275	-	207	-	68 (25)
	कौम्पैक्टर प्लेसर (सी पी-1.1 मीट्रिक टन)	190	100	90	40	100 (53)	60 (60)
वाहन	145	80	99	61	46 (32)	19 (24)	
उपकरण	16	225	7	178	9 (56)	47 (21)	

स्रोत: न नि देहरादून और हरिद्वार के अभिलेखों से संग्रहित सूचना।

उपरोक्त तालिका से उपकरणों, वाहनों, कूड़ेदानों और श्रमशक्ति की कमी स्पष्ट होती है, न नि देहरादून में यह कमी 32 से 56 प्रतिशत और न नि हरिद्वार में 18 से 60 प्रतिशत थी। जैसाकि ऊपर के प्रस्तरों में पहले चर्चा की गयी है श्रमशक्ति, वाहन और अन्य उपकरण अप्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख सहायक कारक थे।

इसे इंगित करने पर, निगमों ने बताया कि निधियों की कमी के कारण उक्त कमी है और प्रकरण पर राज्य सरकार के साथ चर्चा की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों निगमों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अव्ययित राशि पड़ी थी, जैसाकि प्रस्तर 1.13.3.1 में वर्णित किया गया है।

1.13.7 ठेका प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन और अन्य सम्बन्धित सेवाओं हेतु न नि द्वारा फर्मों के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्धों में पायी गयी कमियाँ निम्नलिखित वर्णित हैं:

1.13.7.1 न नि देहरादून से सम्बन्धित ठेका प्रबंधन

(i) पर्यावरण की मंजूरी को सुनिश्चित किए बिना अनुबंध करना:

भारत सरकार ने देहरादून नगर में ठो अ प्र हेतु जे एन एन यू आर एम योजना अंतर्गत ₹ 24.60 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (मई 2008)। इस कार्य हेतु अक्टूबर 2008 से मार्च 2014 की अवधि में न नि देहरादून ने ₹ 15.99 करोड़¹⁰⁶ धनराशि प्राप्त की। भू-उपयोग की पर्यावरणीय

¹⁰⁶ केंद्रान्श ₹ 12.79 करोड़ और राज्यांश ₹ 3.20 करोड़ (80:20)।

स्वीकृति सुनिश्चित किये बिना न नि ने नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक फ़र्म के साथ 15 वर्षों की अवधि हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया (मार्च 2011) और इसे ₹9.66 करोड़ अंतरित भी किये।

अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने के दो वर्ष छः माह के बाद भी न नि भूमि के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति लेने में असफल रहा। परिणामतः, ठेके के नियम एवं शर्तों के अनुसार फ़र्म निगम को उपयुक्त नोटिस देकर ठेके के अनुबंध से बाहर हो गयी (फरवरी 2014)। फ़र्म ने ₹3.06 करोड़ की लागत से 60 वाहन भी क्रय (मई 2011 से जुलाई 2012) किये थे। इसके अतिरिक्त अनुबंध के कार्यकाल के दौरान फ़र्म ने ₹6.60 करोड़ व्यय किये जिसका विवरण न नि उपलब्ध न करा सका। शेष ₹6.33 करोड़ निगम के पास मार्च 2014 से निष्क्रिय पड़े थे। इससे निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये धन के उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी।

(ii) **भुगतान में अनियमितता:** अनुबंध के निरस्त हो जाने के बावजूद निगम ने पूर्व फ़र्म द्वारा लगाए गये श्रमिकों को अपशिष्ट संग्रहण हेतु लगाए रखा और उनके वेतन के भुगतान हेतु अगस्त 2014 से मई 2015 के बीच फ़र्म को ₹1.51 करोड़ अंतरित किये। यह अनियमित था क्योंकि फ़र्म के साथ अनुबंध फरवरी 2014 में समाप्त हो गया था।

इसे इंगित किये जाने पर न नि देहरादून ने अवगत कराया कि चूंकि तत्काल आधार पर अपशिष्ट के संग्रहण हेतु मानव शक्ति की आवश्यकता थी, मजदूरों को किराए पर लगाया गया और फ़र्म के माध्यम से भुगतान किया गया।

1.13.7.2 न नि हरिद्वार से सम्बन्धित ठेका प्रबंधन

अधोमानक कार्य: न नि हरिद्वार द्वारा, चंडीघाट के पास (जैसाकि चित्र संख्या 11 में दर्शित है) श्यामपुर रेंज में वन भूमि जो वन प्रखण्ड, हरिद्वार के नियंत्रण में है को, जनवरी 2016 तक कूड़ास्थल के रूप में प्रयोग किया जा रहा था।



चित्र संख्या 11: हरिद्वार में चंडीघाट स्थित भू भरण स्थल

इस पर वन विभाग ने आपत्ति दर्ज की। उसके बाद, न नि हरिद्वार ने इस भूमि पर कूड़ा डालना बन्द कर सराय स्थित स्वयं की भूमि पर कूड़ा डालना प्रारम्भ किया। चंडीघाट स्थल को मिट्टी से ढकने हेतु ₹60.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया था। इस कार्य को एक फ़र्म को दिया गया (अगस्त 2016) जिसे फ़र्म ने सितम्बर 2016 में पूरा कर दिया।

स्थल के भौतिक सत्यापन (जुलाई 2017) में पाया गया कि कूड़ा स्थल पर मिट्टी डालने का कार्य अपर्याप्त था क्योंकि कई स्थानों पर अपशिष्ट दिखाई दे रहा था। चूंकि, यह स्थल गंगा नदी के बहाव क्षेत्र के बहुत पास है अतः वर्षा के दिनों में अपशिष्ट के बह कर नदी में जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने पर, न नि हरिद्वार ने अवगत कराया (जुलाई 2017) कि कार्य को एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा पर्यवेक्षित किया गया था और कार्य की निम्न गुणवत्ता की फ़र्म के साथ चर्चा की जाएगी।

1.13.8 पर्यावरण पर प्रभाव

न ठो अ नियम-2000 में निक्षालितक के संग्रहण एवं इसके उपचार का प्रबंधन कूड़ास्थल के आस पास भूजल के आवर्ती अनुश्रवण द्वारा प्रावधानित है। सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा व्यापक वायु की गुणवत्ता की जाँच भी करनी चाहिए।

यह पाया गया कि न तो दोनों न नि अथवा न ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (रा प्र नि बो) ने वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउंड के आस पास के क्षेत्रों में भूजल और व्यापक वायु के मापदण्डों की गुणवत्ता जाँच की थी। ट्रेडिंग ग्राउंड पर निक्षालितक प्रबंधन का प्रावधान भी नहीं किया गया था। इन मापदण्डों की जाँच और अनुश्रवण के अभाव में पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर अपशिष्ट द्वारा हुए प्रदूषण के प्रभाव का आंकलन नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर, रा प्र नि बो ने अवगत कराया कि दोनों न नि में अपशिष्ट प्रसंस्करण की इकाई और निस्तारण स्थल निर्माणाधीन थे, जैसे ही ये सुविधाएँ विकसित कर स्थापित कर दी जाएगी, बोर्ड निर्धारित प्रक्रिया एवं आवश्यकता अनुसार परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता के मानदण्डों का अनुश्रवण शुरू कर देगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई और अपशिष्ट निस्तारण स्थल के बिना भी भूजल और परवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण न नि एवं रा प्र नि बो का दायित्व है।

1.13.9 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति

सतत विकास लक्ष्य (स वि ल) का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों का एक समूह बनाना है जो सतत विकास के तीन आयामों पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक को संतुलित करता है। कुल मिलाकर 17 लक्ष्य स वि ल के रूप में निर्धारित किये गये हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है।

स वि ल का 11वां लक्ष्य 'सतत शहरों और समुदायों' की अवधारणा से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य हमारे शहरों और मानव बसावटों को सम्मिलित, सुरक्षित, लचीला एवं सतत बनाना है। तथापि, दोनों न नि अपशिष्ट के संग्रहण और निस्तारण की वर्तमान प्रणाली, जैसाकि पूर्व के प्रस्तरों में वर्णित है, इंगित करता है कि अपशिष्ट के संग्रहण में कमी के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट का निस्तारण भी नहीं था, इन दोनों के कारण वातावरण को गंभीर खतरा था। न तो वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउंड के आस पास के क्षेत्रों के भूजल और परवेशी वायु मापदण्डों की जाँच की गई और न ही सम्बन्धित ट्रेडिंग ग्राउंड पर निक्षालितक प्रबंधन के लिए प्रावधान किया गया। ये सभी विषयक प्रकरण है तथा दर्शाते हैं कि इन शहरों को साफ, लचीला एवं सतत बनाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

1.13.10 अनुश्रवण तंत्र

न ठो अ नियम प्रावधानित करते हैं कि नगरीय प्राधिकारी को, ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं संरचना, भंडारण सुविधा, परिवहन और मलिन बस्ती का विवरण उल्लिखित करते हुए निर्धारित प्रारूप में

वार्षिक प्रतिवेदन सचिव शहरी विकास विभाग को तथा प्रतिलिपि रा प्र नि बो को प्रत्येक वर्ष 30 जून अथवा उसके पहले, प्रेषित करना चाहिए। रा प्र नि बो, इसके बाद, न ठो अ नियम, 2000 के क्रियान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन बनाकर इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रसारित करेगा (प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक)। अभिलेखों की जाँच में इस प्रक्रिया के अनुपालन का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

इसे इंगित किये जाने पर, न नि ने स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि जानकारी के अभाव में वार्षिक प्रतिवेदन नहीं भेजे जा रहे हैं और भविष्य में भेजे जाएंगे।

1.13.11 निष्पादन लेखापरीक्षा (2008) में की गई संस्तुतियों का अनुपालन न होना

सी ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2008) में प्रकाशित (निष्पादन) लेखापरीक्षा “अपशिष्ट का प्रबंधन” में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गयी थीं:

- गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) एवं नागरिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाकर पृथक्करण के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि पृथक्कृत प्लास्टिक, अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्लांट में जाए, जैव रूप से अपघटित अपशिष्ट से कम्पोस्ट बने और शेष भू-भरण में डाला जाए।
- अपशिष्ट की प्रसंस्करण एवं निस्तारण इकाई की स्थापना हेतु एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए। इसी बीच, वर्तमान कूड़ास्थल के सुधार एवं कूड़ा स्थल के आस-पास वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

दोनों न नि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आठ वर्षों के उपरांत भी उपरोक्त संस्तुतियों का पालन नहीं किया गया था जैसाकि इस प्रतिवेदन के **प्रस्तर 1.13.4.2 और 1.13.4.4** में उल्लिखित है।

निष्कर्ष

न ठो अ नियम का अनुपालन शहरी स्थानीय निकाय नहीं कर रहे थे। स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया जा रहा था और सभी वार्डों में घर-घर से संग्रहण भी नहीं किया जा रहा था। एस एल एफ एवं कम्पोस्ट इकाई के स्थापित न होने/पूर्ण न होने के कारण अपशिष्ट के निस्तारण और प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त तकनीक प्रयोग में नहीं लायी गयी। ठोस अपशिष्ट आंशिक रूप से संग्रहित किया गया, खुले वाहनों में परिवहन किया गया एवं बिना पृथक्करण के डम्प किया गया। ट्रेडिंग ग्राउंड पर लगे कार्मिक बिना किसी सुरक्षा उपायों के कार्य कर रहे थे। अनुश्रवण की प्रक्रिया भी कमजोर थी जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना में विलंब एवं खराब क्रियान्वयन हुआ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (अगस्त 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

अध्याय-॥
राजस्व क्षेत्र

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

2.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुसूची आँकड़े निम्न तालिका-2.1.1 में दिए गये हैं।

तालिका-2.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	6,414.25	7,355.34	8,338.47	9,377.79	10,897.31
	• करेत्तर राजस्व	1,602.88	1,316.54	1,110.44	1,219.66	1,345.82
	योग	8,017.13	8,671.88	9,448.91	10,597.45	12,243.13
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों ¹ के निवल आगमों का अंश	3,272.88	3,573.38	3,792.30	5,333.19	6,411.57
	• सहायता अनुदान	4,457.21	5,075.27	7,005.34	5,303.79	6,234.27
	योग	7,730.09	8,648.65	10,797.64	10,636.98	12,645.84
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	15,747.22	17,320.53	20,246.55	21,234.43	24,888.97
4.	1 से 3 की प्रतिशतता	51	50	47	50	49

स्रोत: वित्त लेखें।

वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत (₹ 12,243.13 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किया गया। शेष 51 प्रतिशत (₹ 12,645.84 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ था।

2.1.2 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उद्ग्रहीत कर राजस्व का विवरण निम्न तालिका-2.1.2 में दिया गया है।

¹ नोट: विवरण हेतु, कृपया उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों (खण्ड-II) में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण सं.-14 देखें। "राज्य को समनुदेशित निवल आगमों का अंश" के अंतर्गत आँकड़ों को मुख्य लेखाशीर्ष-0020-निगम कर, 0021-आय एवं व्यय पर कर, 0032-सम्पत्ति पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क तथा 0044-सेवा कर जो वित्त लेखों में 'अ-कर राजस्व' के अंतर्गत इंट्राज किया गया है, को राज्य द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व से निकाल दिया गया है एवं उपर्युक्त तालिका में 'विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों के राज्यांश' में सम्मिलित किया गया है।

तालिका-2.1.2: उद्यहीत कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		वास्तविक 2015-16 के सापेक्ष वास्तविक 2016-17 में होने वाली वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक							
1.	बिक्री, व्यापार पर कर	4,088.10	4,289.41	4,847.22	4,902.91	5,459.01	5,464.84	6,209.81	6,105.43	7,323.31	7,153.76	(+)17.17
2.	राज्य आबकारी	942.15	1,117.92	1,149.25	1,269.29	1,345.40	1,486.66	1,799.33	1,735.39	2,199.27	1,905.54	(+)9.80
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	573.95	648.40	640.40	686.71	708.79	714.06	777.22	870.67	1,202.34	777.58	(-)10.69
4.	मोटर वाहनों पर कर	275.00	304.29	320.00	368.83	360.00	393.70	435.00	470.87	610.00	556.40	(+)18.16
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	60.00	2.71	100.00	64.66	100.00	192.65	175.00	114.76	350.00	188.56	(+)64.31
6.	भू-राजस्व	8.55	10.59	8.15	21.65	9.05	39.26	17.12	27.88	26.76	159.51	(+)472.13
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	17.50	23.13	24.41	23.47	25.01	25.26	27.01	28.37	379.70	126.53	(+)346.00
8.	अन्य	15.00	17.80	22.00	17.82	16.00	22.04	23.00	24.42	25.30	29.43	(+)20.52
	योग	5,980.25	6,414.25	7,111.43	7,355.34	8,023.26	8,338.47	9,463.49	9,377.79	12,116.64	10,897.31	(+)16.20

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व 2012-13 में ₹6,414.25 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹10,897.31 करोड़ (69.89 प्रतिशत) हो गये। यह वृद्धि 2015-16 के सापेक्ष 16.20 प्रतिशत थी। बिक्री, व्यापार कर से प्राप्त राजस्व न केवल राजस्व कर (65.65 प्रतिशत) में मुख्य अंश के रूप में सम्मिलित हुये बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में भी 17.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये:

बिक्री एवं व्यापार कर: कर दाता पर अनुश्रवण इकाईयों द्वारा प्रभावी नियंत्रण एवं मुद्रा स्फीति के कारण राजस्व प्राप्ति में गत वर्ष के सापेक्ष 17.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: 2015-16 की तुलना में विलेखों के पंजीकरण में कमी होने के कारण वर्ष 2015-16 के सापेक्ष 2016-17 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क में 10.69 प्रतिशत की कमी हुई थी।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: उपभोक्ताओं से विद्युत देयकों की अपेक्षाकृत अधिक वसूली के कारण राजस्व प्राप्ति में 2015-16 के सापेक्ष 2016-17 में 64.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अन्य विभागों द्वारा भिन्नता हेतु कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2017)।

2.1.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उद्यहीत करेत्तर राजस्व का विवरण निम्न तालिका-2.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.3: उद्यहीत करेत्तर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		वास्तविक 2015-16 के सापेक्ष वास्तविक 2016-17 में होने वाली वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान	वास्तविक									
1.	ऊर्जा	84.00	150.04	122.55	121.11	122.55	45.01	143.00	168.57	351.30	130.08	(-)22.83
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	35.00	114.76	44.83	51.12	33.10	108.17	51.00	89.22	96.60	71.77	(-)19.56
3.	वानिकी एवं वन्य जीव	296.71	238.20	309.34	362.70	342.06	351.24	415.86	357.47	506.75	318.21	(-)10.98
4.	लोक निर्माण	16.16	18.13	9.15	15.51	19.11	28.29	24.92	13.96	27.41	51.08	(+)265.90
5.	विविध सामान्य सेवायें	11.00	25.85	3.55	48.74	21.00	8.26	24.00	(-)5.50	26.40	(-)6.16	(+)12.00
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	11.82	38.72	3.73	32.38	19.13	33.50	32.90	43.19	36.19	38.90	(-)9.93
7.	पुलिस	10.11	10.98	11.21	13.39	11.47	16.51	16.01	11.18	17.61	17.43	(+)55.90
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	23.16	30.00	22.10	44.04	24.52	37.78	37.95	76.86	99.27	78.70	(+)2.39
9.	सहकारिता	2.21	1.38	2.23	9.78	2.01	1.17	2.50	2.26	2.75	2.87	(+)26.99
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	2.37	7.65	2.42	6.75	2.42	9.22	5.75	7.92	9.70	6.97	(-)11.99
11.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	131.00	109.85	151.00	249.99	301.00	223.72	501.00	272.65	551.10	335.17	(+)22.93
12.	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	584.63	857.32	534.15	361.03	909.09	247.57	813.17	176.38	1,068.34	300.80	(+)70.54
	योग	1,208.17	1,602.88	1,216.26	1,316.54	1,807.46	1,110.44	2,068.06	1,219.66	2,793.42	1,345.82	(+)10.34

स्रोत: वित्त लेखे।

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व में घटने की प्रवृत्ति देखी गई। तथापि, इसमें 2015-16 से 2016-17 में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई। पिछले वर्षों की तुलना में 2015-16 एवं 2016-17 में वृद्धि क्रमशः ₹ 109.22 करोड़ (9.84 प्रतिशत) एवं ₹ 126.16 करोड़ (10.34 प्रतिशत) थी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये:

सहकारिता: समिति/संस्थाओं द्वारा राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 26.99 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण मध्यस्थता शुल्क, आर टी आई शुल्क एवं राजस्व वसूली अधिक जमा किया जाना था।

लोक निर्माण: 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण राजस्व प्राप्ति में 265.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वानिकी एवं वन्य जीव: वन उत्पाद के परिवहन शुल्क एवं लीसा (रेसिन) की बिक्री में कमी के कारण राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 10.98 प्रतिशत की कमी हुई।

अन्य विभागों द्वारा भिन्नता हेतु कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2017)।

2.1.4 राजस्व बकायों का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को ₹ 7,648.31 करोड़ के राजस्व बकायों में से ₹ 1,279.93 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसाकि निम्न तालिका-2.1.4 में वर्णित है।

तालिका-2.1.4: राजस्व बकाया

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को कुल बकाये की राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2017 को 5 वर्षों से अधिक बकाये की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग के उत्तर
बिक्री, व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	7,435.65	1,263.87	₹ 653.33 करोड़ (2,456 प्रकरण) की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है एवं शेष ₹ 6,782.32 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं।
विद्युत पर कर एवं शुल्क	177.99	0.00	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लंबित शुल्क की वसूली हेतु नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
सहकारिता	3.29	3.28	वसूली हेतु माँग जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से संसाधित की गयी है।
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	21.92	9.7	₹ 13.65 करोड़ की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है। शेष प्रकरणों में वसूली (₹ 8.27 करोड़) हेतु माँग संसाधित की गयी है।
वाहनों पर कर	8.64	2.44	उन्नीस प्रकरण (₹ 0.15 करोड़) न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किये गये हैं।
राज्य आबकारी	0.60	0.60	₹ 0.25 करोड़ की धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अन्य प्रकरणों में धनराशि (₹ 0.35 करोड़) की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।
मनोरंजन कर	0.22	0.04	₹ 0.02 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
योग	7,648.31	1,279.93	

स्रोत: विभागीय ऑफिस।

2.1.5 बकाया निर्धारण

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों का विवरण, कर निर्धारण योग्य प्रकरणों, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों एवं वर्ष के अन्त में अन्तिमीकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण जैसाकि बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर के संबंध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निम्न तालिका-2.1.5 में दिया गया है।

तालिका - 2.1.5: बकाया कर निर्धारण

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारण योग्य नए प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2016-17 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में अवशेष	निस्तारण की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	1,07,228	94,061	2,01,289	76,088	1,25,201	37.80

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

वर्ष 2016-17 के दौरान कर निर्धारण योग्य नए मामलों की संख्या वर्ष के दौरान निपटाए गये मामलों की संख्या से अधिक हो गई। इसलिए लम्बित प्रकरणों के संचय को रोके जाने के लिए विभाग को त्वरित कर निस्तारण हेतु अपने प्रयास में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।

2.1.6 वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के प्रकरणों, अन्तिमीकृत प्रकरणों तथा वर्ष 2016-17 में

उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्न तालिका-2.1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.6: करापवंचन

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2016-17 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिसमें कर निर्धारण/जाँच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2017 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि	
बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	343	2,174	2,517	1,941	68.56	576
मनोरंजन कर	122	382	504	411	0.07	93

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

वर्ष के आरम्भ में बकाये प्रकरणों की संख्या की तुलना में वर्ष के अन्त में बिक्री एवं व्यापार से सम्बन्धित करों/मूल्यवर्धित कर के बकाया प्रकरणों की संख्या में वृद्धि तथा मनोरंजन कर के प्रकरणों की संख्या में कमी हुई। विभाग द्वारा मांग की गई राशि के सापेक्ष वसूल की गई राशि को सूचित नहीं किया गया था (दिसम्बर 2017)।

2.1.7 कर वापसी के प्रकरण

वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में कर वापसी के लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार कर वापसी एवं वर्ष 2016-17 के अन्त में लम्बित प्रकरण, जैसाकि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्न तालिका-2.1.7 में दिए गये हैं।

तालिका-2.1.7: कर वापसी प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर अधिनियम	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	737	23.36
वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,227	54.15
वर्ष के दौरान की गई वापसी	3,936	43.31
वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1,028	34.20

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम 2005, की धारा 36 (3) में यह व्यवस्था है कि यदि वापसी दो माह पश्चात् की जाती है तो ब्याज नों प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय होगा। ब्याज दायित्व से बचने के लिए राज्य सरकार को समय में कर वापसी के दावों का निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड निर्धारित लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, लेन-देनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएँ तथा जिनको स्थल पर निस्तारित नहीं किया गया, को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) में सम्मिलित करते हुये निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को शीघ्र सुधार की कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों को नि प्र की प्राप्ति की दिनांक से चार सप्ताह के अन्दर नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। गम्भीर अनियमितताएँ विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

जून 2017 के अंत तक 1,091 नि प्र से सम्बन्धित 2,431 लेखापरीक्षा निष्कर्ष बकाया थे जिसमें ₹ 583.02 करोड़ की धनराशि अन्तर्निहित थी। पूर्ववर्ती दो वर्षों हेतु तदनुपरूपी आँकड़ों सहित विवरण निम्न तालिका-2.1.8 में दर्शाये गये हैं।

तालिका-2.1.8: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	922	977	1,091
बकाया लेखापरीक्षा निष्कर्षों की संख्या	1,985	2,150	2,431
अन्तर्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	188.66	264.99	583.02

2.1.8.1 30 जून 2017 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण निम्न तालिका-2.1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.9: विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

विभाग का नाम	प्राप्त की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा निष्कर्षों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)
वित्त	बिक्री, व्यापार एवं सुख-साधन पर कर	530	1,403	159.91
	मनोरंजन कर	15	14	0.12
आबकारी	राज्य आबकारी	87	133	135.38
परिवहन	मोटोरयानों पर कर	118	296	125.57
स्टाम्प एवं पंजीयन	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	309	470	12.60
वन	वन	32	115	149.44
योग		1,091	2,431	583.02

उत्तर प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का बड़ी मात्रा में लम्बित रहना यह दर्शाता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई।

सरकार अनिस्तारित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

2.1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति की निगरानी एवं शीघ्र निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति गठित करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान, वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु केवल एक ही लेखापरीक्षा समिति का आयोजन किया गया, जिसमें ₹ 30.65 करोड़ की धनराशि के अन्तर्निहित 83 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

बड़ी संख्या में लंबित अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रस्तरों को देखते हुए उनके त्वरित निस्तारण हेतु सरकार सभी विभागों को निर्देशित कर सकती है कि महालेखाकार के परामर्श से लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें।

2.1.8.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, जिन्हें, महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर आकर्षित करते हुये और उन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये ऐसे प्रस्तरों के अंत में विभाग/शासन से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्यों को हमेशा इंगित किया गया है।

एक² विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा सहित नौ प्रलेख प्रस्तरों को फ़रवरी 2016 से जुलाई 2017 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित किया गया था। इन नौ प्रलेख प्रस्तरों में से, केवल एक उप प्रस्तर एवं एक प्रलेख प्रस्तर पर शासन का उत्तर प्राप्त हुआ है जो प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है। शेष आठ प्रस्तरों को बिना किसी शासकीय प्रतिक्रिया के इस अध्याय में सम्मिलित कर लिया गया है जिन पर उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2017)। तथापि, सम्बन्धित लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा उत्तर प्राप्त हो गये हैं तथा इन्हें उचित प्रकार से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

2.1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति द्वारा दिसम्बर 2002 में अधिसूचित किया गया कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर स्वप्रेरित कृत कार्यवाही भले ही लोक लेखा द्वारा चर्चा हेतु नहीं लिये गये हों, प्रारम्भ करेगी तथा उस पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रतिवेदन के पटल पर रखने के तीन माह के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों को असाधारण विलंब से प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 26 प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया। दिसम्बर 2012 से मई 2017 के मध्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में नौ प्रस्तरों से सम्बन्धित विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ औसतन सात माह के विलंब से प्राप्त हुई थीं एवं पाँच विभागों से सत्रह प्रस्तरों के संबंध में कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं (दिसम्बर 2017)।

वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व से सम्बन्धित किसी भी प्रस्तर पर लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं हुई।

2.1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण

शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के मुख्य मुद्दों को सम्बोधित करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया।

विगत पाँच वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च 2017 की स्थिति निम्न तालिका-2.1.10 में तालिकाबद्ध है।

तालिका-2.1.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्तिम अवशेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
2012-13	402	1,023	81.30	37	151	23.79	27	78	11.20	412	1,096	93.89
2013-14	412	1,096	93.89	35	140	21.26	36	156	10.38	411	1,080	104.77
2014-15	411	1,080	104.77	44	135	8.83	17	100	13.12	438	1,115	100.48
2015-16	438	1,115	100.48	46	199	42.23	06	59	2.06	478	1,255	140.65
2016-17	478	1,255	140.65	52	265	44.57	06	94	39.73	524	1,426	145.48

² 'राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति' पर विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा।

वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में 1,023 बकाया प्रस्तरों वाली 402 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष, वर्ष 2016-17 के अन्त में बढ़कर 1,426 प्रस्तरों वाले 524 निरीक्षण प्रतिवेदन बकाया हो गये थे, जबकि 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान मात्र 487 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

2.1.10 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा सम्पादित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ अग्रेषित किया जाता है। इन पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के विचारों को सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्य कर विभाग पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले), परिवहन विभाग पर एक, खनिज विभाग पर एक एवं स्टाम्प एवं पंजीयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को विगत छः वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आलोक में कुल 33 संस्तुतियों को शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियों (कृ का टि) का विवरण निम्न तालिका-2.1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.11: सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुति पर कृत कार्यवाही

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्थिति
2009-10	बिक्री कर से मूल्यवर्धित कर के लिये पारगमन	08	दिनांक 07.08.2014 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लम्बित
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन	08	दिनांक 30.10.2013 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लम्बित
2011-12	मूल्यवर्धित कर का प्रशासन	07	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
2013-14	मोटरवाहन पर करों का आरोपण एवं संग्रहण	03	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
	उप-खनिजों की प्राप्ति	02	
2014-15	राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण	02	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
2015-16	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क पर करों के आरोपण एवं संग्रहण	03	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त

2.1.11 लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 331 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 168 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी एवं उनकी लेखापरीक्षा की गयी थी। इकाईयों का चुनाव जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

उपर्युक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान उत्तराखण्ड में आसवनियों की कार्यपद्धति जाँचने हेतु "राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति" पर एक विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा भी सम्पादित की गयी थी।

2.1.12 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016-17 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, स्टाम्प एवं पंजीयन, मनोरंजन कर, वन तथा खनन एवं खनिकर्म विभागों की 168 इकाईयों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 460 प्रस्तरों में कुल ₹ 681.30 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि एवं अन्य

अनियमितताएँ हुईं जिनका विवरण निम्न तालिका-2.1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.12: श्रेणीवार लेखापरीक्षा निष्कर्ष

क्रम सं.	श्रेणी	प्रस्तारों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर			
1.	अनियमित छूट अनुमन्य किया जाना	14	2.13
2.	कर की रियायती दर पर अनियमित छूट	119	26.44
3.	अन्य अनियमितताएँ	132	15.97
	योग	265	44.54
खनन एवं खनिकर्म			
1.	रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण, लघु खनिकर्म की अवैध खनन पर अर्थदण्ड का न्यूनारोपण एवं अन्य विविध अनियमितताएँ	62	92.00
	योग	62	92.00
वन			
1.	लीसा के निर्धारित मानक से कम दोहन से राजस्व क्षति, भंडारित लीसा के रिसाव के कारण राजस्व क्षति, लीज किराया के विलम्बित जमा पर ब्याज की गैर-वसूली एवं अन्य विविध अनियमितताएँ	23	36.74
	योग	23	36.74
वाहनों पर कर			
1.	दुर्घटना राहत निधिकोष में कर का जमा ना होना, एक बार आरोपित कर के कम जमा होने से राजस्व क्षति, व्यापार कर ना जमा होने से राजस्व क्षति, फिटनेस शुल्क के रूप में राजस्व क्षति एवं अन्य विविध अनियमितताएँ	74	109.26
	योग	74	109.26
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फ़ीस, राज्य आबकारी एवं मनोरंजन एवं सुख साधन कर			
1.	स्थानीय श्रेणी के गलत चयन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फ़ीस की कम उगाही	12	0.068
2.	अन्य अनियमितताएँ	23	45.77
3.	"आसवनियों की कार्यपद्धति"	01	352.92
	योग	36	398.76
	महायोग	460	681.30

वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹8.31 करोड़ की धनराशि के 90 प्रस्तारों के अवमूल्यांकन एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को स्वीकार किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान विभागों द्वारा 83 प्रस्तारों से सम्बन्धित ₹0.80 करोड़ का संग्रहण किया गया। जिनमें से, 10 प्रस्तारों की राशि ₹0.19 करोड़ वर्तमान वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर एवं शेष पिछले वर्ष से सम्बन्धित थीं।

2.1.13 राजस्व अध्याय का आच्छादन

राजस्व अध्याय में ₹357.65 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली एक विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा³ सहित नौ प्रस्तर सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें से पाँच प्रकरणों में विभाग/शासन द्वारा ₹1.18 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया गया। इनकी अध्याय II में आगे आने वाले प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

³ 'राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति' पर विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.2 अर्थदण्ड का अनारोपण

विभाग द्वारा के बि क अधिनियम की धारा 10-क के अंतर्गत ₹1.21 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया जबकि निर्धारितियों द्वारा ऐसे माल रियायती प्रपत्र पर क्रय किये गये थे, जिसके लिए वे पंजीकृत नहीं थे।

केन्द्रीय बिक्री कर (के बि क) अधिनियम 1956 की धारा 8(1) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर की दर निर्धारित करती है। अधिनियम की धारा 8(3)(ख) पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग या वर्गों के रूप में माल को परिभाषित करता है। पुनः, के बि क अधिनियम की धारा 8(4) बताती है कि धारा 8(1) के प्रावधान अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी विक्रय पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि व्यापारी निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-ग⁴) में घोषणापत्र प्रस्तुत नहीं कर देता।

पुनः, धारा 10(ख) के अनुसार, यदि ऐसे माल जो के बि क अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र के द्वारा आच्छादित नहीं है अथवा यदि धारा 10(घ) के अनुसार, जो राज्य के बाहर से कर की रियायती दर से क्रय माल का उपयोग उस उद्देश्य जिसके लिये पंजीयन प्रमाणपत्र दिया गया, से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाता है, तो व्यापारी के बि क अधिनियम की धारा 10-क के अंतर्गत अभियोग किये जाने का उत्तरदायी होगा। तथापि, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी यह सही समझे तो वह अभियोजन के बदले, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुणा तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

एक उ आ⁵ (जून 2015) तथा दो स आ⁶ (जून 2016 एवं जनवरी 2017) के कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो व्यापारियों से सम्बन्धित निम्नलिखित चार प्रकरणों में ₹1.21 करोड़ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.2.1** में वर्णित है) का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था:

- (1) प्रथम दो प्रकरणों में (**परिशिष्ट-2.2.1** का क्रम संख्या 1 एवं 2), व्यापारी ने प्रपत्र-ग जारी करके रियायती दर पर माल क्रय किया। यद्यपि, माल क्रमशः 2009-11 तथा 2012-13 की अवधि के दौरान संगत केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं था, अतः अधिनियम की धारा

⁴ अन्तर्राज्यीय व्यापार में कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता व्यापारी को जारी किया गया प्रपत्र।

⁵ उप आयुक्त (कर निर्धारण) - IV, वाणिज्य कर, देहरादून।

⁶ सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-I, वाणिज्य कर, अल्मोड़ा तथा सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-IV, वाणिज्य कर, रुड़की।

10(ख) के अनुसार अभियोग के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार, विभाग द्वारा ₹0.16 करोड़⁷ का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था।

- (2) तृतीय प्रकरण में (परिशिष्ट-2.2.1 का क्रम संख्या 3), व्यापारी ने डेमो वाहन रियायती दर पर खरीदे थे, जो कि बिक्री के लिए नहीं थे। चतुर्थ प्रकरण में (परिशिष्ट-2.2.1 का क्रम संख्या 4), आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड के निर्णय⁸ (अक्टूबर 2009) कि जल निगम द्वारा प्रपत्र-ग जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक विनिर्माणकर्ता नहीं है, के बावजूद पेयजल निगम, अल्मोड़ा ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान माल क्रय करने के लिए प्रपत्र-ग जारी किये। निगम ने धारा 8(3)(ख) की अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं किया। जैसाकि, इन प्रकरणों में विभाग द्वारा अर्थदण्ड (₹1.05 करोड़⁹) आरोपित किया जाना था।

क नि प्रा ने नवम्बर 2013 और मार्च 2016 के मध्य इन प्रकरणों में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय प्रपत्र-ग के विरुद्ध कर की रियायती दर पर माल के अनियमित क्रय का पता नहीं लगाया। क नि प्रा के स्तर पर हुई चूक के परिणामस्वरूप ₹1.21 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ। इसे इंगित किये जाने पर, क नि प्रा ने अवगत कराया (जून 2015, जून 2016 तथा जनवरी 2017) कि प्रकरण की जाँच की जायेगी तथा तदनुसार की गई कार्यवाही से सूचित किया जायेगा। प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.3 प्रपत्र-11 का अनाधिकृत उपयोग

माल को रियायती दर पर क्रय करने हेतु घोषणा प्रपत्र-11 के अनाधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप ₹26.61 लाख के कर के न्यूनारोपण के कारण राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, ₹94.95 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(7)(ख) में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यापारी को विनिर्माण, विनिर्मित माल की पैकिंग या अन्तर्राज्यीय व्यापार में प्रयोग करने के लिये माल को रियायती दर पर क्रय करने हेतु मान्यता प्रमाणपत्र¹⁰ प्रदान करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 58(1) (xxix) के अनुसार, गलत अथवा मिथ्या घोषणा पत्र अथवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्थदण्ड¹¹ का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 63 में भी कर की ऐसी धनराशि आरोपित किये जाने का प्रावधान है जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणा पत्र जारी न किया गया होता।

⁷ ₹ (0.04 + 0.07 + 0.05) करोड़।

⁸ पत्र सं 2955/वा. कर उत्तरा./वाणि. अनुभाग/वा क./09-10 दिनांक 16.10.2009।

⁹ ₹ (0.12 + 0.93) करोड़।

¹⁰ व्यापारी को माल के विवरण सहित जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसे रियायती दर पर क्रय किया जा सकता है।

¹¹ अन्तर्गस्त माल के मूल्य का 40 प्रतिशत से अनधिक या इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे माल पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में आरोपित किया जायेगा।

वाणिज्य कर विभाग के तीन कार्यालयों¹² के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (मई 2015, दिसम्बर 2015 तथा मार्च 2017) कि चार क्रेताओं (जैसाकि **परिशिष्ट-2.3.1** में वर्णित है) ने कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 2.35 करोड़ मूल्य का माल क्रय करने हेतु, क्रय के विरुद्ध कर की रियायती दर का लाभ लेते हुये प्रपत्र-11¹³ जारी किया। तथापि, क्रेता, या तो सम्बन्धित मान्यता प्रमाणपत्र से आच्छादित न होने अथवा राज्य में करयोग्य माल के निर्माण में ये माल प्रयोग न होने के कारण जो कि धारा 4 (7) (ख) के अनुसार आवश्यक है, रियायती दर पर माल क्रय करने के पात्र नहीं थे। अतः, इन प्रकरणों में मूल्य वर्धित कर की दर में रियायत देना अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 26.61 लाख की राजस्व क्षति हुई जिसकी वसूली किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन के कारण क्रेताओं पर ₹ 94.95 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

इसे इंगित किये जाने पर स आ, देहरादून ने अवगत कराया कि अन्तरीय कर एवं अर्थदण्ड की वसूली¹⁴ हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है (जून 2016) जबकि उ आ, रुद्रपुर ने सूचित किया (फरवरी 2017) कि सितम्बर 2016 में वसूली¹⁵ हेतु नोटिस जारी किया गया था। तथापि, उ आ, विकासनगर द्वारा प्रकरण में कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2017)। वसूली की स्थिति प्रतीक्षारत है (अक्टूबर 2017)। प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.4 कर का न्यूनारोपण

कर की गलत दर लागू करने से कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 89.52 लाख की राजस्व क्षति हुई।

मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(ख) एवं (ई) के अनुसार अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में चार प्रतिशत तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न के संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। पुनः, 01 अप्रैल 2010 से अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था। पुनः यह दरें 28 मई 2012 से अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में पांच प्रतिशत तथा अवर्गीकृत माल के संबंध में 13.5 प्रतिशत संशोधित की गई थीं।

पाँच कर निर्धारण प्राधिकारियों¹⁶ (क नि प्रा) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए सात व्यापारियों का कर निर्धारण (मार्च 2014 से मई 2015) करते समय क नि प्रा ने विक्रीत माल जो कि किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं थे, पर

¹² उप आयुक्त (उ आ) (कर निर्धारण)-II, वाणिज्य कर, रुद्रपुर; सहायक आयुक्त (स आ) (कर निर्धारण) खण्ड-IV, वाणिज्य कर, देहरादून तथा उप आयुक्त (उ आ) (कर निर्धारण)-I, वाणिज्य कर, विकास नगर।

¹³ विनिर्माता जो वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है, को धारा 4(7) के अंतर्गत प्रपत्र-11 के विरुद्ध रियायती दर पर कच्चे माल को खरीदने हेतु विशेष राहत प्रदान की गई है।

¹⁴ कर की धनराशि: ₹ 4,27,437 एवं ₹ 16,28,332 का अर्थदण्ड।

¹⁵ कर की धनराशि: ₹ 5,39,383 एवं ₹ 18,99,564 का अर्थदण्ड।

¹⁶ उप आयुक्त (कर निर्धारण)-II तथा III, वा क, रुद्रपुर, सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-III, वा क, हरिद्वार, खण्ड-IV, वा क, रुड़की, खण्ड-II, वा क, हरिद्वार।

12.5 तथा 13.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 तथा 4.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 89.52 लाख (जैसाकि **परिशिष्ट-2.4.1** में वर्णित है) के कर का न्यूनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, उ आ (कर निर्धारण)-II, रुद्रपुर ने पाँच प्रकरणों में से तीन प्रकरणों¹⁷ में ₹ 25,12,956 की माँग सृजित की (मार्च एवं नवम्बर 2016), उ आ (कर निर्धारण)-III, रुद्रपुर ने एक प्रकरण में ₹ 5,09,499 की माँग सृजित की (अगस्त 2016) एवं स आ (कर निर्धारण)-IV, रुद्रपुर ने सभी दो प्रकरणों¹⁸ में ₹ 1,77,104 की माँग सृजित की (सितम्बर 2017) जबकि उ आ (कर निर्धारण)-II, रुद्रपुर (शेष दो प्रकरणों में) और स आ (कर निर्धारण)-II, III, हरिद्वार (दो प्रकरणों में) ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों की विस्तृत जाँच के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.5 अर्थदण्ड का अनारोपण

व्यापारियों द्वारा विलंब से कर जमा करने के बावजूद भी विभाग द्वारा ₹ 15.96 लाख की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 31.12.2010 के अनुसार, पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक सकल आवर्त वाले व्यापारी आगामी मास की 25वीं तारीख तक ई-भुगतान के माध्यम से माहवार कर अदा करेंगे। यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुई।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(vii)(ख) के अनुसार यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो जाये कि किसी व्यापारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह ऐसे व्यापारी पर कर के अतिरिक्त देय कर का कम से कम दस प्रतिशत अर्थदण्ड के रूप में आरोपित करेगा।

दो उप आयुक्त¹⁹ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चार व्यापारियों²⁰ (जिनका सकल आवर्त ₹ 50 लाख से अधिक था) ने युक्तियुक्त कारण के बिना अपना देय कर तीन दिन से लेकर 39 दिन विलंब करते हुए जमा किया गया था। तथापि विभाग व्यापारियों पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1)(vii) के अनुसार न्यूनतम अर्थदण्ड भी (देय कर का 10 प्रतिशत की दर से) धनराशि ₹ 15.96 लाख आरोपित करने में भी विफल रहा (जैसाकि **परिशिष्ट-2.5.1** में वर्णित है)।

इसे इंगित किये जाने पर, उ आ (क नि)-I, हरिद्वार द्वारा सभी तीन²¹ प्रकरणों में माँग जारी की गई (मार्च 2017) तथा उ आ (क नि)-II, हरिद्वार ने अवगत कराया (मई 2015 तथा दिसम्बर 2016) कि जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण शासन को प्रेषित (जून 2017) किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

¹⁷ ₹ (5,36,419+8,98,666+10,77,871) = ₹ 25,12,956 ।

¹⁸ ₹ (68,770+1,08,334)= ₹ 1,77,104 ।

¹⁹ उप आयुक्त (कर निर्धारण) (उ आ) (क नि)-I एवं II, हरिद्वार।

²⁰ टिन सं.:05007113617, टिन सं.:05009645705, टिन सं.:05005891902 एवं टिन सं.:05002157305 ।

²¹ ₹ (7,75,253 + 2,88,495 + 1,27,115) = ₹ 11,90,863 ।

2.6 कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से कर का अनारोपण तथा माल की वास्तविक अभिग्रहण मूल्य को छिपाने के परिणामस्वरूप ₹29.59 लाख की राजस्व हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹12.57 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ख) एवं (ई) के अनुसार अधिनियम की अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में चार प्रतिशत की दर से तथा किसी भी अनुसूची में सम्मिलित से भिन्न, माल के संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। दिनांक 1 अप्रैल 2010 से क्रमशः 0.5 प्रतिशत तथा एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देय है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1)(14)(xiv) यथासंशोधित अधिसूचना संख्या: 1314/XXXVI(4)/2008 दिनांक 31 मार्च 2008 के अनुसार कोई व्यापारी मिथ्या लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज रखता है अथवा प्रस्तुत करता है, तो वह कर जिसे छोड़ा गया हो, कर की धनराशि के पचास प्रतिशत से कम नहीं किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी होगा।

वाणिज्य कर विभाग के एक उ आ²² तथा एक स आ²³ कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन न किये जाने से कर का अनारोपण संज्ञान में आया जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यापारियों के निम्नलिखित प्रकरणों में ₹29.59 लाख की राजस्व क्षति हुई।

(क) उ आ (क नि), वा क, विकास नगर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि एक व्यापारी²⁴ द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में अपने तुलन पत्र में ₹30.34 लाख एवं ₹7.96 लाख के क्रमशः प्लांट एवं मशीनरी तथा पुराने वाहन की बिक्री घोषित की गई। इन बिक्रियों पर अधिनियम में निर्धारित दर (पुराने/उपयोग किये गये वाहनों पर 4.5 प्रतिशत की दर जैसाकि अनुसूची II (ख) में सूचीबद्ध है तथा प्लांट एवं मशीनरी अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर) से कर देय था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी (क नि प्रा) ने ऐसी बिक्री पर ऐसा कोई कर आरोपित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹4.46 लाख²⁵ के कर का अनारोपण रहा।

(ख) पुनः, स आ (क नि) वा क, खण्ड-I, ऋषिकेश से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के दो कर निर्धारण प्रकरणों (अप्रैल 2014) में से एक²⁶ में कर निर्धारिती ने ₹70.06 लाख मूल्य की मशीनरी को क्रय किया लेकिन तुलन पत्र में प्लांट एवं मशीनरी में वृद्धि के रूप में केवल ₹26,655 दर्शाया गया।

²² उप आयुक्त (कर निर्धारण) (उ आ) (क नि), वाणिज्य कर, विकासनगर।

²³ सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) (स आ) (क नि), वाणिज्य कर, खण्ड-I, ऋषिकेश।

²⁴ टिन सं0 05006812820।

²⁵ ₹ 4.10 लाख (प्लान्ट एवं मशीनरी की बिक्री: ₹ 30.34 लाख x 13.5 प्रतिशत) + ₹ 0.36 लाख (पुराने वाहन की बिक्री: ₹ 7.96 लाख x 4.5 प्रतिशत)।

²⁶ टिन सं.:05003546830।

इसी प्रकार, अन्य प्रकरण²⁷ में एक कर निर्धारिती ने ₹2.13 करोड़ के प्लांट एवं मशीनरी को क्रय किया लेकिन तुलन पत्र में प्लांट एवं मशीनरी में वृद्धि के रूप में ₹0.82 करोड़ दर्शाया गया। अतः, दोनों व्यापारियों ने प्लांट एवं मशीनरी के वास्तविक मूल्य में क्रमशः ₹0.70 करोड़²⁸ एवं ₹1.31 करोड़²⁹ का छुपाव किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.01 करोड़³⁰ पर 12.5 प्रतिशत की दर से ₹25.13 लाख के कर का अनारोपण रहा। इसके अतिरिक्त, धारा 58(1)(14)(xiv) के अनुसार मिथ्या लेखे प्रस्तुत करने पर दोनों व्यापारियों पर कुल देय कर का 50 प्रतिशत की न्यूनतम दर से कुल ₹12.57 लाख³¹ अर्थदण्ड भी देय है।

इसे इंगित किये जाने पर उ आ (क नि), विकासनगर ने अवगत कराया (मार्च 2016) कि मामले की जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जबकि स आ (क नि) वा क, खण्ड-I, ऋषिकेश ने दोनों मामलों का पुनर्करनिर्धारण (जुलाई 2015) किया तथा मांग³² (बिना अर्थदण्ड के) सृजित की गई जिसकी वसूली प्रतीक्षित थी।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने तथा उपरोक्त मामलों में माल के वास्तविक अभिग्रहण मूल्य के छुपाव के कारण कर का अनारोपण रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹42.16 लाख³³ की राजस्व हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (जून 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

आबकारी विभाग

2.7 राज्य में आसवनियों की कार्यपद्धति

आसवनियों द्वारा दैनिक स्थापित क्षमता से अधिक और बारिश के मौसम के दौरान मदिरा का उत्पादन करके पर्यावरणीय मापदण्डों का पालन नहीं किया गया, जिस पर विभाग द्वारा ₹346.53 करोड़ के जुर्माने का आरोपण नहीं किया गया। न्यूनतम उत्पादन, किण्वन और आसवन क्षमता का नियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राप्त न करने और पारगमन के दौरान टोटल रिड्यूसिंग शुगर और शीरे की हानि के परिणामस्वरूप ₹2.67 करोड़ के आबकारी राजस्व की हानि हुई। विभाग मदिरा की निर्धारित तीव्रता से उच्च तीव्रता पर ₹2.46 करोड़ की इयूटि आरोपित करने में विफल रहा। आसवन पर छीजन को गलत अनुमन्य किये जाने और बॉण्डेड वेयर हाउस विदेशी मदिरा के लाइसेंस शुल्क के समायोजन अन्य कारक हैं जिनके कारण आबकारी राजस्व की हानि हुई।

²⁷ टिन सं.:05003515693।

²⁸ ₹ 70.06 लाख - ₹ 0.26 लाख = ₹ 69.80 लाख = ₹ 0.70 करोड़ (माना)।

²⁹ ₹ 2.13 करोड़ - ₹ 0.82 करोड़ = ₹ 1.31 करोड़।

³⁰ ₹ 0.70 करोड़ + ₹ 1.31 करोड़।

³¹ ₹ 25.13 लाख का 50 प्रतिशत।

³² ₹ 25.13 लाख।

³³ कर: ₹ (4.46 + 25.13) लाख + अर्थदण्ड: ₹ 12.57 लाख = ₹ 42.16 लाख।

2.7.1 परिचय

राज्य आबकारी विभाग मदिरा के उत्पादन, निर्माण, कब्जा, भण्डारण, परिवहन, खरीद और बिक्री पर ड्यूटी और शुल्क के आरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। राज्य आबकारी, उत्तरांचल आबकारी अधिनियम, 2002 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत विनियमित है। आसवनियाँ लाइसेंस प्राप्त इकाईयाँ हैं जहाँ मदिरा मुख्य रूप से चीनी के निर्माण के दौरान शीरे के किण्वन एवं आसवन से उप उत्पादन के रूप में प्राप्त होती है। मापदण्डों के अनुसार, मदिरा का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए देहरादून में स्थित प्रयोगशाला में आसवनी से प्राप्त शीरा और मदिरा की रासायनिक जाँच की जाती है। आसवनी में उत्पादित मदिरा पर लगायी गयी आबकारी ड्यूटी, आबकारी राजस्व का प्रमुख हिस्सा है। वाणिज्यिक करों के बाद आबकारी ड्यूटी से प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के लिए राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। आबकारी ड्यूटी के अतिरिक्त आसवक से उत्पादन, बॉटलिंग और मदिरा के थोक विक्रय के लिये अनुज्ञापी शुल्क भी आबकारी राजस्व का हिस्सा है।

उत्तराखण्ड में चार आसवनियाँ हैं। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान आसवनियों की कार्यपद्धति का आंकलन करने के लिए आबकारी आयुक्त, सम्बन्धित जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों (डी ई ओ) के अधिकार क्षेत्र में काम कर रही चार आसवनियों³⁴ और तीन सम्बन्धित डी ई ओ³⁵ के अभिलेखों की जाँच मार्च 2017 से जून 2017 के मध्य की गयी थी। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी कि क्या आसवनियों ने आबकारी मैनुअल में विनिर्दिष्ट न्यूनतम कार्यरत दक्षता प्राप्त की है; आसवनियाँ पर्यावरण मापदण्डों का पालन करती हैं; विद्यमान प्रावधानों के अनुसार पुनः आसवन छीजन की निगरानी की गयी तथा अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग में एक उपयुक्त आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र अस्तित्व में है।

लेखापरीक्षा के परिणाम

2.7.2 नियमों का पालन न करना

2.7.2.1 अधिक तीव्रता की देशी मदिरा पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी और विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क का आरोपण न किया जाना

अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 790 के अनुसार, रंग और स्वाद सामग्रियों को मिलाये जाने के बाद हाईड्रोमीटर पर दर्शायी गयी मद्दयसार की प्रदर्शित तीव्रता को सील बन्द बोतलों पर लगाये गये लेबल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, देशी मदिरा (दे श) पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की दर वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में 36 प्रतिशत आयतन/आयतन (वी/वी)³⁶ के लिए क्रमशः ₹ 140, ₹ 170 और ₹ 200 प्रति बल्क लीटर (बी एल) निर्धारित की गयी थी।

³⁴ काशीपुर, बाजपुर, देहरादून और लक्सर की आसवनियाँ।

³⁵ उधम सिंह नगर, देहरादून और हरीद्वार।

³⁶ आयतन/आयतन किसी मिश्रण में पदार्थ की सांद्रता मापने का पैमाना है जोकि किसी मिश्रण के आयतन का मिश्रण के कुल आयतन से अनुपात को 100 प्रतिशत से गुणा करने पर प्राप्त होता है।

दो आसवनियों³⁷ के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान, बॉटलिंग के लिए 4,99,84,094.16 बी एल³⁸ देशी मदिरा निर्गत की गयी थी। यह पाया गया कि इन बोतलों पर लगाये गये लेबल के अनुसार देशी मदिरा में एल्कोहल की मात्रा 36 प्रतिशत (वी/वी) थी। तथापि, रंग और स्वाद सामग्री को मिलाने के बाद मदिरा की वास्तविक तीव्रता आबकारी अभिलेखों के अनुसार 36.10 प्रतिशत (वी/वी) थी। इस प्रकार, सभी प्रकरणों में वास्तविक तीव्रता 0.1 प्रतिशत वी/वी अधिक थी। इस प्रकार वास्तविक एल्कोहल सामग्री के आधार पर प्रत्याभूत ड्यूटी नहीं लगाये जाने से विभाग को ₹2.31 करोड़³⁹ की प्रत्याभूत ड्यूटी का नुकसान हुआ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.1 अ** में वर्णित है)।

आगे, भारत में बनायी गयी विदेशी मदिरा (आई एम एफ एल) के प्रकरण में आबकारी उत्पाद शुल्क की दरें 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः ₹110, ₹135 और ₹155 प्रति एल्कोहल लीटर (ए एल) थी। एक आसवनी⁴⁰ के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि बॉटलिंग के लिए आई एम एफ एल के 1,10,97,638.28 बी एल निर्गत किये गये थे। इन बोतलों पर लगाये गये लेबलों में आई एम एफ एल में एल्कोहल की तीव्रता को 42.8 और 37.5 प्रतिशत वी/वी के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, रंग और स्वाद सामग्री को मिलाने के बाद मदिरा की वास्तविक तीव्रता आबकारी अभिलेखों के अनुसार 42.9 और 37.6 प्रतिशत वी/वी मिली थी। सभी प्रकरणों में वास्तविक तीव्रता 0.1 प्रतिशत वी/वी अधिक थी। आबकारी शुल्क वास्तविक एल्कोहल तीव्रता के आधार पर आरोपित न किये जाने के कारण ₹0.15 करोड़ के आबकारी उत्पाद शुल्क का कम संग्रह हुआ (**परिशिष्ट-2.7.1 ब**)। इंगित किये जाने पर, शासन ने अवगत कराया (दिसम्बर 2017) कि अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 790 और 805 के प्रावधानों के अनुसार मदिरा की तीव्रता को बनाए रखने के लिए 0.3 प्रतिशत वी/वी का मार्जिन अनुमन्य है। आगे, शासन ने यह भी अवगत कराया कि मदिरा का उत्पादन अनुमन्य मार्जिन के अंतर्गत ही किया गया है और कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। तथापि, शासन का तर्क प्रासंगिक नहीं था क्योंकि यह स्वीकार्य तीव्रता का मामला नहीं था बल्कि मदिरा में अधिक तीव्रता पर प्रत्याभूत अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी वसूल किये जाने से सम्बन्धित था।

2.7.2.2 न्यूनतम दक्षता और एल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आसवनियों ने अधिनियम के नियम 710 के तहत निर्धारित न्यूनतम किण्वन दक्षता (कि द)⁴¹, आसवन दक्षता (आ द)⁴² और मदिरा का न्यूनतम उत्पादन प्राप्त नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, ₹2.67 करोड़ के आबकारी राजस्व का नुकसान हुआ। जोकि **तालिका-2.7.1** में नीचे वर्णित है:

³⁷ बाजपुर और काशीपुर की आसवनियाँ।

³⁸ बाजपुर की आसवनी 2,28,24,691.20 बी एल, काशीपुर की आसवनी 2,71,59,402.96 बी एल।

³⁹ बाजपुर की आसवनी: ₹1.06 करोड़, काशीपुर की आसवनी: ₹1.25 करोड़।

⁴⁰ काशीपुर की आसवनी।

⁴¹ शीरे में मौजूद किण्वन शुगर की प्रतिशतता।

⁴² वॉश में मौजूद अल्कोहल का प्रतिशत।

तालिका 2.7.1- न्यूनतम कि द/आ द को प्राप्त न किये जाने और मदिरा के न्यूनतम उत्पादन के कारण राजस्व हानि का विवरण

क्र.सं.	सांविधिक प्रावधान	कमी/विचलन की प्रकृति	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1.	इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियम 710 में यह बताया गया है कि आसवक शीरे में मौजूद किण्वनी शर्करा (कि श) का 84 प्रतिशत न्यूनतम किण्वन दक्षता (कि द) बनाये रखेंगे।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान तीन आसवनियों ⁴³ को वॉश ⁴⁴ में 2,81,10,242 ए एल ⁴⁵ एल्कोहल एफ एस ⁴⁶ में से 2,36,12,604 ए एल ⁴⁷ एल्कोहल का उत्पादन 63 बैचों ⁴⁸ में 84 प्रतिशत किण्वन दक्षता बनाये रखते हुए करना था। तथापि, वॉश में मौजूद वास्तविक एल्कोहल 2,34,36,785 ए एल ⁴⁹ था। इसके परिणामस्वरूप, 1,75,819 ए एल ⁵⁰ एल्कोहल का कम उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त, बाजपुर की आसवनी में किण्वन और आसवन रजिस्टर के विभिन्न कॉलम (पी डी 9 ए) खाली पाये गये और अभिलेखों का रख रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था। इसका प्रभाव उत्पादित एल्कोहल की गणना पर पड़ा, जिसमें आबकारी उत्पाद शुल्क सम्मिलित था (जैसाकि परिशिष्ट-2.7.2 अ में वर्णित है)।	2.41	यह इंगित किये जाने पर शासन (आर बी एन एस, आई जी एल और दून वैली आसवनियों के मामले में) ने अवगत (दिसम्बर 2017) कराया कि किण्वन दक्षता निर्धारित दक्षता 84 प्रतिशत के अनुरूप थी। आगे, बाजपुर आसवनी के संबंध में शासन द्वारा यह अवगत (दिसम्बर 2017) कराया गया कि पी डी 9 ए रजिस्टर को पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं। तथापि, शासन का उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा 63 बैचों में किण्वन दक्षता 84 प्रतिशत से कम पायी गयी।
2.	अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 710 में यह बताया गया है कि आसवक वॉश में मौजूद एल्कोहल का 97 प्रतिशत न्यूनतम आसवन क्षमता (आ क्ष) को बनाये रखेंगे।	लेखापरीक्षा ने पाया कि दो आसवनियों ⁵¹ में 3,98,666.29 ए एल ⁵² एल्कोहल अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान वॉश में मौजूद 4,10,996.18 ए एल ⁵³ एल्कोहल से उत्पादित किया जाना चाहिये था। तथापि, अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 3,87,207.20 ए एल ⁵⁴ था। जिसके परिणामस्वरूप	0.16	यह इंगित किये जाने पर शासन (आर बी एन एस आसवनी के प्रकरण में) ने दावा किया (दिसम्बर 2017) कि आसवनी आसवन क्षमता के निर्धारित मानदंड 97 प्रतिशत को सुनिश्चित करती है। तथापि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दावे

⁴³ लक्सर, कुआँवाला और काशीपुर की आसवनियाँ।

⁴⁴ सैक्रिन घोल जिससे आसवन के दौरान मद्यसार प्राप्त की जाती है।

⁴⁵ काशीपुर की आसवनी 2,62,32,056 ए एल, लक्सर की आसवनी 13,66,833 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 5,11,353 ए एल।

⁴⁶ शीरे में ग्लूकोस युक्त किण्वनीय शर्करा, जिससे आसवनियों द्वारा अल्कोहल तैयार की जाती है।

⁴⁷ काशीपुर की आसवनी 2,20,34,927 ए एल, लक्सर की आसवनी 11,48,140 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 4,29,537 ए एल।

⁴⁸ काशीपुर की आसवनी 55 बैच, लक्सर की आसवनी 3 बैच और कुआँवाला की आसवनी 5 बैच।

⁴⁹ काशीपुर की आसवनी 2,18,65,296 ए एल, लक्सर की आसवनी 11,45,555 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 4,25,934 ए एल।

⁵⁰ काशीपुर की आसवनी 1,69,631 ए एल, लक्सर की आसवनी 2,585 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 3,603 ए एल।

⁵¹ लक्सर और कुआँवाला की आसवनियाँ।

⁵² लक्सर की आसवनी 2,60,798.37 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 1,37,867.92 ए एल।

⁵³ लक्सर की आसवनी 2,68,864.30 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 1,42,131.88 ए एल।

⁵⁴ लक्सर की आसवनी 2,53,048.90 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 1,34,158.30 ए एल।

		11,459.09 ए एल ⁵⁵ एल्कोहल का कम उत्पादन हुआ जिसमें आबकारी राजस्व सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, बाजपुर की आसवनी में किण्वन और आसवन रजिस्टर के विभिन्न कॉलम (पी डी 9 ए) खाली पाये गये और अभिलेखों का रख रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था। इसका उत्पादित मदिरा की गणना पर प्रभाव पड़ा जिसमें आबकारी राजस्व सम्मिलित है। (जैसाकि परिशिष्ट-2.7.2 ब में वर्णित)।		के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दूनवैली आसवनी के मामले में, शासन ने अवगत कराया कि अभिलेखों में दिखाये गये वॉश में एल्कोहल का <i>प्रतिशत</i> लिपिकीय त्रुटि थी और वास्तविक आसवन दक्षता मापदण्डों के अनुसार थी। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति विभाग द्वारा अनुरक्षित किये गये अभिलेखों पर आधारित थी।
3.	अधिनियम और नियमों में पारगमन में टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी आर एस) के लिये कोई भी नुकसान का प्रावधान नहीं है, साथ ही साथ जब चीनी कारखाने से पाइपलाइन के माध्यम से शीरे को आसवनी तक स्थानान्तरण किया जाता है तो शीरे में नुकसान का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किये गये नियम 710 में यह बताया गया है कि प्रति कुन्तल शीरे में मौजूद एफ एस से 52.5 ली एल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिए।	लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान दो आसवनियों ⁵⁶ में 20,197.55 कुन्तल ⁵⁷ शीरे को चीनी कारखाने से आसवनी तक पाइप लाइन के माध्यम से स्थानान्तरित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि शीरे के परिवहन के दौरान टी आर एस के <i>प्रतिशत</i> में कमी 0.04 से 0.72 <i>प्रतिशत</i> के बीच थी। आसवनी को 80.82 कुन्तल ⁵⁸ टी आर एस कम प्राप्त हुई। जिसमें से 3,733.80 ए एल ⁵⁹ एल्कोहल, जिस पर ₹ 5.56 लाख ⁶⁰ का आबकारी राजस्व सम्मिलित था, का उत्पादन किया जाना चाहिए था (जैसाकि परिशिष्ट-2.7.2 स में वर्णित है)। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 3,255 कुन्तल शीरा पाइप लाइन के माध्यम से एक चीनी कारखाने द्वारा एक आसवनी ⁶¹ में स्थानान्तरित किया गया था। लेकिन आसवनी को केवल 3,225 कुन्तल शीरा मिला अर्थात् 30 कुन्तल शीरे की कम आपूर्ति हुई थी जिससे 654.19 ए एल एल्कोहल, जिसमें ₹ 0.88 लाख आबकारी राजस्व सम्मिलित था, का उत्पादन किया जा सकता था, (जैसाकि परिशिष्ट-2.7.2 द में वर्णित है)।	0.06	यह इंगित किये जाने पर शासन ने (आर बी एन एस आसवनी के मामले में) जवाब दिया कि टी आर एस और शीरे का नुकसान लिपिकीय त्रुटि के कारण था। जबकि बाजपुर आसवनी के मामले में यह कहा गया कि किसी प्रयोग के परिणाम बार-बार दोहराने पर भिन्न होते हैं। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि टी आर एस और शीरे के आँकड़े मापने के बाद ही रिकॉर्ड किये जाते हैं तथा लिपिकीय त्रुटि मानते हुए नज़रअंदाज़ नहीं किये जा सकते हैं और यह पारगमन में हानि को इंगित करता है जिसकी जाँच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शीरे की मात्रा और टी आर एस की हानि नियमों और अधिनियम के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाती हैं।

⁵⁵ लक्सर की आसवनी 7,749.47 ए एल और कुआँवाला की आसवनी 3,709.62 ए एल।

⁵⁶ लक्सर की आसवनी और बाजपुर की आसवनी।

⁵⁷ लक्सर की आसवनी 19,255.70 कुन्तल और बाजपुर की आसवनी 941.85 कुन्तल।

⁵⁸ लक्सर की आसवनी 80.25 कुन्तल और बाजपुर की आसवनी 0.57 कुन्तल।

⁵⁹ लक्सर की आसवनी 3,707.70 ए एल और बाजपुर की आसवनी 26.10 ए एल।

⁶⁰ लक्सर की आसवनी ₹ 5.53 लाख और बाजपुर की आसवनी ₹ 0.03 लाख।

⁶¹ लक्सर की आसवनी।

4.	अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियम 710 में यह बताया गया है कि शीरे में मौजूद एफ एस के प्रति कुन्तल से 52.5 ली एल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिए।	एक आसवनी ⁶² के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जुलाई 2016 में शीरे का एक समग्र नमूना प्रयोगशाला में आसवनी द्वारा खपत किये गये 10,571 कुन्तल शीरे में शर्करा मात्रा जात करने के लिए प्रेषित किया गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट और निर्धारित मापदण्डों के आधार पर 3,977.87 कुन्तल एफ एस सामग्री शीरे में मौजूद थी। जिसमें से 2,08,838.18 ए एल एल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिए था। तथापि, केवल 2,06,101.20 ए एल एल्कोहल आसवनी द्वारा उत्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 2,736.98 ए एल एल्कोहल की कमी हुई जिस पर आबकारी राजस्व सम्मिलित था। (2,736.98 x ₹ 155)	0.04	यह इंगित किये जाने पर शासन ने अवगत कराया (दिसम्बर 2017) कि आसवनी को दंडित करने हेतु प्रकरण को आयुक्त को संदर्भित किया गया है।
योग		2.67		

2.7.2.3 अमान्य पुनः आसवन छीजन

अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 760 में यह प्रावधान है कि कुछ शर्तों के अधीन मद्यसार के पुनः आसवन की प्रक्रिया में दो प्रतिशत छीजन की अनुमति है। तथापि नियम, पुनः आसवन की प्रक्रिया के दौरान एथेनाल के निर्माण में रेक्टिफाइड स्पिरिट (आर एस) में कोई भी छीजन को अनुमन्य नहीं करते हैं।

एक आसवनी⁶³ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आसवनी में 3,52,615.50 ए एल रेक्टिफाइड स्पिरिट (आर एस) के पुनः आसवन की प्रक्रिया के माध्यम से 3,51,209.70 ए एल एथेनाल को निर्मित किया गया। आसवनी ने पुनः आसवन की प्रक्रिया में 1,405.80 ए एल आर एस के छीजन का दावा किया। आबकारी के प्रभारी अधिकारी ने गलत दावा किये गये छीजन को अनुमन्य कर दिया था यद्यपि यह उपरोक्त नियमों के अनुसार अनुमन्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.18 लाख के आबकारी उत्पाद शुल्क की हानि हुई।

यह इंगित किये जाने पर, शासन ने अवगत कराया गया (दिसम्बर 2017) कि आबकारी नियमावली के नियम 760 में पुनः आसवन की प्रक्रिया के दौरान 1.5 प्रतिशत का छीजन अनुमन्य है। जबकि आसवनी की छीजन केवल 0.4 प्रतिशत थी जो कि अनुमन्य सीमा के अंदर थी। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपयुक्त नियम पुनः आसवन द्वारा एथेनाल के निर्माण की प्रक्रिया में छीजन को अनुमन्य नहीं करता है।

2.7.2.4 बॉण्डेड वेयर हाउस विदेशी मदिरा के लाइसेंस शुल्क का कम आरोपण एवं समायोजन

उत्तराखण्ड के वर्ष 2015-16 की आबकारी नीति में मदिरा की 25,001-50,000 पेटियों की बिक्री के लिए ₹ आठ लाख का और 50,001-1,00,000 पेटियों की बिक्री के लिए ₹ 12 लाख का बॉण्ड लाइसेंस

⁶² बाजपुर की आसवनी।

⁶³ लक्सर की आसवनी।

शुल्क निर्धारित किया था। अधिनियम और नियम लाइसेंस शुल्क के किसी भी क्रमिक वर्ष के लिए समायोजन प्रदान नहीं करते हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए डी ई ओ, उधम सिंह नगर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग ने बॉण्डेड वेयर हाउस विदेशी मदिरा (बी डब्ल्यू एफ एल-2)⁶⁴ के लिए बाजपुर की एक फर्म को विदेशी मदिरा की एक लाख पेटियों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान किया था। जिसके लिए फर्म ने ₹12 लाख का लाइसेंस शुल्क भुगतान किया था। आगे, वर्ष 2016-17 के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के समय, नवीनीकरण शुल्क पर वर्ष 2015-16 के लिए भुगतान शुल्क ₹चार लाख की राशि समायोजित की गयी क्योंकि केवल पचास हजार पेटियों की बिक्री वर्ष 2015-16 में लाइसेंसधारी फर्म द्वारा बतायी गयी थी। इस प्रकार के अनुचित समायोजन के परिणामस्वरूप, ₹चार लाख के लाइसेंस शुल्क का कम आरोपण हुआ।

यह इंगित किये जाने पर शासन ने अवगत कराया (दिसम्बर 2017) कि वेयरहाउस केवल 50,000 पेटियों की बिक्री कर पाया था इसलिए ₹आठ लाख लाइसेंस शुल्क वसूल योग्य था। उत्तर में आगे यह भी कहा कि वेयर हाउस द्वारा जमा ₹चार लाख के अधिक लाइसेंस शुल्क को आगामी वर्ष में समायोजित किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि किसी एक विशेष वर्ष में घोषित की गयी बिक्री की संख्या के लिए जमा किये गये लाइसेंस शुल्क की राशि का समायोजन अनुमन्य नहीं था।

2.7.2.5 राजस्व का अवरोधन

अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियम 705 के अनुसार लाइसेंस धारी आसवक लाइसेंस की समाप्ति अथवा लाइसेंस रद्द अथवा निलम्बन की स्थिति में आसवनी के अन्दर रखे गये समस्त मद्यसार पर देय कर का भुगतान करने व उसे प्रवृत्त नियमों के अनुसार हटाने के लिए बाध्य है।

कार्यालय, आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि दो आसवनियों⁶⁵ ने क्रमशः माह मई 2010 व सितम्बर 2011 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन बन्द कर दिया था। आसवक के विदेशी मदिरा (एफ एल-3⁶⁶) भण्डार में 46,785.97 ए एल⁶⁷ भारत निर्मित विदेशी मदिरा थी (अप्रैल 2017)। तथापि, विभाग द्वारा मदिरा के भण्डार के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी जिस कारण राजकोष में ₹72.52 लाख⁶⁸ का राजस्व अवरुद्ध रहा।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2017) कि आसवनियाँ पी डी-2 लाइसेंस धारी थी और राजस्व तब संग्रहीत होता जब मदिरा की आसवनियाँ द्वारा एफ एल-3 से निकासी दी जाती। शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों आसवनियाँ ने मई 2010/सितम्बर

⁶⁴ बी डब्ल्यू एफ एल-2 लाइसेंस किसी व्यक्ति, फर्म और कंपनी को प्रदान किया जाता है, जो विदेशी मदिरा का उत्पादकर्ता हो, विदेशी मदिरा के बॉण्डेड वेयर हाउस को स्थापित और संचालित करे।

⁶⁵ कुआँवाला व बाजपुर की आसवनियाँ।

⁶⁶ एफ एल-3 एक प्रारूप है जिसपर बाटलिंग हेतु लाइसेंस दिया जाता है। एफ एल-1 विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए उत्पादक का लाइसेंस है।

⁶⁷ कुआँवाला की आसवनी :31,575.35 ए एल व बाजपुर की आसवनी :15,210.62 ए एल।

⁶⁸ कुआँवाला की आसवनी 31,575.35 ए एल @ ₹ 155 = ₹ 48.94 लाख व बाजपुर की आसवनी: 15,210.62 ए एल * ₹ 155 = ₹ 23.58 लाख।

2011 में उत्पादन बंद कर दिया था और साथ ही एक आसवनी⁶⁹ का एफ एल-1 और एफ एल-3 का लाइसेंस समाप्त हो गया था।

2.7.2.6 कम्पाउंडिंग शुल्क की वसूली न किया जाना

मद्यसार का निकासन फॉर्म पी डी 25 (उत्पादन व आसवन) पर किया जाता है एवं इसकी जानकारी फॉर्म पी डी 26 पर पी डी 25 के साथ भेजी जाती है। मद्यसार प्राप्तकर्ता द्वारा मद्यसार प्राप्ति को प्रमाणित करते हुए पी डी 26 को वापस जारीकर्ता को भेजना होता है। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश⁷⁰ के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि यदि पी डी-26 फॉर्म तीन माह की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर वापस प्राप्त नहीं होते हैं तो जारीकर्ता पर निर्धारित दर से आबकारी उत्पाद शुल्क प्रभारित कर दिया जायेगा।

एक आसवनी⁷¹ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि दो पी डी 26 फॉर्म, जिन पर माह अगस्त व नवम्बर 2014 में 42,547 ए एल मद्यसार का निर्यात जिले से बाहर किया गया था, तीन माह की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आसवक को वापस प्राप्त नहीं हुये थे। अनुज्ञप्तिधारक ने लेखापरीक्षा तिथि (मार्च 2017) तक मद्यसार प्राप्ति से सम्बन्धित अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2017) कि फॉर्म लेखापरीक्षा को उस समय उपलब्ध नहीं कराये गये थे और दावा किया गया कि फॉर्म प्राप्त हो गये हैं। तथापि, शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फॉर्म का जारीकर्ता को निश्चित समयावधि में वापस प्राप्त न होना उक्त वर्णित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप, आबकारी उत्पाद शुल्क ₹ 46.80 लाख का आरोपण नहीं हो पाया।

2.7.3 पर्यावरणीय मापदण्डों का अनुपालन न किया जाना

2.7.3.1 वर्षा काल के दौरान अनधिकृत उत्पादन

मदिरा के विनिर्माण हेतु पी डी-2 अनुज्ञप्ति⁷² इस शर्त के साथ दी जाती है कि अनुज्ञप्तिधारक मदिरा के विनिर्माण से निकलने वाली गंदगी व अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था करेगा एवं ऐसी सारी व्यवस्थाएं करेगा जैसाकि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गयी हो। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार उप-धारा (1)⁷³ के अंतर्गत की जाने वाली व्यवस्थाओं हेतु नियम बना सकती है अथवा यह आवश्यक कर सकती है कि उप-धारा के अनुसार की जाने वाली व्यवस्थायें ऐसे प्राधिकारी से अनुमोदित होनी चाहिये जैसाकि निर्धारित किया गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (भा स)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय मंजूरी व उत्तराखण्ड पर्यावरण निवारण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प नि प्र नि बो)

⁶⁹ कुआँवाला की आसवनी।

⁷⁰ आदेश सं 1162-90/9-390 दिनांक 15 अप्रैल 1987।

⁷¹ लक्सर स्थित आसवनी।

⁷² सरकार के अलावा आसवकों को उनके स्वामित्व वाले परिसर में काम किये जाने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये।

⁷³ प्रत्येक कारखाने में निर्माण प्रक्रिया के कारण उत्पन्न गंदगी व अपशिष्ट के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं होनी चाहिये जिससे उन्हें अहानिकारक बनाया जा सके व निस्तारण किया जा सके।

द्वारा संचालन हेतु दिए गये समेकित सहमति व प्राधिकार (सी सी ए) की विशिष्ट शर्तों के अनुसार आसवनियों का संचालन वर्षाकाल के दौरान नहीं किया जाना होगा। यदि वर्षाकाल में आसवनी संचालित होगी तो वर्षा का पानी गाद के साथ मिश्रित होगा जो कि बाहर बह कर सतही व उप-सतही जल-निकायों को प्रदूषित कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 कि धारा 15 के अनुसार जो कोई भी अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा निर्गत आदेशों का अनुपालन नहीं करता है या उल्लंघन करता है, वह इस संबंध में प्रत्येक उल्लंघन पर पाँच वर्ष तक की कैद अथवा ₹ एक लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंडनीय होगा। आगे, राज्य आबकारी अधिनियम की धारा 60(1)(घ) के अनुसार जो कोई भी अधिनियम या इसके अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास का उल्लंघन करते हुये आसवनी चलाता है तो वह दो वर्ष तक की कैद एवं ₹5,000 जुर्माना अथवा देय इयूटि के 10 गुणा से कम नहीं, जो भी अधिक हो, के साथ दंडनीय होगा।

तीन आसवनियों⁷⁴ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उ प नि प्र नि बो द्वारा प्रदत्त सी सी ए के आधार पर आसवनियों द्वारा पी डी-2 लाइसेंस प्राप्त किया गया था। तथापि, आसवनियों ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये अवधि 2014-17 में गैर-कानूनी रूप से वर्षाकाल के दौरान (जुलाई से सितम्बर) ₹17.76 लाख⁷⁵ ए एल मदिरा का उत्पादन किया था जिस पर ₹257.84 करोड़⁷⁶ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.3** में वर्णित है) का जुर्माना आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के सुसंगत प्रावधानों का भी उल्लंघन किये जाने पर ₹25 लाख⁷⁷ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.3** में वर्णित है) का जुर्माना अतिरिक्त रूप से आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा अवगत (दिसम्बर 2017) कराया गया कि आबकारी अधिनियम में वर्षा ऋतु में आसवनियों के कार्य को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया गया कि सी पी सी बी/उ प नि प्र नि बो द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन कराना सम्बन्धित विभाग की ज़िम्मेदारी थी।

शासन का उत्तर उसके स्तर पर जवाबदेही एवं पर्यावरणीय मानदंडों, दोनों की उपेक्षा प्रदर्शित करता है। उत्तर मैरिट के आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि पी डी-2 लाइसेंस में स्पष्ट उल्लेख है कि मदिरा के विनिर्माण करने वाले अनुज्ञप्तिधारक द्वारा गंदगी व अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाएगी जैसाकि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया और राज्य आबकारी अधिनियम की धारा 60(1)(घ) के साथ अन्य सभी अधिनियम/नियमों के अधीन बनाए गये उपबंधों के अधीन धनराशि ₹258.09 करोड़ का जुर्माना आरोपणीय था (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.3** में वर्णित है)।

2.7.3.2 प्रतिदिन उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन

अधिनियम की धारा 60 के अनुसार, किसी भी आसवनी द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ का विनिर्माण किये जाने पर कैद, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और ₹5,000 जुर्माना अथवा देय इयूटि के 10 गुणा से कम नहीं, जो भी अधिक है, के साथ दण्डनीय है। उ प नि प्र नि बो द्वारा

⁷⁴ लक्सर, बाजपुर व कुआँवाला की आसवनियाँ।

⁷⁵ लक्सर की आसवनी: ₹9.07 लाख ए एल, कुआँवाला की आसवनी: ₹0.48 लाख ए एल व बाजपुर की आसवनी: ₹8.21 लाख ए एल।

⁷⁶ लक्सर की आसवनी: ₹137.52 करोड़, कुआँवाला की आसवनी: ₹7.49 करोड़ व बाजपुर की आसवनी: ₹112.83 करोड़।

⁷⁷ लक्सर की आसवनी: ₹10.00 लाख, कुआँवाला की आसवनी: ₹2.00 लाख व बाजपुर की आसवनी: ₹13.00 लाख।

पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त सी सी ए में भी आसवनियों के प्रतिदिन उत्पादन की सीमाबद्धता निर्धारित की गयी है।

यदि किसी आसवनी का इसकी प्रतिदिन उत्पादन क्षमता से अधिक संचालन किया जाता है तो उत्पादन क्षमता के साथ संबद्ध प्रदूषक निवारण की सुविधा प्रभावपूर्ण तरीके से काम नहीं करेगी एवं प्रदूषक जल-निकायों में स्रावित हो सकता है जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण मंत्रालय, भा स द्वारा लक्सर स्थित आसवनी को दी गयी पर्यावरणीय अनुमति जारी किये गये निर्देश (मई 2006), एवं उ प नि प्र नि बो द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 हेतु इस आसवनी को जारी सी सी ए के निर्देशों के अनुसार आसवनी का उत्पादन 60 किलो ली प्रतिदिन (के एल पी डी) सीमित किया गया था। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश⁷⁸ के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिदिन अधिष्ठापित क्षमता (वार्षिक लाइसेंस पर आधारित) से अधिक उत्पादन करने वाली आसवनियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

लक्सर स्थित आसवनी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आसवनी ने अवैध रूप से (2014-15 से 2016-17) 2.74 लाख बी एल (2.68 लाख ए एल) मदिरा का अपनी प्रतिदिन अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन किया था जिस पर ₹41.14 करोड़ का जुर्माना आरोपणीय था (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.4** में वर्णित है)।

आगे, सी पी सी बी द्वारा जारी निर्देशों (सितम्बर 2005) के अनुसार बाजपुर स्थित आसवनी का उत्पादन 20 के एल पी डी सीमित किया गया था जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त को आसवनी में नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा आसवनी के वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 के पी डी-2 लाइसेंस नवीनीकरण के समय दी गयी थी। तथापि, आसवनी द्वारा अवैध रूप से अपनी प्रतिदिन अधिष्ठापित क्षमता से अधिक 3.50 लाख बी एल (3.33 लाख ए एल) मदिरा का उत्पादन (वर्ष 2014-15 से 2016-17) किया गया था जिस पर ₹46.61 करोड़ का जुर्माना आरोपणीय था (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.4** में वर्णित है)।

आगे, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उक्त दोनों आसवनियों पर ₹69 लाख⁷⁹ का जुर्माना भी आरोपणीय था (जैसाकि **परिशिष्ट-2.7.4** में वर्णित है)।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने अवगत कराया (दिसम्बर 2017) कि मदिरा का उत्पादन, उत्पादन व आसवन (पी डी-2) लाइसेंस के अनुसार वार्षिक उत्पादन सीमा के अंतर्गत था। तथापि, उत्तर भा स के साथ-साथ आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों में निर्धारित सीमा की अनदेखी करता है, अतः मान्य नहीं था।

2.7.4 अपेक्षित परीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण का अभाव

2.7.4.1 शीरे के नमूनों का परीक्षण

अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 710 के अनुसार आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा क्रमबद्ध तरीके से तीन आउट-टर्न्स में उपभोग किये गये शीरे के नमूने लिये जाने चाहिए और इनको तीन बराबर भागों में बाँटना चाहिए। आसवक द्वारा एक भाग को राज्य सरकार के रसायन परीक्षक अथवा

⁷⁸ आदेश सं 8639-8851/नौ/233 (बाजपुर)/इला दिनांक, नवम्बर 27, 1996।

⁷⁹ लक्सर की आसवनी: ₹ 27 लाख व बाजपुर की आसवनी: ₹ 42 लाख।

आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था के पास कि श की प्रतिशतता के निर्धारण हेतु भेजा जाना चाहिए। यदि शीरे के नमूनों का परीक्षण नहीं किया जाता है तो शीरे में उपलब्ध कि श की प्रतिशतता एवं मदिरा के न्यूनतम उत्पादन जो कि आसवक द्वारा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम प्राप्ति के अनुसार किया जाना था, का निर्धारण नहीं हो सकेगा। एक आसवनी⁸⁰ के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान शीरे के 26 नमूने परीक्षण के लिये नहीं भेजे गये थे और आसवक को 18 नमूनों की आख्याएँ प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2016-17 में तीन आसवनियों⁸¹ से सम्बन्धित शीरे के 11 बैचों की आख्याएँ आसवक को प्राप्त नहीं हुई थी। समस्त आसवनियों द्वारा प्रयोगशाला को भेजे गये शीरे के नमूनों की आख्याएँ 14 दिनों की निश्चित अवधि उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुई थी। शासन द्वारा अवगत कराया गया (दिसम्बर 2017) कि एक आसवनी (मै आर बी एन एस आसवनी) द्वारा भेजे गये अधिकांश नमूनों की आख्याएँ प्राप्त हो गयी हैं और विभागीय अधिकारियों को शेष आख्याएँ उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं। तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में मदिरा की प्राप्ति (अर्थात् मदिरा उत्पादन हेतु उपभोग किये गये शीरे में उपलब्ध किण्वीय शर्करा की प्रति कुंतल मात्रा से 52.5 ली मदिरा प्राप्ति) सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि या तो नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे नहीं गये थे अथवा आसवक को सम्बन्धित प्रयोगशाला आख्याएँ प्राप्त नहीं हुयी थीं।

2.7.4.2 आबकारी ताले एवं आबकारी उपकरण की आपूर्ति न किया जाना

अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 735 व 736 द्वारा प्रावधान किया गया है कि भट्टी के चार्जिंग एवं डिसचार्जिंग नलिकायें, मद्यसार की समस्त सुरक्षाएँ, समस्त मुख्य दरवाजे, कॉक्स अथवा भट्टी के दूसरे खुलाव, मद्यसार टंकी, मद्यसार रिसीवर एवं मद्यसार के अन्य पात्रों को आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रारूप के आबकारी तालों से सुरक्षित किया जाना चाहिये। सभी कमरों जो मद्यसार भंडारण के लिये प्रयोग किये जाते हैं, के दरवाजों पर दोहरे ताले जिनकी चाबी आपस में बदली न जा सके, की व्यवस्था होनी चाहिए और इनमें से एक आबकारी ताला जो कि आबकारी निरीक्षक के प्रभार में व दूसरा आसवनी ताला जो कि आसवनी स्वामी के प्रभार में होना चाहिए। आगे, नियम 817 में यह प्रावधान है कि प्रारूप पी डी 4 में राजकीय संपत्ति की भण्डार पंजिका का रखरखाव आसवनी में किया जाना चाहिए। आबकारी तालों एवं समस्त आबकारी उपकरणों जैसे हाइड्रोमीटर, सक्करोमीटर, थर्मोमीटर, एल्कोहलमीटर व टेस्ट-ग्लासों आदि का विवरण पंजिका में अंकित किया जाना चाहिये।

समस्त चार आसवनियों⁸² द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा अपेक्षित 54 तालों के सापेक्ष तीन आसवनियों⁸³ में एक भी ताला उपलब्ध नहीं कराया गया था और एक आसवनी में 10 ताले उपलब्ध कराये गये थे। उपकरण के संबंध में, लक्सर में कोई भी उपकरण

⁸⁰ लक्सर की आसवनी।

⁸¹ कुआँवाला, बाजपुर व काशीपुर की आसवनियाँ।

⁸² लक्सर, बाजपुर, कुआँवाला व काशीपुर की आसवनियाँ।

⁸³ लक्सर, बाजपुर व काशीपुर।

उपलब्ध नहीं कराया गया था। आसवक स्वयं के तालों व उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे। इसलिये, मद्यसार व मदिरा की चोरी से इन्कार नहीं किया जा सकता।

शासन द्वारा सूचित किया गया (दिसम्बर 2017) कि सम्बन्धित आबकारी अधिकारियों द्वारा आबकारी तालों और उपकरण की मांग की गयी थी।

2.7.4.3 नीति का अनुपालन न किया जाना

राज्य आबकारी नीति, 2015-16 में देशी मदिरा के साथ राज्य में उत्पादित फलों के रस को मिलाये जाने का प्रावधान है। आसवक को इस आशय का शपथपत्र/प्रमाणपत्र देना है कि प्रयुक्त फल उत्तराखण्ड राज्य का ही उत्पाद थे। आगे, आबकारी नीति 2015-16 में समस्त आसवनियों को राज्य स्तर पर एक चौथाई देशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है। समस्त आसवनियों एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा अवधि 2015-16 हेतु उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह ज्ञात हुआ कि आसवक देशी मदिरा के साथ फलों का रस मिश्रित नहीं कर रहे थे। आगे, यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा आसवनियों को राज्य स्तर पर देशी मदिरा की एक चौथाई आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई दिशा-निर्देश या निश्चित लक्ष्य नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को शासन द्वारा (दिसम्बर 2017) स्वीकार किया गया।

2.7.4.4 जी-6 पंजिका का रखरखाव न किया जाना

आबकारी विभाग की समस्त प्राप्तियाँ जी-6 पंजिका में अंकित की जाती हैं। विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रयोगशाला द्वारा भी जी-6 पंजिका का रखरखाव एवं प्राप्तियों का सत्यापन/मिलान किया जाना अपेक्षित है।

कार्यालय आबकारी आयुक्त के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि प्रयोगशाला आसवनियों से प्राप्त शीरे व मदिरा के नमूनों की जाँच कर रही थीं जिसके लिये जाँच शुल्क का भुगतान आसवनियों द्वारा चालान के माध्यम से किया जा रहा था। ये लेन-देन जी-6 पंजिका में अंकित किये जाने थे। तथापि, आसवनी द्वारा जी-6 पंजिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। प्रयोगशाला द्वारा जी-6 पंजिका का रखरखाव न किये जाने के कारण लेखापरीक्षा सरकारी प्राप्तियों के राजकोष में प्रेषण की सत्यता प्रमाणित करने में असमर्थ रहा।

शासन ने (दिसम्बर 2017) लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अवगत कराया गया कि जिला स्तर पर जी-6 पंजिका के रखरखाव हेतु आवश्यक प्रबंध किये जा रहे हैं।

2.7.4.5 सहायक आबकारी आयुक्त (या जिला आबकारी अधिकारी) द्वारा निरीक्षण

आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश दिनांक 04.01.2004 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सहायक आबकारी आयुक्त (स आ आ) या डी ई ओ द्वारा निरीक्षण किये जाने हैं।

डी ई ओ⁸⁴ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 अवधि के दौरान स आ आ (या डी ई ओ) ने अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित आसवनियों, अनुबंधित गोदामों या चीनी मिलों का निरीक्षण नहीं किया था जिसका प्रभाव आंतरिक नियंत्रण पर पड़ा व उपरोक्त चर्चा किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ।

⁸⁴ डी ई ओ, हरिद्वार; डी ई ओ, ऊधम सिंह नगर व डी ई ओ, देहरादून।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति (दिसम्बर 2017) को स्वीकार किया गया और अवगत कराया गया गया कि मापदंडों के अनुसार आवश्यक निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

निष्कर्ष

विभाग द्वारा मदिरा में निर्धारित मात्रा से अधिक एल्कोहल स्तर होने पर इयूटि अधिरोपित नहीं की गयी एवं पारगमन के दौरान टी आर एस व शीरे की क्षति होने पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी थी। आसवनियाँ न्यूनतम उत्पादन, किण्वन व आसवन दक्षता प्राप्त करने में असफल रहीं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने गलत ढंग से पुनःआसवन पर छीजन व बी डब्ल्यू एफ एल-2 के लाइसेंस शुल्क के समायोजन की अनुमति दी। आगे, विभाग आसवनियों द्वारा वर्षाकाल के दौरान अनाधिकृत रूप से मदिरा का उत्पादन करने, पर्यावरणीय मानकों का पालन न किये जाने पर जुर्माना अधिरोपित करने में असफल रहा। यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय जैसे कि आबकारी ताले आसवनियों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

भूगर्भ एवं खनन विभाग तथा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग

2.8 स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

सही दरों को लागू न किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.05 लाख राजस्व की क्षति हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा स्टा अधिनियम), 1899 की धारा 33(1) में उपबन्धित है कि साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति एवं सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सिवाय एक पुलिस अधिकारी के, उस विलेख को जब्त कर लेगा यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस साक्ष्य पर उचित मूल्य के स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। आगे, महानिरीक्षक, पंजीयन के द्वारा निर्गत परिपत्र (सितम्बर 2013) में आदेश दिया गया कि विलेख को इस प्रकार जब्त करने वाला अधिकारी उसकी एक प्रति जिलाधिकारी को भेजेगा। धारा 35 के द्वारा उक्त व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि उचित स्टाम्प शुल्क के बिना विलेख साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे। पुनः, भा स्टा अधिनियम की अनुसूची 1 ब के अनुच्छेद 35 एवं भारतीय पंजीयन अधिनियम (भा प अधिनियम), 1908 की धारा 17(1)(घ) में क्रमशः प्रावधान है कि एक वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष तक की लीज पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाये एवं ऐसी लीजों का अनिवार्य पंजीयन भी किया जाय।

(अ) जिला खनन अधिकारी, देहरादून एवं जिला खनन अधिकारी, चमोली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों (देहरादून) एवं तीन स्टोन क्रैशर स्वामियों (चमोली) के द्वारा प्रस्तुत किराया समझौता विलेखों पर लागू दरों⁸⁵ से स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। उसके विपरीत किराया समझौता ज्ञापनों को मात्र ₹ 50 (एक समझौता ज्ञापन) एवं ₹ 100 (20 समझौता ज्ञापन) के स्टाम्प शुल्क पर ही सम्पादित कर दिया गया था। जिला खनन अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित नियमों

⁸⁵ औसत वार्षिक किराया ₹ 9,930 एवं ₹ 30,000 प्रतिवर्ष।

के प्रावधानों के अनुसार जब्त न करके इन्हें स्वीकार्य कर दिया जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹5.92 लाख मूल्य के स्टाम्प शुल्क (जैसाकि **परिशिष्ट-2.8.1** में वर्णित है) की क्षति हुई।

यह इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभागीय नियमों एवं नीतियों में स्टाम्प शुल्क की गणना के विषय में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलेखों की प्रभार्यता भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के क्षेत्राधिकार में आती है और जिला खनन अधिकारी विलेखों को स्वीकार्य करने हेतु अधिकृत होने के कारण यह सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार थे कि सभी विलेखों पर उचित स्टाम्प शुल्क भुगतान किया गया था।

(ब) जिला खनन अधिकारी, चमोली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो पट्टा विलेखों में जिसमें से एक की अवधि एक वर्ष नौ माह एवं दूसरे की अवधि एक वर्ष आठ माह थी, वास्तविक लागू दरों⁸⁶ पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। इसके विपरीत, उन विलेखों पर कम स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया जिसके कारण शासन को ₹8.13 लाख (जैसाकि **परिशिष्ट-2.8.2** में वर्णित है) के स्टाम्प शुल्क का कम भुगतान हुआ।

यह इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी, चमोली ने बताया कि यह पट्टा विलेख स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के उपनिबन्धकों द्वारा पंजीकृत किये जाते हैं एवं स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान का मामला उनके समक्ष ही उठाया जाना चाहिए। तथापि, जिला खनन अधिकारी कम स्टाम्प शुल्क भुगतान वाले पट्टा विलेखों जिन्हें उनको प्रस्तुत किया गया है, के जब्त करने के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं जैसाकि उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान किये गये हैं।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (जुलाई 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

खनन विभाग

2.9 अर्थदण्ड का न्यूनारोपण

खनिज के अवैध खनन/परिवहन के अपराधों में गलत दरों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹29.75 लाख के अर्थदण्ड का न्यूनारोपण हुआ।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 13(2)(ब) के अनुसार उपखनिज के अवैध खनन/परिवहन के दोषी पाये गये लोगों पर ₹25,000 का दण्ड (जुर्माना) लगाने का प्रावधान है। इसके तुरन्त बाद अर्थदण्ड को संशोधित कर ₹2.00 लाख कर दिया गया (31 जुलाई 2015)।

जिला खनन अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि जुलाई और अगस्त, 2015 के दौरान अवैध खनन से सम्बन्धित 17 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया। इन 17 मामलों में दण्ड संशोधित दर ₹2.00 लाख के बजाय पूर्व दर ₹25,000 पर वसूला गया था। अतः दण्ड कम लगाये जाने के परिणामस्वरूप ₹29.75 लाख राजस्व की हानि हुई (जैसाकि **परिशिष्ट-2.9.1** में वर्णित है)।

⁸⁶ वार्षिक पट्टा किराया के तीन गुणे का दो प्रतिशत।

इस ओर इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी, देहरादून द्वारा अवगत कराया (नवम्बर, 2016) कि इन अपराधों का शमन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था, जो कि उत्तराखण्ड उपखनिज रियायत (छूट) नियमावली, 2001 के नियम 75 के अंतर्गत इस तरह के अपराधों के लिये प्राधिकृत थे। इसलिये, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खनिज के अवैध खनन/परिवहन के अपराधों में गलत दरों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.75 लाख के अर्थदण्ड का न्यूनारोपण हुआ।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (अप्रैल 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.10 रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण

खनन लाईसेन्स पर संशोधित दरों को लागू न करने और ईट भट्टों का पता न लगाने के कारण ₹ 39.23 लाख की रॉयल्टी न्यूनारोपण/अनारोपण हुआ।

(i) उत्तराखण्ड उपखनिज रियायत (छूट) नियम, 2001 के नियम 54 के अनुसार उपखनिजों के लिये लाईसेन्स धारक द्वारा लाईसेन्स के अनुमोदन की सूचना के 15 दिनों के अन्दर रॉयल्टी जमा करने के लिये, जैसाकि लाईसेन्स के अनुमोदन के समय लागू है, प्रावधान करता है। मिट्टी और आर बी एम (नदी तल सामग्री) की दर क्रमशः ₹ 50 प्रति टन एवं ₹ 194.50 प्रति घनमीटर थी, जो कि दिनांक 26 फरवरी, 2016 से प्रभावी थी, जबकि उनकी पिछली दर क्रमशः ₹ 8 प्रति घनमीटर एवं ₹ 90 प्रति घनमीटर थी।

जिला खनन अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि खनन लाईसेन्स के सात मामलों में रॉयल्टी कम थी क्योंकि इसे मार्च 2016 में, लाईसेन्स के स्वीकृत के समय लागू संशोधित उच्च दर के बजाय कम दरों पर लागू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 30.88 लाख धनराशि की रॉयल्टी की क्षति हुई (जैसाकि **परिशिष्ट-2.10.1** में वर्णित है)।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी देहरादून ने बताया (अक्टूबर 2016) कि रॉयल्टी का न्यूनारोपण लाईसेन्स के प्रस्तावों को 26 फरवरी 2016 को दरों के संशोधित होने के पूर्व ही अग्रेषित किये जाने के कारण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वर्णित नियम से स्पष्ट है कि जहां पर लाईसेन्स दरों के संशोधित होने के पश्चात् अनुमोदित किये गये थे, वहाँ पर रॉयल्टी की संशोधित दरों को लागू किया जाना था।

(ii) ईट भट्टों के द्वारा प्रयोग की गयी मिट्टी पर रॉयल्टी के भुगतान की समाधान योजना⁸⁷ (अक्टूबर 2009) में अपेक्षित है कि कार्यरत ईट भट्टों की संख्या का निर्धारण विभाग द्वारा, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत ईट भट्टों की सूचना एकत्रित करके, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं पटवारियों के द्वारा प्रस्तुत सूचना से किया जाय।

जिला खनन अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2016) में पाया गया कि विभाग के द्वारा कार्यरत ईट भट्टों की पहचान के लिए उपरोक्त वर्णित आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप कार्यरत ईट भट्टों की पहचान नहीं की जा सकी (2012-13 में दो, 2013-14 में दो, वर्ष 2014-15 में चार और 2015-16 में तीन) जैसाकि लेखापरीक्षा के द्वारा

⁸⁷ इस योजना में, रॉयल्टी की धनराशि ईट भट्टों की उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

वाणिज्य कर विभाग से एकत्रित की गयी सूचना से स्पष्ट होता है। अभिलेखों⁸⁸ की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि इन गैर-चिन्हित ईट भट्टों से उपरोक्त वर्षों में कोई भी रॉयल्टी वसूल नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप, तत्समय लागू दरों⁸⁹ के आधार पर 2012-13 से 2015-16 की अवधि में ₹ 8.35 लाख की रॉयल्टी का अनारोपण हुआ (जैसाकि **परिशिष्ट-2.10.2** में वर्णित है)।

शासन ने समाधान योजना के विषय में अवगत कराया (मई 2017) कि चूंकि ईट भट्टों के स्वामियों ने इस योजना हेतु प्रश्नगत अवधि में आवेदन नहीं किया इसलिए जिलाधिकारी ने खनन लाईसेन्स जारी नहीं किया है। यह उत्तर न्यायसंगत नहीं है क्योंकि समाधान योजना की शर्त 9 के अनुसार यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह वाणिज्य कर विभाग/प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में पंजीकृत ईट भट्टों तथा तहसील में की गयी जाँच के आधार पर ईट भट्टों की प्रमाणित सूचना प्राप्त करें। इसलिए खनिज लाईसेन्सों पर संशोधित दरों को लागू न किये जाने तथा ईट भट्टों को चिन्हित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 39.23 लाख⁹⁰ की रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण हुआ।

प्रकरण शासन को (प्रस्तर के प्रथम भाग के प्रकरण में) सन्दर्भित किया गया (अप्रैल 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

⁸⁸ रॉयल्टी जमा से सम्बन्धित पंजिका।

⁸⁹ ईट भट्टों की उत्पादन क्षमता के आधार पर आरोपित धनराशि ₹ 69,000 एवं ₹ 81,600 के मध्य प्रति वर्ष रहती है।

⁹⁰ ₹ (30.88+8.35) लाख।

अध्याय-III
सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यविधि

3.1.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को सम्पादित करने हेतु राज्य सा क्षे उ की स्थापना की गयी है एवं यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2017 को 22 कार्यरत सा क्षे उ थे। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2016-17 के दौरान, कोई नया सा क्षे उ सम्मिलित या बन्द नहीं हुआ था। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखण्ड में राज्य सा क्षे उ का विवरण निम्न तालिका-3.1.1 में दिया गया है।

तालिका-3.1.1: 31 मार्च 2017 को सा क्षे उ की कुल संख्या

सा क्षे उ के प्रकार	कार्यरत सा क्षे उ	अकार्यरत सा क्षे उ ¹	कुल
सरकारी कम्पनियाँ	19	04 ²	23
सांविधिक निगम	03 ³	-	03
योग	22	04	26

30 सितम्बर 2017 तक अन्तिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ ने ₹7,323.64 करोड़ (परिशिष्ट-3.1.2) का कारोबार दर्ज किया था। यह कारोबार वर्ष 2016-17 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.75 प्रतिशत के बराबर था। 30 सितम्बर 2017 तक, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ द्वारा ₹235.23 करोड़ का सकल हानि वहन की। मार्च 2017 के अंत तक उनके द्वारा 20,693 कर्मचारी (परिशिष्ट-3.1.2) नियोजित किये गये। 31 मार्च 2017 तक, कार्यरत सा क्षे उ में ₹5,636.99 करोड़ की प्रदत्त पूँजी एवं अकार्यरत चार सा क्षे उ में ₹0.35 करोड़ की प्रदत्त पूँजी थी।

3.1.2 जवाबदेही संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 और धारा 143 के प्रावधानों के द्वारा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया शासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह कम्पनी है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या

¹ अकार्यरत वे सा क्षे उ हैं, जिन्होंने अपना संचालन बन्द कर दिया है।

² कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड और उपाई लिमिटेड (जो 31 मार्च 1991 से परिसमापन पर था)।

³ उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

अधिक राज्य सरकारों के पास हो तथा इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित हैं जो इस प्रकार की सरकारी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी है। पुनश्च: अधिनियम की धारा-143 की उपधारा-7 के अनुसार, ऐसी कम्पनी के प्रकरण में जो धारा-139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) में आच्छादित हो, नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) ऐसी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सम्पादित करवा सकता है तथा नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा-19 अ के प्रावधान इस प्रकार की लेखापरीक्षा में लागू होंगे। कम्पनी के वित्तीय विवरण जो 31 मार्च 2014 या उससे बाद के हों, की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित रहेगी।

3.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरण (जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित हैं) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम की धारा-139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि म ले प द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि जिसमें अन्य दूसरी चीजों के साथ नि म ले प द्वारा निर्गमित निर्देश, उन पर कृत कार्यवाही तथा लेखों पर इनका प्रभाव भी सम्मिलित हैं, नि म ले प को प्रस्तुत करेगा। अधिनियम की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर नि म ले प द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा सम्पादित की जायेगी।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए नि म ले प एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा प्रारम्भ में नि म ले प को वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक बढ़ाया गया है।

3.1.4 सरकार और विधायिका का कार्य

राज्य सरकार सा क्षे उ के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मण्डल सा क्षे उ में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता का अनुश्रवण करता है। इस उद्देश्य हेतु, राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं नि म ले प की टिप्पणियों और सांविधिक निगमों के मामलों में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, अधिनियम की धारा 394 के अन्तर्गत या जैसा सम्बन्धित अधिनियम में निर्धारित हो, राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। नि म ले प का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाती है।

3.1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी

राज्य सरकार की इन सा क्षे उ में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी है, जो मुख्यतः तीन प्रकार के हैं:

- **अंशपूँजी और ऋण-** अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय-समय पर सा क्षे उ को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय समर्थन-** जब कभी भी आवश्यक हो राज्य सरकार सा क्षे उ को अनुदान और उपदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **प्रत्याभूति-** राज्य सरकार सा क्षे उ द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर ब्याज मय ऋण की अदायगी हेतु प्रत्याभूति देती है।

3.1.6 राज्य सा क्षे उ में निवेश

31 मार्च 2017 को, सभी सा क्षे उ में निवेश (प्रदत्त पूँजी, मुक्त संचय और दीर्घावधि ऋण) ₹10,854.32 करोड़ था, जिसका विवरण निम्न तालिका-3.1.2 में दिया गया है।


तालिका - 3.1.2: सा क्षे उ में कुल नियोजित पूँजी

(₹ करोड़ में)

सा क्षे उ के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ				सांविधिक निगम				कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	मुक्त संचय	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	मुक्त संचय	योग	
कार्यरत सा क्षे उ	2,968.39	3,829.78	970.23	7768.40	2,668.25	79.77	337.55	3,085.57	10,853.97
अकार्यरत सा क्षे उ	0.35	-	-	0.35	-	-	-	-	0.35
योग	2,968.74	3,829.78	970.23	7768.75	2,668.25	79.77	337.55	3,085.57	10,854.32

31 मार्च 2017 को, राज्य के सा क्षे उ में कुल निवेश का 99.99 प्रतिशत कार्यरत सा क्षे उ और शेष 0.01 प्रतिशत अकार्यरत सा क्षे उ में था। इस कुल निवेश में 51.95 प्रतिशत प्रदत्त पूँजी, 12.05 प्रतिशत मुक्त संचय और 36 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण में निहित था। निवेश 2012-13 में ₹7,250.93 करोड़ से 49.70 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹10,854.32 करोड़ हो गया जैसाकि निम्न ग्राफ-3.1.1 में दर्शाया गया है:

ग्राफ-3.1.1: सा क्षे उ में कुल निवेश




3.1.6.1 31 मार्च 2017 के अनुसार, राज्य सा क्षेत्र में क्षेत्रवार निवेश की स्थिति को निम्न तालिका-3.1.3 में दिया गया है।

तालिका-3.1.3: सा क्षेत्र में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	सा क्षेत्र की कुल संख्या	कुल निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत		
ऊर्जा	3	-	-	3	6,728.50
विनिर्माण	6	3	-	9	326.37
वित्त	3	-	-	3	31.67
विविध	2	-	1	3	391.63
सेवाएं	2	-	1	3	297.71
अवसंरचना	2	-	1	3	3,055.26
कृषि एवं संबद्ध	1	1	-	2	23.18
योग	19	4	3	26	10,854.32

31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2017 के अंत में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश निम्न ग्राफ-3.1.2 में दर्शाया गया है।

ग्राफ- 3.1.2: सा क्षेत्र में क्षेत्रवार निवेश



वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, निवेश में उच्चतम वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में थी, जो कि 2012-13 में ₹173.47 करोड़ से 2016-17 में ₹326.37 करोड़ (88.14 प्रतिशत) हो गई। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में ₹2,071.05 करोड़ (44.47 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि अवसंरचना क्षेत्र में 2012-13 में ₹2,311.16 करोड़ से 2016-17 में ₹3,055.26 करोड़ (32.19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कम्पनियों/निगमों द्वारा ऋण का भुगतान करने के कारण सेवा क्षेत्र में निवेश 2012-13 में ₹338.05 करोड़ से घटकर (11.93 प्रतिशत) 2016-17 में ₹297.71 करोड़ रह गया।

3.1.7 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल

राज्य सरकार सा क्षे उ को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य के सा क्षे उ से सम्बन्धित अंशपूँजी, ऋण, अनुदान/उपदान, बड़े खाते में डाले जाने वाले ऋण एवं माफी योग्य ब्याज हेतु बजटीय बहिर्गमन का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका-3.1.4 में दिया गया है।

तालिका-3.1.4: सा क्षे उ को बजटीय सहायता विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		स क्षे उ की संख्या	राशि	स क्षे उ की संख्या	स क्षे उ की संख्या	राशि	स क्षे उ की संख्या
1.	अंश पूँजी बजटीय बहिर्गमन	4	171.96	4	57.76	3	93.50
2.	बजट से दिया गया ऋण	5	374.43	3	17.35	2	29.84
3.	बजट द्वारा अनुदान/उपदान	3	32.60	4	44.42	7	69.23
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)		578.99		119.53		192.57
5.	ऋण व ब्याज माफी	-	-	-	-	-	-
6.	जारी की गयी प्रत्याभूतियाँ	2	57.87	4	509.52	5	683.40
7.	प्रत्याभूति बचनवद्ध	4	1,471.97	4	852.55	3	2,245.31

स्रोत: सा क्षे उ कंपनियों द्वारा प्राप्त सूचना।

अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/उपदान के निमित्त बजटीय बहिर्गमन से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों का विवरण नीचे ग्राफ-3.1.3 में दिया गया है।

ग्राफ 3.1.3: अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/उपदानों का बजटीय बहिर्गमन



राज्य सरकार द्वारा राज्य सा क्षे उ को अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदानों/उपदानों के बजटीय बहिर्गमन, में अस्थिर प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। यह वर्ष 2012-13 में ₹796.14 करोड़ से घटकर, 2013-14 में ₹519.69 करोड़, 2014-15 में ₹578.99 करोड़, 2015-16 में ₹119.53 करोड़ तथा 2016-17 में ₹192.57 करोड़ रह गयी।

31 मार्च 2015 को प्रत्याभूति वचनबद्धता की राशि ₹1,471.97 करोड़ (चार सा क्षे उ) की थी जो 31 मार्च 2016 को घटकर ₹852.55 करोड़ (तीन सा क्षे उ) हो गई तथा फिर बढ़कर 31 मार्च 2017 को, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर-ए पी डी आर पी) के ऋण पर प्रत्याभूति के कारण ₹2,245.31 करोड़ हो गई। चालू वर्ष के दौरान पाँच⁴ सा क्षे उ के कुल ₹683.40 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गयी थी।

सा क्षे उ को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करवाने के लिए, राज्य सरकार प्रत्याभूति देती है एवं जिसके लिए शून्य प्रतिशत⁵ से एक प्रतिशत तक का प्रत्याभूति शुल्क वसूल करती है। 2016-17 के दौरान केवल एक सा क्षे उ, नामतः उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹4.89 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया था।

3.1.8 वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋणों एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गये आँकड़ों से मिलाने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने की स्थिति में, सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2017 को इनकी स्थिति निम्न तालिका-3.1.5 में दी गई है।

तालिका-3.1.5: सा क्षे उ के अभिलेखों के सापेक्ष वित्त लेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण, बकाया प्रतिभूति

(₹ करोड़ में)

सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षे उ के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	3,123.73	3,205.11	81.38
ऋण	494.45	626.17	131.72
प्रत्याभूति	988.83	2,245.31	1,256.48

राज्य की सा क्षे उ आँकड़े तथा वित्त लेखों में प्रदर्शित आँकड़ों में अन्तर पाया गया। सम्बन्धित सा क्षे उ तथा वित्त विभाग से अन्तरों का मिलान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था (अक्टूबर 2017)।

3.1.9 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

3.1.9.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96 (1) के अनुसार, कम्पनियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर, अर्थात् 30 सितम्बर किया जाना चाहिए। इसमें विफल होने पर, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 99 के अंतर्गत प्राविधानित दण्ड आरोपित किया जा सकता है। सांविधिक निगमों के मामले में, उनके

⁴ उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹233.70 करोड़), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹423.45 करोड़), किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹6.25 करोड़), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम (₹5.00 करोड़) तथा उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (₹15.00 करोड़)।

⁵ उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की प्रत्याभूति राशि शून्य प्रतिशत है।

लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षा और उनका विधायिका में प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

30 सितम्बर 2017 को कार्यरत सा क्षे उ के लेखों को अन्तिमीकरण की प्रगति निम्न विवरण तालिका-3.1.6 में दी गई है:

तालिका-3.1.6: कार्यरत सा क्षे उ के अन्तिमीकरण से सम्बन्धित स्थिति

क्र.स.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	कार्यरत सा क्षे उ/अन्य कम्पनियों की संख्या	20	21	21	21	22
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत लेखों की संख्या	10	23	16	16	42
3.	बकाया लेखों की संख्या	150	148	153	158	138
4.	कार्यरत सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	20	20	20	18	19
5.	बकाया अवधि की सीमा (संख्या वर्षों में)	1 से 26 वर्ष	1 से 27 वर्ष	1 से 28 वर्ष	1 से 29 वर्ष	1 से 30 वर्ष

प्रशासनिक विभागों का यह उत्तरदायित्व है कि वह सा क्षे उ के उपक्रमों की इन इकाईयों की गतिविधियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि इनके खातों का अन्तिमीकरण और अंगीकरण निर्धारित अवधि के अंदर किया जाये। सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से बकायों की अद्यतन स्थिति से सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव एवं सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष जुलाई 2016, अगस्त 2017 और अक्टूबर 2017 को खातों के बकाया समाप्त करने के प्रकरण को उजागर किया गया। तथापि, कोई विशेष सुधार नहीं पाया गया। इसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के दौरान उन सा क्षे उ के नेट वर्थ का निर्धारण नहीं किया जा सका, जिनके लेखे बकाया थे (दिसम्बर 2017)।

3.1.9.2 राज्य सरकार ने ₹127.06 करोड़ का निवेश (अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान) उन छः सा क्षे उ में किया जिनके लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जैसाकि **परिशिष्ट-3.1.1** में वर्णित है। लेखों के अन्तिमीकरण एवं उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेशों और व्यय को लेखों में ठीक प्रकार से लेखाकृत किया गया है तथा उद्देश्य, जिसके लिए निवेश किया गया था, प्राप्त हुए हैं।

3.1.9.3 30 सितम्बर 2017, तक अकार्यरत सा क्षे उ द्वारा भी लेखों को अन्तिमीकृत किया जाना बकाया था जैसाकि निम्न तालिका-3.1.7 में दिया गया है:

तालिका-3.1.7: अकार्यरत सा क्षे उ के बकाया से सम्बन्धित लेखों की स्थिति

अकार्यरत कम्पनियों के नाम	अवधि जिसके लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिनमें लेखे बकाया रहे
यू पी ए आई लि	1989-90 से	28
कुमट्रौन लि	1990-91 से	27
उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लि	स्थापना से (1987-88)	30
उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लि	स्थापना से (1989-90)	28

चार अकार्यरत सा क्षे उ में से एक सा क्षे उ अर्थात् यू पी ए आई लि 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी और शेष तीन अकार्यरत सा क्षे उ⁶ में 27 से 30 वर्षों तक के लेखों का बकाया था।

⁶ कुमट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड।

3.1.9.4 सांविधिक निगमों के संबंध में, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम तथा उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ने अपने 2015-16 तक के लेखों का अन्तिमीकरण कर लिया गया है।

3.1.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

नि म ले प द्वारा जारी किये गये (30 सितम्बर 2017 तक) सांविधिक निगमों के लेखों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की स्थिति नीचे तालिका-3.1.8 में दी गयी है:

तालिका-3.1.8: पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विधायिका में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र सं	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किये गये	
			पृ ले प प्रति का वर्ष	वर्तमान स्थिति
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2009-10	2010-11 से 2014-15	अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2013-14	-	-
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2009-10 एवं 2010-11	2011-12 सं 2015-16	अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए

सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को भी लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया के संबंध में सूचित किया गया (दिसम्बर 2016 तथा अक्टूबर 2017)। तथापि, कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के दौरान इन सा क्षे उ के नेट वर्थ का निर्धारण नहीं किया जा सका।

3.1.11 लेखों के अन्तिमीकरण न होने का प्रभाव

लेखों को अंतिम रूप देने में देरी से प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के आलावा लोकधन की धोखाधड़ी और लिकेज़ की आशंका बढ़ जाती है। लेखों के बकाया को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2016-17 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.1.12 सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार उनका निष्पादन

3.1.12.1 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट-3.1.2** में निर्दिष्ट हैं। सा क्षे उ के कुल कारोबार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षे उ के योगदान को प्रदर्शित करता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त पाँच वर्ष की समयावधि के लिये कार्यरत सा क्षे उ के कारोबार एवं स रा घ उ का विवरण निम्न तालिका-3.1.9 में दिया गया है।

तालिका-3.1.9: कार्यरत सा क्षे उ की कारोबार एवं स रा घ उ का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कारोबार ⁷	4,042.00	5,103.24	5,741.42	7,173.33	7,323.64
स रा घ उ ⁸	1,31,835	1,49,817	1,61,985	1,84,091	1,95,192
कारोबार का स रा घ उ से प्रतिशतता	3.07	3.41	3.54	3.90	3.75


⁷ कारोबार 30 सितम्बर 2017 को नवीनतम अन्तिमीकरण लेखों के अनुसार है।

⁸ स रा घ उ के आँकड़े मार्च 2017 को समाप्त राज्य वित्त के प्रतिवेदन से लिए गये हैं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान, कार्यरत सा क्षेत्र 3 का करोबार 2012-13 में ₹4,042.00 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹7,323.64 करोड़ हो गया तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भी इसकी प्रतिशतता 2012-13 में 3.07 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 3.75 प्रतिशत हो गयी।

3.1.12.2 2012-13 से 2016-17 के दौरान, राज्य में कार्यरत सा क्षेत्र 3 द्वारा कुल अर्जित लाभ एवं वहन हानियों को निम्न ग्राफ-3.1.4 में दिया गया है।

ग्राफ-3.1.4: कार्यरत सा क्षेत्र 3 के लाभ/हानि (-)



(कोष्ठक में प्रदर्शित आंकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत सा क्षेत्र 3 की संख्या दर्शाते हैं)

वर्ष 2016-17 के दौरान, 22 कार्यरत सा क्षेत्र 3 में से नौ सा क्षेत्र 3 ने ₹211.41 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 13 सा क्षेत्र 3 ने ₹446.62 करोड़ की हानि वहन की। लाभ अर्जित करने में योगदान देने वाले उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹74.59 करोड़), उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹50.88 करोड़), और उत्तराखण्ड पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹39.17 करोड़) थे। उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹288.78 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹36.04 करोड़), और उत्तराखण्ड परिवहन निगम (₹34.94 करोड़) ने हानि वहन की।

3.1.12.3 सा क्षेत्र 3 के कुछ अन्य प्रमुख मानकों को निम्न तालिका-3.1.10 में दिया गया है।

तालिका-3.1.10: राज्य सा क्षेत्र 3 के मुख्य मानक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
इक्विटी पर प्रतिफल ⁹ (प्रतिशत) [§]	0.07	10.87	(-)11.17	3.51	(-)6.94
निवेश पर प्रतिफल ¹⁰ (प्रतिशत) [§]	8.37	3.41	5.42	10.61	5.92
ऋण	2,702.00	2,929.57	3,245.73	3,216.60	3,909.55
कारोबार [§]	4,042.00	5,103.24	5,741.42	7,173.33	7,323.64
ऋण/कारोबार अनुपात	0.67:1	0.57:1	0.57:1	0.45:1	0.53:1
ब्याज अदायगियाँ	276.93	281.65	358.33	391.13	428.73
संचित लाभ/हानियाँ	(-)2,081.42	(-)2,034.59	(-)1,883.90	(-)1,948.47	(-)2,510.27

([§] केवल कार्यरत सा क्षेत्र 3 के सम्बन्धित वर्ष के 30 सितंबर को नवीनतम सम्बन्धित अंतिमीकृत लेखों से आंकड़े)

⁹ इक्विटी पर प्रतिफल = कर पश्चात शुद्ध लाभ - पूर्वाधिकार लाभांश/अंशधारियों की निधि जहाँ अंशधारियों की निधि है = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय एवं आधिक्य-संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय।

¹⁰ विनियोग पर प्रतिफल = लाभांश से पूर्व निवल लाभ, कर व ब्याज/निवेश जहाँ निवेश = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण।

3.1.12.4 राज्य सरकार ने सा क्षेत्र के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी पर सा क्षेत्र द्वारा एक न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। वर्ष 2016-17 के दौरान, एक सा क्षेत्र नामतः उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने गत वर्ष 2015-16 के ₹181.90 करोड़ के लाभ के सापेक्ष ₹12.21 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

3.1.13 अकार्यरत सा क्षेत्र का परिसमापन

3.1.13.1 31 मार्च 2017 को चार अकार्यरत सा क्षेत्र/कम्पनियाँ थीं। इनमें से एक सा क्षेत्र नामतः यू पी ए आई लिमिटेड ने 31 मार्च 1991 को परिसमापन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत सा क्षेत्र की संख्या चार थी।

3.1.13.2 अकार्यरत सा क्षेत्र के परिसमापन होने की स्थिति नीचे तालिका-3.1.11 में दी गयी है।

तालिका-3.1.11: अकार्यरत सा क्षेत्र का समापन

क्र. सं.	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	कुल अकार्यरत सा क्षेत्र की संख्या	04	-	04
2.	उक्त (1) में से निम्नलिखित के अंतर्गत संख्या	-	-	-
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01	-	01
(ब)	स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	-	-	-
(स)	समापन अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03	-	03

वर्ष 2016-17 के दौरान, कोई भी कम्पनी/निगम अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुई थी। एक मात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 25 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी। सरकार अन्य तीन अकार्यरत सा क्षेत्र के परिसमापन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के बारे में निर्णय ले सकती है।

3.1.14 लेखों पर टिप्पणियाँ

वर्ष 2016-17 के दौरान, तेरह कार्यरत कम्पनियों ने 34 लेखापरीक्षित लेखों को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से, 12 कम्पनियों के 33 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले प की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका-3.1.12 में दिया गया है।

तालिका-3.1.12: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कार्यरत कम्पनियों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	22.94	7	34.73	11	55.14
2.	हानि में वृद्धि	2	0.76	5	192.62	20	189.51
3.	योग		23.70		227.35		244.65
4.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्धोषित न किया जाना	2	72.39	1	0.31	16	5.25
5.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	3	290.27	10	172.29	15	199.83

लेखों पर टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2016-17 के दौरान 12 सा क्षेत्र उ में कुल ₹244.65 करोड़ की लाभ में कमी/हानि में वृद्धि होगी।

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखों को अर्हता प्रमाण पत्र तथा 19 लेखों¹¹ को प्रतिकूल प्रमाणपत्र दिया था। नि म ले प ने 33 खातों के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान टिप्पणियों के साथ अर्हता प्रतिवेदन दिये तथा एक कम्पनी¹² के संबंध में गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की स्थिति बहुत निम्न रही। वर्ष के दौरान, 20 खातों में 123 ऐसे मामले थे जिनमें अनुपालन नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, तीन कार्यरत सांविधिक निगमों नामतः उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के अपने आठ लेखों को महालेखाकार को अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2017 के बीच अग्रेषित किया। इन लेखों की लेखापरीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व नि म ले प का था, जिसे पूरा कर लिया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले प की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण निम्न तालिका-3.1.13 में दिया गया है:

तालिका 3.1.13: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सांविधिक निगमों पर प्रभाव

क्र.सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
1.	लाभ में कमी	2	49.49	-	-	5	165.34
2.	हानि में वृद्धि	6	87.40	2	12.66	3	48.33
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना	-	-	2	11.73	4	38.49
4.	वर्गीकरण की त्रुटियों	2	0.88	-	-	4	145.97

लेखापरीक्षा में टिप्पणियों का प्रभाव, वर्ष 2014-15 में ₹137.77 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹24.39 करोड़ रह गया और 2016-17 में बढ़कर ₹398.13 करोड़ हो गया।

3.1.15 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

सा क्षे 3 से सम्बन्धित प्रस्तर

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एक विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा¹³ को सम्मिलित करते हुए छः अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये कि उनका जवाब छः सप्ताह के अंदर भेजने का कष्ट करें। तथापि, राज्य सरकार से पाँच लेखापरीक्षा प्रस्तरों¹⁴ के संबंध में उत्तर प्रतिक्रित था (दिसम्बर 2017)।

¹¹ राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड (2013-14), उत्तरप्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1998-99 से 2013-14) तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड (2006-07 तथा 2007-08)।

¹² ब्रिज, रोपवे, टनल तथा अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

¹³ उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना।

¹⁴ शेष एक प्रस्तर के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 21.25 लाख की वसूली की गयी (2017-18)।

3.1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदन सांविधिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यपालक उस पर उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्रकाश में लायें। सभी प्रशासनिक विभागों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की समिति (सा क्षे उ स) की प्रश्नावली का इंतजार किये बिना निर्धारित प्रारूप में नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर अपना उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणीयाँ उस प्रतिवेदन के विधान मंडल में प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्याख्यात्मक टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति को निम्न तालिका-

3.1.14 में दिया गया है:

तालिका-3.1.14: 30 सितम्बर 2017 तक व्याख्यात्मक नोट प्राप्त न होना

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ सा क्षे उ)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कुल प्रस्तरों की संख्या		निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रस्तरों की संख्या जिनके व्याख्यात्मक टिप्पणीयाँ नहीं प्राप्त हुए	
		नि ले प	प्रस्तर	नि ले प	प्रस्तर
2010-11	दिसम्बर 2012	01	04	01	04
2011-12	सितम्बर 2013	01	02	01	02
2012-13	नवम्बर 2014	01	02	01	02
2013-14	नवम्बर 2015	-	06	-	06
2014-15	नवम्बर 2016	-	06	-	06
2015-16	मई 2017	-	02	-	02
योग		03	22	03	22

3.1.17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

30 सितम्बर 2017 तक, निष्पादन लेखापरीक्षा व प्रस्तर जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा क्षे उ) में सम्मिलित किये गये हैं और जिन पर सा क्षे उ की समिति द्वारा चर्चा की गई है की स्थिति निम्न तालिका-3.1.15 में दर्शायी गई है।

तालिका-3.1.15: 30 सितम्बर 2017 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रस्तर व उन पर चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		प्रस्तर जिस पर चर्चा हुई	
	नि ले प	प्रस्तर	नि ले प	प्रस्तर
2010-11	01	04	01	02
2011-12	01	02	01	-
2012-13	01	02	01	01
2013-14	-	06	-	-
2014-15	-	06	-	-
2015-16	-	02	-	-
योग	03	22	03	03

3.1.18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

मार्च 2011 से मार्च 2017 के दौरान सा क्षे उ स के छः प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 17 प्रस्तर जो राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये गये, पर कोई कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2017) जैसाकि निम्न तालिका-3.1.16 में दिया गया है:

तालिका-3.1.16: सा क्षेत्र 3 स प्रतिवेदनों पर अनुपालन

वर्ष जिसमें सा क्षेत्र 3 की बैठक हुई	कुल बैठकों की संख्या	सा क्षेत्र 3 स प्रतिवेदनों की कुल संख्या	सा क्षेत्र 3 स प्रतिवेदनों पर कुल संस्तुतियों की संख्या	संस्तुतियों की संख्या जिन पर कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुए
2014-15	05	02	07	कोई भी कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
2015-16	06	02	08	
2016-17	01	02	02	
2017-18	कोई बैठक आयोजित नहीं हुई			
योग	12	06	17	

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि: (क) ड्राफ्ट प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं और सा क्षेत्र 3 स द्वारा दी गयी संस्तुतियों एवं कृत कार्यवाही टिप्पणी के जवाब एक निर्धारित समय पर दिए जायें एवं (ख) लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिए प्रत्युत्तरों की व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

3.1.19 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई वसूलियाँ

लेखापरीक्षा निष्कर्ष में सम्मिलित वसूलियाँ जो सा क्षेत्र 3 के लेखों की नमूना जाँच के दौरान प्रकाश में आयी, को सा क्षेत्र 3/राज्य सरकार को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा आगे जाँच हेतु प्रेषित किया जाता है। वसूली होने के प्रकरण में इसे लेखापरीक्षा को सूचित किये जाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य अनुबन्ध कर न काटे जाने के कारण ₹ 0.67 करोड़ की वसूली उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई।

3.1.20 सा क्षेत्र 3 का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2016-17 के दौरान, सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई प्रकरण नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सा क्षेत्र 3 में सरकार की अंश पूँजी के विनिवेश के लिए कोई नीति तैयार नहीं की थी।

3.1.21 इस अध्याय का आच्छादन (सा क्षेत्र 3 अध्याय)

सा क्षेत्र 3 अध्याय में एक विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा¹⁵ को सम्मिलित करते हुए पाँच प्रस्तर¹⁶ हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 368.91 करोड़ है।

¹⁵ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना।

¹⁶ एक प्रस्तर के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 21.25 लाख की वसूली की गयी (2017-18)।

अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

3.2 अभिकरण की प्रामाणिकता सत्यापित किये बिना कार्य को सौंपा जाना

निगम ₹ 22.29 लाख व्यय करने के पश्चात भी वन प्रबंधन प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं कर सका।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (निगम) द्वारा ब्राण्ड वैल्यू का सृजन करने एवं वन के उत्पादों की उपार्जन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से देहरादून, कालसी, रामनगर तथा हल्द्वानी के इमारती लकड़ी के प्रचुर क्षेत्रों के लिए वन प्रबंधन परिषद (व प्र प) के अंतर्गत वन प्रबंधन प्रमाणीकरण प्राप्त करने की योजना (अप्रैल 2010) बनायी थी।

निगम द्वारा व प्र प प्रमाणीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित¹⁷ किया गया, जिसमें व प्र प का प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद निगम के राजस्व में ₹203.16 करोड़ से बढ़कर ₹242.38 करोड़ (19.31 प्रतिशत की वृद्धि) की वृद्धि अनुमानित की गई। इस उद्देश्य के अनुसरण में निगम ने परामर्श एवं प्रमाणन संपादन हेतु ₹52.89 लाख के अनुबन्ध मूल्य पर एक अभिकरण¹⁸ के साथ अनुबंध (20 जून 2012) गठित किया गया।

निगम ने परामर्श व प्रमाणीकरण अनुबंध की पहली किश्त के रूप में ₹14.86 लाख की धनराशि अवमुक्त (दिसम्बर 2012) की। भारतीय गुणवत्ता परिषद¹⁹ (क्यू सी आई) द्वारा मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए निगम को सूचित (अप्रैल 2013) किया कि निहित हितों के टकराव के कारण परामर्श और प्रमाणीकरण का कार्य एक ही संस्था को नहीं सौंपा जाना चाहिए। निगम ने क्यू सी आई के सुझाव की अवहेलना कर अभिकरण को ₹7.43 लाख और अवमुक्त (जुलाई 2013) किये। निगम ने अभिकरण की मान्यता की स्थिति का पता लगाने के लिए व प्र प से सम्पर्क (फरवरी 2014) किया। जिसने सूचित (फरवरी 2014) किया कि अभिकरण साईटिफिक सर्टिफिकेशन सिस्टम (एस सी एस) (एक अधिकृत निकाय) की एक उप-ठेकेदार था तथा जो व प्र प से सीधे तौर पर अधिकृत नहीं था। इसका आशय है कि यह अभिकरण वन प्रबंधन प्रमाणीकरण जारी करने के योग्य नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया (फरवरी 2016) गया कि निगम कार्य आवंटन से पूर्व अभिकरण की प्रामाणिकता और मान्यता की स्थिति को व प्र प से सत्यापित करने में विफल रहा। चूंकि अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त निकाय नहीं था, इसलिए अभिकरण को दिये गये ₹22.29 लाख²⁰ का भुगतान

¹⁷ दिसम्बर 2011 में आयोजित 38 वीं बोर्ड बैठक में।

¹⁸ ग्रीन इनिशिएटिव्स सर्टिफिकेशन एंड इन्सपैक्शन एजेन्सी।

¹⁹ राष्ट्रीय मान्यता संरचनाओं के संचालन एवं स्थापना और गुणवत्ता प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय।

²⁰ ₹14.86 लाख + ₹7.43 लाख।

निष्फल हुआ तथा निगम उन लाभों को प्राप्त नहीं कर सका जिनकी प्रस्ताव में परिकल्पना की गई थी।

यह इंगित किये जाने पर, प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार (अप्रैल और अगस्त 2017) किया और अवगत कराया कि व प्र प मान्यता का कार्य निगम द्वारा पहली बार किया गया था तथा अनुभव की कमी के कारण ही ऐसी अनियमितता हुई। यह भी अवगत कराया गया कि अनुबन्ध को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। निगम द्वारा भविष्य में निविदा आमंत्रण एवं स्वीकार करते समय ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के मानकों व निर्देशों का पालन करने हेतु आदेश भी जारी (मार्च 2016) किया गया था।

प्रकरण सरकार को संदर्भित (अप्रैल 2017) किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

3.3 कर्मचारी भविष्य निधि का अनियमित योगदान

निगम ने कर्मचारियों के अनिवार्य 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की क्षतिपूर्ति करते हुए ₹ 18.79 लाख का अतिरिक्त व्यय किया, जिसे अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को वहन करना था।

कर्मचारी भविष्य निधि क भ नि अधिनियम 1952 (अधिनियम) के अनुसार नियोक्ताओं को श्रमिकों द्वारा आहरित²¹ मजदूरी में से कर्मचारी भविष्य निधि (क भ नि) की 12 प्रतिशत की कटौती करना तथा नियोक्ता के योगदान सहित कटौती की गई राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क भ नि सं) में जमा करना अनिवार्य है।

निगम अपनी दिन प्रतिदिन लकड़ी कटान, लदान और उतारने से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करने के लिए विभागीय श्रमिक नियुक्त करता है जो उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भविष्य निधि का लाभ लेने के हकदार हैं।

लेखापरीक्षा में पाया (फरवरी 2017) गया कि निगम की स्थापना (2001) से ही विभागीय श्रमिकों को दी गई उनकी वास्तविक मजदूरी में से न तो कर्मचारी अंशदान की वसूली की गई और न ही क भ नि में स्वयं का अंशदान जमा किया।

सभी विभागीय नियुक्त श्रमिकों की क भ नि कटौती (12 प्रतिशत) सुनिश्चित करने के लिए निगम ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2014) कि श्रमिकों का क भ नि अंशदान वह स्वयं वहन करेगा और उसे श्रमिक कल्याण व्यय में लेखांकित करेगा।

इस प्रकार, निगम को भविष्य निधि में नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों का अंशदान वहन करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, निगम द्वारा दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015 की अवधि के दौरान

²¹ अधिकतम ₹ 15,000 प्रतिमाह तक। ₹ 15,000 प्रति माह से अधिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए योजना ऐच्छिक थी।

₹ 18.79 लाख²² का अतिरिक्त व्यय क भ नि में कर्मचारियों के अंशदान के रूप में पर वहन किया गया।

निगम ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार (अप्रैल 2017) किया और अवगत कराया कि उसने कर्मचारियों के अंशदान के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को बन्द करने का कार्यालय आदेश निर्गत (31 मार्च 2017) कर दिया है जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा। तथापि, तथ्य यह है कि निगम ने पहले से ही ₹ 18.79 लाख का अतिरिक्त व्यय कर्मचारियों के क भ नि अंशदान के रूप में वहन किया जो कि वसूली योग्य नहीं था।

प्रकरण सरकार को संदर्भित (अप्रैल 2017) किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड

3.4 निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना को पूरा करने में विलंब के कारण लागत में वृद्धि

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एक योजनाबद्ध तरीके से परियोजना को निष्पादित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, लागत में ₹ 38.10 करोड़ की वृद्धि को यू ई आर सी द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं किया जा सका क्योंकि यह नियंत्रणीय कारकों के कारण थी। निगम को परियोजना लागत का ₹ 34.53 करोड़ का एक अतिरिक्त घटक भी छोड़ना पड़ा और इससे टैरिफ निर्धारण के लिए अपने दावे को कम करना पड़ा।

परियोजना प्रबंधन के मुख्य कार्यों में से कार्य लागत का पूर्वानुमान लगाना एवं लागत में वृद्धि से बचने के लिए लागत पर दृष्टि रखना है। परियोजना प्रबंधन को परियोजना के समय से पूरा होने पर दृढ़तापूर्वक ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसी भी विलंब से लागतों में वृद्धि हो सकती है। पुनः, लागत वृद्धि के प्रकरण में, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) की धारा 14 और 15 (टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें) विनियमन, 2011 के अनुसार नियंत्रणीय व्यय के दावों की गणना टैरिफ निर्धारण के लिए नहीं की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया (फरवरी 2017) कि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (निगम) ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू पी एस ई बी)²³ से प्रस्तावित पनबिजली परियोजना मनेरी भाली-II (परियोजना) का अधिग्रहण किया (नवंबर 2001)। निगम ने जुलाई 2002 में मूल ठेकेदारों के साथ अनुपूरक अनुबंधों²⁴ पर हस्ताक्षर किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना

²² ₹ 6.74 लाख (दिसम्बर 2014) + ₹ 4.83 लाख (जनवरी 2015) + ₹ 7.22 लाख (फरवरी 2015)।

²³ परियोजना का मूल आगणन ₹ 43.33 करोड़ था और केंद्रीय जल और विद्युत आयोग (सी डब्ल्यू पी सी) द्वारा 1972 में इसे स्वीकृत किया गया था। इसे 1973 में ₹ 45.71 करोड़ संशोधित किया गया था। इस परियोजना पर 1993 तक ₹ 153 करोड़ का व्यय किया गया था। दिनांक 21.02.2000 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) ने ₹ 1,249.18 करोड़ के संशोधित आगणन की स्वीकृति प्रदान की थी। इसे पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन ने ₹ 1,714.41 करोड़ की लागत से वित्त पोषित किया था।

²⁴ तत्कालीन यू पी एस ई बी ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण (नवम्बर 2000) से पूर्व अनुबंध किया था तथा यू जे वी एन एल ने उसी ठेकेदार के साथ जुलाई 2002 में अनुपूरक अनुबंध हस्ताक्षरित किया।

निष्पादन में 25 माह से लेकर 30.5 माह तक का विलंब (*परिशिष्ट-3.4.1*) हुआ। परिणामतः, परियोजना निर्धारित तिथि (जनवरी 2006) तक पूर्ण नहीं की जा सकी। इसे अंततः मार्च 2008 में चालू किया गया। परियोजना के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हेड रेस टनल (एच आर टी) के ग्राउटिंग कार्य और अन्य गैर-महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में परीहार्य विलंब हुआ। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निगम ने धरासू एडिट (12-16 किमी) से हेडरेस टनल के निर्माण में आवश्यक पर्याप्त संसाधन (अतिरिक्त डम्पर) नहीं लगाये गये थे। नियंत्रण कक्ष एवं स्विचयार्ड के निर्माण में विलंब हुआ था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल), एक प्रमुख ठेकेदार, 25 माह तक सिविल कार्यों में विलंब के चलते अपने काम का हिस्सा शुरू नहीं कर सका। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम के पास न तो किसी भी समय निधियों की कमी थी और न ही उसे भूमि के अधिग्रहण या जनता से प्रतिरोध के संबन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए विलंब का कारण निगम द्वारा खराब योजना एवं धीमी गति से कार्य का निष्पादन किया जाना था। परियोजना को चालू करने के पश्चात 2007-08 से 2013-14 के दौरान, यू ई आर सी ने निगम को अनंतिम दर प्रदान की। निगम ने टैरिफ निर्धारण के लिए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) से पूर्व अवधि के टैरिफ का समायोजन²⁵ तथा अंतिम टैरिफ के निर्धारण हेतु संपर्क किया (नवंबर 2014)। आयोग द्वारा अन्तिम छः माह की देरी को अपरिहार्य एवं नियंत्रणीय मानते हुए निगम द्वारा दावा किये गये ₹1,958.13 करोड़ के सापेक्ष ₹1,889.22 करोड़ की परियोजना लागत की स्वीकृति प्रदान की जैसाकि *परिशिष्ट-3.4.2* में वर्णित है। निगम ने इस निर्णय के विरुद्ध यू ई आर सी के समक्ष एक समीक्षा याचिका (2015 की संख्या 58) दायर की जिसे अस्वीकार (जनवरी 2016) कर दिया गया। तत्पश्चात, निगम ने अपने दावे को ₹34.53 करोड़ छोड़ते हुए ₹1,958.13 करोड़ से घटाकर ₹1,923.60 करोड़²⁶ कर दिया। अंततः यू ई आर सी ने ₹1,885.50²⁷ करोड़ की परियोजना लागत के लिए टैरिफ निर्धारण किया।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (मार्च 2017) कि यू ई आर सी द्वारा ₹1,923.60 करोड़ की दावा की गई राशि में से मात्र ₹1,885.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा निगम नियमित रूप से यू ई आर सी के साथ इस मुद्दे को उठा रहा था। तथापि, अभिलेखों की जाँच से यह सुनिश्चित हुआ कि तय निधि की उपलब्धता एवं अन्य कोई बाधाएँ दर्ज न होने के बावजूद तथ्य यह है कि निगम परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने में असफल रहा।

²⁵ टैरिफ के समायोजन का अर्थ है संशोधित व्यय/विनियोग के आँकड़ों के आधार पर अनन्तिम टैरिफ को पुनः निर्धारित किया जाना। समायोजन का प्रभाव, वर्तमान वर्ष के टैरिफ में दिखाई पड़ता है।

²⁶ कम दावों की मर्दें: प्रत्याभूति शुल्क के विलंब से भुगतान पर अर्थदण्ड के रूप में ₹18.81 करोड़, चालू होने की तारीख के बाद प्रत्याभूति शुल्क के रूप में चुकाए जाने वाले ₹12 करोड़ और ₹3.72 करोड़ के म एवं अ (मरम्मत एवं अनुरक्षण) के व्यय को वृद्धिपूर्ण सम्मिलित किया गया = ₹34.53 करोड़।

²⁷ ₹1,889.22 करोड़ - ₹3.72 करोड़ मरम्मत एवं अनुरक्षण के व्यय को वृद्धिपूर्ण सम्मिलित किया गया = ₹1,885.50 करोड़।

पुनः, ₹38.10²⁸ करोड़ की लागत वृद्धि टैरिफ निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं की जा सकी क्योंकि यह नियंत्रणीय कारकों के कारण थी, जिसे निगम को अपने खाते से ही वहन करना पड़ा। निगम को ₹34.53 करोड़ की परियोजना लागत के एक अतिरिक्त घटक को भी छोड़ते हुए टैरिफ निर्धारण के अपने दावे को कम करना पड़ा था।

प्रकरण शासन को संदर्भित (अगस्त 2017) किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

3.5 उपयुक्त बीमा पॉलिसी लेने में विफलता के कारण हानि

इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी लेने में विफल रहने के कारण उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ₹ 2.18 करोड़ की हानि का दावा नहीं कर सका।

विवेकपूर्ण व्यवसाय पद्धति के अंतर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (निगम) अपनी स्थापित परियोजनाओं के लिए इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी (आई ए आर) लेता है। इस प्रकार की पॉलिसी सम्पत्ति की हानि के साथ-साथ छः माह की अधिकतम अवधि के लिए परियोजना के कारोबार में कमी होने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति को आच्छादित करती है। निगम की कालीगंगा-1 (चार में वा) लघु विद्युत परियोजना (एस एच पी) जुलाई 2012 में चालू हुई तथा इसने सितम्बर 2012 से वाणिज्यक संचालन आरम्भ कर दिया। तथापि, इस परियोजना का प्रमुख ढांचा जून 2013 में प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त/बह गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पादन बन्द हो गया था।

लेखापरीक्षा में पाया (फरवरी 2017) गया कि एस एच पी के जुलाई 2012 में चालू होने के पश्चात आई ए आर पॉलिसी लेने के बजाय, जो कि सामान्य पद्धति है, मैसर्स एस सी एल-बी एफ एल संयुक्त उद्यमी (ठेकेदार²⁹) तथा निगम ने परियोजना हेतु मानक अग्नि तथा विशेष जोखिम पॉलिसी (31.08.2012 से 30.08.2013 की अवधि हेतु) ली। यह पॉलिसी ऊर्जा उत्पादन के बन्द होने के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति नहीं करती थी। जून 2013 में, यह परियोजना प्राकृतिक आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हुई जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा के सम्पूर्ण उत्पादन की हानि हुई। जुलाई 2012 से जून 2013 तक इसकी संचालन अवधि के दौरान, परियोजना ने 0.966 एम यू औसत मासिक उत्पादन के साथ कुल 11.60 एम यू विद्युत का उत्पादन किया गया। तथापि, एसएचपी के क्षतिग्रस्त होने पर, निगम ₹2.18 करोड़³⁰ की राजस्व हानि का दावा बीमा कम्पनी से नहीं कर सका क्योंकि वर्तमान पॉलिसी विद्युत उत्पादन हानि की क्षतिपूर्ति नहीं करती थी।

²⁸ ₹1,923.60 करोड़ - ₹1,885.50 करोड़ = ₹38.10 करोड़ [₹30.16 करोड़ (निर्माण के दौरान ब्याज (आई डी सी)) + ₹7.94 करोड़ (मूल्य अन्तर (पी वी))।]

²⁹ शुरु होने के एक वर्ष के बाद, एस एच पी के संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी।

³⁰ 0.966 एम यू एस (9,66,787.5 यूनिट) × 6 माह × ₹3.75 प्रति यूनिट की दर से = ₹ 2.18 करोड़। यह सामान्य पद्धति है की निगम अपने चालू परियोजनाओं हेतु छः माह के उत्पादन हानि के जोखिम को सम्मिलित करते हुए बीमा पॉलिसी लेता है इसलिए हानि छः माह के लिए आकलित की गई।

प्रबंधन ने अवगत कराया (मार्च 2017) कि बीमा पॉलिसी ठेकेदार के द्वारा ली गई थी जो एक वर्ष की अवधि के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वैध थी। इसीलिए, दो अलग-अलग पॉलिसी लेना उचित नहीं था क्योंकि इससे उस संपत्ति/परियोजना के बीमा प्रीमियम में वृद्धि हो जाती। पुनः, उत्पादन की हानि गाद से परियोजना संचालन अवरुद्ध होने के कारण हुई, जो कि आई ए आर पॉलिसी में सम्मिलित नहीं थी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एस एच पी का स्थल निरीक्षण (सितम्बर 2013) करने वाले दल के प्रतिवेदन के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण परियोजना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रतिवेदन दर्शाता है कि पॉवर हाऊस, नियन्त्रण कक्ष, स्विच यार्ड, पहुँच मार्ग तथा कार्यालय भवन अचानक आई बाढ़ तथा भू-स्खलन के कारण पूरी तरह से बह गये थे, जो यह इंगित करता है कि एस एच पी में उत्पादन हानि मात्र गाद की वजह से नहीं थी, जैसाकि प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2012 में उक्त एस एच पी के चालू होने के पश्चात निगम द्वारा आई ए आर पॉलिसी लेने की पद्धति से अलग हटते हुए मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी लेने का निर्णय लिया।

इस प्रकार, अपनी मानक पद्धति का अनुसरण न करके आई ए आर पॉलिसी लेने में विफलता के कारण, निगम एस एच पी तथा इसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा की हानि के परिणामस्वरूप ₹2.18 करोड़ की राजस्व हानि का बीमा कम्पनी से दावा करने से वंचित रहा।

प्रकरण शासन को संदर्भित (मई 2017) किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.6 उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल जारी करना एवं राजस्व संग्रहण करना

समय से नये संयोजनों को जारी करने में असफलता के कारण यू ई आर सी ने यू पी सी एल पर ₹ 6.52 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया। छः खण्डों में यू पी सी एल की वितरण हानि ₹ 240.91 करोड़ थी। यू पी सी एल के सतर्कता दल द्वारा 14 वितरण खण्डों में मात्र 0.18 प्रतिशत से 0.54 प्रतिशत तक उपभोक्ताओं की जाँच की गई। यू पी सी एल द्वारा, अतिरिक्त प्रतिभूति राशि ₹ 58.60 करोड़, प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि ₹ 2.87 करोड़ एवं विलंब भुगतान अधिभार राशि ₹ 132.58 करोड़ वसूल नहीं की जा सकी।

3.6.1 परिचय

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), प्रदेश की विद्युत वितरण इकाई है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 12 फरवरी 2001 को निगमित हुई। यह प्रदेश के 1.89 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करती है।

यू पी सी एल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि एवं उद्योग भारों के आधार पर नौ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यू पी सी एल के उपभोक्ताओं के बिलिंग डाटा का अनुरक्षण दो भिन्न स्तरों महत्वपूर्ण उपभोक्ता सेल (के सी सी)³¹ और गैर-महत्वपूर्ण उपभोक्ता सेल (नान-के सी सी) के रूप में किया जाता है। नान-के सी सी³² डाटा 18.66 लाख उपभोक्ताओं का है, जबकि 23,000 उपभोक्ताओं की बिलिंग के सी सी स्तर पर होती है।

3.6.2 यू पी सी एल की बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण प्रक्रिया

यू पी सी एल विद्युत उत्पादकों से विद्युत खरीदता है तथा विद्युत का वितरण अन्तिम उपभोक्ताओं तक 36 वितरण खण्डों के माध्यम से करता है। ये खण्ड अपने अधिकार-क्षेत्र के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी करते हैं। उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का भुगतान किसी भी खण्ड में या आनलाइन भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार संग्रहीत धनराशि यू पी सी एल के केन्द्रीय खाते में प्रेषित कर दी जाती है।

3.6.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

यू पी सी एल के बिलिंग एवं राजस्व संग्रह के विश्लेषण के लिये 36 विद्युत वितरण खण्डों में से 14 वितरण खण्डों³³ का चयन वेटेड स्ट्रेटीफाइड सैम्पलिंग³⁴ के आधार पर किया गया और प्राप्त डाटा संग्रह का विश्लेषण³⁵ डाटा ऐनालिटिक्स का प्रयोग करते हुए किया गया।

इसके पश्चात, यू पी सी एल के उपभोक्ताओं से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा जून से अगस्त 2017 के मध्य की गई तथा इसमें 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि को आच्छादित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6.4 संयोजनों का निर्गमन

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) (नए एल टी संयोजन का निर्गमन, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियमन, 2013 प्रावधानित करता है कि अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् यू पी सी एल पर संयोजन हेतु आवेदन की तिथि के 30 दिन के अंदर संयोजन को सही मीटर द्वारा ऊर्जाकृत करने का दायित्व

³¹ उपभोक्ता जिनका स्वीकृत विद्युत भार 5 किलोवाट या उससे अधिक है।

³² उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 5 किलोवाट से कम है।

³³ रुद्रपुर, सितारगंज, हल्दानी नगरीय, हल्द्वानी ग्रामीण, टिहरी, देहरादून ग्रामीण, देहरादून दक्षिण, रुड़की नगरीय, रुड़की ग्रामीण, हरिद्वार नगरीय, हरिद्वार ग्रामीण, कोटद्वारा, काशीपुर और बाजपुर।

³⁴ वेटेड स्ट्रेटीफाइड सैम्पलिंग विभिन्न जोखिम मानकों की गम्भीरता जैसे बकाया, मीटरों में खराबी, वसूली में अन्तर, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता, भार, उपभोक्ताओं की कुल संख्या को महत्व देते हुए की गई है।

³⁵ मार्च 2017 तक, 14 चयनित खण्डों में उपभोक्ताओं की संख्या 10,39,127 थी जो कि यू पी सी एल के कुल उपभोक्ताओं का 54.98 प्रतिशत है। चयनित खण्डों का राजस्व ₹ 4,230.01 करोड़ था जो कि यू पी सी एल के कुल राजस्व ₹ 5,572.89 करोड़ का 75.90 प्रतिशत है।

होगा। इसके अतिरिक्त, यू पी सी एल के वितरण खण्ड एवं परीक्षण खण्ड समयसीमा में नये संयोजनों के निर्गमन के लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

3.6.4.1 नये संयोजनों के निर्गमन में देरी

उक्त विनियमन, 2013, प्रावधानित करता है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी आवेदनकर्ता को निर्धारित समयसीमा में संयोजन देने में असफल रहता है तो वह आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि के प्रति ₹1,000 (या उसके भाग) पर ₹10 की दर से, जो कि अधिकतम ₹1,000 चूक प्रतिदिन तक, अर्थदण्ड अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सात खण्डों³⁶ में 2014-15 से 2016-17 के दौरान 6,337 संयोजनों को निर्धारित तिथि के बाद निर्गमित किया गया। इस विलंब के परिणामस्वरूप, इन खण्डों में यू पी सी एल पर ₹2.72 करोड़ का अर्थदण्ड संचय हुआ (परिशिष्ट-3.6.1)। उपरोक्त विनियमन के अनुपालन में असफल रहने के कारण यू ई आर सी ने यू पी सी एल पर ₹6.52 करोड़ का दण्ड शुल्क लगाया (जनवरी 2016)। यू पी सी एल ने ₹0.65 करोड़ के अर्थदण्ड का भुगतान किया। यह भी पाया गया कि इनमें से एक खण्ड³⁷ आवश्यक सेवाओं³⁸ को पाँच वर्ष से अधिक समय तक संयोजन निर्गमन में असफल रहा एवं क्षेत्र के निवासियों को सरकार के कल्याणकारी उपायों के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

3.6.4.2 यू ई आर सी भार विनियमन का अनुपालन न किया जाना

यू ई आर सी (एच टी एवं ई एच टी संयोजन का निर्गम, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियमन 2008 प्रावधानित करता है कि 88 के वी ए से अधिक के औद्योगिक संयोजन को 11 के वी लाइन पर निर्गमित करना चाहिये और सभी इस्पात/भट्टी उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार स्वतन्त्र फीडर द्वारा 33 के वी या अधिक की लाइन पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिये। इस संबंध में यह पाया गया कि:

- यू पी सी एल के दो खण्डों³⁹ में, इस्पात उपभोक्ताओं⁴⁰ के संयोजन 33 के वी लाइन के स्थान पर 11 के वी लाइन पर स्वतन्त्र फीडर द्वारा किये गये।
- देहरादून (ग्रामीण) खण्ड में, एक उपभोक्ता⁴¹ का भार 40 के वी ए से बढ़ाकर 175 के वी ए कर दिया गया लेकिन संयोजन का निर्गमन 11 के वी लाइन के स्थान पर 0.4 के वी लाइन पर

³⁶ हल्द्वानी (ग्रामीण), काशीपुर, रुद्रपुर, टिहरी, हरिद्वार नगरीय, हरिद्वार ग्रामीण और देहरादून ग्रामीण।

³⁷ नई टिहरी।

³⁸ मार्च 2012 से लम्बित हवेल घाटी पम्पिंग पेयजल योजना (810 कि वा भार) और मार्च 2015 से, लम्बित घण्टाकरन पेयजल योजना (1,493 कि वा भार)।

³⁹ सितारगंज और हल्द्वानी (ग्रामीण)।

⁴⁰ मैसर्स कुमाऊं इस्पात उद्योग लिमिटेड और मैसर्स पाल अलॉय और स्टील कास्टिंग प्रा लि।

⁴¹ मैसर्स समीक्षा इन्डस्ट्रीज।

किया गया था। इसी प्रकार, हरिद्वार (नगरीय) में, उपभोक्ता⁴² को 119 के वी अनुबन्धित भार को 11 के वी लाइन के स्थान पर 0.4 के वी लाइन पर संयोजन निर्गत किया गया।

इसके परिणामस्वरूप, यू ई आर सी के विनियमन के उल्लंघन के साथ साथ यू पी सी एल को निर्माण लागत पर 18 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्ज की हानि हुई जो कि उपभोक्ताओं से वसूली योग्य था। पुनः, उपभोक्ताओं की लागत पर नई लाइनें विकसित हो सकती थीं जिससे यू पी सी एल के वितरण तंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता था।

3.6.5 वितरण में ऊर्जा की हानि

3.6.5.1 वितरण हानि के माध्यम से ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा का हास हुआ। वितरण हानियां यू ई आर सी द्वारा निर्धारित मापदण्डों⁴³ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान यू पी सी एल की आगत ऊर्जा, बिलिंग/विक्रीत ऊर्जा, गैर-बिलिंग ऊर्जा एवं बिलिंग दक्षता का विवरण नीचे तालिका-3.6.1 में वर्णित है:

तालिका-3.6.1 : वर्ष 2014-17 के दौरान यू पी सी एल की आगत ऊर्जा, बिलिंग/विक्रीत ऊर्जा, गैर-बिलिंग ऊर्जा एवं बिलिंग दक्षता के संबंध में विवरण

क्र.स.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1.	आगत ऊर्जा (एम यू में)	11,888.23	12,559.59	12,780.31
2.	बिलिंग/विक्रीत ऊर्जा (एम यू में)	9,685.16	10,298.14	10,571.68
3.	गैर-बिलिंग ऊर्जा (एम यू में)	2,203.07	2,261.45	2,208.63
4.	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	81.47	81.99	82.72

स्रोत: यू पी सी एल के आँकड़ों से संकलित सूचना।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों में यू पी सी एल की बिलिंग दक्षता की सीमा 81.47 प्रतिशत से 82.72 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान औसतन ऊर्जा क्रय लागत (मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, प्रशासनिक व्यय, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए) भी ₹4.58 प्रति इकाई से बढ़कर ₹5.13 प्रति इकाई हो गई, जिसके सापेक्ष प्रति इकाई वसूली ₹4.61 प्रति इकाई से ₹4.89 प्रति इकाई के बीच रही। जिसके परिणामस्वरूप, यू पी सी एल को इसी दौरान बिलिंग ऊर्जा पर नौ पैसा प्रति इकाई से 27 पैसा प्रति इकाई के बीच हानि वहन करनी पड़ी। यह यू पी सी एल की संचय हानियों में प्रतिबिंबित हुआ, जो कि वर्ष 2014-15 में ₹1,955.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹2,339.50 करोड़ हो गई।

यह भी पाया गया कि यू पी सी एल की समस्त वितरण हानि 2014-15 से 2016-17 के दौरान 16.68 प्रतिशत से 18.64 प्रतिशत के मध्य रही जो कि यू ई आर सी द्वारा निर्धारित मापदण्डों से

⁴² मैसर्स गुरुकुल फार्मसी।

⁴³ वर्ष 2014-15 में 15.5 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में 15.0 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 15.0 प्रतिशत यू ई आर सी द्वारा निर्धारित की गई थी।

अधिक थी। चयनित इकाईयों में से, छः खण्डों⁴⁴ की वितरण हानियां 23.39 प्रतिशत से 26.99 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान हानियां स्वीकार्य मापदण्ड से ₹240.91 करोड़ अधिक थीं (परिशिष्ट-3.6.2)। वितरण हानियों के कारणों की चर्चा नीचे की गयी है:

3.6.5.2 चोरी/छुट-पुट चोरी के कारण ऊर्जा एवं राजस्व की हानि

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 प्रावधानित करती है कि ऊर्जा की चोरी एक दण्डनीय अपराध है। पुनः, विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 163 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उपकरणों के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु प्रवेश कर सकता है।

यह पाया गया कि चयनित 14 खण्डों में सतर्कता दल द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मात्र 11,306 उपभोक्ताओं की जाँच की गयी। कुल उपभोक्ताओं की संख्या के सन्दर्भ में जाँच की प्रतिशतता मात्र 0.18 प्रतिशत से 0.54 प्रतिशत के मध्य थी। तथापि, कुल जाँच में से चोरी के पकड़े गये प्रकरणों की प्रतिशतता 41.01 प्रतिशत से 60.60 प्रतिशत (परिशिष्ट-3.6.3) के मध्य रही, जो कि काफी थी। दोषी उपभोक्ताओं पर ₹15.60 करोड़ का कर निर्धारण किया गया जिसके सापेक्ष मार्च 2017 तक ₹10.78 करोड़ की वसूली हुई थी एवं ₹4.82 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु अभी भी लम्बित थी।

अभिलेखों की जाँच में आगे यह भी पाया गया कि यू पी सी एल के सतर्कता दल का आकार उसके संगठन के आकार और उपभोक्ता आधार के अनुरूप नहीं था। यू पी सी एल ने सतर्कता कार्य हेतु मात्र 12 अधिकारियों अर्थात् उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (1 पद), उप पुलिस अधीक्षक (2 पद), इन्सपेक्टर (3 पद), और सहायक इन्सपेक्टर (6 पद) के पद स्वीकृत किये हैं। उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद सितम्बर 2003 से सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन से खाली था। अन्य पद भी समय समय पर खाली थे। वर्तमान (नवम्बर 2017) में, मात्र तीन इन्सपेक्टर एवं एक सहायक इन्सपेक्टर तैनात हैं। यदि यू पी सी एल ने अपनी सतर्कता टीम को सुदृढ़ किया होता तथा जाँच के लिए मापदण्डों को निर्धारित किया होता तो चोरी के कारण राजस्व में स्राव को अधिक प्रभावी ढंग से बन्द किया जा सकता था।

3.6.5.3 वितरण परिवर्तन मापन में अनुरक्षण में कमी

यू पी सी एल ने स्थापित वितरण परिवर्तकों (डी टी आर) की मापन एवं ऑटोमैटिक डाटा लौगिंग की परिकल्पना की जिससे यथार्थ बिलिंग उद्देश्य हेतु ऊर्जा डाटा प्राप्त किया जा सके और डी टी आर स्तर पर हो रही वितरण हानियों में सुधारात्मक कार्यवाही करें।

⁴⁴ सितारगंज, हल्दवानी, बाजपुर, रुड़की नगरीय, रुड़की ग्रामीण और टिहरी।

चार खण्डों⁴⁵ में यह पाया गया कि 573 मीटर/मौडम स्थापित किये गये थे जिसके सापेक्ष केवल 284 (49.56 प्रतिशत) मीटर/मौडम क्रियाशील/संचारशील थे। शेष 289 (50.44 प्रतिशत) मीटर/मौडम क्रियाशील/प्रेषणशील (परिशिष्ट-3.6.4) नहीं थे जिनका ऊर्जा के अन्तःप्रवाह/बाह्यप्रवाह को दर्ज करने तथा वितरण हानियों को मापने पर प्रतिकूल असर पड़ा। प्रेषणशील मीटरों/मौडम के अभाव में, डी टी आर स्तर पर वितरण हानियों की यथार्थता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.6.6 गुणवत्ता मापन

उपभोक्ताओं को प्रदान की गई विद्युत ऊर्जा के बिलिंग उद्देश्य हेतु यू पी सी एल, उपभोक्ताओं के परिसर में, विद्युत मीटर स्थापित करती है। उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की विश्वसनीयता, शुद्धता और निरन्तरता को मापने के लिए उच्च गुणवत्ता के मीटरों की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में निम्न बिन्दु संज्ञान में आये:

3.6.6.1 दोष पूर्ण मीटरों का न बदला जाना

यू ई आर सी विद्युत आपूर्ति कोड 2007 की धारा 3.1.4 प्रावधानित करती है कि यू पी सी एल को चिन्हित दोषपूर्ण मीटरों (आई डी एफ) की प्रतिस्थापना 15 दिनों के अंदर कर देनी चाहिये और इनको अधिकतम तीन माह की अवधि के अंदर आवश्यक रूप से ठीक कर लेना चाहिए।

माह जुलाई 2017 के बिलिंग अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित 14 खण्डों के 32,507 उपभोक्ताओं के माह जुलाई 2017 के बिल आई डी एफ के आधार पर बनाए गये और इन प्रकरणों में विद्युत बिल, जिनकी धनराशि ₹81.50 करोड़⁴⁶ थी, निर्धारण के आधार पर बनाये गये थे तथा उपभोक्ताओं के मीटर एक से 115 माह तक की अवधि से दोषपूर्ण थे। यह पाया गया कि परीक्षण खण्ड (दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन के लिए उत्तरदायी) और विद्युत वितरण खण्ड (बिलिंग कार्य के लिये उत्तरदायी) के मध्य समन्वय के अभाव में उपभोक्ताओं द्वारा अधिक ऊर्जा का उपयोग करने और यू पी सी एल को आवर्ती हानि होने की सम्भावनाएं बन गईं। यू पी सी एल द्वारा

⁴⁵ सितारगंज, हल्द्वानी (नगरीय), कोटद्वार और देहरादून (ग्रामीण)।

⁴⁶ देहरादून केन्द्रीय (प्रकरणों की संख्या-508, निर्धारण की धनराशि - ₹ 15.27 लाख) देहरादून दक्षिण (प्रकरणों की संख्या-99, निर्धारण की धनराशि - ₹ 13.44 लाख) देहरादून ग्रामीण (प्रकरणों की संख्या-1,921, निर्धारण की धनराशि - ₹ 52.12 लाख) रुद्रपुर (प्रकरणों की संख्या-9,371, निर्धारण की धनराशि - ₹ 1,893.47 लाख) सितारगंज (प्रकरणों की संख्या-2,969, निर्धारण की धनराशि - ₹ 3,024.66 लाख), काशीपुर (प्रकरणों की संख्या-519, निर्धारण की धनराशि - ₹ 379.45 लाख), बाजपुर (प्रकरणों की संख्या-756, निर्धारण की धनराशि - ₹ 82.39 लाख), हल्द्वानी ग्रामीण (प्रकरणों की संख्या-1,203, निर्धारण की धनराशि - ₹ 334.97 लाख), हल्द्वानी नगरीय (प्रकरणों की संख्या-1,210, निर्धारण की धनराशि - ₹ 204.60 लाख), रुड़की ग्रामीण (प्रकरणों की संख्या-3,009, निर्धारण की धनराशि - ₹ 700.87 लाख), रुड़की नगरीय (प्रकरणों की संख्या-4,072, निर्धारण की धनराशि- ₹ 840.25 लाख), हरिद्वार ग्रामीण (प्रकरणों की संख्या-1,644, निर्धारण की धनराशि- ₹ 403.65 लाख), हरिद्वार नगरीय (प्रकरणों की संख्या-630, निर्धारण की धनराशि- ₹ 96.00 लाख) एवं कोटद्वार (प्रकरणों की संख्या-4,596, निर्धारण की धनराशि - ₹ 109.11 लाख)।

उपरोक्त आपूर्ति कोड के मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया एवं बिल वास्तविक आधार की बजाय निर्धारण के आधार पर बनाये गये। वास्तविक मीटर रीडिंग की अनुपस्थिति में, हानि की गणना नहीं की जा सकी।

3.6.6.2 यान्त्रिक मीटरों का न बदला जाना

यू ई आर सी ने अपने आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2015 द्वारा यू पी सी एल को 31 दिसम्बर 2015 तक सभी यान्त्रिक मीटरों को इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से प्रतिस्थापन करने के लिए निर्देशित किया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर अपनी निहित सटीकता के गुण के कारण सटीक और छेड़छाड़ रहित हैं, इसलिए लाइन हानियों में कमी लाने में सहायक होते हैं। यह पाया गया कि मार्च 2017 तक 14 चयनित खण्डों में से सात खण्डों में 21,123⁴⁷ यान्त्रिक मीटर प्रतिस्थापन हेतु लम्बित थे। यान्त्रिक मीटरों के गैर-प्रतिस्थापन ने मीटर की गुणवत्ता पर असर डाला है। यू पी सी एल वितरण एवं परीक्षण खण्डों में समन्वय न होने के कारण समय से यान्त्रिक मीटरों का प्रतिस्थापन नहीं कर सका।

3.6.6.3 एम आर आई द्वारा अपर्याप्त मीटर रीडिंग

वृहद भार वाले उपभोक्ताओं के परिसर में, यू पी सी एल टाइम ऑफ डे (टी ओ डी) मीटरों का मौडम तथा संयोजित सिम (इस प्रकार के विद्युत मीटरों में, खपत के आँकड़े स्वचालित रूप से केंद्रीय सर्वर को संचारित किये जाते हैं) या बिना मौडम एवं सिम के टी ओ डी मीटर (इस प्रकार के मीटरों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग इन्स्ट्रुमेंट का प्रयोग करते हुए ऊर्जा खपत दर्ज की जाती है) स्थापित करता है। यू ई आर सी आपूर्ति कोड 2007 की धारा 3.1.2 प्रावधानित करती है कि जहाँ भी टाइम आफ डे (टी ओ डी) मीटर⁴⁸, बिना मौडम एवं सिम के स्थापित हैं, उनकी रीडिंग केवल मीटर रीडिंग इन्स्ट्रुमेंट⁴⁹ (एम आर आई) के द्वारा ही होनी चाहिए। एम आर आई मीटर की सेहत और कार्यप्रणाली का विवरण देती है। पुनः यदि मीटरों में छेड़छाड़ की गयी है या मीटर उपभोग के सापेक्ष कम ऊर्जा अंकित करता है तो यह एम आर आई द्वारा पता चल सकता है।

यह पाया गया कि पाँच खण्डों⁵⁰ में निम्न एवं उच्च टेंशन उपभोक्ताओं का, मार्च 2015 में 4,540 उपभोक्ताओं, मार्च 2016 में 4,951 उपभोक्ताओं व मार्च 2017 में 5,112 उपभोक्ताओं का, मापन एम आर आई से होना अपेक्षित था। इसके सापेक्ष, खण्डों द्वारा केवल क्रमशः

⁴⁷ हल्द्वानी नगरीय (766), रुद्रपुर, (95), सितारगंज, (3,612), काशीपुर (463), कोटद्वार (12,228), हरिद्वार नगरीय (2,282), एवं बाजपुर (1,677)।

⁴⁸ टाइम आफ डे मापक में विद्युत दरों को दिन के दौरान बदलने की अनुमति देता है, व्यस्ततम समय में (उच्च दर) में और गैर- व्यस्ततम समय में (कम दर) में उपयोग को अंकित करता है।

⁴⁹ एम आर आई हैंड हेल्ड पोर्टेबल मशीन है जो मापक की रीडिंग एवं उसकी सेहत की जाँच करती है।

⁵⁰ रुद्रपुर, हल्द्वानी नगरीय, रुड़की ग्रामीण, रुड़की नगरीय तथा बाजपुर।

2,805 (61.78 प्रतिशत), 2,917 (58.45 प्रतिशत) एवं 2,894 (56.61 प्रतिशत) उपभोक्ताओं का मापन एम आर आई द्वारा किया गया (परिशिष्ट-3.6.5)। एम आर आई की कमी के कारण कम बिलिंग एवं मीटर से छेड़छाड़ की वजह से राजस्व की हानि के साव की सम्भावना बनी रहती है।

3.6.6.4 स्वचालित मीटर रीडिंग मीटरों की अपर्याप्त संख्या

2016-17 के टैरिफ आदेश में, यू पी सी एल ने कहा कि लाइन हानियों में कमी लाने के लिए स्वचालित मीटर/रीडिंग⁵¹ (ए एम आर) मीटर की स्थापना अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। यू पी सी एल ने यह प्रतिबद्ध किया कि 5 कि वा के संयोजनों की बिलिंग ए एम आर मीटर से की जायेगी। ए एम आर विद्युत उपभोग अंकित कर और उसे सिम और मौडम के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपयोग वास्तविक समय में अंकित कर सर्वर को भेजता है। ए एम आर उपकरण के माध्यम से मीटर रीडिंग की इस प्रक्रिया से मानवीय हस्तक्षेप एवं बिलिंग त्रुटि की सम्भावना कम हो जाती है।

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि 12 खण्डों⁵² में 5 कि वा से अधिक 12,149 महत्वपूर्ण उपभोक्ता सेल उपभोक्ताओं में से वर्ष 2016-17 में, केवल 2,385 उपभोक्ताओं (19.63 प्रतिशत) की बिलिंग ए एम आर द्वारा की गई एवं 9,764 उपभोक्ताओं की बिलिंग मैनुअल रूप से की गई (परिशिष्ट-3.6.6)।

3.6.7 बिलिंग दक्षता⁵³

यू ई आर सी प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ जारी करता है एवं प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं के बिलों को तैयार करना आवश्यक होता है। खपत की गई बिजली की कम बिलिंग यू पी सी एल के लिए हानि है, जबकि अधिक बिलिंग उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है। किसी भी असामान्य बिलिंग का विश्लेषण करना चाहिए एवं सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

⁵¹ ए एम आर उपभोग के आँकड़ों को एकत्र करता है और उसे पॉवर कम्पनी को प्रेषित करता है।

⁵² हल्द्वानी ग्रामीण, हल्द्वानी नगरीय, रुद्रपुर, बाजपुर, सितारगंज, कोटद्वार, टिहरी, देहरादून ग्रामीण, रुड़की नगरीय, रुड़की ग्रामीण, हरिद्वार नगरीय, हरिद्वार ग्रामीण।

⁵³ बिलिंग दक्षता कुल इकाई आदानों के सापेक्ष कुल बिलिंग इकाई को संदर्भित करती है।

3.6.7.1 प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप की गैर-प्राप्ति

यू ई आर सी एल टी विनियमन 2013 के अनुसार, यू पी सी एल संयोजन निर्गत करते समय सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से प्रतिभूति निक्षेप जमा करता है। 14 खण्डों⁵⁴ के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि मार्च 2017 तक, विभिन्न श्रेणियों के 800 उपभोक्ताओं से आवश्यक प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप लिये बिना संयोजन जारी किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, ₹2.41 करोड़ की गैर-प्राप्ति तथा यू ई आर सी विनियमों का उल्लंघन हुआ (परिशिष्ट-3.6.7)।

प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ उपभोक्ताओं की प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप को मैनुअल से कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के डेटा हस्तांतरण के समय सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया था और कुछ प्रकरणों में यह अभी तक जमा नहीं हुआ था। आगे यह भी अवगत कराया गया कि इन संयोजनों की प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप का मिलान कर वसूली की जायेगी। यू पी सी एल का उत्तर खराब डाटा प्रबंधन को इंगित करने के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति पर नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

3.6.7.2 शंट कैपेसिटर अधिभार का अनारोपण

आपूर्ति की सामान्य शर्तों के अनुसार, वर्तमान ऊर्जा शुल्क पर पाँच प्रतिशत का अधिभार इंडक्टिव लोड वाले उन उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्राई वेक्टर मीटर⁵⁵ नहीं हैं या जिन्होंने उपयुक्त रेटिंग और विशिष्टताओं वाले शंट कैपेसिटर⁵⁶ स्थापित नहीं किये हैं।

रुद्रपुर खण्ड में यह पाया गया कि लोक जल निर्माण के संयोजनों के बिल निर्धारण के आधार पर बनाये गये थे और इन उपभोक्ताओं की मीटर संख्या व मीटर माँडल अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि ट्राई-वेक्टर मीटर स्थापित नहीं किये गये थे। ऐसे में, खण्ड को 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क पर पाँच प्रतिशत का अधिभार लेना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹24.98 लाख⁵⁷ की कम बिलिंग हुई।

खण्ड ने अवगत (जून 2017) कराया कि राज्य के नलकूपों के संयोजनों पर मीटर स्थापित करने के लिए परीक्षण खण्ड के साथ पत्राचार किया जा रहा था। इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित उप-खण्डीय अधिकारियों और कनिष्ठ अभियन्ताओं को मीटरों की स्थापना के बाद बिल में शंट कैपेसिटर अधिभार प्रभारित करने के निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

⁵⁴ रुद्रपुर, सितारगंज, हल्द्वानी शहरी, हल्द्वानी ग्रामीण, टिहरी, देहरादून ग्रामीण, देहरादून दक्षिण, रुड़की शहरी, रुड़की ग्रामीण, हरिद्वार शहरी, हरिद्वार ग्रामीण, कोटद्वार, काशीपुर और बाजपुर।

⁵⁵ ट्राईवेक्टर मापक को एच टी/एल टी उपभोक्ताओं की मीटरिंग हेतु बनाया गया है। इस मापक में उन्नत डेटा व छेड़छाड़ को दर्ज करने की क्षमता है।

⁵⁶ शंट कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग लाईन हानियों को कम करने और वोल्टेज स्थायित्व को सुधारने के लिये किया जाता है।

⁵⁷ वर्ष 2014-15 में विद्युत प्रभार - ₹72,73,728 + वर्ष 2015-16 में विद्युत प्रभार - ₹4,12,30,796 + वर्ष 2016-17 में विद्युत प्रभार - ₹14,48,208 = ₹4,99,52,732 × 5 प्रतिशत = ₹24.98 लाख।

3.6.8 यू पी सी एल द्वारा राजस्व संग्रहण

यू पी सी एल के खण्डों द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के बिल यू ई आर सी द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर जारी किये जाते हैं। बिलों की दक्ष वसूली महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यू पी सी एल के राजस्व का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। समय पर विद्युत बिलों की वसूली न होने से बकाया में वृद्धि होती है एवं कम्पनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3.6.8.1 विद्युत बकाये की वसूली न किया जाना

यू ई आर सी विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 की धारा 4.1 प्रावधानित करती है कि यू पी सी एल विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार उपभोक्ता, जो अपने भुगतान में चूक करता है, उसे देय राशि का भुगतान 15 दिनों के अंदर करने हेतु लिखित रूप में संयोजन विच्छेद का नोटिस जारी कर सकता है। उक्त नोटिस की अवधि समाप्त होने पर वह उपभोक्ता की आपूर्ति को विच्छेदित कर सकता है। यदि उपभोक्ता बकाया सहित देय बिल राशि को विच्छेदन की तिथि से छः माह के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे संयोजन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिये जायेंगे।

यू पी सी एल के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बिजली के बकाया से सम्बन्धित घरेलू, गैर-घरेलू, निजी नलकूप, निम्न टेंशन और उच्च टेंशन वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल के बकाया की राशि 2014-15 में ₹1,353.30 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹1,420.47 करोड़ हो गई थी, जो कि नीचे तालिका-3.6.2 में वर्णित है:

तालिका-3.6.2: 2014-17 के दौरान घरेलू, गैर-घरेलू, निजी नलकूप, निम्न/उच्च टेंशन उद्योगों के विद्युत बकायों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1.	वर्ष की प्रारम्भ में बकाया शेष	1,346.47	1,353.30	1,317.42
2.	वर्ष के दौरान निर्धारित/बिलिंग राजस्व	3,918.63	4,525.40	5,047.65
3.	वसूली के लिए कुल देय राशि (1+2)	5,265.10	5,878.70	6,365.07
4.	कुल राशि समायोजित/माफ कर दी गई/छूट	107.37	56.28	31.94
5.	वर्ष के दौरान वसूली राशि	3,804.43	4,505.00	4,912.66
6.	साल के अंत में बकाया शेष	1,353.30	1,317.42	1,420.47

स्रोत: यू पी सी एल के रिकॉर्ड से संकलित सूचना।

प्रबंधन ने बताया कि उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यू पी सी एल ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 170 के अंतर्गत वसूली प्रमाण पत्र (आर सी) के माध्यम से त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं से बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। आर सी से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक यू पी सी एल ने ₹43.54 करोड़ की आर सी जारी की जिसके

सापेक्ष मात्र ₹1.29 करोड़ (2.96 प्रतिशत) प्राप्त कर सका जैसाकि **परिशिष्ट-3.6.8** में वर्णित किया गया है।

3.6.8.2 विलम्बित भुगतान अधिभार का प्राप्त न होना

देय तिथि के बाद 15 दिनों की रियायती अवधि के भीतर विद्युत बिल के भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार बिल की मूल राशि जो भुगतान नहीं की गयी पर 1.25 प्रतिशत का अधिभार, प्रत्येक क्रमिक माह या उसके हिस्से पर जब तक पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, नियत तारीख से लगाया जाएगा।

यह पाया गया कि यू पी सी एल 4,429 विभिन्न उपभोक्ताओं⁵⁸ से जिनका संयोजित भार 1,65,388 कि वा था, मार्च 2017 तक ₹132.58 करोड़ के विलम्बित भुगतान अधिभार को वसूल करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, यू पी सी एल के पहले से ही विषम वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। यह भी पाया गया था कि 2014-15 से 2016-17 के दौरान, यू पी सी एल को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज के रूप में ₹57.89 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। यदि यू पी सी एल ने सम्बन्धित उपभोक्ताओं से विलम्बित भुगतान अधिभार वसूल किया होता, तो वह ब्याज के भुगतान के रूप में अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकता था।

3.6.8.3 अतिरिक्त प्रतिभूति की गैर-वसूली

यू ई आर सी विनियमन 2007 का प्रस्तर 2.3.1 प्रावधानित करता है कि पिछले वर्ष की प्रतिभूति निक्षेप की पर्याप्तता हेतु उपभोक्ताओं के खपत स्वरूप के अनुसार प्रतिभूति धनराशि की समीक्षा की जानी चाहिए। एक उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्रों की अनुमानित औसत खपत के बराबर राशि बनाए रखना आवश्यक है। अंतर धनराशि की उपभोक्ताओं को एक सूचना देकर अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में मांग की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2017 तक यू पी सी एल के 14 खण्डों⁵⁹ में, 3,431 वृहद और भारी उपभोक्ताओं से सम्बन्धित ₹57.53 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (अप्रैल 2016 से) को वसूल करने में विफल रहा (**परिशिष्ट-3.6.9**)। खण्डों ने न तो अतिरिक्त प्रतिभूति राशि वसूल की और न ही ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की। प्रबंधन ने अवगत कराया कि वसूली के

⁵⁸ सार्वजनिक लैम्प (1,325), जल संस्थान (1,268), जल निगम (74), राजकीय नलकूप (1,376), पम्प नहर (156), लिफ्ट सिंचाई (29), रेलवे संकर्षण (02), रिसाइक्लिंग प्लांट (109), और वर्ल्ड बैंक नलकूप (90)।

⁵⁹ रुद्रपुर, सितारगंज, हल्द्वानी (शहरी), हल्द्वानी (ग्रामीण), काशीपुर, बाजपुर, टिहरी, कोटद्वार, देहरादून (दक्षिण), देहरादून (ग्रामीण), हरिद्वार (शहरी), हरिद्वार (ग्रामीण), रुड़की (ग्रामीण) और रुड़की (शहरी)।

लिए डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये हैं। तथापि, अतिरिक्त प्रतिभूति राशि वसूली अभी भी (अगस्त 2017) लंबित थी एवं यू पी सी एल अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

3.6.9 अन्य मुद्दे

3.6.9.1 पूर्व भुगतान मीटरों की गैर-स्थापना

यू ई आर सी द्वारा 11 अप्रैल 2012 के आदेश के अनुसार, यू पी सी एल के 2012-13 के खुदरा टैरिफ हेतु, पूर्व भुगतान मीटरिंग के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई जो अक्टूबर 2012 से प्रभावी थी। यू ई आर सी के मुताबिक, पूर्व भुगतान मीटरों का इस्तेमाल करने से उपभोक्तों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और यू पी सी एल के नकदी प्रवाह में सुधार की उम्मीद थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यू पी सी एल ने 5,000 एकल फेस और 1,000 तीन फेज के पूर्व भुगतान मीटरों और सम्बन्धित सामानों के लिए ₹3.90 करोड़ का आपूर्ति आदेश⁶⁰ (जुलाई 2014) दिया। उपरोक्त में से, 2014-15 में पहले चरण में ₹77.99 लाख⁶¹ के 1,000 एकल फेस और 200 तीन फेज के मीटर सम्बन्धित सामानों के साथ प्राप्त हुए थे। यू पी सी एल द्वारा ये मीटर अपने पाँच परीक्षण खण्डों⁶² को नए अस्थायी संयोजन जारी करने के दौरान उपयोग के लिए निर्गत किये गये थे।

यह पाया गया कि यू पी सी एल द्वारा 2014-15 के दौरान प्राप्त 1,200 पूर्व भुगतान मीटरों में से केवल 622 मीटर स्थापित किये गये थे। पूर्व भुगतान मीटरों में अप्रैल 2015 से प्रभावी नई टैरिफ दरों को कैलिब्रेट करने में कठिनाइयों का सामना करने के कारण यू पी सी एल ने इन मीटरों की आगे स्थापना को रद्द करने का निर्णय (18 अप्रैल 2015) लिया। यू पी सी एल इन मीटरों में वार्षिक टैरिफ संशोधन की बुनियादी आवश्यकता परिकल्पित करने एवं स्थापित करने में असफलता के कारण पूर्व भुगतान मीटरों का उपयोग करने में असमर्थ था जिससे ₹ 77.99 लाख का व्यय निष्फल हुआ। इसके अतिरिक्त, पूर्व भुगतान मीटरों के उपयोग के माध्यम से अपेक्षित नकदी प्रवाह में सुधार के अतिरिक्त लाभ से भी यू पी सी एल को वंचित होना पड़ा।

निष्कर्ष

यू पी सी एल को विद्युत आपूर्ति के वितरण में नुकसान उठाने को बाध्य होना पड़ा। मापदण्डों से अधिक वितरण में हानियां, यान्त्रिक मीटरों का न बदलना, अपर्याप्त सतर्कता, समय से दोषपूर्ण

⁶⁰ आदेश संख्या 999/यू पी सी एल/सी ई/सी सी पी-III/23/2012-13 (सिक्वोर) दिनांक 31 जुलाई 2014।

⁶¹ एकल फेज पूर्व भुगतान मीटरों की लागत ₹4,039.78×1,000 = ₹40,39,780/-, तीन फेज पूर्व भुगतान मीटर की लागत ₹9,360.05 × 200 = ₹18,72,010/-, इन हाउस डिस्प्ले इकाई 640.62 × 1,200 = ₹7,68,744/-, चोरी रोधक मीटर बॉक्स (सिंगल फेज एवं तीन फेज @ ₹932.35 × 1,200 = ₹11,18,820/-।

⁶² रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून शहरी, देहरादून ग्रामीण, एवं रुड़की के खण्ड।

मीटरों का न बदला जाना एवं मीटरिंग में यू ई आर सी आपूर्ति संहिता का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण थीं। यू पी सी एल विगत तीन वर्षों के दौरान, उपभोक्ताओं से अपेक्षित प्रारम्भिक और अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि; शंट कैपेसिटर शुल्क; विलम्बित भुगतान अधिभार; और विद्युत शुल्क की वसूली भी नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप बकायों में वृद्धि हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित (सितम्बर 2017) किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

देहरादून

दिनांक : 21 मार्च 2018


(एस. आलोक)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 23 मार्च 2018


(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.1.9.1; पृष्ठ 5)

ले प्र में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृ का टि की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 मार्च 2017 को लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ	राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्ति की अंतिम तिथि
सिविल/सामाजिक, समान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षे उ)	2000-01	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	23.06.2003	22.09.2003
		कृषि विभाग	01		
		सिंचाई विभाग	01		
		पर्यावरण विभाग	01		
		वित्त विभाग	01		
	2002-03	सिंचाई विभाग	01	12.01.2005	11.04.2005
		वित्तीय एवं समाज कल्याण विभाग	01		
	2003-04	सिंचाई विभाग	01	05.10.2005	04.01.2006
		पंचायती राज विभाग	01		
	2004-05	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	19.04.2006	18.07.2006
		लो नि वि	01		
	2005-06	चिकित्सा विभाग	01	27.06.2007	26.09.2007
		खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	01		
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
	2006-07	पेय जल विभाग	01	07.03.2008	06.06.2008
		सूचना विभाग	02		
		नागरिक उड्डयन विभाग	01		
	2007-08	शहरी विकास विभाग	01	13.07.2009	12.10.2009
		तकनीकी शिक्षा विभाग	01		
		सूचना एवं लोक संपर्क विभाग	01		
	2008-09	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	02	22.09.2010	21.12.2010
		राजस्व विभाग	01		
		ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ	01		
		ऊर्जा विभाग (पी. पी. पी)	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
	2009-10	पर्यटन विभाग	01	29.03.2011	28.06.2011
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
उत्तराखण्ड पेयजल निगम		02			
2010-11	लो नि वि	03	11.12.2012	10.03.2013	
	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	01			
	पुलिस विभाग	01			
	पशुपालन विभाग	01			
	आयुष विभाग	01			
2011-12	निर्वाचन विभाग	01	18.09.2013	17.12.2013	
	श्रम विभाग	01			
	महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	01			
	समाज कल्याण विभाग	02			
	खेल विभाग	01			
	उच्च शिक्षा विभाग	01			
	लो नि वि	02			
	उद्यान विभाग	01			

		ग्राम्य विकास विभाग	01		
2012-13	27.11.2014	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	26.02.2015	
		सिंचाई विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	02		
		लो नि वि	01		
		तकनीकी शिक्षा विभाग	01		
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	02		
		पेयजल विभाग	01		
2013-14	03.11.2015	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	01	02.02.2016	
		डेयरी विकास विभाग	01		
		वन विभाग	01		
		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02		
		लो नि वि	01		
		मुख्य मन्त्री कार्यालय	01		
		पेयजल विभाग	01		
		रेशम उत्पादन विभाग	01		
		समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग	01		
		शहरी विकास विभाग	01		
		उत्तराखण्ड नवीकरण उर्जा विकास एजेंसी	01		
भूविज्ञान एवं खनन विभाग	01				
2014-15	07.11.2016	शिक्षा विभाग	01	06.02.2017	
		प्राथमिक शिक्षा विभाग	01		
		कृषि विभाग	01		
		नागरिक उड्डयन विभाग	01		
		संस्कृति विभाग	01		
		वन विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		औद्योगिक विकास विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
		लो नि वि	03		
		राजस्व विभाग	01		
		समाज कल्याण विभाग	01		
2015-16	02.05.2017	प्राथमिक शिक्षा विभाग	01	01.08.2017	
		गृह विभाग	01		
		आयुष विभाग	01		
		आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक	01		
		वन विभाग	02		
		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		उद्यान विभाग	01		
		भू-राजस्व विभाग	01		

		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02		
		लो नि वि	03		
		समाज कल्याण विभाग	01		
		पर्यटन विभाग	01		
		शहरी विकास विभाग	01		
		महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	02		
राज्य वित्त	2000-01	वित्त और विविध	सभी अध्याय	23.06.2003	22.09.2003
	2001-02	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.07.2004	18.10.2004
	2002-03	वित्त और विविध	सभी अध्याय	12.01.2005	11.04.2005
	2003-04	वित्त और विविध	सभी अध्याय	05.10.2005	04.01.2006
	2004-05	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.04.2006	18.07.2006
	2005-06	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.06.2007	26.09.2007
	2006-07	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.03.2008	06.06.2008
	2007-08	वित्त और विविध	सभी अध्याय	13.07.2009	12.10.2009
	2008-09	वित्त और विविध	सभी अध्याय	22.09.2010	21.12.2010
	2009-10	वित्त और विविध	सभी अध्याय	29.03.2011	28.06.2011
	2010-11	वित्त और विविध	सभी अध्याय	11.12.2012	10.03.2013
	2011-12	वित्त और विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
	2012-13	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.11.2014	26.02.2015
	2013-14	वित्त और विविध	सभी अध्याय	03.11.2015	02.06.2016
	2014-15	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.11.2016	06.02.2017
	2015-16	वित्त और विविध	सभी अध्याय	02.05.2017	01.08.2017
जिला नैनीताल	2011-12	विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
	2012-13	विविध	सभी अध्याय	27.11.2014	26.02.2015

परिशिष्ट-1.2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.4; पृष्ठ 10)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	अहबाबनगर मल योजना, हरिद्वार
2.	त्रिवेणी घाट मल योजना
3.	तपोवन क्षेत्र में 3.5 एम एल डी म शो सं एवं मल प्रणाली
4.	1.4 एम एल डी म शो सं, देवप्रयाग
5.	पुनर्निर्माण एवं मरम्मत, देवप्रयाग
6.	अवरोधन एवं विपथन (अ एवं वि), देवप्रयाग
7.	गंगोत्री में 1 एम एल डी म शो सं एवं मल योजना
8.	68 एम एल डी म शो सं जगजीतपुर
9.	14 एम एल डी म शो संयंत्र, सराय
10.	अ एवं वि, जगजीतपुर, हरिद्वार
11.	अ एवं वि, सराय, हरिद्वार
12.	अ एवं वि के साथ म शो सं, रुद्रप्रयाग
13.	अ एवं वि के साथ म शो सं मुनि की रेती
14.	अ एवं वि के साथ म शो सं गोपेश्वर
15.	ज्ञानसू म शो सं उच्चिकरण
16.	3.5 एम एल डी श्रीनगर उच्चिकरण
17.	अ एवं वि और म शो सं ऋषिकेश
18.	अ एवं वि और म शो सं कर्णप्रयाग
19.	अ एवं वि और म शो सं कीर्तिनगर
20.	देवप्रयाग से उत्तरकाशी तक के फैलाव में घाट और शवदाहग्रह का विकास
21.	रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग तक के फैलाव में घाट और शवदाहग्रह का विकास
22.	कर्णप्रयाग से विष्णुप्रयाग तक के फैलाव में घाट और शवदाहग्रह का विकास
23.	उत्तरकाशी से मनेरी तक के फैलाव में घाट और शवदाहग्रह का विकास

परिशिष्ट-1.2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.8.1(अ); पृष्ठ 19)

लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नावली निर्धारित की गयी थी:

- व्य घ शौ का स्थान;
- पानी की उपलब्धता;
- व्य घ शौ के निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी तकनीकी सहायता;
- सीवर लाइन का संयोजन;
- सम्पूर्ण स्वच्छता को बनाए रखना;
- निर्मित व्य घ शौ की गुणवत्ता;
- शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सू शि सं गतिविधि आदि।

भौतिक सर्वेक्षण के दौरान लाभार्थियों से निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त की गयी थीं:

- क्या व्य घ शौ घर के अंदर या बाहर स्थित है?
- क्या व्य घ शौ में पानी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं?
- व्य घ शौ में गड्ढे और शौचालय को बनाने के लिए किससे तकनीकी सहायता मांगी गयी थी?
- व्य घ शौ के निर्माण की गुणवत्ता(अच्छा/बहुत अच्छा/खराब/बहुत खराब)।
- क्या व्य घ शौ मल बहाव हेतु किसी नाले से जुड़ा है?
- क्या गाँव ने सभी प्रकार की स्वच्छता को बनाए रखा है?
- क्या स्वच्छ गंगा हेतु उपयोगकर्ता को शौचालयों की आवश्यकता को समझने और बढ़ावा देने के लिए किसी भी सूचना, शिक्षा और संचार (सू शि सं) गतिविधियों को अपनाया गया था?

परिशिष्ट-1.2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.9; पृष्ठ 29)

उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर लेखापरीक्षा परिणाम का विवरण

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष								
1.	क्या हरिद्वार एवं ऋषिकेश में सीवेज लोड को ध्यान में रखते हुये न्यायालय के निर्णय की तिथि (अर्थात 02 दिसम्बर 2016) के तीन माह के अंदर इन दोनों नगरों के मल शोधन संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि की गयी?	<p>ऋषिकेश में एक म शो सं और हरिद्वार में तीन म शो सं स्थित हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश का सीवेज लोड क्रमशः 107.2 एम एल डी और 16 एम एल डी है जिसके सापेक्ष आतिथि में 63 एम एल डी एवं 6 एम एल डी शोधित किया जा रहा है। इन नगरों का शेष सीवेज क्रमशः 44.2 और 10 एम एल डी बिना शोधन के ही नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। वर्ष 2015 में एक 40 एम एल डी शोधन क्षमता का म शो सं जगजीतपुर, हरिद्वार के लिए स्वीकृत किया गया था परंतु उसे मार्च 2016 में निरस्त कर दिया गया और रा स्व गं मि के आदेशों पर मार्च 2017 में 68 एम एल डी और 14 एम एल डी क्षमता के नए म शो सं स्वीकृत किए गए थे। इसी प्रकार, ऋषिकेश में पूर्व स्थापित म शो सं की शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए मार्च 2017 में 26 एम एल डी शोधन क्षमता का म शो सं स्वीकृत किया गया। इन म शो सं को पूर्ण करने के लिए 24 माह की समय सीमा दी गयी है। आज की तिथि तक, निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया गतिमान है।</p> <p>आगे जगजीतपुर में वर्तमान में स्थित 27 एम एल डी क्षमता के म शो सं का उच्चोकरण और सराय, हरिद्वार में 18 एम एल डी म शो सं का त्रिस्तरीय शोधन भी स्वीकृत किया जा चुका है।</p>								
2.	क्या 21 दिसम्बर 2015 को उत्तराखण्ड पर्यावरण निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प नि प्र नि बो) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि (बी एच ई एल) ने 11 एम एल डी क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित कर दिया है?	<p>अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि बी एच ई एल-हरिद्वार म शो सं स्थापित किए जाने के संबंध में विभिन्न विधिक प्राधिकारियों से किए गए वादों या आदेशों का पालन करने में विफल रहा:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>आदेश की तिथि</th> <th>विधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश का विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 दिसम्बर 2015</td> <td>नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) ने बी एच ई एल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक म शो सं स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।</td> </tr> <tr> <td>2 दिसम्बर 2016</td> <td>उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने, उ प नि प्र नि बो, उत्तराखण्ड द्वारा 21 दिसम्बर 2015 को जारी निर्देशानुसार, बी एच ई एल को 2 दिसम्बर 2016 से छः माह के भीतर 11 एम एल डी क्षमता का म शो सं स्थापित करने हेतु, यदि पूर्व में स्थापित नहीं किया गया है, निर्देशित किया।</td> </tr> <tr> <td>17 मार्च 2017</td> <td>उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि बी एच ई एल ने अपने महाप्रबंधक के द्वारा नौ महीने की अवधि में (अर्थात 17 दिसम्बर 2017 तक) म शो सं को पूर्ण करने का वादा किया।</td> </tr> </tbody> </table> <p>बी एच ई एल ने अवगत कराया (जून 2017) कि न्यायालय के आदेश की तिथि (17 मार्च 2017) से नौ महीने के भीतर म शो सं को स्थापित किए जाने के सतत प्रयास प्रक्रिया में थे।</p>	आदेश की तिथि	विधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश का विवरण	10 दिसम्बर 2015	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) ने बी एच ई एल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक म शो सं स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।	2 दिसम्बर 2016	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने, उ प नि प्र नि बो, उत्तराखण्ड द्वारा 21 दिसम्बर 2015 को जारी निर्देशानुसार, बी एच ई एल को 2 दिसम्बर 2016 से छः माह के भीतर 11 एम एल डी क्षमता का म शो सं स्थापित करने हेतु, यदि पूर्व में स्थापित नहीं किया गया है, निर्देशित किया।	17 मार्च 2017	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि बी एच ई एल ने अपने महाप्रबंधक के द्वारा नौ महीने की अवधि में (अर्थात 17 दिसम्बर 2017 तक) म शो सं को पूर्ण करने का वादा किया।
आदेश की तिथि	विधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश का विवरण									
10 दिसम्बर 2015	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) ने बी एच ई एल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक म शो सं स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।									
2 दिसम्बर 2016	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने, उ प नि प्र नि बो, उत्तराखण्ड द्वारा 21 दिसम्बर 2015 को जारी निर्देशानुसार, बी एच ई एल को 2 दिसम्बर 2016 से छः माह के भीतर 11 एम एल डी क्षमता का म शो सं स्थापित करने हेतु, यदि पूर्व में स्थापित नहीं किया गया है, निर्देशित किया।									
17 मार्च 2017	उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि बी एच ई एल ने अपने महाप्रबंधक के द्वारा नौ महीने की अवधि में (अर्थात 17 दिसम्बर 2017 तक) म शो सं को पूर्ण करने का वादा किया।									
3.	क्या न्यायालय के निर्णय की तिथि (अर्थात 02 दिसम्बर 2016) के छः माह के अंदर गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित सभी	<p>स्थिति निम्नवत है:</p> <p>अ आठ¹ जलविद्युत परियोजनाओं ने म शो सं स्थापित कर लिया है।</p> <p>ब छः² जलविद्युत परियोजनाएं सेप्टिक टैंकों/सोक पिटों का प्रयोग कर रही हैं।</p>								

¹ विष्णुप्रयाग, सिंगलोई भटवारी, श्रीनगर, कोटेश्वर, टिहरी, मनेरी भाली II, बिरही गंगा एवं भिलंगना III।

² वनाला, राजवाक्ती, गंगनानी, बड़यार, भिलंगना एवं देवल।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
	21 जलविद्युत परियोजनाओं ने निर्माण चरण व उसके पश्चात, परिचालन चरणों के दौरान उचित क्षमता के मल शोधन संयंत्रों को स्थापित किया है?	स एक ³ जलविद्युत परियोजना वर्ष 2013 की प्राकृतिक आपदा में बह गयी। द छः ⁴ जलविद्युत परियोजनाओं ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया।
4.	क्या न्यायालय के निर्णय की तिथि (02 दिसम्बर 2016) के तीन माह के भीतर रा स्वा गं मि द्वारा जगजीतपुर में 40 एम एल डी क्षमता का मल शोधन संयंत्र स्थापित कराया गया है?	एक 68 एम एल डी क्षमता का नया म शो सं मार्च 2017 में स्वीकृत किया गया था तथा कार्य को निविदा दाता को सौंपा जा चुका है। कार्य चौबीस माह (अर्थात मार्च, 2019) में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
5.	उ प नि प्र नि बो द्वारा 180 दोषी औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें 2015-16 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।	<ol style="list-style-type: none"> 180 दोषी इकाइयों, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, में से 109 मामलों में दिसम्बर 2015 और मई 2017 के मध्य नोटिस निरस्त कर दिये गए थे। 109 दोषी इकाइयों में से 67 इकाइयों ने उ प नि प्र नि बो के निर्देशों का अनुपालन किया। जबकि 42 (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रम सं. 68 से क्रम सं.109) दोषी इकाइयों ने न तो कारण बताओ नोटिस पर अपना अनुपालन प्रस्तुत किया और न ही कारण बताओ नोटिस में निर्धारित समय के अंदर अनुपालन को देखने के लिए उ प नि प्र नि बो से निरीक्षण हेतु संपर्क किया। आगे, इन इकाइयों को दिये गए कारण बताओ नोटिस की अनुपालन अवधि, जैसा कि इन इकाइयों को जारी कारण बताओ नोटिस में दर्शाया गया है, समाप्ति के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए इन इकाइयों का निरीक्षण किया गया एवं उनके सुझावों के आधार पर उ प नि प्र नि बो द्वारा कारण बताओ नोटिस निरस्त कर दिये गए थे। शेष 71 मामलों में से 32 (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रम सं. 110 से क्रम सं. 141) दोषी औद्योगिक इकाइयों को, अनुपालन न करने के कारण, बंद करने के नोटिस जारी किए गए थे। तीन मामलों (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रमांक 142 से 144) में इकाइयों स्वतः बंद हो गयीं थीं और 32 (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रम सं. 145 से 176) मामलों में दोषी इकाइयों और उ प नि प्र नि बो के मध्य पत्राचार अभी भी चल रहा था। उ प नि प्र नि बो द्वारा चार इकाइयों (परिशिष्ट-1.2.4 के क्रम सं. 177 से क्रम सं. 180) की फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी थीं। हरिद्वार जिले में स्थित 16 (जैसा कि परिशिष्ट-1.2.5 में दिया गया है) बंद घोषित इकाइयों में से पाँच इकाइयों⁵ की नमूना जाँच की गयी थी। सभी पाँच इकाइयां बंद पायी गयीं।
6.	44 दोषी औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें उ प नि प्र नि बो द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान बंद करने का नोटिस जारी किया गया था, के परिचालन की स्थिति।	<ol style="list-style-type: none"> 44 बंदी नोटिसों में से, 23 नोटिसों को निरस्त कर दिया गया था (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 23), जिसमें एन जी टी के आदेशों के अंतर्गत परिचालित इकाई का एक मामला सम्मिलित है। 17 मामलों में (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 24 से क्रम सं. 40), जिसमें दोषी इकाइयों को उ प नि प्र नि बो द्वारा बंद घोषित कर दिया गया था, में से 11 मामलों में बंदी हेतु की गयी कार्यवाही के साक्ष्य उपलब्ध थे (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 24 से क्रम सं. 34) जबकि, शेष छः मामलों में (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 35 से क्रम सं. 40) बंदी नोटिस जारी

³ हनुमान गंगा विस्तार II।

⁴ झालाकोटी, ककोरा गाड, जालंधरी गाड, सियानगाड, मेलखेत एवं नायर वैली परियोजना।

⁵ मैसर्स रचना इंटरप्राइजेज़, पीठ बाजार, बहादुराबाद; मैसर्स जैन पॉली पैकेजिंग सोल्यूशन्स, बहादुराबाद; मैसर्स होटल पोलेरिस रेस्टोरेंट 48 सिविल लाइंस, रुड़की; मैसर्स होटल अंबर, 48 सिविल लाइंस, बस स्टैंड, रुड़की; एवं मैसर्स होटल हाईवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
		<p>किए गए थे परंतु उ प नि प्र नि बो के अभिलेखों में नोटिस जारी किए जाने के बाद की गतिविधियों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>3. चार मामलों में (परिशिष्ट-1.2.6 के क्रम सं. 41 से क्रम सं. 44), मामले प्रक्रियाधीन थे।</p> <p>4. हरिद्वार जिले में स्थित 13 बंद घोषित इकाइयों में से नौ इकाइयों⁶ (परिशिष्ट-1.2.7 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 9) का स्थल निरीक्षण नमूना जाँच के रूप में किया गया। जिसमें पाया गया कि नौ में से सात इकाइयाँ (परिशिष्ट-1.2.7 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 7) उस तिथि तक (जून 2017) परिचालन में थीं।</p>
7.	106 दोषी औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें 2015-16 के दौरान बंदी नोटिस जारी किये गए थे, के परिचालन की स्थिति।	<p>1. जारी किए गए 106 बंदी नोटिसों में से, 60 (परिशिष्ट-1.2.8 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 60) केस निरस्त कर दिये गए थे (इसमें 18 ऐसे मामले जिनमें इकाइयाँ एन जी टी के आदेशों के अंतर्गत परिचालित थीं, सम्मिलित हैं)।</p> <p>2. शेष 46 मामलों में (परिशिष्ट-1.2.8 के क्रम सं. 61 से क्रम सं. 106) जिनमें दोषी इकाइयाँ उ प नि प्र नि बो द्वारा बंद घोषित कर दी गयी थीं, में से नौ इकाइयों (एक सील व एक स्वयं बंद की गयी इकाई सहित) के वास्तविक बंदी से संबंधित अभिलेख उपलब्ध थे, जबकि 37 (परिशिष्ट-1.2.8 के क्रम सं. 70 से क्रम सं. 106) मामलों में बंदी नोटिस जारी किए गए थे परंतु उसके बाद की गयी कार्यवाही के साक्ष्य उ प नि प्र नि बो की फाइलों में उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>3. हरिद्वार जिले में बंद घोषित की गयी 18 (परिशिष्ट-1.2.9) इकाइयों में से छः इकाइयों⁷ का स्थल निरीक्षण नमूना जाँच के रूप में किया गया एवं पाया गया कि सभी इकाइयाँ उक्त तिथि तक बंद थीं।</p>
8.	क्या राज्य अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा, जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 62 के अंतर्गत वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन न किए जाने पर उ प नि प्र नि बो के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है?	राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 में उ प नि प्र नि बो को जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 62 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था जिसमें बोर्ड को 45 दिनों के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा गया था। उ प नि प्र नि बो ने मई 2017 में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सम्मुख अपना जवाब दायर किया था।
9.	जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ ही साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना।	उ प नि प्र नि बो के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 37 इकाइयों के विरुद्ध केस दायर किए गए थे जिसमें से छः मामलों को, न्यायालय द्वारा ₹ 5.30 लाख का अर्थदण्ड लगाये जाने एवं संबंधित इकाइयों द्वारा अर्थदण्ड जमा कर दिये जाने के बाद, निस्तारित कर दिया गया। शेष 31 मामलों में कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त, प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषियों के विरुद्ध पाँच एफआईआर दर्ज किए गए।

⁶ मैसर्स बाबा ब्रिकफील्ड, झबरेड़ा; मैसर्स रोशन ब्रिकफील्ड, नगला, लंदोरा, रुड़की; मै सवेरा ब्रिकफील्ड, बीजोला, लंदोरा, रुड़की; मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर; मै आँचल ब्रिकफील्ड, बीझोली, लंदोरा; मैसर्स अकबर खान ब्रिकफील्ड, कलियर, रुड़की; मैसर्स चाँद ब्रिक सप्लाइ, नगला, लंदोरा; मैसर्स शबरी ब्रिक फील्ड, स्टेशन रोड, लंदोरा, हरिद्वार; एवं मैसर्स. इंडियन भट्टा बिझोली, हरिद्वार।

⁷ मै शार्प इंडस्ट्रीज, आई आई ई रानीपुर, हरिद्वार; मै रल्ट्रोनिक्स इंडिया प्रा लि, हरिद्वार; मै टेक्सप्लस टेक्सटाइल्स इंडिया प्रा लि, बहादुरपुरसैनी; मै एस टी पी इंटरप्राइजेज़, मधुपुर, रुड़की; मै राजा आइस फैक्ट्री, दूधपुर, हरिद्वार एवं मै नज़मा आइस फैक्ट्री, दूधपुर, हरिद्वार।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
10.	अशोधित मलजल को गंगा नदी में प्रवाहित करने वाले आश्रमों को बंद किया जाना।	उ प नि प्र नि बो द्वारा जिलाधिकारी एवं एसएसपी, हरिद्वार को गंगा नदी में अशोधित सीवेज प्रवाहित करने वाले पाँच आश्रमों को सील एवं बंद करने हेतु निर्देश दिये (फरवरी 2017) गए थे। नगरपालिका आयुक्त, हरिद्वार द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा मार्च 2017 में प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि सभी पाँच आश्रमों ने सेप्टिक टैंक स्थापित कर लिया है जिन्हें जल संस्थान द्वारा साफ किया जा रहा है। इस प्रकार, इस समिति की जाँच के अनुसार, ये पाँच आश्रम वर्तमान में गंगा नदी में अशोधित सीवेज प्रवाहित नहीं कर रहे थे।
11.	गंगा नदी में अशोधित मलजल प्रवाहित कर रहे उदद्योग/ होटल/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान/ शिक्षण संस्थान के विरुद्ध उ प नि प्र नि बो द्वारा की गयी कार्यवाही।	गंगा नदी में अशोधित मलजल प्रवाहित कर रहे तीन होटल चिन्हित किए गए थे। इनको दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016 की अवधि में बंदी नोटिस जारी किए गए थे। उक्त होटलों के द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने के उपरांत बंदी नोटिस निरस्त किए गए थे। उक्त होटल वर्तमान में संचालित हैं।
12.	गंगा नदी में गिरने वाले नालों के विरुद्ध उ प नि प्र नि बो द्वारा की गयी कार्यवाही।	कार्यदायी संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान एवं रा का प्र स द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर पाया गया कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में गिरने वाले सभी नालों को प्राथमिकता वाले नगरों में चिन्हित कर लिया गया है। गंगा और इसकी सहायक नदियों जैसे अलकनंदा एवं भागीरथी में 112 नालों के द्वारा 56.871 एम एल डी सीवेज प्रवाहित कर रहे हैं। लेखापरीक्षा तिथि तक इन 112 नालों में से 47 नाले (परिशिष्ट-1.2.10 के क्रम सं. 1 से क्रम सं. 15 तक) जो 30.579 एम एल डी सीवेज प्रवाहित करते थे, को बंद कर दिया गया। इसप्रकार 26.292 एम एल डी अशोधित सीवेज अभी भी गंगा अथवा इसकी सहायक नदियों में गिर रहा है। आगे, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सदस्य सचिव, उ प नि प्र नि बो के पत्रांक 10073-2083 दिनांक 27 फरवरी 2017 के द्वारा प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम को गंगा नदी में गिर रहे सभी नालों को बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में उठाए गए कदमों से संबंधित रिपोर्ट उ प नि प्र नि बो को प्रस्तुत जानी थी। मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रा स्व गं मि द्वारा गंगा तट के साथ पड़ने वाले नालों के उच्चीकरण तथा अवरोधन एवं विपथन हेतु डी पी आर स्वीकृत की जा चुकी हैं एवं निविदा प्रक्रिया जारी है। अतः यह अवगत कराया गया कि जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत ही किया जायेगा।
13.	गंगा नदी के तट पर स्थित अत्यधिक प्रदूषण करने वाली इकाइयों की पुनर्स्थापना।	राज्य सरकार के पत्रांक-172(1)X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उ प नि प्र नि बो को दो सप्ताह के अंदर गंगा नदी के तट पर अत्यधिक प्रदूषण करने वाली इकाइयों के संबंध में सर्वेक्षण करते हुए शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं उ प नि प्र नि बो द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना में लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि गंगा नदी के तट पर कोई अत्यधिक प्रदूषण करने वाली इकाई स्थित नहीं है। तथापि, सर्वेक्षण अभी भी जारी था।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
14.	गंगा नदी के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में खुले में गंदगी फैलाने/शौच एवं मूत्र विषर्जन पर लगाया गया जुर्माना।	राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर 2016 से "उत्तराखण्ड गंदगी निरोधक एवं थूक निरोधक अधिनियम, 2016" अस्तित्व में लाया गया है जिसमें पालतू जानवरों अथवा मानव द्वारा खुले में गंदगी फैलाने/शौच एवं मूत्र विषर्जन करने पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की अवमानना पर ₹ 5,000 का अर्थदण्ड अथवा छः माह की कैद अथवा दोनों हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा पत्रांक-172(2)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 07 मार्च 2017 के द्वारा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार के जिलाधिकारियों एवं उ प नि प्र नि बो के सदस्य सचिव को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं टिहरी के जिलाधिकारियों द्वारा उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा चालित मैजिस्ट्रेट भी नामित किए गए। दीवार लेखन, होर्डिंग, तथा नियमित उद्घोषणाओं के द्वारा जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
15.	राज्य में पालिथीन बैग्स के विक्रय, प्रयोग एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध।	उ प नि प्र नि बो के लेखा-अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि सचिव, शहरी विकास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-94 दिनांक 13 जनवरी 2016 के द्वारा एन जी टी के आदेशों एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-88 दिनांक 25 जनवरी 2017 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के निर्देशों के अनुपालन हेतु सभी नगर निगमों/परिषदों, जिला वन अधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को राज्य में प्लास्टिक तथा थर्मोकोल से निर्मित पैकिंग सामाग्री के विक्रय, प्रयोग एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु पत्र प्रेषित किए गए। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर ₹ 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के लेखा-अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण बंदी लागू करते हुए ₹ 57.94 लाख का जुर्माना लगाया/वसूल किया। सामूहिक बैठकों, दीवार लेखन, उद्घोषणाओं एवं खंभों पर लेखन के द्वारा जागरूकता पैदा जा रही है।
16.	राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि लोग गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, तेल एवं शैंपू का प्रयोग नहीं करते हैं?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(3)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी एवं हरिद्वार के जिलाधिकारियों को गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, तेल एवं शैंपू का प्रयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए। साथ ही चालित मैजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं एवं जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।
17.	राज्य सरकार द्वारा जानवरों के गंगा नदी में नहाने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(3)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 07 मार्च 2017 के द्वारा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी एवं हरिद्वार के जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार जानवरों के गंगा नदी में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा प्रतिबंध को लागू करने हेतु उप जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। हरिद्वार में चालित मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
18.	राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सभी पवित्र स्थलों में भीख मांगने को निषिद्ध किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-201/XVII-2/17-321(साका)/2002 दिनांक 09 मार्च 2017 के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को राज्य के सभी पवित्र स्थलों में भीख मांगने को निषिद्ध किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, नगर निकायों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश जारी किए गए।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
19.	राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि हरिद्वार, ऋषिकेश एवं डाउन स्ट्रीम में गंगा की सफाई हेतु पर्याप्त स्किमर्स की व्यवस्था की गयी है?	रा का प्र स के अभिलेखों की संवीक्षा एवं उपलब्ध कराई गयी सूचना में पाया गया कि रा स्व गं मि द्वारा दिसम्बर 2016 में हरिद्वार एवं ऋषिकेश में स्किमर्स की स्थापना हेतु मै.अश्वथ इंफ्राटेक को ठेका इस निर्देश के साथ दिया गया था कि 01.01.17 तक स्किमर्स की तैनाती कर दी जाए। संबंधित शहरी स्थानीय निकाय ठेकेदार से समन्वय स्थापित करने हेतु जिम्मेदार हैं। हरिद्वार एवं ऋषिकेश में एक-एक स्किमर 1 मई 2017 को तैनात किया गया। वर्तमान में ऋषिकेश में तैनात स्किमर को, ऋषिकेश में जल का बहाव अधिक होने के कारण, दिल्ली स्थान्तरित किया गया है। हरिद्वार में परीक्षण जारी है। आगे, हरिद्वार में स्किमर के दैनिक सत्यापन हेतु नगर आयुक्त द्वारा नोडल अधिकारी के साथ सात कर्मचारियों को नामित किया है। एकत्रित कचरे के निस्तारण हेतु निर्धारित स्थल भी चिन्हित किया गया है। रा का प्र स, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों एवं ठेकेदार के साथ त्रिपक्षीय समझौता अभी तक नहीं किया गया है।
20.	दिसम्बर 2016 से गंगा नदी के तट पर सभी नगरों में तैनात स्किमर्स की संख्या।	हरिद्वार एवं ऋषिकेश में एक-एक स्किमर मई 2017 को तैनात किया गया था। तथापि, एक स्किमर जो ऋषिकेश में तैनात था, रा स्व गं मि के 25 मई 2017 के निर्देश पर दिल्ली स्थान्तरित किया गया है।
21.	क्या गंगा नदी के तट पर स्थित नगरपालिका निकायों के पास कचरे को वैज्ञानिक विधि से निस्तारित करने हेतु ढांचा उपलब्ध है?	राज्य का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो अ प्र) कार्य योजना (2016-21) 2015 में तैयार की गई है, जिसे ठो अ प्र नियम 2016 के अनुसार 92 शहरी स्थानीय निकायों को आच्छादित करने हेतु संशोधित किया जा रहा है। उपरोक्त 92 नगरों में से 12 नगरों हेतु [ड्यूश जीसेल शाफ्ट फर इंटरनेशनले जूसम्मेनाबर्ट (जी आई जेड)] के सहयोग से सिटी सैनीटेसन प्लान (सी एस पी) बनाया जा रहा है। सी एस पी सभी शहरी तरल एवं ठोस अपशिष्ट को आच्छादित करेगा एवं अपशिष्ट की उत्पत्ति, एकत्रीकरण, शोधन एवं निस्तारण हेतु पूर्ण समाधान प्रदान करेगा। 15 प्राथमिकता नगरों में से 12 नगरों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया जा रहा है।
22.	क्या नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका निकायों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (2 दिसम्बर 2016) के छः माह के अंदर अपशिष्ट से ऊर्जा सयन्त्र लगाए जा चुके हैं?	550 एमटी क्षमता की अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना रुड़की में प्रस्तावित की गयी है। परियोजना नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है। यह प्रस्तावित संयंत्र 18 शहरी स्थानीय निकायों जैसे रुड़की, मंगलोर, लंधौर, भगवानपुर, झबरेड़ा, लक्सर, हरिद्वार, बी एच ई एल हरिद्वार, शिवालिक नगर, ऋषिकेश, मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम, नरेन्द्रनगर, डोईवाला, देहारादून, हरवर्टपुर, विकासनगर, मसूरी (राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम, उत्तराखण्ड से संबंधित)
23.	क्या राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2016 के बाद गंगा नदी के तट से 2 कि. मी. की परिधि के अंदर नई जल आधारित औद्योगिक इकाइयों जैसे गन्ना, गूदा/ पेपर उद्योग, आसवनी, टेक्सटाइल उद्योग आदि के संचालन पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(4)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा गंगा नदी के तट से 2 कि. मी. की परिधि के अंदर नई जल आधारित औद्योगिक इकाइयों जैसे गन्ना, गूदा/ पेपर उद्योग, आसवनी, टेक्सटाइल उद्योग आदि के लगाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संबंधित जिलाधिकारियों को न तो ऐसे प्रतिवेदन स्वीकार करने एवं न ही ऐसे उद्योग लगाए जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। आगे, उ प नि प्र नि बो को भी ऐसे उद्योगों को समर्पित अनुमति एवं प्राधिकार (स अ प्र) निर्गत न किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्रम सं.	मुद्दे	निष्कर्ष
24.	क्या नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (50 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने), होटलों (50 से अधिक मेंहमनों को रखने क्षमता), आश्रमों (जिसमें 100 श्रद्धालु से अधिक निवास करते हों) के द्वारा प्रवाह शोधन सयंत्र अथवा मल शोधन सयंत्र लगाया गया हो?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(4)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा उद्योग विभाग, राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम, उत्तराखण्ड (सिडकुल), जिलाधिकारी, उ प नि प्र नि बो, एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव अनुमानकर्ता प्राधिकरण (रा प प्र अ प्र) को न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किए बिना ऐसे प्रकरणों में जल अधिनियम के अंतर्गत समेकित अनुमति एवं प्राधिकार (सीसीए) एवं पर्यावरण अनुमति निर्गत न किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
25.	क्या राज्य सरकार द्वारा नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों एवं आश्रमों जिनमें प्रवाह शोधन सयंत्र अथवा मल शोधन सयंत्र स्थापित नहीं किया है, के विरुद्ध कार्यवाही की है?	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 172(4)/X-3-17-15(10)/2017, दिनांक 07 मार्च 2017 के द्वारा उद्योग विभाग/सिडकुल/ उ प नि प्र नि बो को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
26.	क्या नगर निगम हरिद्वार के साथ साथ नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश द्वारा धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई सुनिश्चित रखने हेतु पर्याप्त संख्या में हवाई जहाज में प्रयुक्त शौचालयों में नियोजित तकनीक पर आधारित शौचालय के निर्माण हेतु कोई निर्देश जारी किए गए हैं?	हरिद्वार में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 53 शौचालय परिसरों एवं 12 बायो डाइजेस्टर परिसरों को बी एच ई एल कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए थे जिसमें से छः बायो डाइजेस्टर परिसर चालू अवस्था में हैं। पाँच परिसर पूर्ण किए जा चुके हैं एवं एक के लिए स्थान चिन्हित किया जाना शेष है। ऋषिकेश में अभी तक कोई शौचालय निर्मित नहीं किया गया है।
27.	क्या राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के संबंध में "नदी संरक्षण जोन" (जहां पर प्राइवेट के साथ साथ सरकारी अभिकरणों द्वारा गंगा नदी के तटों पर, सबसे ज्यादा बाढ़ के मैदान से, कोई निर्माण क्रियाकलाप अनुमन्य नहीं किया जाना चाहिए) चिन्हित किए गए हैं?	अध्यादेश सं.381/11-2017/06(65)/2016, दिनांक 28.02.2017 एवं अध्यादेश सं.382/11-2017/06(66)/2016, दिनांक 28.02.2017 उत्तराखण्ड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट, 2012 निर्गत किए गए हैं। उत्तरकाशी एवं हरिद्वार जनपदों में गंगा नदी के 60 कि. मी. क्षेत्र को नदी संरक्षण क्षेत्र अध्यादेशित करते हुए अधिसूचना जारी की गई है एवं सभी संबंधितों से 'अनापत्ति' मांगी गयी है। इस फ्लड प्लेन जोनिंग क्षेत्र में निर्माण कार्य निषिद्ध एवं प्रतिबंधित श्रेणी में रखे गए हैं।
28.	क्या राज्य सरकार द्वारा "नदी संरक्षण क्षेत्र" में निर्माण क्रियाकलाप प्रतिबंधित किए जाने के सम्बन्ध कोई निर्देश जारी किए गए हैं?	अध्यादेश सं.381/11-2017/06(65)/2016, दिनांक 28.02.2017 एवं अध्यादेश सं.382/11-2017/06(66)/2016, दिनांक 28.02.2017 उत्तराखण्ड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट, 2012 के अंतर्गत निर्गत किए गए हैं। फ्लड प्लेन जोनिंग क्षेत्र में निर्माण कार्य निषिद्ध एवं प्रतिबंधित श्रेणी में रखे गए हैं।

परिशिष्ट-1.2.4

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 5, पृष्ठ 159)

180 उद्योगों/इकाईयों की वर्तमान स्थिति जिनको 2015-16 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किये गये

क्रम सं	दोषी उद्योगों का नाम और स्थान
1.	मैसर्स हिमालय गिट्स, हल्द्वानी, नैनीताल
2.	मैसर्स गंगा बीच रिजॉर्ट और होटल, लक्ष्मणझूला, ऋषिकेश, देहरादून
3.	मैसर्स श्री राधे इंटरप्राइजेज, आई पी - 42, रायपुर इंडस्ट्रीज एस्टेट, भगवानपुर, हरिद्वार
4.	मैसर्स जे.डी. टाल्क, मोतीनगर, हल्द्वानी, नैनीताल
5.	मैसर्स होटल इन्विटेशन, रामपुर चुंगी, रुड़की, हरिद्वार
6.	मैसर्स होटल आल सीजन, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
7.	मैसर्स होटल पैसिफिक गार्डन, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
8.	मैसर्स होटल वेली, आदर्श नगर, रुड़की, हरिद्वार
9.	मैसर्स शील चंद एगो ऑयल प्राइवेट लिमिटेड, लालपुर, उधम सिंह नगर
10.	मैसर्स कूपर फार्मा लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
11.	मैसर्स केंट इंडस्ट्रीज, लाकेश्वरी, हरिद्वार
12.	मैसर्स सुरक्षा फार्मा, रुड़की, हरिद्वार
13.	मैसर्स पंचवटी न्युट्रीएंट्स, रुड़की, हरिद्वार
14.	मैसर्स पल्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, करौदी, हरिद्वार
15.	मैसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
16.	मैसर्स मिटर एंड मिटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
17.	मैसर्स एआईसीए लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
18.	मैसर्स सनमैक्स ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
19.	मैसर्स सागर पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, झाबरेडा रोड, मंगलोर, हरिद्वार
20.	मैसर्स मॅगिक वायर (यूनिट -2), सेलमपुर इंडस्ट्रीज एस्टेट, रुड़की, हरिद्वार
21.	मैसर्स राज राजेश्वरी टेक्नोफेब, देव भूमि इंडस्ट्री एस्टेट, हरिद्वार
22.	मैसर्स सुरिन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ई एस आई पी एल, सितारगंज
23.	मैसर्स पार्ले बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड, ई एस आई पी एल, सितारगंज
24.	मैसर्स गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ई एस आई पी एल सितारगंज, उधम सिंह नगर
25.	मैसर्स बालाजी एक्शन बिल्डवेल, ई एस आई पी एल सितारगंज, उधम सिंह नगर
26.	मैसर्स उत्तरांचल पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, मंडेट, मंगलोर, हरिद्वार
27.	मैसर्स सागर पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, मंगलोर देवबंद-रोड, मंगलोर, हरिद्वार
28.	मैसर्स गल्फार इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रकिटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बुचपुरी, उधम सिंह नगर
29.	मैसर्स कॉर्बेट रतन, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
30.	मैसर्स कृष्णा वाइल्डरनेस रिट्रीट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
31.	मैसर्स म्यूरिका रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
32.	मैसर्स कान व्हिज्ज हम तुम रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
33.	मैसर्स ला पार्ले रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
34.	मैसर्स कॉर्बेट टाइगर डेन, बैलपड़ाव, कालाढुंगी रोड, रामनगर, नैनीताल
35.	मैसर्स कॉर्बेट अरोमा हैवन, (पार्क), टिकुली, रामनगर, नैनीताल
36.	मैसर्स मोनाल नेस्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
37.	मैसर्स जेपी ड्रग्स, आई आई ई हरिद्वार
38.	मैसर्स बोल्ट मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
39.	मैसर्स अमर पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड, आईई हरिद्वार
40.	मैसर्स डिकसन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
41.	मैसर्स होटल शिव पैलेस, मायापुर, हरिद्वार
42.	मैसर्स सुंदम फास्टनर्स लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
43.	मैसर्स राधु प्रोडक्ट्स, प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर

44.	मैसर्स यूरोशिया डोर डिवाइस, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
45.	मैसर्स पंकज गैस सिलिंडर, आई.ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
46.	मैसर्स एसएलजी ब्राइट वायर, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
47.	मैसर्स पीयूष इंडस्ट्रीज, सलीमपुर, हरिद्वार
48.	मैसर्स कॉर्बेट जंगल ट्रेजर, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
49.	मैसर्स कंटी इन, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
50.	मैसर्स कैम्प हॉर्नबिल, क्यारी, रामनगर, नैनीताल
51.	मैसर्स क्लाक्स इन कॉर्बेट, क्यारी, रामनगर, नैनीताल
52.	मैसर्स वाइल्ड क्रेस्ट, टिकुली रामनगर, नैनीताल
53.	मैसर्स रामगंगा रिजॉर्ट, जमारिया, अल्मोड़ा
54.	मैसर्स प्लैटिडम सफारी लॉज, भाक्राकोट, अल्मोड़ा
55.	मैसर्स जुकासो मनु महारानी, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
56.	मैसर्स ट्रेफ होटल, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
57.	मैसर्स कॉर्बेट कॉम्फरटेबल रिजॉर्ट, रामनगर, नैनीताल
58.	मैसर्स कॉर्बेट रीवर क्रीक, झड़गांव, अल्मोड़ा
59.	मैसर्स जंगल पैराडाइज रिट्रीट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
60.	मैसर्स पी.एम टूल्स एंड एब्रेसिक्स, रायपुर इंडस्ट्रीज एरिया, भगवानपुर, हरिद्वार
61.	मैसर्स जिंदल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर, उधम सिंह नगर
62.	मैसर्स राज डीलक्स, सब्जी मंडी, विष्णु घाट, हरिद्वार
63.	मैसर्स होटल त्रिशूल, रेलवे रोड, हरिद्वार
64.	मैसर्स होटल सचिन इंटरनेशनल, श्रावण नाथ नगर, हरिद्वार
65.	मैसर्स मोनाल रिजॉर्ट, रुद्रप्रयाग
66.	मैसर्स अमाना मेटल फिनिसर्स प्राइवेट लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार
67.	मैसर्स अरहम टेक्नोकेम, रुड़की, हरिद्वार
68.	मैसर्स इंटरनेशनल सेल्स कारपोरेशन, आई आई ई हरिद्वार
69.	मैसर्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर, निर्माण और रखरखाव खण्ड, जल निगम, डीजीवीआर कैंप, आशुतोष नगर, ऋषिकेश, देहरादून
70.	मैसर्स एलआरसी स्पेशलिटी सरफेक्टेंट्स,लाकेश्वरी, भगवानपुर, हरिद्वार
71.	मैसर्स आईटीसी (खाद्य प्रभाग), आई आई ई हरिद्वार
72.	मैसर्स गॉडविन होटल, हरीपुर, देहरादून
73.	मैसर्स होटल डायनेस्टी, 48 सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
74.	मैसर्स होटल प्रेम डायनेस्टी, 48, सिविल लाइंस, रुड़की, हरिद्वार
75.	मैसर्स होटल ग्रैंड प्रेसीडेंट, 48 सिविल लाइन्स, रुड़की हरिद्वार
76.	मैसर्स होटल सॉलिटेयर, मखानपुर, भगवानपुर, हरिद्वार
77.	मैसर्स होटल राज पैलेस, हरिद्वार रोड, रुड़की, हरिद्वार
78.	मैसर्स होटल सुविधा एंड गेस्ट हाउस, 48 सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
79.	मैसर्स होटल रॉयल पैलेस, 22 सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
80.	मैसर्स होटल सागर एण्ड रेस्टोरेंट, 19 सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
81.	मैसर्स होटल माया पैलेस, रामपुर चंगी, रुड़की, हरिद्वार
82.	मैसर्स ब्लू सफोडर, रामपुर चौक, रुड़की, हरिद्वार
83.	मैसर्स होटल सूर्या फार्म, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
84.	मैसर्स होटल आर्यन, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
85.	मैसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया, हरिद्वार
86.	मैसर्स कोटेक हेल्थ केयर, रुड़की, हरिद्वार
87.	मैसर्स अवीना मिल्क प्रोडक्ट्स, भगवानपुर, हरिद्वार
88.	मैसर्स रूप पॉलिमर्स लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
89.	मैसर्स मेटलमैन माइक्रो टर्नर, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
90.	मैसर्स एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
91.	मैसर्स निप्पमैन फास्टनर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सलेमपुर मेंहदुद, हरिद्वार
92.	मैसर्स सागर स्टोन क्रेशर, देवरामपुर, हल्द्वानी, नैनीताल

93.	मैसर्स कंदी क्लब वाइल्ड एक्जोटिका, टिकुली रामनगर, नैनीताल
94.	मैसर्स रोजवूड रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
95.	मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, अकबरपुर, लक्सर, हरिद्वार
96.	मैसर्स पायरक्स पॉलीमर्स, सुनहरा रोड रुड़की, हरिद्वार
97.	मैसर्स ई-इयुरेबल्स, सी - 5 यूपीएसआईडीसी सेलकुई, देहरादून
98.	मैसर्स एमके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
99.	मैसर्स ल्युकस टीवीएस लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
100.	मैसर्स जिम जंगल रिट्रीट, देला, रामनगर, नैनीताल
101.	मैसर्स कार्बेट वाइल्ड आयरिश स्पा एंड रिजॉर्ट, क्यारी, रामनगर, नैनीताल
102.	मैसर्स हृदेश स्पा एंड रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
103.	मैसर्स यूरो लाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, भगवानपुर, हरिद्वार
104.	मैसर्स होटल शिव मूर्ति, रेलवे रोड, हरिद्वार
105.	मैसर्स भारत भूमि पर्यटक परिसर, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश, देहरादून
106.	मैसर्स होटल चौटिवाला, न्यू बाईपास रोड, भूपतवाला, हरिद्वार
107.	मैसर्स होटल चौटिवाला, दुधारी चौक, हरिद्वार
108.	मैसर्स सरोवरपार्टिका, बट्टीनाथ, चमोली
109.	मैसर्स कृष्णा कॉटेज, स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश, पौड़ी
110.	मैसर्स जैन ग्रामोदय, जसपुर खुर्द, काशीपुर, उधम सिंह नगर
111.	मैसर्स होटल द अमरिस, नटराज चौक, ऋषिकेश, देहरादून
112.	मैसर्स डेक्कन वेली हाउसिंग सोसाइटी, ऋषिकेश, देहरादून
113.	मैसर्स रंजना मिनरल्स एंड केमिकल्स, मोतीनगर, हल्द्वानी, नैनीताल
114.	मैसर्स गुरु नानक मिनरल्स, मोतीनगर, हल्द्वानी, नैनीताल
115.	मैसर्स होटल पार्क प्राइम, धुधन चौक, हरिद्वार
116.	मैसर्स कुमाऊं मिनरल्स, मोतीनगर, हल्द्वानी
117.	मैसर्स राज बैग, कटिया, काशीपुर, उधम सिंह नगर
118.	मैसर्स होटल पोलारिस रैस्टोरेंट, 48 सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
119.	मैसर्स होटल प्रजिडेन्ट, 48, सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
120.	मैसर्स होटल उर्वशी, सिविल लाइन बस स्टैंड, रुड़की, हरिद्वार
121.	मैसर्स होटल अंबर, 48, सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
122.	मैसर्स होटल मोटेल पंजाब, रामनगर चौक, रुड़की, हरिद्वार
123.	मैसर्स होटल हाईवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की, हरिद्वार
124.	मैसर्स सिद्धार्थ, रामनगर चौक, रुड़की, हरिद्वार
125.	मैसर्स आनंद लॉज, 32 सिविल लाइन्स, निकट नीलम टॉकीज, रुड़की, हरिद्वार
126.	मैसर्स केशव पॉलीमर्स एंड ट्रेडर्स, रुड़की, हरिद्वार
127.	मैसर्स शांति ग्रामोदय संस्थान, हरिद्वार
128.	मैसर्स महाशक्ति ग्रामोदय संस्थान, बनजेरावाला, रुड़की, हरिद्वार
129.	मैसर्स माइक्रो टरनर्स, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
130.	मैसर्स विंडलास ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट-1), आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
131.	मैसर्स टेक्स जिपर, देव भूमि औद्योगिक एस्टेट, बंताखेड़ी, हरिद्वार
132.	मैसर्स देशमंथ रोसिन कंपनी, भुजीयाघाट, नैनीताल
133.	मैसर्स जिंदल रिसर्च लैब्स लिमिटेड, महूआखेड़ागंज, उधम सिंह नगर
134.	मैसर्स भारत कन्स्ट्रक्शन कंपनी, गांव पोरा, तेहसील पुरोला, उत्तरकाशी
135.	मैसर्स शिवालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, त्युनी, जिला देहरादून
136.	मैसर्स अवंती मैटल इंडस्ट्रीज, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर
137.	मैसर्स कार्बेट कंदी रिजॉर्ट, टिकुली, रामनगर, नैनीताल
138.	मैसर्स धर्मवीर, बाल कुंज स्कूल के पीछे, गोविंदपुर दादुपुर, हरिद्वार
139.	मैसर्स दक्ष प्लाटर, बाल कुंज स्कूल के पीछे, गोविंदपुर, दादुपुर, हरिद्वार
140.	मैसर्स उदय पैलेस, पीपलकोटी, चामोली
141.	मैसर्स रामा होटल, श्रीकोट, पौड़ी गढ़वाल

142.	मैसर्स जैन पॉली पैकेजिंग सोल्यूशन, बहादुराबाद, हरिद्वार
143.	मैसर्स रचना इंटरप्राइजेज, पीठ बाजार, बहादुराबाद, हरिद्वार
144.	मैसर्स मारी मंत होटल, धुधाचारी चौक, भूपतवाला, हरिद्वार
145.	मैसर्स ओमैक्स रिवेरा, प्लॉट नं. बी-आई आई ई, पंतनगर, उधम सिंह नगर
146.	मैसर्स नील मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आई आई ई, हरिद्वार
147.	मैसर्स गंगा किनारे, 237, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश, देहरादून
148.	मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल) हरिद्वार
149.	मैसर्स कंट्री इन, मोतीचूर
150.	मैसर्स होटल रीजेंट, मोतीचूर, देहरादून
151.	मैसर्स होटल डिवाइन इंटरनेशनल, 48 सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
152.	मैसर्स होटल प्रेमहंस, 48, सिविल लाइन्स, रुड़की, हरिद्वार
153.	मैसर्स काजरी, 48 सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
154.	मैसर्स भारत पीजी गेस्ट हाउस, रामपुर चुंगी, रुड़की, हरिद्वार
155.	मैसर्स आनंद गेस्ट हाउस, रामनगर चौक, रुड़की, हरिद्वार
156.	मैसर्स होटल सत्यम पैलेस, रामपुर चुंगी, रुड़की, हरिद्वार
157.	मैसर्स होटल गोदावरी, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
158.	मैसर्स होटल विशाल, मंगलोर रोड, रुड़की, हरिद्वार
159.	मैसर्स होटल प्रकाश, 19 सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार
160.	मैसर्स आर.जी. बिल्डवेल इंजीनियर लिमिटेड, रुद्रप्रयाग
161.	मैसर्स पैसिफिक एस्टेट (अपार्टमेंट), देहरादून
162.	मैसर्स जिंदल एसआईआईपीएल सीईटीपी (सितारगंज) लिमिटेड सितारगंज, उधम सिंह नगर
163.	मैसर्स हैलक्स हेल्थ केयर, करौंदी, रुड़की, हरिद्वार
164.	मैसर्स रूट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूएस नगर
165.	मैसर्स सूर्या स्मेलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुनहरा रोड, राजपुतना, रुड़की, हरिद्वार
166.	मैसर्स ग्लोबल एनर्जी सॉल्यूशंस, दिनेशपुर, गदरपुर, उधम सिंह नगर
167.	स्टेशन मास्टर, उत्तरी रेलवे, काठगोदाम, नैनीताल
168.	मैसर्स जीवंत लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
169.	मैसर्स उत्तरांचल मेटल प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 11, 12, 13 सेक्टर-02 आई आई ई, जिला हरिद्वार
170.	मैसर्स होटल आस्था पैलेस, मायापुर, हरिद्वार
171.	मैसर्स द कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट, डेला, रामनगर, नैनीताल
172.	मैसर्स सनशाइन इंडस्ट्रीज, गोविंदपुर दादुपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार
173.	मैसर्स नटराज इंटरप्राइजेज, बालकुंज के पीछे, गोविंदपुर दादुपुर, हरिद्वार
174.	मैसर्स नीलकंठ धाम, ऋषिकेश रोड, हरिद्वार
175.	मैसर्स होटल सचिन इंटरनेशनल, रुद्रप्रयाग
176.	मैसर्स होटल हयात पैलेस, मंगलारे रोड, रुड़की, हरिद्वार
177.	मैसर्स डिवाइन रिजॉर्ट, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश
178.	मैसर्स महादेव थर्मोपिक, महूआखेड़ागंज, उधम सिंह नगर
179.	मैसर्स नमन बिल्डकॉन लिमिटेड, कांवली, सेंट्रल होप टाउन, देहरादून
180.	मैसर्स कोमल मेटल फिनिसर्स, आई आई ई पंतनगर, उधमसिंह नगर

परिशिष्ट-1.2.5

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 5, पृष्ठ 159)

बंद घोषित उद्योगों की सूची

क्रम सं.	दोषी उद्योगों का नाम	कारण बताओ नोटिस की तिथि
1.	मैसर्स रचना इंटरप्राइजेज, पीठ बाजार, बहादुराबाद	30.03.2016
2.	मैसर्स जैन पॉली पैकेजिंग सोल्यूशन, बहादुराबाद	11.12.2015
3.	मैसर्स होटल पोलारिस रेस्टोरेंट, 48 सिविल लाइन्स, रुड़की	08.06.2015
4.	मैसर्स होटल अंबर, 48, सिविल लाइन, रुड़की	18.06.2015
5.	मैसर्स होटल हाईवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की	18.06.2015
6.	मैसर्स धर्मवीर, बाल कुंज स्कूल के पीछे, गोविंदपुर दादुपुर	21.03.2016
7.	मैसर्स दक्ष प्लॉटर, बाल कुंज स्कूल के पीछे, गोविंदपुर, दादुपुर	21.03.2016
8.	मैसर्स नटराज इंटरप्राइजेज, बाल कुंज के पीछे, गोविंदपुर दादुदर	30.03.2016
9.	मैसर्स होटल उर्वशी, सिविल लाइन बस स्टैंड, रुड़की	18.06.2015
10.	मैसर्स होटल मोटेल पंजाब, रामनगर चौक, रुड़की	18.06.2015
11.	मैसर्स सिद्धार्थ, रामनगर चौक, रुड़की	18.06.2015
12.	मैसर्स आनंद लॉज, 32 सिविल लाइंस, नीलम टाकीज के पास, रुड़की	18.06.2015
13.	मैसर्स केशव पॉलीमर्स एंड ट्रेडर्स, रुड़की	12.08.2015
14.	मैसर्स शांति ग्रामोदय संस्थान, हरिद्वार	01.09.2015
15.	मैसर्स महाशक्ति ग्रामोत्सव संस्थान, बनजेरावाला, रुड़की	02.09.2015
16.	मैसर्स टेक्स जिपर, देव भूमि इंडस्ट्रीज, बंटाखेड़ी	12.10.2015

परिशिष्ट-1.2.6

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 6, पृष्ठ 159 एवं 160)

44 दोषी उद्योगों की वर्तमान स्थिति जिन्हें 2014-15 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये

क्रम सं.	दोषी उद्योगों का नाम
1.	मैसर्स इकबाल आइस फैक्टरी, भगवानपुर, हरिद्वार
2.	मैसर्स तिरुपति एलपीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
3.	मैसर्स वैनगार्ड लेबोरेटरीज, सेलाकुई, देहरादून
4.	मैसर्स देव्याशुं अपप्लायंससेज प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
5.	मैसर्स ई-डूरेबल्स यूनिट-2, सेलाकुई, देहरादून
6.	मैसर्स पीएमवी न्युट्रीएंट्स प्राइवेट लिमिटेड, महूवाखेडगंज, काशीपुर
7.	मैसर्स अरहम टेक्नोकेम, देवभूमि इंडस्ट्री एस्टेट, बन्ताखेड़ी
8.	मैसर्स हिमालय ब्रिक फील्ड, टिकोला, रुड़की
9.	मैसर्स एली फार्मास्यूटिकल्स, सीसोना, भगवानपुर
10.	मैसर्स अनिशका पॉलिसरफ, देवभूमि इंडस्ट्रीज एस्टेट, बन्ताखेड़ी
11.	मैसर्स गणेश ब्रिक फील्ड, रुड़की
12.	मैसर्स यूपी बोन मिल्स, रुड़की, हरिद्वार
13.	मैसर्स तेजस स्टोन क्रशर, भोगपुर, हरिद्वार
14.	मैसर्स ओम साई स्क्रीनिंग प्लांट, भोगपुर, हरिद्वार
15.	मैसर्स श्रीजी स्टोन क्रेशर, भोगपुर, हरिद्वार
16.	मैसर्स कोसी मिनरल एंड स्टोन क्रेशर, लाधपुरा, बाज़पुर, यू एस नगर
17.	मैसर्स बी.आर. पेपर लिमिटेड, लालपुर, जसपुर, काशीपुर
18.	मैसर्स शुभम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, लालपुर, किच्छा
19.	मैसर्स जीएस फार्माब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आई आई ई पंतनगर
20.	मैसर्स रामा पेनल प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
21.	मैसर्स यू एंड के स्टील, सुनहरा, रुड़की
22.	मैसर्स हनुआंग टोयस एंड टेक्सटाइल लिमिटेड, लक्षेश्वरी
23.	मैसर्स मल्टीवाल डुप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर
24.	मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल लिमिटेड (यूनिट-1), काशीपुर
25.	मैसर्स रोशन ब्रिक फील्ड, नागला, लंदौरा
26.	मैसर्स सैवेरा ब्रिक फील्ड, बिजोला, लंदौरा, रुड़की
27.	मैसर्स आंचल ब्रिक फील्ड, बिड़ोली, लंदौरा
28.	मैसर्स अकबर खान ब्रिक फील्ड, कालियार, रुड़की
29.	मैसर्स चंद ब्रिक सप्लाई, नागला, लंदौरा
30.	मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, झबरेड़ा
31.	मैसर्स शबरी ब्रिक फील्ड, स्टेशन रोड, लंदौरा, हरिद्वार
32.	मैसर्स इंडियन भट्टा, बिजोली, हरिद्वार
33.	मैसर्स जेबीएम इंटरप्राइजेज, शिव गंगा इंडस्ट्रीज एस्टेट, लक्षेश्वरी
34.	मैसर्स जेएमजे पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, खेमपुर-शिकारपुर
35.	मैसर्स स्वस्ति आरएमसी, ब्राह्मणवाला, हरिद्वार-बाय-पास, देहरादून
36.	मैसर्स एप्पल फॉर्मलेशन प्राइवेट लिमिटेड, किशनपुर, भगवानपुर

37.	मैसर्स निजाम उधोग,मंगलोर, रुड़की
38.	मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर
39.	मैसर्स रिधि विनायक टेक्नो कंक्र्रीट प्रोडक्टस, माजरा
40.	मैसर्स रवा हाइटैक रुद्रपुर प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रपुर
41.	मैसर्स डेफोहिल्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून
42.	मैसर्स डेफोहिल्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई देहरादून
43.	मैसर्स पीएमवी मल्टिंग (पी) लिमिटेड, महुवाखेड़ागंज
44.	मैसर्स स्काइमैप फार्मास्यूटिकल्स, देवभूमि इंडस्ट्रीज एस्टेट, बन्ताखेड़ी

नोट: मैसर्स डेफोहिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेलाकुई, देहरादून सूची में दो बार दर्शाया गया है क्योंकि उ प नि प्र नि बो ने दो बार बंद करने का नोटिस जारी किया।

परिशिष्ट-1.2.7

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 6, पृष्ठ 160)

बंद किये गये उद्योगों की सूची जिन्हें 2014-15 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किये गये

क्रम सं.	दोषी उद्योग का नाम	बंद करने का नोटिस जारी करने की तिथि
1.	मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, झबरेड़ा	01.08.2014
2.	मैसर्स रोशन ब्रिक फील्ड, नागला, लंढौरा	02.07.2014
3.	मैसर्स सवेरा ब्रिक फील्ड, बिजोला, लंढौरा, रुड़की	02.07.2014
4.	मैसर्स आंचल ब्रिक फील्ड, बिजोली, लंढौरा	01.08.2014
5.	मैसर्स चांद ब्रिक सप्लाई, नागला, लंढौरा	01.08.2014
6.	मैसर्स शबरी ब्रिक फील्ड, स्टेशन रोड, लंढौरा, हरिद्वार	06.09.2014
7.	मैसर्स इंडियन भट्टा, बीजोली, हरिद्वार	06.09.2014
8.	मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर	16.07.2014
9.	मैसर्स अकबर खान ब्रिक फील्ड, कालियार, रुड़की	01.08.2014
10.	मैसर्स एप्पल फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड, किशनपुर, भगवानपुर	02.07.2014
11.	मैसर्स निजाम उधोग, मंगलोर, रुड़की	02.07.2014
12.	मैसर्स जे एम जे पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, खेमपुर-शिकारपुर	10.02.2015
13.	मैसर्स जे बी एम इंटरप्राइजेज, शिव गंगा इंडस्ट्रीज एस्टेट, लक्शेवरी	24.02.2015

परिशिष्ट-1.2.8

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 7, पृष्ठ 160)

106 दोषी उद्योगों की वर्तमान स्थिति जिन्हें 2015-16 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये

क्रम सं.	दोषी उद्योग का नाम
1.	मैसर्स वी आई पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
2.	मैसर्स खटीमा फाइबर्स लिमिटेड, खटीमा
3.	मैसर्स कोनार्क इंडस्ट्रीज, महुआखेड़ागंज, काशीपुर
4.	मैसर्स ओमकार इन्फ्राटेक लिमिटेड, रतनपुरी, बाजपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर
5.	मैसर्स जस्ट इन एग्गी फूड (पी) लिमिटेड, महुआखेड़ागंज
6.	मैसर्स मेंगा काउंटी, मसूरी डाइवर्जन, देहरादून
7.	मैसर्स प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण और अनुरक्षण इकाई, ऋषिकेश
8.	मैसर्स केवीएन ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लालपुर
9.	मैसर्स रूद्रा ऑटो टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
10.	मैसर्स श्री राधे इंटरप्राइजेज, रायपुर इंडस्ट्रीज एस्टेट, रायपुर
11.	मैसर्स डीपीएस पॉलीमर्स, भगवानपुर
12.	मैसर्स समीर ब्राइट बार इंडस्ट्रीज, रुद्रपुर
13.	मैसर्स श्री गुरु स्टोन क्रेशर प्राइवेट लिमिटेड, कनौरी, बाजपुर
14.	मैसर्स आशा स्टोन क्रेशर, बाजपुर
15.	मैसर्स हरि हर स्टोन क्रेशर प्राइवेट लिमिटेड, कनौरी, बाजपुर
16.	मैसर्स रेडिशन ब्लू होटल हरिद्वार, आई आई ई हरिद्वार
17.	मैसर्स गगन ब्रिक सप्लाई, रुड़की
18.	मैसर्स गगन ब्रिक सप्लाई, टांडा भनेडा, रुड़की
19.	मैसर्स अल्फा इंगोर्ट्स, गंगानोली लक्सर
20.	मैसर्स श्री बांके बिहारी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, किशनपुर, किच्छा
21.	मैसर्स वन हेल्थ केयर, करौंदी, हरिद्वार
22.	मैसर्स पंचवटी प्रायोगशाला, रुड़की
23.	मैसर्स एचएमआई मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन, हरिद्वार
24.	मैसर्स जेएमडी हीट ट्रीटमेंट, भगवानपुर
25.	मैसर्स इकबाल आइस फैक्टरी, भगवानपुर, हरिद्वार
26.	मैसर्स एप्पल इंडस्ट्रीज, ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया, हरिद्वार
27.	मैसर्स माइक्रो टर्नर, बेगमपुर, हरिद्वार
28.	मैसर्स टेक हार्ड इंडिया, बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया
29.	मैसर्स वेरिजनो एनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया
30.	मैसर्स मकिनो ऑटोमोटिव, बहादुराबाद इंडस्ट्रीज एरिया
31.	मैसर्स अवंती बुफा प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, भगवानपुर, रुड़की
32.	मैसर्स महाकाली स्टोन क्रेशर, हल्द्वानी
33.	राज राजेश्वरी टेक्नो फेब, देवभूमि इंडस्ट्रीज एस्टेट, बन्ताखेड़ी
34.	मैसर्स होटल शिव साई, इंदिरा बस्ती, हरिद्वार
35.	मैसर्स विवेक होटल, इंदिरा एनक्लेव, शांतिकुंज, हरिद्वार
36.	मैसर्स डेक्सबयो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, भगवानपुर

37.	मैसर्स मिटर एंड मिटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
38.	मैसर्स काशी विशवनाथ टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर
39.	मैसर्स मिटर एंड मिटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
40.	मैसर्स सुंदरम फास्टनर लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
41.	मैसर्स वेरिजोन एनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार
42.	मैसर्स उत्तरांचल पल्प एंड पेपर, मंगलोर
43.	मैसर्स आल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
44.	मैसर्स साई ऑटो इंडस्ट्रीज, शिमला पिस्तौर, रुद्रपुर
45.	मैसर्स सुरिन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, किशनपुर
46.	मैसर्स भारत ग्लास और एल्युमिनियम वर्क्स, बेगमपुर
47.	मल्टीवाल पल्प एंड बोर्ड मिल प्राइवेट लिमिटेड, बाजपुर रोड, काशीपुर
48.	मल्टीवाल डुप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, कुंडेश्वरी रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर
49.	मैसर्स यूरेशिया डूरडिवासिज, आई आई ई पंतनगर
50.	मैसर्स राधु प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर
51.	मैसर्स अरहम टेक्नोकेम, बन्ताखेड़ी, भगवानपुर
52.	मैसर्स सनमैक्स ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई हरिद्वार
53.	मैसर्स पंकज गैस सिलिन्डर्स, आई आई ई पंतनगर
54.	मैसर्स एसएसवी हाईटेक रुद्रपुर
55.	मैसर्स ताक्षी ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई रानीपुर
56.	मैसर्स एएनजी ऑटो लिमिटेड, एल्डेको-सिडकुल इंडस्ट्रीयल पार्क, सितारगंज
57.	मैसर्स फेरो टेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लाकेश्वरी, भगवानपुर
58.	मैसर्स नीडल आई प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बाजपुर
59.	मैसर्स अमन मेटल फिनिशर, आई आई डी सी रानीपुर, हरिद्वार
60.	मैसर्स आशीष एग्री फूड प्राइवेट लिमिटेड, महुआखेड़ागंज
61.	मैसर्स श्री साई इंटरप्राइजेज, किच्छा रोड, रुद्रपुर
62.	मैसर्स विंडल्स ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3), रुद्रपुर
63.	मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-2, काशीपुर
64.	मैसर्स कुएडे एक्सपोर्ट, आई आई ई पंतनगर
65.	मैसर्स एसएलजी ब्राइट वायर, आई आई ई पंतनगर
66.	मैसर्स आरआर इंटरप्राइजेज, आई आई ई पंतनगर उधम सिंह नगर
67.	मैसर्स शार्प इंडस्ट्रीज, आई आई ई रानीपुर
68.	मैसर्स पीएन पल्प एंड पेपर किच्छा रोड, उधम सिंह नगर
69.	मैसर्स टेक्स प्लास टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरपुर सैनी
70.	मैसर्स हिलवेज कंस्ट्रक्शन कॉम प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रप्रयाग
71.	मैसर्स रुद्रधाम रिसायकलर प्राइवेट लिमिटेड, रुड़की, हरिद्वार
72.	मैसर्स द आर्टिगो रेजिडेन्सी, मसूरी डाइवर्सन
73.	मैसर्स सीमा कन्स्ट्रक्शन, श्यामपुर, हरिद्वार
74.	मैसर्स होटल तपोवन रिजॉर्ट, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश
75.	मैसर्स राल्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई आई ई रानीपुर
76.	मैसर्स राजा आइस फैक्टरी, दुधपुर, हरिद्वार

77.	मैसर्स शीतला फिनिशर्स, दादुपुर, हरिद्वार
78.	मैसर्स नाजमा आइस फैक्टरी, दादुपुर, हरिद्वार
79.	मैसर्स सबरी बृक्क फील्ड, गोधराना रोड, अकबरपुर रोड
80.	मैसर्स बंसल इम्पेक्स, किच्छा रोड, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर
81.	मैसर्स एस टी पी इंटरप्राइजेज, मधुपुर, रुड़की
82.	मैसर्स दुर्गा इंजीनियरिंग, लाकेश्वरी, हरिद्वार
83.	मैसर्स स्कैफ इंडिया, रायपुर, हरिद्वार
84.	मैसर्स इंडियन भट्टा, बिड़ौली
85.	मैसर्स अग्रवाल एल्युमिनियम, सितारगंज
86.	मैसर्स टी एस इंटरप्राइजेज, गढी मैचक, श्यामपुर, ऋषिकेश
87.	मैसर्स जीएस इंटरप्राइजेज, मोहबेवाला इंडस्ट्रीयल एरिया
88.	मैसर्स सागर केमिकल्स, हल्द्वानी
89.	मैसर्स पी एन पेपर इंडस्ट्री लिमिटेड, किच्छा
90.	मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-1, काशीपुर
91.	मैसर्स टेक्स जिपर, देवभूमि इंडस्ट्री एस्टेट, बन्ताखेड़ी, हरिद्वार
92.	मैसर्स पार्क प्राइम होटल, हरिद्वार
93.	मैसर्स मैडग्लोब थेरेपिटिक्स लिमिटेड, रायपुर, भगवानपुर, रुड़की
94.	मैसर्स माइक्रो टर्नर, आई आई ई पंतनगर
95.	मैसर्स माइक्रो टर्नर, आई आई ई हरिद्वार
96.	मैसर्स केशव पॉलिमर एंड ट्रेडर्स, लाकेश्वरी, भगवानपुर
97.	मैसर्स आफताब बैटरी उद्योग, केलखेड़ा, बाज़पुर
98.	मैसर्स पारुल फैब्रिकेटर, सितारगंज
99.	मैसर्स लॉट्टे इलेक्ट्रॉनिक्स, किशनपुर, किच्छा
100.	मैसर्स गणपति मेटल प्रोडक्ट्स, भूरानी, रुद्रपुर
101.	मैसर्स सुरांश पावर प्राइवेट लिमिटेड, रामनगर
102.	मैसर्स नरेंद्र प्रिसिजन फास्टनर, आई आई ई, पंतनगर
103.	मैसर्स विंडल्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, भगवाड़ा, किच्छा
104.	मैसर्स अवंती मेटल इंडस्ट्रीज, आई आई ई, पंतनगर
105.	मैसर्स बी.ए. इंटरनेशनल, रुड़की
106.	मैसर्स दशमेश रोजिन कंपनी, डोगडा, भुजीघाट, नैनीताल

नोट: मैसर्स गगन ब्रिक सप्लाइ, रुड़की, मैसर्स मिटर एंड मिटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई आई ई पंतनगर, मैसर्स वेरिजन एनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार और मैसर्स विंडल्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, भागवाड़ा, किच्छा जिनको सूची में दो बार दिखाया गया है, को उ प नि प्र नि बो ने दो बार बंद करने का का नोटिस जारी किया।

परिशिष्ट-1.2.9

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 7, पृष्ठ 160)

बंद उद्योगों की सूची जिन्हें 2015-16 के दौरान बंद किये जाने के नोटिस जारी किये गये

क्रम सं.	दोषी उद्योग का नाम	उद्योग बंद करने का नोटिस जारी करने की तिथि
1.	मैसर्स शार्प इंडस्ट्रीज, आई आई ई, रानीपुर	06.02.2016
2.	मैसर्स राल्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई आई ई, रानीपुर	23.03.2015
3.	मैसर्स टेक्स प्लास टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरपुर सैनी	06.02.2016
4.	मैसर्स एसटीपी इंटरप्राइजेज, मधुपुर, रुड़की	18.05.2015
5.	मैसर्स राजा आइस फैक्टरी, दुधपुर, हरिद्वार	16.06.2015
6.	मैसर्स नाजमा आइस फैक्टरी, दादुपुर, हरिद्वार	16.06.2015
7.	मैसर्स रुद्रधाम रिसायकलर्स प्राइवेट लिमिटेड, रुड़की, हरिद्वार	01.05.2015
8.	मैसर्स सीमा कन्स्ट्रक्शन, श्यामपुर, हरिद्वार	23.05.2015
9.	मैसर्स शीतला फ़िनिशर्स, दादुपुर, हरिद्वार	16.06.2015
10.	मैसर्स सबरी ब्रिक फ़िल्ड, गोधराना रोड, अकबरपुर	22.06.2015
11.	मैसर्स दुर्गा इंजीनियरिंग, लाकेश्वरी, हरिद्वार	01.09.2015
12.	मैसर्स स्कैफ़ इंडिया, रायपुर, हरिद्वार	01.09.2015
13.	मैसर्स इंडियन भट्टा, बिजोली	06.09.2014
14.	मैसर्स मेडग्लोब थेरापिटिक्स लिमिटेड, रायपुर, भगवानपुर, रुड़की	08.01.2016
15.	मैसर्स केशव पॉलिमर एंड ट्रेडर्स, लाकेश्वरी, भगवानपुर	22.01.2016
16.	मैसर्स आर.आर. इंटरप्राइजेज, आई आई ई पंतनगर, उधम सिंह नगर	06.02.2016
17.	मैसर्स बी.ए. इंटरनेशनल, भगवानपुर, रुड़की	06.02.2016
18.	मैसर्स टेक्स जिपर, देवभूमि इंडस्ट्री एस्टेट, बन्ताखेड़ी, हरिद्वार	21.12.2015

परिशिष्ट-1.2.10

(संदर्भ: परिशिष्ट 1.2.3; क्रम संख्या 12, पृष्ठ 161)

गंगा नदी में मल प्रवाहित करने वाले नालों का विवरण

क्रम सं.	शहर का नाम	कुल नाले	नालों से प्रवाह (एम एल डी)	बंद किए गए नाले	बंद नाले से प्रवाह (एम एल डी)	नदी जिसमें नाला बहता है	टिप्पणी, यदि कोई हो
1.	उत्तरकाशी	4	0.380	4	0.38	भागीरथी	
2.	श्रीनगर	17	2.270	7	1.52	अलकनंदा	
3.	देवप्रयाग	4	0.128	1	0.029	गंगा	
4.	तपोवन	5	0.390	5	0.39	गंगा	पाँच में से दो नाले प्राकृतिक अप्रदूषित पानी को ले जा रहे हैं।
5.	मुनी-की-रेती, ढालवाला	15	7.570	9	0.37	गंगा	
6.	ऋषिकेश	5	8.210	4	8.20	गंगा	
7.	हरिद्वार	22	31.49	17	19.69	गंगा	
8.	बद्रीनाथ	6	0.549	-	-	अलकनंदा	
9.	जोशीमठ	7	3.620	-	-	अलकनंदा	
10.	गोपेश्वर	7	1.580	-	-	अलकनंदा	
11.	नंदप्रयाग	3	0.091	-	-	अलकनंदा	
12.	कर्णप्रयाग	7	0.202	-	-	अलकनंदा	
13.	गौचर	0		-	-	अलकनंदा	
14.	रुद्रप्रयाग	8	0.362	-	-	अलकनंदा	
15.	कीर्तिनगर	2	0.029	-	-	अलकनंदा	
	योग	112	56.871	47	30.579		

परिशिष्ट-1.3.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.3.7.4; पृष्ठ 43)

राज्य सरकार द्वारा एस डब्ल्यू एस एम को विलंब से निधियां अवमुक्त किये जाने के कारण दिये जाने वाले दण्डनीय ब्याज का विवरण

वर्ष	सरकार का स्वीकृति आदेश	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	राज्य सरकार का अवमुक्ति आदेश	अवमुक्ति की तिथि	अवमुक्त करने में 15 दिनों से अधिक का विलंब	12 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज (₹ लाख में)
2014-15	W-11020/27/2013/NRDWP/Water/162	24-09-2014	2,981.42	926/उन्नतीस (2)/14-2(91पे)/2014	08-12-2014	60	58.81
	W-11020/27/2014/NRDWP/Water/383	14-01-2015	1,843.40	214/उन्नतीस (2)/15-2(91पे)/2014	06-02-2015	8	4.85
	W-11020/27/2012/NRDWP/Water/403	17-02-2015	255.35	485/उन्नतीस (2)/15-2(91पे)/2014TC	21-03-2015	17	1.43
	W-11020/27/2012/NRDWP/Water/402	17-02-2015	254.68	485/उन्नतीस (2)/15-2(91पे)/2014TC	21-03-2015	17	1.42
	W-11020/27/2014/NRDWP(MDI)/Water/441	18-02-2015	1.07	468/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014TC-3	24-03-2015	19	0.01
	W-11020/27/2014/NRDWP/Water/510	11-03-2015	962.83	1533/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	18-12-2015	267	84.52
2015-16	G-11011/08/2015/Water-I/20	16-06-2015	137.35	1003/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	28-07-2015	27	1.22
	G-11011/08/2015/Water-I/20	16-06-2015	1,316.61	1002/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	28-07-2015	27	11.69
	G-11011/08/2015/Water-I/49	03-07-2015	19.86	1105/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	19-08-2015	32	0.21
	G-11011/08/2015/Water-I/49	03-07-2015	190.40	1533/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	18-12-2015	153	9.58
	G-11011/08/2015/Water-I/49	03-07-2015	364.51	1106/उन्नतीस(2)/15-2(91पे)/2014	19-08-2015	32	3.83
	Q-16011/2/2015-Stat(MDI)/154	16-02-2016	55.63	939/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	100	1.83
	Q-16011/2/2015-Stat(MDI)/154	16-02-2016	155.81	941/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	100	5.12
2016-17	G-11011/4/2016/Water-I/20	12-04-2016	64.44	940/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	44	0.93
	G-11011/4/2016/Water-I/20	12-04-2016	429.18	939/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	44	6.21
	G-11011/4/2016/Water-I/20	12-04-2016	1,202.06	941/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	10-06-2016	44	17.39
	G-11011/4/2016/Water-I/97	20-05-2016	146.78	1045/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	04-07-2016	30	1.45
	G-11011/4/2016/Water-I/97	20-05-2016	244.63	1045/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	04-07-2016	30	2.41
	G-11011/4/2016/Water-I/59	20-05-2016	53.63	1046/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	04-07-2016	30	0.53
	G-11011/4/2016/Water-I/59	20-05-2016	1,000.57	1045/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	04-07-2016	30	9.87
	W-11020/189/2015/Water-I/107	16-11-2016	51.82	2103/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	26-12-2016	25	0.43
	W-11020/189/2015/Water-I/107	16-11-2016	345.15	2102/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	26-12-2016	25	2.84
	W-11020/189/2015/Water-I/107	16-11-2016	966.73	2101/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	26-12-2016	25	7.95
	W-11032/1/2017/Water-I/175	13-02-2017	1,632.20	274/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	16	8.59
	W-11020/78/2015/Water-I/174	13-02-2017	125.04	274/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	16	0.66
	Q-16011/1/2016-Stat(MDI)/189	17-02-2017	8.05	218/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	12	0.03
	Q-16011/1/2016-Stat(MDI)/189	17-02-2017	45.46	275/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	12	0.18
Q-16011/1/2016-Stat(MDI)/189	17-02-2017	160.24	274/उन्नतीस(2)/16-2(91पे)/2014	16-03-2017	12	0.63	
योग			15,014.90 (₹ 150.15 करोड़)		कुल अर्जित ब्याज		244.62 (₹ 2.45 करोड़)

स्रोत: राजस्व मि से एकत्रित।

परिशिष्ट-1.3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3.8.6; पृष्ठ 49)

नमूना-जाँचित चार जिलों में जल की गुणवत्ता की जाँच का विवरण

जिला	वर्ष	सभी ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों की संख्या	उन जल स्रोतों की संख्या जिनकी जल गुणवत्ता का परीक्षण किया गया			कुल आवश्यक परीक्षण	किए गए परीक्षण	कमी	कमी (प्रतिशतता में)
			मानसून से पहले व बाद में दोनों	मानसून से पहले या बाद में	न पहले न बाद में				
1	2	3	4	5	6	7 (2*कॉलम 3)	8 (2*कॉलम 4 + कॉलम 5)	9 (कॉलम 7 - कॉलम 8)	10 (कॉलम 9*100 / कॉलम 7)
अल्मोड़ा	2012-13	3,341	0	189	3,152	6,682	189	6,493	97
	2013-14	3,356	0	531	2,825	6,712	531	6,181	92
	2014-15	3,370	0	624	2,746	6,740	624	6,116	91
	2015-16	3,385	0	155	3,230	6,770	155	6,615	98
	2016-17	3,400	8	179	3,213	6,800	195	6,605	97
योग		16,852	8	1,678	15,166	33,704	1,694	32,010	95
नैनीताल	2012-13	1,518	5	267	1,246	3,036	277	2,759	91
	2013-14	1,533	0	367	1,166	3,066	367	2,699	88
	2014-15	1,548	25	211	1,312	3,096	261	2,835	92
	2015-16	1,563	0	14	1,549	3,126	14	3,112	100
	2016-17	1,578	14	349	1,215	3,156	377	2,779	88
योग		7,740	44	1,208	6,488	15,480	1,296	14,184	92
पौड़ी गढ़वाल	2012-13	3,141	6	516	2,619	6,282	528	5,754	92
	2013-14	3,156	1	328	2,827	6,312	330	5,982	95
	2014-15	3,171	37	746	2,388	6,342	820	5,522	87
	2015-16	3,186	39	388	2,759	6,372	466	5,906	93
	2016-17	3,202	38	479	2,685	6,404	555	5,849	91
योग		15,856	121	2,457	13,278	31,712	2,699	29,013	91
टिहरी गढ़वाल	2012-13	2,570	0	287	2,283	5,140	287	4,853	94
	2013-14	2,585	1	317	2,267	5,170	319	4,851	94
	2014-15	2,599	37	666	1,896	5,198	740	4,458	86
	2015-16	2,614	19	157	2,438	5,228	195	5,033	96
	2016-17	2,629	38	330	2,261	5,258	406	4,852	92
योग		12,997	95	1,757	11,145	25,994	1,947	24,047	93

स्रोत: उ ज सं से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-1.13.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.13.3.1; पृष्ठ 80)

न नि देहारादन एवं हरिद्वार द्वारा प्राप्त निधियों का वर्ष-वार विवरण

देहारादन (₹ करोड़ में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	बजट आवंटन					व्यय			अंत शेष
		केंद्रान्श	राज्यांश	स्वयं का अंश	अन्य	योग	वेतन पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	ठो अ प्र के लिए अवस्थापना विकास पर व्यय	कुल व्यय	
2014-15	6.33	1.87 ¹	17.95 ⁷	9.76 ¹³	0.00	35.91	27.40 (93)	2.05 (7)	29.45	6.46
2015-16	6.46	2.55 ²	25.51 ⁸	10.77 ¹⁴	1.00 ¹⁹	46.29	32.43 (91)	3.20 (9)	35.63	10.66
2016-17	10.66	7.11 ³	22.41 ⁹	10.36 ¹⁵	0.00	50.54	32.76 (80)	8.08 (20)	40.84	9.70
योग		11.53	65.87	30.89	1.00	132.74	92.59 (87)	13.33 (13)	105.92	

हरिद्वार (₹ करोड़ में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	बजट आवंटन					व्यय			अंत शेष
		केंद्रान्श	राज्यांश	स्वयं का अंश	अन्य	योग	वेतन पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	ठो अ प्र के लिए अवस्थापना विकास पर व्यय	कुल व्यय	
2014-15	1.67	1.61 ⁴	8.65 ¹⁰	3.17 ¹⁶	0.00	15.10	12.00(92)	1.00 (8)	13.00	2.10
2015-16	2.10	4.68 ⁵	8.84 ¹¹	2.90 ¹⁷	4.97 ²⁰	23.49	11.83(74)	4.21 (26)	16.04	7.45
2016-17	7.45	0.45 ⁶	7.37 ¹²	2.91 ¹⁸	0.21 ²¹	18.39	10.27(59)	7.08 (41)	17.35	1.04
योग		6.74	24.86	8.98	5.18	56.98	34.10 (74)	12.29(26)	46.39	

निधियों का स्रोत	वर्ष	निधियों का विवरण	
		न नि देहारादन	न नि हरिद्वार
केंद्रीय निधियाँ	2014-15	सी एफ सी: ₹ 1,87,15,193 ¹	नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन: ₹ 5,61,250 + जे एन एन यू आर एम वेतन: ₹ 20,65,790 + सी एफ सी: ₹ 1,34,64,398 = ₹ 1,60,91,438 ⁴
	2015-16	स्वच्छ भारत मिशन : ₹ 1,72,08,000 + सी एफ सी: ₹ 83,14,382 = ₹ 2,55,22,382 ²	स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 2,90,000+ नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन: ₹ 3,07,60,450 + जे एन एन यू आर एम वेतन: ₹ 25,672 + सी एफ सी: ₹ 1,56,61,906 = ₹ 4,67,38,028 ⁵
	2016-17	स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 64,53,000 + सी एफ सी: ₹ 6,46,97,467 = ₹ 7,11,50,467 ³	स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 2,38,322 + नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन: ₹ 14,89,323 + जे एन एन यू आर एम वेतन: ₹ 5,281 + सी एफ सी: ₹ 27,97,000 = ₹ 45,29,926 ⁶
राज्य निधियाँ	2014-15	आवस्थापना (कूड़ा दान क्रय): ₹ 31,50,000 + एस एफ सी: ₹ 17,63,66,749 = ₹ 17,95,16,749 ⁷	एस एफ सी: ₹ 8,65,12,993 ¹⁰
	2015-16	स्वच्छता अनुदान: ₹ 2,35,00,000 + मुख्य मंत्री अनुदान: ₹ 1,50,00,000 + एस एफ सी: ₹ 21,66,08,809 = ₹ 25,51,08,809 ⁸	एस एफ सी: ₹ 8,84,36,263 ¹¹
	2016-17	एस एफ सी: ₹ 22,40,73,834 ⁹	एस एफ सी: ₹ 7,36,95,704 ¹²
स्वयं के संसाधन	2014-15	निगम निधि: ₹ 9,76,14,789 ¹³	निगम निधि: ₹ 3,16,57,899 ¹⁶
	2015-16	निगम निधि: ₹ 10,76,87,920 ¹⁴	निगम निधि: ₹ 2,89,96,340 ¹⁷
	2016-17	निगम निधि: ₹ 10,35,54,120 ¹⁵	निगम निधि: ₹ 2,90,49,337 ¹⁸
अन्य संसाधन	2014-15	-	-
	2015-16	एम डी डी ए: ₹ 1,00,00,000 ¹⁹	कॉवड मेला: ₹ 13,10,305+विधायक निधि: ₹ 5,00,000 + अर्धकुंभ मेला: ₹ 4,73,86,000 + कूड़ा दान क्रय: ₹ 5,00,000 = ₹ 4,96,96,305 ²⁰
	2016-17	-	कॉवड मेला: ₹ 16,01,750 + चारधाम: ₹ 5,00,000 = ₹ 21,01,750 ²¹

परिशिष्ट-2.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.2; पृष्ठ 100 एवं 101)

दो व्यापारियों से संबंधित चार प्रकरणों के संबंध में अर्थदण्ड के अनारोपण के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	व्यापारियों की टिन संख्या [वाणिज्य कर इकाई के अंतर्गत]	क्रय माल	कर निर्धारण वर्ष (वर्ष जिसमें कर निर्धारण किया गया)	प्रपत्र 'ग' जारी करके माल के अनाधिकृत क्रय की धनराशि (₹ में)	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय कर (₹ में)	धारा 10-क सपठित धारा 10(ख)/10(घ) के अंतर्गत अर्थदण्ड (स्तम्भ 7 का डेढ़ गुना) (₹ में)	उल्लंघन की श्रेणी [के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	0500961780 [उ आ (क नि) खण्ड-IV, वा क, देहरादून]	केमिकल, एन्टी रस्ट एवं टेफलान	2009-10 (2014-15)	18,99,957	12.5	2,37,495	3,56,242.50	व्यापारियों द्वारा क्रय माल उनके केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र के अंतर्गत आच्छादित नहीं था [धारा 10-क सपठित धारा 10-(ख)]
		जेनसेट, एन्टी रस्ट एवं टेफलान	2010-11 (2014-15)	34,70,173	13.5*	4,68,473	7,02,709.50	
2.	05008095257 [स आ (क नि) खण्ड-IV, वा क, रुड़की]	क्रशर बाल्टी	2012-13 (2015-16)	25,98,040	13.5	3,50,735	5,26,102	
3.	0500961780 [उ आ (क नि)- IV, वा क, देहरादून]	डेमो वाहन	2010-11 (2014-15)	59,87,233	13.5	8,08,276	12,12,414	
4.	05008095257 [स आ (क नि) खण्ड-I, वा क, अल्मोड़ा]	पम्पिंग सेट, चेन पुली, पीनल पम्प सेट, बेस प्लेट और वाल्व	2010-11 (2013-14)	1,14,26,185	13.5	61,84,882	92,77,323	व्यापारी ने जिस उद्देश्य से रियायती दर पर माल क्रय किया उस उद्देश्य से माल का उपयोग नहीं किया। [धारा 10-क सपठित धारा 10(घ)]
			2011-12 (2014-15)	1,31,94,664				
			2012-13 (2014-15)	2,11,93,092				
			4,58,13,941					
योग						80,49,861	1,20,74,791	

* नई दर 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी थी।

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3; पृष्ठ 101)

वाणिज्य कर विभाग के तीन कार्यालयों से संबंधित चार व्यापारियों द्वारा घोषणा प्रपत्र-11 के अनाधिकृत उपयोग के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	व्यापारी का टिन नम्बर	कर निर्धारण वर्ष (वर्ष जिसमें कर निर्धारण/पुनर्कर निर्धारण किया गया)	प्रपत्र- 11 की धनराशि	क्रय किया गया माल	कर की अन्तरीय दर (%)	अन्तरीय कर की धनराशि	अर्थदण्ड (माल के मूल्य का 40 प्रतिशत या कर का तीन गुना जो भी अधिक हो)	उल्लंघन की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उ नि (क नि)-II, रुद्रपुर	05004695213	2011-12/ (जनवरी 2015)	22,88,043	इलेक्ट्रिक गुड्स एवं स्पेयर पार्ट्स इत्यादि	11.50 (13.50-2.00)	2,63,125	9,26,657	करमुक्त माल का विनिर्माण (स्वीकृत)
			2012-13/ (जनवरी 2015)	3,99,572			45,951	1,61,827	
		05007612585	2011-12/ (सितम्बर 2014)	20,02,667	कैमिकल्स		2,30,307	8,11,080	
2.	स आ (क नि), खण्ड-IV, वा क, देहरादून	05006694189	2008-09/ (नवम्बर 2012/ जून 2016)	23,21,783	वुड	10.50 (12.50-2.00)	2,43,787	9,28,713	करमुक्त माल का विनिर्माण (स्वीकृत)
			2009-10/ (जनवरी 2014)	17,49,048			1,83,650	6,99,619	
3.	उ नि (क नि)-I, वा क, विकासनगर	05005088160	2012-13/ (मार्च 2016)	1,47,33,953	गैस चार्जिंग मशीन	11.50 (13.50-2.00)	16,94,405	59,67,251	मान्यता प्रमाण पत्र के अंतर्गत अनाच्छादित माल
योग				2,34,95,066			26,61,225	94,95,147	

परिशिष्ट-2.4.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.4; पृष्ठ 102)

दो उ आ एवं तीन स आ से संबंधित सात व्यापारियों के 10 प्रकरणों में कर के न्यूनारोपण का विवरण

इकाई का नाम	व्यापारी का टिन नम्बर	कर निर्धारण वर्ष	वर्ष जिसमें कर निर्धारण किया गया	माल का नाम	माल का मूल्य (₹ में)	अन्तरीय कर की दर (₹ में)	देय कर (₹ में)	अदा कर (₹ में)	कर का न्यूनारोपण (₹ में)	टिप्पणी
उ आ (क नि)-II, वा क, रुद्रपुर	05008069067	2009-10	मार्च, 14 (मार्च 2017, सितम्बर 2016 में संशोधित)	इपॉक्साइड रेजिन	63,10,811	8.5 % (12.5-4)	7,88,851	2,52,432	5,36,419 (स्वीकृत)	अवर्गीकृत सामग्री अर्थात् अनुसूची II (ख) में अनिर्दिष्ट माल
		2010-11	मार्च, 14 (मार्च 2017, सितम्बर 2016 में संशोधित)	-तदैव-	99,85,180	9% (13.5-4.5)	13,47,999	4,49,333	8,98,666 (स्वीकृत)	
		2011-12	मार्च, 15 (मार्च 2017, सितम्बर 2016 में संशोधित)	-तदैव-	1,19,76,343	9% (13.5-4.5)	16,16,806	5,38,935	10,77,871 (स्वीकृत)	
	05007507146	2010-11, 2011-12	जुलाई 2014, जनवरी 2015	टेलीकम्यूनिकेशन इक्यूपमेन्ट पार्ट्स	5,69,83,326	9% (13.5-4.5)	76,92,749	25,64,250	51,28,499	
उ आ(क नि)-III, वा क, रुद्रपुर	05009859008	2010-11	फरवरी 2015	कटिंग टूल्स	56,61,101	9% (13.5-4.5)	7,64,249	2,54,750	5,09,499 (स्वीकृत)	
स आ (क नि) खण्ड- III, वा क, हरिद्वार	05008256665	2010-11	फरवरी 2015	रेजिन पाउडर	58,88,853	9% (13.5-4.5)	7,94,995	2,64,998	5,29,997	
स आ (क नि) खण्ड- IV, वा क, रुड़की	5011657776	2011-12	जनवरी 2015	रेजिन पाउडर	7,64,111	9% (13.5-4.5)	1,03,155	34,385	68,770 (स्वीकृत)	
	05009816813	2011-12	नवम्बर 2014	रेजिन पाउडर	12,03,707	9% (13.5-4.5)	1,62,500	54,167	1,08,334 (स्वीकृत)	
स आ(क नि) खण्ड- II, वा क, हरिद्वार	05010793215	2011-12	मार्च 2015	इलेक्ट्रिकल गुड्स	10,54,665	9% (13.5-4.5)	1,42,380	47,460	94,920	
योग									89,52,975	

परिशिष्ट-2.5.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.5; पृष्ठ 103)

विलंब से कर जमा करने के कारण अर्थदण्ड के अनारोपण का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	व्यापारी का टिन सं०	माह/तिमाही जिसमें कर देय है	स्वीकृत कर	कर जमा करने की निर्धारित तिथि (अधिसूचना के अनुसार)	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	अर्थदण्ड की धनराशि (देय कर का 10% स्तम्भ 5 का 10%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		टिन सं०: 05007113617	अप्रैल-2012	35,52,208	25/05/2012	29/05/2012	3,55,221
			फरवरी-2013	42,00,322	25/03/2013	29/03/2013	4,20,032
		योग (1)					
2.	उ आ (क नि)-I, वा क, हरिद्वार	टिन सं०: 05009645705	जुलाई-2012	12,86,647	25/08/2012	05/09/2012	1,28,665
			अगस्त-2012	15,98,297	25/09/2012	28/09/2012	1,59,830
		योग (2)					
3.		टिन सं०: 05005891902	मई-2012	2,13,225	25/06/2012	03/07/2012	21,322
			सितम्बर-2012	1,62,318	25/10/2012	31/10/2012	16,232
			अक्टूबर-2012	1,18,154	25/11/2012	30/11/2012	11,815
			नवम्बर-2012	1,27,102	25/12/2012	24/01/2013	12,710
			दिसम्बर-2012	1,62,550	25/01/2013	28/01/2013	16,255
			जनवरी-2013	2,22,620	25/02/2013	30/03/2013	22,262
			फरवरी-2013	2,65,191	25/03/2013	30/03/2013	26,519
योग (3)						1,27,115 (स्वीकृत)	
4.	उ आ (क नि)- II, वा क, हरिद्वार	टिन सं०: 05002157305	अप्रैल-2011	3,12,983	25/05/2011	02/06/2011	31,298
			मई-2011	6,12,978	25/06/2011	29/06/2011	61,298
			जून-2011	4,37,760	25/07/2011	01/08/2011	43,776
			जुलाई-2011	2,09,257	25/08/2011	02/09/2011	20,926
			अगस्त-2011	2,90,176	25/09/2011	29/09/2011	29,018
			सितम्बर-2011	2,57,095	25/10/2011	03/12/2011	25,709
			अक्टूबर-2011	3,16,033	25/11/2011	30/11/2011	31,603
			नवम्बर-2011	7,44,958	25/12/2011	04/01/2012	74,496
			फरवरी-2012	5,65,360	25/03/2012	29/03/2012	56,536
			मार्च-2012	3,02,446	25/04/2012	28/04/2012	30,245
योग (4)						4,04,905	
महा योग (1+2+3+4)							₹ 15,95,768

परिशिष्ट-2.7.1 अ
(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.1; पृष्ठ 107)

देशी मदिरा की अधिक तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटि का आरोपण न किया जाना

आसवनी का नाम	वर्ष	भराई (बी एल में)	मदिरा पर अदा नहीं की गई ड्यूटि (ए एल में)	36% वी/वी के रूप में (बी एल में)	36% वी / वी की दर (₹ में)	न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क (₹ में)
बाजपुर आसवनी, बाजपुर, उधम सिंह नगर	2014-15	91,94,500.80	9,194.50	25,540.28	140	35,75,639.20
	2015-16	70,77,124.80	7,077.12	19,658.68	170	33,41,975.60
	2016-17	65,53,065.60	6,553.07	18,202.96	200	36,40,592.00
योग (अ)		2,28,24,691.20	22,824.6912	63,401.92		1,05,58,206.80
आई ज़ी एल काशीपुर, उधमसिंह नगर	2014-15	99,10,997.28	9,911.00	27,530.55	140	38,54,276.72
	2015-16	1,08,42,941.88	10,842.94	30,119.28	170	51,20,278.11
	2016-17	64,05,463.80	6,405.46	17,792.96	200	35,58,591.00
योग (ब)		2,71,59,402.96	27,159.40296	75,442.786		1,25,33,145.83
योग (अ + ब)		4,99,84,094.16	49,984.0942	1,38,844.706		2,30,91,352.63 अर्थात् ₹ 2.31 करोड़

परिशिष्ट 2.7.1 ब
(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.1; पृष्ठ 107)

विदेशी मदिरा की अधिक तीव्रता पर आबकारी शुल्क का आरोपण न किया जाना

आसवनी का नाम	वर्ष	भराई (बी एल में)	मदिरा पर अदा नहीं की गई ड्यूटि (ए एल में)	शुल्क की दर (₹ में)	आबकारी शुल्क (₹ में)
आई ज़ी एल काशीपुर, उधमसिंह नगर	2014-15	27,09,492.12	2,709.49212	110	2,98,044.1332
	2015-16	43,29,415.80	4,329.4158	135	5,84,471.133
	2016-17	40,58,730.36	4,058.73036	155	6,29,103.2058
योग		1,10,97,638.28			15,11,618.472 अर्थात् ₹ 0.15 करोड़

परिशिष्ट-2.7.2 अ

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.2, तालिका 2.7.1, क्रम संख्या 1; पृष्ठ 108)

किण्वन दक्षता प्राप्त न करना

क्रम सं.	आसवनी का नाम	वर्ष	ओ टी नम्बर	प्रयुक्त शीरा (कुंतल में)	रिपोर्ट के अनुसार कि श का प्रतिशत	शीरे में मौजूद कि श (कुंतल में)	मानदंडों के अनुसार उत्पादित अल्कोहल (64.4 ए एल प्रति कुंतल कि श से) (ए एल में)	84% कि श बनाए रखते हुए अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए था (ए एल में)	वॉश में वास्तविक अल्कोहल (ए एल में)	अंतर (ए एल में)	ड्यूटी की दर (₹ में)	सम्मिलित शुल्क (₹ में)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आई जी एल काशीपुर (बैच प्लांट)	2014-15	60, 61, 62	24,677	44.47	10,973.86	7,06,716.71	5,93,642.03	5,90,295.30	3,346.73	110	3,68,141
2.		2014-15	77, 78, 79	21,972	44.49	9,775.34	6,29,532.08	5,28,806.94	5,28,547.70	259.24	110	28,517
3.		2014-15	92, 93	15,560	44.37	6,903.97	4,44,615.80	3,73,477.27	3,73,210.20	267.07	110	29,378
4.		2014-15	95, 96, 97	24,776	44.48	11,020.36	7,09,711.49	5,96,157.65	5,96,031.10	126.55	110	13,921
5.		2014-15	122, 123, 124	24,851	44.49	11,056.21	7,12,019.92	5,98,096.73	5,94,167.10	3,929.63	110	4,32,259
6.		2014-15	125, 126, 127	24,839	44.41	11,031.00	7,10,396.39	5,96,732.97	5,90,242.70	6,490.27	110	7,13,930
7.		2014-15	137, 138, 139	23,932	42.79	10,240.50	6,59,488.38	5,53,970.24	5,50,135.60	3,834.64	110	4,21,810
8.		2014-15	140	1,850	42.68	789.58	50,848.95	42,713.12	42,204.60	508.52	110	55,937
9.		2014-15	143, 144, 145	22,981	41.69	9,580.78	6,17,002.16	5,18,281.82	5,13,872.30	4,409.52	110	4,85,047
10.		2014-15	146, 147, 148	21,997	42.63	9,377.32	6,03,899.48	5,07,275.56	4,99,645.40	7,630.16	110	8,39,318
11.		2014-15	149, 150, 151	24,773	42.61	10,555.78	6,79,791.93	5,71,025.22	5,64,701.80	6,323.42	110	6,95,576
12.		2014-15	165, 166	13,680	40.23	5,503.46	3,54,423.08	2,97,715.39	2,93,822.40	3,892.99	110	4,28,229
13.		2016-17	20, 30, 40	25,040	41.49	10,389.10	6,69,057.78	5,62,008.54	5,61,067.60	940.94	155	1,45,845
14.		2016-17	33	6,739	41.27	2,781.19	1,79,108.33	1,50,451.00	1,49,227.80	1,223.20	155	1,89,596
15.		2016-17	36, 37, 38	25,963	41.43	10,756.47	6,92,716.73	5,81,882.05	5,74,868.40	7,013.65	155	10,87,116
16.		2016-17	45, 46, 47	20,205	40.95	8,273.95	5,32,842.22	4,47,587.46	4,43,938.90	3,648.56	155	5,65,527
17.		2016-17	48, 49, 50	26,149	40.97	10,713.25	6,89,933.00	5,79,543.72	5,70,451.10	9,092.62	155	14,09,356
18.		2016-17	51, 52, 53	22,117	41.03	9,074.61	5,84,404.57	4,90,899.84	4,89,307.50	1,592.34	155	2,46,812
19.		2016-17	55, 56, 57	24,091	40.09	9,658.08	6,21,980.47	5,22,463.60	5,17,897.30	4,566.30	155	7,07,776
20.		2016-17	58, 59, 60	26,142	40.03	10,464.64	6,73,922.98	5,66,095.31	5,59,529.90	6,565.41	155	10,17,638
21.		2016-17	61, 62, 63	26,154	39.91	10,438.06	6,72,211.15	5,64,657.37	5,58,166.50	6,490.87	155	10,06,085
22.		2016-17	64, 65, 66	24,129	39.89	9,625.06	6,19,853.74	5,20,677.14	5,12,954.90	7,722.24	155	11,96,948
23.		2016-17	105, 106, 107	25,032	43.11	10,791.30	6,94,959.41	5,83,765.91	5,76,540.90	7,225.01	155	11,19,876
24.		2016-17	110, 111, 112	16,340	43.15	7,050.71	4,54,065.72	3,81,415.21	3,80,595.60	819.61	155	1,27,039
25.		2016-17	113, 114	9,660	43.29	4,181.81	2,69,308.82	2,26,219.41	2,23,069.90	3,149.51	155	4,88,174
26.		2016-17	115	8,160	43.11	3,517.78	2,26,544.77	1,90,297.61	1,88,714.20	1,583.41	155	2,45,429
27.		2016-17	116, 117, 118	14,403	43.17	6,217.78	4,00,424.72	3,36,356.76	3,31,945.10	4,411.66	155	6,83,808

28.	आई जी एल काशीपुर, (ई एन ए प्लांट)	2014-15	91	8,825	43.49	3,837.99	2,47,166.72	2,07,620.04	2,04,662.00	2,958.04	110	3,25,385	
29.		2014-15	92	8,200	43.53	3,569.46	2,29,873.22	1,93,093.51	1,90,209.10	2,884.41	110	3,17,285	
30.		2014-15	113, 114	13,840	43.93	6,079.91	3,91,546.33	3,28,898.92	3,28,101.80	797.12	110	87,683	
31.		2016-17	67	1,325	39.89	528.54	34,038.14	28,592.04	28,553.90	38.14	155	5,911	
32.		2016-17	91, 92	14,614	42.97	6,279.64	4,04,408.55	3,39,703.18	3,37,506.60	2,196.58	155	3,40,470	
33.		2016-17	100	8,040	42.97	3,454.79	2,22,488.35	1,86,890.21	1,83,949.10	2,941.11	155	4,55,872	
34.		2016-17	101, 102, 103	19,938	43.39	8,651.10	5,57,130.72	4,67,989.81	4,61,668.10	6,321.71	155	9,79,865	
35.		2016-17	119, 120, 121	18,613	43.07	8,016.62	5,16,270.27	4,33,667.03	4,30,761.70	2,905.33	155	4,50,326	
36.	2016-17	122, 123, 124	16,938	43.15	7,308.75	4,70,683.31	3,95,373.98	3,94,651.30	722.68	155	1,12,015		
37.	आई जी एल काशीपुर, (पराज / कंटिन्युस प्लांट)	2014-15	61, 62, 63	24,717	44.48	10,994.12	7,08,021.43	5,94,738.00	5,92,549.60	2,188.40	110	2,40,724	
38.		2014-15	64, 65, 66	24,711	44.47	10,988.98	7,07,690.42	5,94,459.95	5,90,711.60	3,748.35	110	4,12,319	
39.		2014-15	76	8,226	44.47	3,658.10	2,35,581.78	1,97,888.70	1,96,465.60	1,423.10	110	1,56,541	
40.		2014-15	77, 78, 79	23,812	44.51	10,598.72	6,82,557.65	5,73,348.42	5,72,418.40	930.02	110	1,02,302	
41.		2014-15	92, 93, 94	20,205	42.77	8,641.68	56,524.10	4,67,480.24	4,60,962.80	6,517.44	110	7,16,918	
42.		2014-15	99, 100, 101	16,503	40.29	6,649.06	4,28,199.38	3,59,687.48	3,57,085.60	2,601.88	110	2,86,207	
43.		2015-16	50, 51	13,551	41.23	5,587.08	3,59,807.78	3,02,238.53	3,02,059.10	179.43	135	24,224	
44.		2015-16	76, 77	6,724	42.11	2,831.48	1,82,347.08	1,53,171.55	1,52,767.60	403.95	135	54,533	
45.		2016-17	08, 09	15,430	41.65	6,426.60	4,13,872.72	3,47,653.08	3,45,978.00	1,675.08	155	2,59,638	
46.		2016-17	10, 11, 12	24,212	41.11	9,953.55	6,41,008.83	5,38,447.41	5,35,386.90	3,060.51	155	4,74,380	
47.		2016-17	18, 19, 20	24,042	41.39	9,950.98	6,40,843.36	5,38,308.42	5,32,455.40	5,853.02	155	9,07,218	
48.		2016-17	27, 28, 29	13,566	40.97	5,557.99	3,57,934.57	3,00,665.04	2,97,400.00	3,265.04	155	5,06,081	
49.		2016-17	39, 40, 41	21,234	39.99	8,491.48	5,46,851.09	4,59,354.92	4,57,725.30	1,629.62	155	2,52,591	
50.		2016-17	42, 43, 44	20,334	39.85	8,103.10	5,21,839.58	4,38,345.24	4,36,812.70	1,532.54	155	2,37,544	
51.		2016-17	61, 62, 63	18,076	43.01	7,774.49	5,00,677.00	4,20,568.68	4,18,652.90	1,915.78	155	2,96,946	
52.	2016-17	70, 71, 72	21,181	43.25	9,160.78	5,89,954.39	4,95,561.69	4,93,055.60	2,506.09	155	3,88,444		
53.	आई जी एल, पराज/ कंटिन्युस (बकाई)	2014-15	03, 04, 05	2,283	44.55	1,017.08	65,499.73	55,019.77	54,476.70	543.07	110	59,738	
54.		2016-17	01, 02, 03	2,984	41.39	1,235.08	79,539.00	66,812.76	66,733.60	79.16	155	12,269	
55.		2016-17	31, 32, 33	2,880	43.09	1,240.99	79,919.88	67,132.70	66,382.90	749.80	155	1,16,220	
योग (राउन्डेड ऑफ) - अ				9,61,216	2,333	4,07,330	2,62,32,056	2,20,34,927	2,18,65,296	1,69,631	7,495	2,33,28,734	
56.	आर बी एन एस शुगर मिल लिमिटेड, आसवनी डिविजन, लक्सर, हरिद्वार	2015-16	77, 78, 79	19,200	42.91	8,238.72	5,30,573.57	4,45,681.80	4,45,180.80	501.00	135	67,635	
57.		2016-17	44, 45, 46	12,885	43.71	5,632.03	3,62,702.96	3,04,670.48	3,03,012.40	1,658.08	155	2,57,003	
58.		2016-17	47, 48, 49	16,800	43.77	7,353.36	4,73,556.38	3,97,787.36	3,97,361.70	425.66	155	65,978	
योग (राउन्डेड ऑफ) - ब				48,885	130	21,224	13,66,833	11,48,140	11,45,555	2,585	445	3,90,615	
59.	दून वैली आसवनी, कुआँवाला, देहरादून	2014-15	22, 23, 24	4,128	37.23	1,536.85	98,973.42	83,137.68	82,394.56	743.12	110	8,1743	
60.		2014-15	73, 74, 75	4,238	37.79	1,601.54	1,03,139.19	86,636.92	83,918.03	2,718.89	110	2,99,078	
61.		2015-16	25, 26, 27	3,957	39.45	1,561.04	1,00,530.75	84,445.83	84,411.38	34.45	135	4,651	
62.		2016-17	25, 26, 27	4,324	41.11	1,777.60	1,14,477.21	96,160.85	96,067.91	92.94	155	14,406	
63.		2016-17	22, 23, 24	3,780	38.71	1,463.24	94,232.53	79,155.32	79,141.64	13.68	155	2,121	
योग (राउन्डेड ऑफ) - स				20,427	194	7,940	5,11,353	4,29,537	4,25,934	3,603	665	4,01,999	
कुल योग (अ + ब + स)							2,81,10,242	2,36,12,603	2,34,36,784	1,75,819		2,41,21,348	अर्थात् ₹ 2.41 करोड़

परिशिष्ट-2.7.2 ब

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.2, तालिका 2.7.1, क्रम संख्या 2; पृष्ठ 109)

न्यूनतम आसवन दक्षता (डी ई) प्राप्त न करना

आसवनी का नाम	अवधि	वॉश में मौजूद अल्कोहल (ए एल में)	97% आसवन दक्षता रखते हुए अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए था (ए एल में)	वास्तविक उत्पादित अल्कोहल (ए एल में)	अंतर (ए एल में)	आबकारी शुल्क की दर (₹ प्रति ए एल)	शामिल आबकारी शुल्क
आर बी एन एस शुगर मिल, डिस्टिलरी डिविजन, लक्सर	15.04.2015 से 17.04.2015	1,62,339.00	1,57,468.83	1,51,699.50	5,769.33	135	7,78,860
	04.06.2015 से 05.06.2015	1,06,525.30	1,03,329.54	1,01,349.40	1,980.14	135	2,67,319
दून वैली डिस्टिलरी, कुआँवाला, देहरादून	18.04.2014 से 20.04.2014	30,154.10	29,249.48	29,234.40	15.08	110	1,658
	30.05.2015 से 02.06.2015	22,273.85	21,605.63	20,625.10	980.53	135	1,32,372
	12.10.2015 से 15.10.2015	31,279.75	30,341.36	28,410.00	1,931.36	135	2,60,733
	21.12.2015 से 23.12.2015	32,104.25	31,141.12	31,097.60	43.52	135	5,876
	19.06.2016 से 17.06.2016	26,319.93	25,530.33	24,791.20	739.13	155	1,14,565
योग		4,10,996.18	3,98,666.29	3,87,207.20	11,459.09		15,61,383 अर्थात् ₹ 0.16 करोड़

परिशिष्ट-2.7.2 स

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.2, तालिका 2.7.1, क्रम संख्या 3; पृष्ठ 109)

टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी आर एस) की पारगमन के दौरान हानि

आसवनी का नाम	वर्ष	प्राप्त शीरा (कुंतल में)	टी आर एस का विवरण (% में)			टी आर एस के कुंतल में अंतर	कि श की मात्रा (टी आर एस का 88%) (कुंतल में)	उत्पादित अल्कोहल की मात्रा (52.5 ए एल कि श के प्रति कुंतल से)	आबकारी शुल्क की दर (₹ / ए एल)	सम्मिलित ड्यूटी (₹ में)
			प्रेषित	प्राप्त	अंतर					
आर बी एन एस शुगर मिल, आसवनी डिवीजन, लक्सर, हरिद्वार	2014-15	336.95	46.27	46.23	0.04	0.13478	0.1186064	6.226836	110	685
	2014-15	340.40	46.23	46.10	0.13	0.44252	0.3894176	20.444424	110	2,249
	2014-15	345.80	46.23	46.10	0.13	0.44954	0.3955952	20.768748	110	2,285
	2014-15	355.60	46.23	46.10	0.13	0.46228	0.4068064	21.357336	110	2,349
	2014-15	351.60	46.23	46.10	0.13	0.45708	0.4022304	21.117096	110	2,323
	2014-15	336.75	46.23	46.10	0.13	0.437775	0.385242	20.225205	110	2,225
	2014-15	348.20	46.23	46.10	0.13	0.45266	0.3983408	20.912892	110	2,300
	2014-15	350.00	46.23	46.10	0.13	0.455	0.4004	21.021	110	2,312
	2014-15	352.20	46.23	46.10	0.13	0.45786	0.4029168	21.153132	110	2,327
	2014-15	334.50	46.23	46.10	0.13	0.43485	0.382668	20.09007	110	2,210
	2014-15	349.00	46.23	46.10	0.13	0.4537	0.399256	20.96094	110	2,306
	2014-15	334.70	46.23	46.10	0.13	0.43511	0.3828968	20.102082	110	2,211
	2015-16	6,265.00	47.20	47.00	0.20	12.53	11.0264	578.886	135	78,150
	2016-17	3,325.00	46.92	46.20	0.72	23.94	21.0672	1,106.028	155	1,71,434
2016-17	5,530.00	46.90	46.20	0.70	38.71	34.0648	1,788.402	155	2,77,202	
योग (अ)		19,255.70				80.253155		3,707.695761		5,52,568
बाजपुर आसवनी, बाजपुर, उधम सिंह नगर	2015-16	941.85	45.56	45.5	0.06	0.56511	0.4972968	26.108082	135	3,525
योग (ब)		941.85	45.56	45.5	0.06	0.56511	0.4972968	26.108082	135	3,525
महायोग (अ + ब)		20,197.55				80.818265	71.120073	3,733.8038		5,56,093 अर्थात् ₹ 5.56 लाख

परिशिष्ट-2.7.2 द

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.2.2, तालिका 2.7.1, क्रम संख्या 3; पृष्ठ 109)

शीरे की पारगमन में हानि

आसवनी का नाम	वर्ष	टी आर एस (%)	शीरे का विवरण (कुंतल में)			टी आर एस के कुतल में अंतर	कि श की मात्रा (टी आर एस का 88% कुतल में)	उत्पादित अल्कोहल की मात्रा (52.5 ए एल प्रति कुतल कि श में)	आबकारी शुल्क की दर (₹ प्रति ए एल)	अंतर्निहित ड्यूटी (₹ में)
			प्रेषित	प्राप्त	अंतर					
आर बी एन एस शुगर मिल, आसवनी डिविजन, लक्सर, हरिद्वार	2016-17	47.2	3,255	3,225	30	14.16	12.4608	654.19	135	88,316 अर्थात् ₹ 0.88 लाख
कुल (परिशिष्ट स+द)										₹ 6.44 लाख (अर्थात् ₹ 0.06 करोड़)

परिशिष्ट-2.7.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.3.1; पृष्ठ 113)

वर्षा काल के दौरान अनाधिकृत उत्पादन

क्रम सं.	आसवानी का नाम	वर्ष	अवधि	आउट टर्न नंबर	उत्पादन (ए एल में)	आबकारी इयूटि/ ए एल	अर्थदंड की दर/ ए एल (आबकारी इयूटि का 10 गुना)	अर्थदंड (₹ में)	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के धारा 15 के जुर्माना	कुल दंड जुर्माने सहित (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (कॉल 7*10)	9 (कॉल 6*कॉल 8)	10	11 (कॉल 9+ कॉल 10)
1.	आर बी एन एस शुगर मिल लिमिटेड, आसवनी डिविजन, लक्सर, हरिद्वार	2015-16	12.09.15 से 16.09.15	37	1,49,887.10	135.00	1,350	20,23,47,585.00	1,00,000	20,24,47,585.00
2.		2016-17	30-08-16 से 01-09-16	27	1,00,964.00	155.00	1,550	15,64,94,200.00	1,00,000	15,65,94,200.00
3.			01-09-16 से 04-09-16	28	1,91,777.10	155.00	1,550	29,72,54,505.00	1,00,000	29,73,54,505.00
4.			05-09-16 से 06-09-16	29	64,110.30	155.00	1,550	9,93,70,965.00	1,00,000	9,94,70,965.00
5.			07-09-16 से 09-09-16	30	81,691.00	155.00	1,550	12,66,21,050.00	1,00,000	12,67,21,050.00
6.			10-09-16 से 12-09-16	31	80,171.80	155.00	1,550	12,42,66,290.00	1,00,000	12,43,66,290.00
7.			14-09-16 से 15-09-16	32	58,777.00	155.00	1,550	9,11,04,350.00	1,00,000	91,2,04,350.00
8.			17-09-16 से 18-09-16	33	60,500.70	155.00	1,550	9,37,76,085.00	1,00,000	9,38,76,085.00
9.			20-09-16 से 21-09-16	34	59,919.20	155.00	1,550	9,28,74,760.00	1,00,000	9,29,74,760.00
10.			26-09-16 से 27-09-16	35	58,777.00	155.00	1,550	9,11,04,350.00	1,00,000	9,12,04,350.00
योग (अ)					9,06,575.20			1,37,52,14,140.00	10,00,000	1,37,62,14,140.00
11.	दूल वैली आसवनी, कुआँवाला, देहरादून	2016-17	03-07-16 से 06-07-16	23	26,015.60	155.00	1,550	4,03,24,180.00	1,00,000	4,04,24,180.00
12.			07-07-16 से 09-07-16	24	22,338.30	155.00	1,550	3,46,24,365.00	1,00,000	3,47,24,365.00
योग (ब)					48,353.90			7,49,48,545.00	2,00,000	7,51,48,545.00
13.	बाजपुर आसवनी बाजपुर, उधम सिंह नगर	2014-15	25-09-14 से 01-10-14	9	82,960.20	110.00	1,100	9,12,56,220.00	1,00,000	9,13,56,220.00
14.		2015-16	12-08-15 से 19-08-15	14	66,968.60	135.00	1,350	9,04,07,610.00	1,00,000	9,05,07,610.00
15.			20-08-15 से 22-08-15	15	58,204.60	135.00	1,350	7,85,76,210.00	1,00,000	7,86,76,210.00
16.			22-08-15 से 25-08-15	16	65,994.10	135.00	1,350	8,90,92,035.00	1,00,000	8,91,92,035.00
17.			25-08-15 से 28-08-15	17	52,224.50	135.00	1,350	7,05,03,075.00	1,00,000	7,06,03,075.00
18.			29-08-15 से 31-08-15	18	55,616.10	135.00	1,350	7,50,81,735.00	1,00,000	7,51,81,735.00
19.			01-09-15 से 06-09-15	19	71,232.90	135.00	1,350	9,61,64,415.00	1,00,000	9,62,64,415.00
20.			06-09-15 से 08-09-15	20	61,495.10	135.00	1,350	8,30,18,385.00	1,00,000	8,31,18,385.00
21.			09-09-15 से 11-09-15	21	66,214.80	135.00	1,350	8,93,89,980.00	1,00,000	8,94,89,980.00
22.			12-09-15 से 13-09-15	22	40,375.00	135.00	1,350	5,45,06,250.00	1,00,000	5,46,06,250.00
23.			2016-17	01-07-16 से 05-07-16	2	77,222.50	155.00	1,550	11,96,94,875.00	1,00,000
24.		05-07-16 से 07-07-16		3	63,902.90	155.00	1,550	9,90,49,495.00	1,00,000	9,91,49,495.00
25.		08-07-16 से 11-07-16		4	59,023.70	155.00	1,550	9,14,86,735.00	1,00,000	9,15,86,735.00
योग (स)					8,21,435.00			1,12,82,27,020.00	13,00,000	1,12,95,27,020.00
महायोग (अ+ब+स)					17,76,364.10			2,57,83,89,705.00	25,00,000	2,58,08,89,705.00 (अर्थात् ₹ 258.09 करोड़)

परिशिष्ट-2.7.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7.3.2., पृष्ठ 114)

प्रतिदिन उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन

क्रम सं.	आसवनी का नाम और प्रतिदिन उत्पादन क्षमता (बी एल)	उत्पादन की अवधि	दिन	उत्पादन (बी एल में)	प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन होना चाहिए था	अधिक उत्पादन (बी एल में)	औसत तीव्रता (% में)	अधिक उत्पादन (ए एल में)	दंड की दर/ ए एल @ आबकारी शुल्क का 10 गुना	अर्थदंड (₹ में)	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत जुर्माना
1.	आर बी एन एस शुगर मिल लिमिटेड, आसवनी डिविजन, लक्सर, हरिद्वार 60,000	14.05.14/0700 से 16.05.14/1200	3	1,85,008.35	1,80,000	5,008.35	94.36	4,725.88	1,100	51,98,466.97	1,00,000
2.		02.03.16/1545 से 05.03.16/0315	3	1,92,319.70	1,80,000	12,319.70	99.80	12,295.06	1,350	1,65,98,331.81	1,00,000
3.		30.04.16/1545 से 02.05.16/1515	2	1,40,973.70	1,20,000	20,973.70	99.80	20,931.75	1,550	3,24,44,216.53	1,00,000
4.		03.05.16/0330 से 05.05.16/1415	3	1,84,136.90	1,80,000	4,136.90	99.80	4,128.63	1,550	63,99,370.61	1,00,000
5.		06.05.16/0200 से 08.05.16/1300	3	1,84,135.90	1,80,000	4,135.90	99.80	4,127.63	1,550	63,97,823.71	1,00,000
6.		09.05.16/0100 से 11.05.16/1145	3	1,83,933.90	1,80,000	3,933.90	99.80	3,926.03	1,550	60,85,349.91	1,00,000
7.		11.05.16/2330 से 13.05.16/1130	2	1,28,385.00	1,20,000	8,385.00	99.80	8,368.23	1,550	12,97,075.50	1,00,000
8.		22.05.16/1200 से 24.05.16/2300	3	1,84,136.10	1,80,000	4,136.10	99.80	4,127.83	1,550	63,98,133.09	1,00,000
9.		25.05.16/1100 से 27.05.16/0800	2	1,53,341.60	1,20,000	33,341.60	99.80	3,327.92	1,550	5,15,76,121.04	1,00,000
10.		27.05.16/1900 से 28.05.16/0630	1	63,297.00	60,000	3,297.00	99.80	3,290.41	1,550	51,00,129.30	1,00,000
11.		05.12.16/1230 से 07.12.16/1345	2	1,43,131.30	1,20,000	23,131.30	96.73	22,374.91	1,550	3,46,81,105.06	1,00,000
12.		25.01.17/1545 से 27.01.17/1245	2	1,26,036.40	1,20,000	6,036.40	98.27	5,931.97	1,550	91,94,553.93	1,00,000
13.		28.01.17/0200 से 29.01.17/1730	2	1,28,447.40	1,20,000	8,447.40	97.50	8,236.21	1,550	1,27,66,133.25	1,00,000
14.		30.01.17/0800 से 30.01.17/2200	1	64,077.70	60,000	4,077.70	95.20	3,881.97	1,550	60,17,054.12	1,00,000
15.		02.02.17/0600 से 03.02.17/2230	2	1,28,451.20	1,20,000	8,451.20	97.50	8,239.92	1,550	1,27,71,876.00	1,00,000
16.		04.02.17/1100 से 06.02.17/0045	2	1,28,589.20	1,20,000	8,589.20	97.50	8,374.47	1,550	1,29,80,428.50	1,00,000
17.		06.02.17/1215 से 08.02.17/2330	3	1,84,770.00	1,80,000	4,770.00	98.27	4,687.48	1,550	72,65,592.45	1,00,000
18.		09.02.17/1130 से 11.02.17/2145	3	1,87,746.60	1,80,000	7,746.60	96.73	7,493.29	1,550	1,16,14,593.58	1,00,000
19.		12.02.17/1100 से 14.02.17/2215	3	1,88,070.30	1,80,000	8,070.30	96.73	7,806.40	1,550	1,20,99,921.84	1,00,000
20.		15.02.17/0930 से 17.02.17/1645	3	1,87,254.80	1,80,000	7,254.80	97.50	7,073.43	1,550	1,09,63,816.50	1,00,000
21.		18.02.17/0330 से 20.02.17/1415	3	1,88,062.40	1,80,000	8,062.40	96.73	7,798.76	1,550	1,20,88,077.26	1,00,000
22.		21.02.17/0200 से 23.02.17/1230	3	1,88,102.00	1,80,000	8,102.00	96.73	7,837.06	1,550	1,21,47,450.13	1,00,000
23.		23.02.17/2345 से 25.02.17/1000	2	1,21,715.10	1,20,000	1,715.10	99.80	1,711.67	1,550	26,53,088.19	1,00,000
24.		28.02.17/1015 से 02.03.17/2215	3	1,81,485.60	1,80,000	1,485.60	96.73	1,437.02	1,550	22,27,382.36	1,00,000
25.		03.03.17/1000 से 05.03.17/2045	3	1,82,709.50	1,80,000	2,709.50	96.73	2,620.90	1,550	40,62,393.99	1,00,000
26.		06.03.17/0800 से 08.03.17/0400	2	1,53,219.80	1,20,000	33,219.80	97.50	32,389.31	1,550	5,02,03,422.75	1,00,000
27.		30.03.17/0330 से 31.03.17/0315	1	92,831.10	60,000	32,831.10	95.20	31,255.21	1,550	4,84,45,571.16	1,00,000
योग (अ)						2,74,368.55		2,68,346.35		41,13,51,160.55 (₹ 41.14 करोड़)	27,00,000

क्रम सं.	आसवनी का नाम और प्रतिदिन उत्पादन क्षमता (बी एल)	उत्पादन की अवधि	दिन	उत्पादन (बी एल में)	प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन होना चाहिए था	अधिक उत्पादन (बी एल में)	औसत तीव्रता (% में)	अधिक उत्पादन (ए एल में)	दंड की दर/ ए एल @ आबकारी शुल्क का 10 गुना	अर्थदंड (₹ में)	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत जुर्माना
28.	बाजपुर आसवनी, बाजपुर, उधम सिंह नगर 20,000	27.03.14/12.30 पी एम से 29.03.14/7.40 पी एम	3	73,862.60	60,000	13,862.60	93.93	13,021.14	1,100	1,43,23,254.20	1,00,000
29.		30.03.2014/3.15 ए एम से 01.04.2014/10.00 ए एम	3	73,580.30	60,000	13,580.30	94.27	12,802.15	1,100	1,40,82,363.69	1,00,000
30.		01.04.2014/3.35 पी एम से 04.04.2014/10.00 ए एम	3	74,938.50	60,000	14,938.50	93.97	14,037.71	1,100	1,54,41,479.30	1,00,000
31.		08.04.14/5.45 ए एम से 10.04.14/2.45 पी एम	3	72,796.20	60,000	12,796.20	97.90	12,527.48	1,100	1,37,80,227.78	1,00,000
32.		10.04.14/11 पी एम से 13.04.2014/12.25 ए एम	3	65,779.80	60,000	5,779.80	97.90	5,658.42	1,100	62,24,266.62	1,00,000
33.		18.04.2014/3.10 ए एम से 20.04.2014/11.30 ए एम	3	60,196.80	60,000	196.80	98.30	193.45	1,100	2,12,799.84	1,00,000
34.		24.10.2014/11 ए एम से 26.10.2014/3.15 पी एम	3	62,567.60	60,000	2,567.60	94.40	2,423.81	1,100	26,66,195.84	1,00,000
35.		09.11.2014/9.25 ए एम से 12.11.2014/4.10 ए एम	3	61,016.70	60,000	1,016.70	94.93	965.15	1,100	10,61,668.64	1,00,000
36.		20.12.2014/11 ए एम से 24.12.2014/2.05 ए एम	4	81,367.00	80,000	1,367.00	95.90	1,310.95	1,100	14,42,048.30	1,00,000
37.		26.01.2015/11.50 ए एम से 30.01.2015/9.00 ए एम	4	89,126.00	80,000	9,126.00	95.40	8,706.20	1,100	95,76,824.40	1,00,000
38.		07.02.2015/9.00 ए एम से 10.02.2015/11.30 पी एम	4	84,307.30	80,000	4,307.30	94.17	4,056.18	1,100	44,61,802.85	1,00,000
39.		14.02.2015/8.00 पी एम से 18.02.2015/9.20 ए एम	4	84,080.00	80,000	4,080.00	94.03	3,836.42	1,100	42,20,066.40	1,00,000
40.		16.05.2015/3.00 पी एम से 18.05.2015/3.50 पी एम	3	63,056.40	60,000	3,056.40	98.97	3,024.92	1,350	40,83,640.76	1,00,000
41.		04.06.2015/4.00 पी एम से 07.06.2015/6.10 ए एम	3	66,840.20	60,000	6,840.20	94.20	6,443.47	1,350	86,98,682.34	1,00,000
42.		30.09.2015/2.00 पी एम से 02.10.2015/8.10 पी एम	3	65,995.70	60,000	5,995.70	94.33	5,655.74	1,350	76,35,254.14	1,00,000
43.		03.10.2015/4.00 ए एम से 05.10.2015/अंत का दिन	3	76,284.40	60,000	16,284.40	94.40	1,5372.47	1,350	2,07,52,839.36	1,00,000
44.		6.10.2015/शुष्मात का दिन से 8.10.2015/अंत का दिन	3	61,106.00	60,000	1,106.00	94.27	1,042.63	1,350	14,07,545.37	1,00,000
45.		6.11.2015/शुष्मात का दिन से 8.11.2015/अंत का दिन	3	64,439.50	60,000	4,439.50	94.70	4,204.21	1,350	56,75,678.78	1,00,000
46.		8.11.2015/शुष्मात का दिन से 10.11.2015/अंत का दिन	3	60,267.80	60,000	267.80	94.77	253.79	1,350	3,42,621.98	1,00,000
47.		23.11.2015/शुष्मात का दिन से 25.11.2015/अंत का दिन	3	66,687.00	60,000	6,687.00	94.73	6,334.60	1,350	85,51,703.39	1,00,000
48.		16.12.2015/शुष्मात का दिन से 18.12.2015/अंत का दिन	3	67,468.00	60,000	7,468.00	94.97	7,092.36	1,350	95,74,685.46	1,00,000
49.		27.12.2015/शुष्मात का दिन से 29.12.2015/अंत का दिन	3	64,620.40	60,000	4,620.40	95.50	4,412.48	1,350	59,56,850.70	1,00,000
50.		30.12.2015/शुष्मात का दिन से 01.01.2016/अंत का दिन	3	66,676.80	60,000	6,676.80	95.20	6,356.31	1,350	85,81,023.36	1,00,000
51.		17.02.2016/शुष्मात का दिन से 19.02.2016/अंत का दिन	3	70,368.00	60,000	10,368.00	94.80	9,828.86	1,350	1,32,68,966.40	1,00,000
52.		05.03.2016/शुष्मात का दिन से 07.03.2016/अंत का दिन	3	65,400.00	60,000	5,400.00	94.63	5,110.02	1,550	79,20,531.00	1,00,000
53.		14.03.2016/शुष्मात का दिन से 16.03.2016/अंत का दिन	3	65,720.70	60,000	5,720.70	94.20	5,388.90	1,550	83,52,794.07	1,00,000
54.		17.03.2016/शुष्मात का दिन से 19.03.2016/अंत का दिन	3	72,835.10	60,000	12,835.10	93.87	12,048.31	1,550	1,86,74,877.97	1,00,000
55.		28.03.2016/शुष्मात का दिन से 30.03.2016/अंत का दिन	3	67,162.30	60,000	7,162.30	94.23	6,749.04	1,550	1,04,61,004.70	1,00,000
56.		29.06.2016/10.00 ए एम से 02.07.2016/07.35 ए एम	3	69,284.50	60,000	9,284.50	93.83	8,711.65	1,550	1,35,03,051.84	1,00,000
57.		22.10.2016/3.10 ए एम से 24.10.2016/10.45 पी एम	3	78,149.50	60,000	18,149.50	94.40	17,133.13	1,550	2,65,56,348.40	1,00,000
58.		28.10.2016/8.45 ए एम से 30.10.2016/11.45 ए एम	3	68,463.50	60,000	8,463.50	94.77	8,020.86	1,550	1,24,32,331.37	1,00,000
59.		31.10.2016/7.40 ए एम से 03.11.2016/2.15 ए एम	3	69,380.60	60,000	9,380.60	94.70	8,883.43	1,550	1,37,69,313.71	1,00,000
60.		03.11.2016/10.15 ए एम से 06.11.2016/4.30 ए एम	3	78,466.00	60,000	18,466.00	94.77	17,500.23	1,550	2,71,25,353.71	1,00,000

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र)

61.		06.11.2016/1235 पी एम से 08.11.2016/12 की सुब्ह	2	63,281.00	40,000	23,281.00	95.70	22,279.92	1,550	3,45,33,871.35	1,00,000
62.		09.11.2016/9.00 ए एम से 11.11.2016/5.30 पी एम	3	68,671.10	60,000	8,671.10	94.93	8,231.48	1,550	1,27,58,786.61	1,00,000
63.		17.11.2016/3.00 पी एम से 18.11.2016/11.00 पी एम	2	53,882.50	40,000	13,882.50	95.73	13,289.72	1,550	2,05,99,061.74	1,00,000
64.		16.12.2016/4.00 ए एम से 18.12.2016/10.20 पी एम	3	67,882.30	60,000	7,882.30	95.45	7,523.66	1,550	1,16,61,665.79	1,00,000
65.		19.12.2016/7.00 ए एम से 21.12.2016/4.20 पी एम	3	66,703.60	60,000	6,703.60	95.70	6,415.35	1,550	99,43,785.06	1,00,000
66.		31.12.2016/8.45 पी एम से 03.01.2017/6.35 ए एम	3	76,313.70	60,000	16,313.70	95.57	15,591.00	1,550	2,41,66,054.79	1,00,000
67.		03.01.2017/3.15 पी एम से 06.01.2017/4.20 ए एम	3	64,336.00	60,000	4,336.00	95.50	4,140.88	1,550	64,18,364.00	1,00,000
68.		11.01.2017/6.50 ए एम से 13.01.2017/8.00 पी एम	3	71,758.90	60,000	11,758.90	95.80	11,265.03	1,550	1,74,60,790.61	1,00,000
69.		17.01.2017/10.25 पी एम से 20.01.2017/10.00 ए एम	3	65,220.50	60,000	5,220.50	95.87	5,004.89	1,550	77,57,584.69	1,00,000
योग (ब)						3,50,340.80		3,32,848.40		46,61,18,061.31 (₹ 46.61 करोड़)	42,00,000.00
योग (अ+ब)											69,00,000.00 (₹ 69 लाख)

परिशिष्ट-2.8.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.8; पृष्ठ 118)

दो स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों (देहरादून) और तीन स्टोन क्रैशर स्वामियों (चमोली) के 21 अनुबन्धों के संबंध में स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्क्रीनिंग प्लांट/स्टोन क्रैशर का नाम	भू-स्वामी का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (01 हेक्ट=12 बीघा या 50 नाली)	किराया (प्रति माह / प्रति वर्ष) (₹ में)	पट्टे की अवधि	मुआवजा मूल्य (अगले हजार में पूर्णांकित) (₹ में)	देय स्टाम्प शुल्क (कालम 8 के मूल्य का दो प्रतिशत) (₹ में)	भुगतान दिया गया स्टाम्प शुल्क (₹ में) (भुगतान की तिथि)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (कॉलम 9-कॉलम 10)	12
1.	जिला खनन अधिकारी, देहरादून	पछुवादून स्क्रीनिंग प्लांट, विकास नगर, देहरादून	श्री सुनित पाल अग्रवाल	1.4850 हेक्ट या 17.82 बीघा	27,583 ⁸ प्रति बीघा प्रति माह	06 वर्ष	2,35,94,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	4,71,880	100 (05.08.2014)	4,71,780	प्रति दो वर्ष में किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि
2.	तदैव	मैसर्स बाला जी एसोशिएट, देहरादून	श्री बलवीर सिंह	1.6361 हेक्ट या 19.63 बीघा	20,000 प्रति बीघा प्रति वर्ष	25 वर्ष	23,56,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	47,120	100 (17.03.2015)	47,020	तदैव
3.	तदैव	तदैव	श्री गुरमीत सिंह	0.1066 हेक्ट या 1.28 बीघा	40,000 कुल क्षेत्रफल पर प्रतिवर्ष	05 वर्ष	1,20,000 (वार्षिक औसत किराया का तीन गुणा)	2,400	100 (11.05.2015)	2,300	तदैव
4.	तदैव	तदैव	श्री नरेन्द्र सिंह	0.1743 हेक्ट या 2.09 बीघा	20,000 प्रति बीघा प्रति वर्ष	05 वर्ष	1,26,000 (वार्षिक औसत किराया का तीन गुणा)	2,520	100 (22.05.2014)	2,420	तदैव
5.	जिला खनन अधिकारी, चमोली	मैसर्स न्यू ईरा आर्किटेचरल इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रीमती कमला भट्ट पत्नी स्व0 श्री राधा कृष्ण चमोली	श्री हर्षपति डिमरी पुत्र स्व0 श्री शिव चरन	0.013 हेक्ट	30,000 (कुल क्षेत्र पर प्रति वर्ष)	10 वर्ष	1,20,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	2,400	50 (10.06.2016)	2,350	तदैव
6.	तदैव	मैसर्स नन्दा कंस्ट्रक्शन विष्ट भवन चिंघराना, ग्राम एवं पोस्ट लाखी, तहसील घाट जिला चमोली	श्री रघुवीर सिंह बिष्ट	0.073 हेक्ट = 3.65 नाली	9,930 प्रति नाली प्रति वर्ष औसत वार्षिक किराया	30 वर्ष	2,18,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	4,360	100 (03.10.2014)	4,260	किराये में प्रति पांच वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि
7.	तदैव	तदैव	श्री नारायण सिंह बिष्ट	0.094 हे 4.7 नाली	तदैव	30 वर्ष	2,81,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	5,620	100 (03.10.2014)	5,520	तदैव
8.	तदैव	तदैव	श्री प्रताप सिंह बिष्ट	0.096 हे 4.8 नाली	तदैव	30 वर्ष	2,86,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	5,720	100 (03.10.2014)	5,620	तदैव
9.	तदैव	तदैव	श्री अवतार सिंह बिष्ट	0.033 हेक्ट 1.65 नाली	तदैव	30 वर्ष	99,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	1,980	100 (03.10.2014)	1,880	तदैव

⁸ वार्षिक औसत किराया = (₹ 25,000 x 24 + ₹ 27,500 (दो वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि) x 24 + ₹ 30,250 (दो वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि) x 24)/72 माह = ₹ 27,583.33 प्रति माह।

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्क्रीनिंग प्लॉट/स्टोन क्रेशर का नाम	भू-स्वामी का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (01 हेक्टर =12 बीघा या 50 नाली)	किराया (प्रति माह/प्रति वर्ष) (₹ में)	पट्टे की अवधि	मुआवजा मूल्य (अगले हजार में पूर्णांकित) (₹ में)	देय स्टाम्प शुल्क (कालम 8 के मूल्य का दो प्रतिशत) (₹ में)	भुगतान दिया गया स्टाम्प शुल्क (₹ में) (भुगतान की तिथि)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (कॉलम 9- कॉलम 10)	12
10.	तदैव	तदैव	श्री मदन सिंह बिष्ट	0.60 हेक्टर 3 नाली	तदैव	30 वर्ष	1,79,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	3,580	100 (03.10.2014)	3,480	तदैव
11.	तदैव	तदैव	श्री सुलभ सिंह बिष्ट	0.050 हेक्टर 2.50 नाली	तदैव	30 वर्ष	1,49,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	2,980	100 (03.10.2014)	2,880	तदैव
12.	तदैव	तदैव	श्री गुलाब सिंह बिष्ट	0.085 हेक्टर 4.25 नाली	तदैव	30 वर्ष	2,54,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	5,080	100 (03.10.2014)	4,980	तदैव
13.	तदैव	तदैव	श्री पून सिंह बिष्ट	0.050 हेक्टर 2.50 नाली	तदैव	30 वर्ष	1,49,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	2,980	100 (03.10.2014)	2,880	तदैव
14.	तदैव	तदैव	श्री चितर सिंह बिष्ट	0.036 हेक्टर 1.8 नाली	तदैव	30 वर्ष	1,08,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	2,160	100 (03.10.2014)	2,060	तदैव
15.	तदैव	तदैव	श्री बलवन्त सिंह बिष्ट	0.081 हेक्टर 4.05 नाली	तदैव	30 वर्ष	2,42,000 (वार्षिक औसत किराया का छः गुणा)	4,840	100 (03.10.2014)	4,740	तदैव
16.	तदैव	मैसर्स अभुदय, उत्तराखण्ड कम्पनी रानीखेत, जिला अल्मोड़ा द्वारा गांव सुनला, तहसील डाली, जिला चमोली	श्री माया राम पुत्र श्री बली राम	0.008 हेक्टर	20,000 प्रति 0.020 हेक्टर प्रति वर्ष (₹12,57,750 वार्षिक औसत किराया प्रति हेक्टर)	10 वर्ष	41,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	820	100 (07.02.2016)	720	किराये में पाँच प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष
17.	तदैव	तदैव	श्री नारायण दत्त	0.023 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	1,16,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	2,320	100 (07.02.2016)	2,220	तदैव
18.	तदैव	तदैव	श्री मदन मोहन	0.021 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	1,06,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	2,120	100 (07.02.2016)	2,020	तदैव
19.	तदैव	तदैव	श्री लक्ष्मी प्रसाद	0.080 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	4,03,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	8,060	100 (07.02.2016)	7,960	तदैव
20.	तदैव	तदैव	श्री गोपाल दत्त	0.133 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	6,70,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	13,400	100 (07.02.2016)	13,300	तदैव
21.	तदैव	तदैव	श्रीमती बसन्ती देवी	0.018 हेक्टर	तदैव	10 वर्ष	91,000 (वार्षिक औसत किराया का चार गुणा)	1,820	100 (07.02.2016)	1,720	तदैव
योग								5,94,160	2,050	5,92,110	

परिशिष्ट-2.8.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.8; पृष्ठ 118)

दो पट्टा विलेखों के मामले में सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

क्रम सं.	इकाई का नाम	पट्टा धारक का नाम	वार्षिक पट्टा धनराशि	पट्टा अवधि	मुआवजा धनराशि (अगले हजार के पूर्णांक में) (₹ में)	देय स्टाम्प शुल्क (कॉलम 6 की धनराशि का दो प्रतिशत) (₹ में)	भुगतान स्टाम्प शुल्क (भुगतान की तिथि) (₹ में)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (कॉलम 7 - कॉलम 8)
1.	जिला खनन अधिकारी, चमोली	श्री धन सिंह राणा पुत्र श्री लाल सिंह राणा, ग्राम एवं पोस्ट लाटा, तहसील जोशीमठ, जिला चमोली	73,33,333	04/2015 से 12/2016 (एक वर्ष और नौ माह)	2,20,00,000 (वार्षिक पट्टा धनराशि का तीन गुना)	4,40,000	1,46,700 (24.04.2015)	2,93,300
2.	तदैव	श्री हरीश सिंह भण्डारी पुत्र स्व श्री मुराली सिंह भण्डारी, ग्राम-वारागांव, तहसील जोशीमठ, जिला चमोली	1,80,00,000	02/2015 से 09/2016 (एक वर्ष और आठ माह)	5,40,00,000	10,80,000	5,60,000 (10.02.2015)	5,20,000
योग						15,20,000	7,06,700	8,13,300

परिशिष्ट-2.9.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.9; पृष्ठ 118)

खनिज के अवैध खनन/परिवहन के दोषी वाहन स्वामियों पर अर्थदण्ड के न्यूनारोपण का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं.	वाहन संख्या	चालान संख्या एवं दिनांक	वाहन का प्रकार	अपराध की तिथि	दण्ड आरोपण की तिथि	देय अर्थदण्ड	आरोपित अर्थदण्ड	अर्थदण्ड का न्यूनारोपण
1.	आर जे 11 आर-1560	06, 08.08.2015	ट्रैक्टर	31.07.2015	10.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
2.	यू के-07 सी ए-9468	0467, 10.08.2015	ट्रैक्टर	05.08.2015	10.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
3.	यू के-07-सी सी-1928	221, 11.08.2015	डम्पर	02.08.2015	10.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
4.	चेसिस नम्बर आर के बी बी-04600 एच ई	225, 11.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	11.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
5.	यू के-07 ए आर 9527	223, 11.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	12.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
6.	इन्जन संख्या आर के जेड 2852	397, 12.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	12.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
7.	यू के-07 ए एल 9681	395, 12.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	12.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
8.	यू ए-09 ए-5181	288, 12.08.2015	ट्रक	10.08.2015	12.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
9.	इन्जन नंबर 431025 एस टी डी 06467	277, 13.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	14.08.15	2,00,000	25,000	1,75,000
10.	यू पी-07 डी 5377	239, 13.08.2015	ट्रैक्टर	10.08.2015	13.08.15	2,00,000	25,000	1,75,000
11.	इन्जन संख्या 431024 एस एस एन 18002	283, 13.08.2015	ट्रैक्टर	02.08.2015	13.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
12.	यू ए-07 जी-7894	322, 18.08.2015	ट्रक	10.08.2015	18.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
13.	यू पी-07 एफ 0991	61, 19.08.2015	ट्रैक्टर	16.08.2015	20.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
14.	यू के-07 सी सी 2064	356, 22.08.2015	डम्पर	19.08.2015	22.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
15.	यू के-07 सी सी 2128	357, 22.08.2015	डम्पर	19.08.2015	22.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
16.	यू ए-07 टी-0759	446, 24.08.2015	डम्पर	24.07.2015	13.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
17.	यू के-07 एन-3548	319, 21.08.2015	ट्रैक्टर	13.08.2015	21.08.2015	2,00,000	25,000	1,75,000
योग								29,75,000

परिशिष्ट-2.10.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.10; पृष्ठ 119)

रॉयल्टी के न्यूनारोपण का विवरण

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति धारक का नाम/अनुज्ञप्ति की स्वीकृति तिथि	खनिज का प्रकार	घन मी में स्वीकृत मात्रा (रॉयल्टी जमा करने की तिथि)	स्वीकृत मात्रा (टन में) @ 2.2 टन प्रति घन मी	प्रति टन और प्रति घन मी दर (₹ में)	देय रॉयल्टी (₹ में)	भुगतान रॉयल्टी (₹ में)	रॉयल्टी का न्यूनारोपण (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री शरद अग्रवाल 01.03.2016	मिट्टी	6,242 (29.02.2016)	13,732.40	50 प्रति टन	6,86,620	49,936	6,36,684
2.	श्री पंकज नगलिया 03.03.2016	मिट्टी	6,203 (02.03.2016)	13,646.60	50 प्रति टन	6,82,330	49,624	6,32,706
3.	जी टी एम टावर ग्रुप हाउसिंग, मोहकमपुर 05.03.2016	मिट्टी	11,471 (05.03.2016)	25,236.20	50 प्रति टन	12,61,810	91,768	11,70,042
4.	श्री प्रदीप सिंह 08.03.2016	मिट्टी	1,200 (08.03.2016)	2,640.00	50 प्रति टन	1,32,000	9,600	1,22,400
5.	श्री घनश्याम गोदियाल 08.03.2016	आर बी एम	128 (08.03.2016)	128 (घन मी)	194.50 प्रति घन मी	24,896	11,520	13,376
6.	श्री अनुज अग्रवाल 09.03.2016	मिट्टी	4,731 (08.03.2016)	10,408.20	50 प्रति टन	5,20,410	37,848	4,82,562
7.	श्री दयाल सिंह 09.03.2016	मिट्टी	300 (10.03.2016)	660	50 प्रति टन	33,000	2,400	30,600
उपयोग (अ)								30,88,370

परिशिष्ट-2.10.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.10; पृष्ठ 120)

ईट भट्टा स्वामियों पर वर्ष 2015-16 तक देय रॉयल्टी का विवरण

क्रम सं.	ईट भट्टा का नाम	देय वार्षिक समाधान राशि (₹ में)	वर्ष जिसमें रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया	देय रॉयल्टी (₹ में)
1.	सिंघल ट्रेडर्स, बंशीवाला	76,200	2014-15	76,200
2.	अमर चन्द्र भट्ट एण्ड सन्स, पित्तुवाला	69,000	2014-15, 2015-16	1,38,000
3.	विकास ब्रिक फील्ड, मेहुवाला	78,000	2013-14	78,000
4.	राकेश ईट इकाई-I, सहारनपुर रोड	81,600	2012-13, 2014-15 और 2015-16	2,44,800
5.	राकेश ईट इकाई-II, सहारनपुर रोड	74,400	2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16	2,97,600
उप-योग (ब)				8,34,600
महायोग (अ+ब)				39,22,970

परिशिष्ट-3.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.9.2; पृष्ठ 127)

राज्य सरकार द्वारा सा क्षेत्र में किये गये निवेश, जिनके लेखे बकाया हैं, को दर्शाने वाला विवरण

(स्तम्भ 4 एवं 6 से 8 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम	वर्ष जिस तक लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	लेखाओं को अन्तिम रूप देने की बकाया अवधि	जिनके लेखे बकाया थे उन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश		
					अंश पूँजी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क.	कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ						
1.	उत्तराखण्ड सीड एंव तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15	4.08	2015-16	-	10.00	-
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1993-94	0.50	1994-95	-	-	-
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	1986-87	0.50	1987-88	-	-	-
4.	उत्तराखण्ड बहुद्वेशीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	2006-07	21.33	2007-08	0.40	-	4.16
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2013-14	28.50	2014-15	-	100.00	-
6.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था	2014-15	4.00	2015-16	-	-	-
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1999-2000	1.63	2000-01	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	0.35	1997-98	-	-	-

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	लेखाओं को अन्तिम रूप देने की बकाया अवधि	जिनके लेखे बकाया थे उन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	8.95	2014-15	-	8.00	-
10.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	17.99	2016-17	-	-	-
11.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	6.00	2016-17	-	-	-
12.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	1.07	2016-17	-	-	-
13.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	13.42	2006-07	-	-	-
14.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2007-08	5.76	2007-08	-	-	-
15.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	2014-15	1.00	2015-16	-	-	-
16.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए	5.55	--	0.50	-	3.00
योग क (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)			-	--	0.90	118.00	7.16
ख.	कार्यरत सांविधिक निगम						
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2015-16	2,429.65	2016-17	-	-	-
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	238.60	2016-17	-	1.00	-
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2015-16	-	2016-17	-	-	-
योग 'ख' (कार्यरत सांविधिक निगम)			-	-	-	1.00	
कुल योग (क + ख)			-	-	0.90	119.00	7.16

परिशिष्ट-3.1.2

सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.1 एवं 3.1.12.1; पृष्ठ 121 एवं 128)

अपने अद्यतन अन्तिम वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यरत परिणाम

(स्तम्भ 5 से 12 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर कुल प्रतिफल	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ												
कृषि एवं समवर्गी												
1.	उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15	2016-17	4.08	12.50	(-)35.74	96.42	(-)26.71	गैर समीक्षा	23.01	0.02	281
क्षेत्रवार योग				4.08	12.50	(-)35.74	96.42	(-)26.71	--	23.01		281
वित्त												
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1993-94	2012-13	0.50	2.85	(-) 0.63	0.54	0.07	(-)0.39	3.35	0.01	01
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	1986-87	2002-03	0.50	-	(-) 0.04	0.10	(-) 0.01	-	0.50	0.0	-
4.	उत्तराखण्ड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07	2016-17	21.33	5.65	0.50	1.79	0.50	(-)1.18	27.82	0.04	78
क्षेत्रवार योग				22.33	8.50	(-) 1.17	2.43	0.56	(-)1.57	31.67		79
अवसंरचना												
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2013-14	2016-17	28.50	100.00	315.29	29.87	50.88	(-)0.14	538.13	0.06	20

क्रम सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर कुल प्रतिफल	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था	2014-15	2016-17	4.00	5.00	1.38	43.57	2.52	गेर समीक्षा	10.38	0.30	100
क्षेत्रवार योग				32.50	105.00	316.67	73.44	53.40	(-)0.14	548.51		120
विनिर्माण												
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1999-2000	2002-03	1.63	2.75	(-) 5.80	2.80	(-) 0.84	-	4.38	(-)0.19	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	1997-98	0.35	7.28	(-) 6.95	--	(-) 1.19	-	7.63	0.0	-
9.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0	2013-14	2016-17	8.95	-	(-)24.93	1.32	(-) 2.21	-	8.95	(-)0.25	11
10.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	6.00	147.23	(-) 316.88	72.66	(-) 36.04	(-)0.07	153.23	(-)0.07	608
11.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	17.99	132.94	(-)264.28	118.44	(-)29.14	0.51	150.93	0.22	514
12.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	1.07	-	0.01	0.07	0.01	(-)0.02	1.07	0.01	-
क्षेत्रवार योग				35.99	290.20	(-)618.83	195.29	(-)69.41	(-) 0.42	326.19		1,133
ऊर्जा												
13.	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1,284.02	1404.17	(-) 2,339.50	5,009.55	(-)288.78	(-)2.21	2688.19	0.03	3,108
14.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1,105.69	1,261.51	388.23	591.18	74.59	(-)2.18	2755.43	0.10	2,757
15.	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2016-17	2017-18	458.05	726.78	106.08	282.48	39.17	--	1284.88	0.10	772
क्षेत्रवार योग				2,847.76	3,392.46	(-) 1,845.19	5,883.21	(-)175.02	(-) 4.39	6728.50		6,637

क्रम सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर कुल प्रतिफल	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सेवा												
16.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2016-17	13.42	-	(-0.67)	100.49	(-1.51)	(-1.31)	13.78	0.07	1,004
17.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2016-17	5.76	19.27	4.97	128.07	(-1.38)	(-0.32)	42.66	0.14	1,600
क्षेत्रवार योग				19.18	19.27	4.30	228.56	(-2.89)	(-1.63)	56.44		2,604
विविध												
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	2014-15	2016-17	1.00	-	3.59	156.92	6.81	(-5.05)	46.68	0.06	-
19.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	--	--	5.55	1.85	--	--	--	--	7.40	0.0	04
क्षेत्रवार योग				6.55	1.85	3.59	156.92	6.81	(-5.05)	54.08		04
योग क (सभी क्षेत्रवार-कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				2,968.39	3,829.78	(-2,176.37)	6,636.27	(-213.26)	(-13.20)	7,768.40		10,858
ख. सांविधिक निगम												
अवसंरचना												
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2015-16	2016-17	2,429.65	77.10	(-) 145.97	67.91	(-) 23.87	(-)9.04	2,506.75	(-)0.01	2,728
क्षेत्रवार योग				2,429.65	77.10	(-) 145.97	67.91	(-) 23.87	(-)9.04	2,506.75		2,728
सेवा												
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2017-18	238.60	2.67	(-)415.66	309.12	(-)34.94	(-)6.73	241.27	(-)0.04	4,104
क्षेत्रवार योग				238.60	2.67	(-)415.66	309.12	(-)34.94	(-)6.73	241.27		4,104
विविध												
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2015-16	2017-18	-	-	227.80	310.34	36.86	(-)86.95	337.55	0.03	3,003
क्षेत्रवार योग				-	-	227.80	310.34	36.86	(-)86.95	337.55	-	3,003
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				2,668.25	79.77	(-)333.83	687.37	(-)21.95	(-)102.72	3085.57		9,835

क्रम सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	कारोबार	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	निवेश	निवेश पर कुल प्रतिफल	कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
कुल योग (क + ख)				5,636.64	3,909.55	(-)2,510.20	7,323.64	(-)235.21	(-)115.92	10,853.97		20,693
ग अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ												
कृषि एवं समवर्गी												
1.	यू पी ए आई लिमिटेड ⁹			0.17	-	(-) 0.05	-	-	-	0.17	-	
क्षेत्रवार योग				0.17	-	(-) 0.05	-	-	-	0.17	-	
विनिर्माण												
2.	कुम्हट्रॉन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1989-90	1990-91	0.18		(-) 0.02		(-) 0.02		0.18	-	
3.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लि (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि की सहायक कम्पनी)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
क्षेत्रवार योग				0.18		(-) 0.02		(-) 0.02		0.18		
योग 'ग' (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				0.35	-	(-)0.07		(-)0.02		0.35		
कुल योग (क +ख +ग)				5,636.99	3,909.55	(-)2,510.27	7,323.64	(-)235.23	(-)115.92	10,854.32		20,693
नोट: गैर-कार्यरत सांविधिक निगमों के विवरण, यदि कोई हो, तो इसी तरह से जोड़ा जा सकता है												

@ नियोजित पूँजी की गणना में अंशधारियों का कोष एवं दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

⁹ कम्पनी 31.03.1991 के बाद से परिसमापन के तहत।

परिशिष्ट-3.4.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 137)

परियोजना के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्णतः तिथि/विलंब	टिप्पणी
1.	जोशीयाड़ा छोर से 4.5 किमी तक बैराज इनटेक, अवसादन कक्ष, फोर बे, फलश पाइपलाइन तथा हेड रेस टनल (एच आर टी) का निर्माण	कॉन्टिनेन्टल कन्सट्रक्शन लिमिटेड	30.09.2005	15.02.2008/ (28.5 माह)	एच आर टी ग्राउंटिंग कार्य तथा निर्माण की अन्य गतिविधियों में परिहार्य विलंब हुआ। इसके अलावा कुल विलंब में से; जुलाई 2007 से फरवरी 2008 तक का विलंब (6.5 माह) निश्चित रूप से परिहार्य था। इस सम्बन्ध में, निगम ने यूईआरसी के समक्ष माना की स्टॉप गेट तथा रेडियल गेट का निर्माण एवं फोर-बे गेट निर्माण संबंधित विविध कार्य की गतिविधियों में देरी नियंत्रणीय थी।
2.	धनरिगाड मध्यवर्ती एडिट से एम बी-II एचईपी (4.5 किमी से 12 किमी) तक एच आर टी फेस II एवं III का निर्माण	मै. हाइडिल कन्सट्रक्शन कम्पनी (प्रा) लिमिटेड	31.10.2005	29.02.2008/ (29 माह)	एच आर टी फेस III (डाउन स्ट्रीम) का कार्य महत्वपूर्ण हो गया एवं कुल 29 माह का विलंब होने से समय ज्यादा लग गया। यद्यपि आरबीएम जोन के 8,580 तथा 8,640 फुट का स्तर प्राप्त करने के पश्चात भी फेस III का निरीक्षण 2.5 माह बाद किया गया, इसकी खुदाई, निरीक्षण के 12.5 माह बाद शुरू हुई। यदि फेस III की खुदाई शुरू करने में विलंब नहीं होता तो कार्य दिसम्बर 2006 तक पूरा हो गया होता।
3.	धरासू एडिट (12 किमी से 16 किमी) एच आर टी के शेष सिविल कार्य का निर्माण	नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	30.09.2005	15.02.2008/ (29.5 माह)	कुल खुदाई का कार्य 25,342 घन मी था जिसमें से 24,452 घन मी खुदाई शीर्ष से की जानी थी। पर्याप्त साजो-समान के साथ इस खुदाई के लिए 10 माह का समय उचित माना जाता है। अतिरिक्त डंपर्स का उपयोग करके मलवे के निपटान का अतिरिक्त समय कम किया जा सकता था। पर्याप्त संसाधन न जुटाने के कारण खुदाई कार्य में देरी हुई। अगर संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होती तो कार्य जून 2007 तक पूरा हो गया होता।
4.	धरासू पावर हाउस का निर्माण एवं सम्बन्धित कार्य	मै. श्रिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी	15.09.2005	15.03.2008/ (30.5 माह)	नियंत्रण कक्ष, द्वितीय चरण के कार्य और स्विचयार्ड के कार्य क्रमशः 09 माह, 10 माह एवं 06 माह की देरी से शुरू हुए, जिसने बिजली घर के समय पर पूरा होने को प्रभावित किया एवं काम के निष्पादन में 30.5 माह की देरी हुई।
5.	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड मै) का कार्य	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड	25.01.2006	15.03.2008/ (25 माह)	इन कार्यों के संबंध में, भेल द्वारा की गई आपूर्ति का निर्माण कार्य मैसर्स श्रिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा निष्पादित सिविल कार्य पर निर्भर था और मैसर्स श्रिंग और बीएचईएल के बीच किसी भी संयुक्त सहमति विवरण के अभाव में कार्य में देरी के लिए उनके बीच जिम्मेदारियों का विभाजन संभव नहीं था। कार्य निष्पादन में 25 माह का विलंब हुआ।

परिशिष्ट-3.4.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 137)

यू ई आर सी द्वारा स्वीकृत राशि के सापेक्ष दावा की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दावा किया हुआ	अनुमति	कारण
पूँजीगत व्यय	1,494.70	1,494.70	यू ई आर सी ने परियोजना को चालू होने से पहले ठेकेदार को अन्तिम छः माह के लिए दिए गए मूल्य में परिवर्तन को नियंत्रणीय मानते हुए इसकी अनुमति नहीं दी।
मूल्य भिन्नता	00.00	(7.94)	
विवाद समाधान बोर्ड ¹⁰	44.51	44.51	
योग (अ)	1,539.21	1,531.27	7.94
निर्माण के दौरान ब्याज	287.57	257.41	यूईआरसी ने परियोजना के चालू होने से पहले अन्तिम छः माह के लिए आईडीसी को नियंत्रणीय मानते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। राज्य सरकार के प्रत्याभूति शुल्क के देर से भुगतान के कारण निगम द्वारा दिये गये ₹ 18.81 करोड़ के अर्थदण्ड को भी अस्वीकृत किया गया।
अतिरिक्त प्रत्याभूति शुल्क देय	18.81	0.00	
प्रत्याभूति शुल्क	40.86	28.86	यू ई आर सी द्वारा ₹ 12 करोड़ की राशि अनुमोदित नहीं की गई क्योंकि भुगतान एम बी-11 परियोजना की कमीशनिंग तिथि के बाद किया गया था।
उत्तराखण्ड सरकार प्रदत्त ऋण पर ब्याज	5.04	5.04	-----
ए जी एस पी ¹¹ का पुनः भुगतान	66.64	66.64	
योग (ब)	418.92	357.95	60.97
कुल पूँजी लागत	1,958.13	1,889.22	कुल दावे राशि ₹ 1,958.13 करोड़ में से, यू ई आर सी ने प्रत्याभूति शुल्क के देर से भुगतान पर आई डी सी, मूल्य परिवर्तन और जुर्माना को अस्वीकार किया। प्रत्याभूति शुल्क (₹ 12 करोड़) के भुगतान के संबंध में व्यय स्थगित किया गया था।

नोट: ₹ 3.72 करोड़ की राशि भी समायोजित की गई क्योंकि यह गलत तरीके से आर एंड एम खर्च में शामिल था।

¹⁰ यह वाणिज्यिक ऑपरेशन दिनांक से पहले किए गए काम के लिए संविदात्मक भुगतान के लिए गठित किया गया था।¹¹ त्वरित जनरेशन और आपूर्ति कार्यक्रम।

परिशिष्ट-3.6.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.4.1; पृष्ठ 141)

2014-15 से 2016-17 के दौरान नए कनेक्शन जारी करने में देरी के कारण यू ई आर सी द्वारा आरोपित किये गये अर्थदण्ड की राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्डों के नाम	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	कनेक्शन में देरी के मामलों की संख्या	दंड की राशि (₹ लाख में)
1.	रुद्रपुर	25,254	1,412	88.88
2.	हल्द्वानी ग्रामीण	9,204	430	30.75
3.	टिहरी	12,413	487	6.07
4.	देहरादून ग्रामीण	11,481	2,278	85.61
5.	हरिद्वार शहरी	4,157	1,105	38.54
6.	हरिद्वार ग्रामीण	1,413	495	12.94
7.	काशीपुर	11,107	130	8.84
योग		75,029	6,337	271.63

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.5.1; पृष्ठ 143)

ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा की बिक्री, ऊर्जा की हानि, स्वीकार्य हानि, वितरण में ऊर्जा की परिहार्य हानि और कुल परिहार्य हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	विवरण	वर्ष		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	अवधि के दौरान प्राप्त ऊर्जा	3,333.712	3,472.858	3,491.098
2.	ऊर्जा की बिक्री	2,434.086	2,614.213	2,674.423
3.	ऊर्जा का नुकसान (प्रतिशत में)	26.99	24.72	23.39
4.	ऊर्जा का नुकसान	899.626	858.645	816.675
5.	स्वीकार्य हानि (प्रतिशत में)	15.5	15	15
6.	स्वीकार्य हानि	516.725	520.929	523.665
7.	वितरण में ऊर्जा का परिहार्य हानि	382.901	337.716	293.01
8.	दर प्रति यूनिट के माध्यम से ऊर्जा की न्यूनतम लागत (घरेलू बीपीएल)	2.3	2.4	2.45
9.	कुल परिहार्य हानि (₹ में)	88,06,72,300	81,05,18,400	71,78,74,500

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.5.2; पृष्ठ 143)

वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए चोरी/चोरी के कारण वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष 2014-15 के लिए									
क्रम सं.	उप-खण्ड का नाम	जांच का वर्ष	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	जांच की संख्या	खोज/निर्धारण किए गए चोरी के मामलों की संख्या	प्राथमिकी दर्ज की गई	निर्धारित राशि	वसूल हुई राशि	बकाया
1.	हल्दवानी ग्रामीण	2014-15	56,102	72	14	9	4.15	2.87	1.28
2.	काशीपुर	2014-15	75,994	209	20	0	0.5	0.5	0
3.	रुद्रपुर	2014-15	84,978	214	214	212	77.462	21.84	55.62
4.	हल्दवानी शहरी	2014-15	40,931	54	33	24	11.82	0.93	10.89
5.	बाजपुर	2014-15	26,802	55	29	0	6.06	5.44	0.62
6.	सितारगंज	2014-15	72,884	43	36	36	13.79	5.33	8.46
7.	कोटद्वार	2014-15	90,143	150	72	4	28.83	28.83	0
8.	टिहरी	2014-15	77,613	110	102	96	10.24	4.31	5.93
9.	देहरादून दक्षिण	2014-15	77,613	63	59	16	25.83	15.01	10.82
10.	देहरादून ग्रामीण	2014-15	79,944	49	31	7	5.87	5.87	0
11.	रुड़की शहरी	2014-15	84,281	446	240	359	67.06	56.39	10.63
12.	रुड़की ग्रामीण	2014-15	72,236	67	65	65	10.8	10.8	0
13.	हरिद्वार शहरी	2014-15	74,819	103	40	40	24.43	23.57	0.86
14.	हरिद्वार ग्रामीण	2014-15	31,106	101	97	97	26.07	17.47	8.6
योग			9,45,446	1,736	1,052	965	312.912	199.16	113.71
वर्ष 2015-16 के लिए									
क्रम सं.	उप-खण्ड का नाम	जांच का वर्ष	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	जांच की संख्या	खोज/निर्धारण किए गए चोरी के मामलों की संख्या	प्राथमिकी दर्ज की गई	निर्धारित राशि	वसूल हुई राशि	बकाया
1.	हल्दवानी ग्रामीण	2015-16	57,334	608	27	15	7.29	6.87	0.42
2.	काशीपुर	2015-16	50,688	391	39	20	21.05	11.36	9.69
3.	रुद्रपुर	2015-16	95,350	257	253	238	118.91	63.21	55.7
4.	हल्दवानी शहरी	2015-16	43,243	152	112	77	28.67	19.32	9.35
5.	बाजपुर	2015-16	29,275	913	191	126	51.53	36.24	15.29
6.	सितारगंज	2015-16	82,898	210	176	176	39.3	35.08	4.22
7.	कोटद्वार	2015-16	93,634	405	323	4	71.73	71.73	0
8.	टिहरी	2015-16	79,370	428	377	296	34.03	18.48	15.55
9.	देहरादून दक्षिण	2015-16	79,370	35	16	12	8.36	7.46	0.9
10.	देहरादून ग्रामीण	2015-16	87,281	60	35	30	11.12	11.12	0
11.	रुड़की शहरी	2015-16	89,604	1,015	300	290	121.41	71.49	49.92
12.	रुड़की ग्रामीण	2015-16	80,960	98	84	84	17.82	12.13	5.69
13.	हरिद्वार शहरी	2015-16	77,718	565	91	80	72.37	64.34	8.03
14.	हरिद्वार ग्रामीण	2015-16	35,361	188	160	160	32.99	24.48	8.51
योग			9,82,086	5,325	2,184	1,608	636.58	453.31	183.27
वर्ष 2016-17 के लिए									
क्रम सं.	उप-खण्ड का नाम	जांच का वर्ष	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	जांच की संख्या	खोज/निर्धारण किए गए चोरी के मामलों की संख्या	प्राथमिकी दर्ज की गई	निर्धारित राशि	वसूल हुई राशि	बकाया
1.	हल्दवानी ग्रामीण	2016-17	67,080	782	51	50	7.93	7.63	0.3
2.	काशीपुर	2016-17	51,444	395	95	67	48.96	17.16	31.8
3.	रुद्रपुर	2016-17	1,00,021	606	605	596	183.3	111.7	71.6
4.	हल्दवानी शहरी	2016-17	45,136	239	135	37	40.52	39.52	1
5.	बाजपुर	2016-17	31,002	172	55	15	16.39	2.82	13.57
6.	सितारगंज	2016-17	84,850	317	314	314	51.66	37.8	13.86
7.	कोटद्वार	2016-17	96,189	403	319	26	61.51	61.51	0
8.	टिहरी	2016-17	83,319	83	73	46	7.12	6.73	0.39
9.	देहरादून दक्षिण	2016-17	77,637	9	3	3	2.68	1.03	1.65
10.	देहरादून ग्रामीण	2016-17	92,355	13	13	3	4.11	3.43	0.68
11.	रुड़की शहरी	2016-17	1,04,468	569	236	212	73.1	43.05	30.05
12.	रुड़की ग्रामीण	2016-17	86,788	120	111	111	26.14	18.51	7.63
13.	हरिद्वार शहरी	2016-17	80,390	317	114	106	45.66	37.66	8
14.	हरिद्वार ग्रामीण	2016-17	38,448	220	207	207	41.86	36.85	5.05
योग			10,39,127	4,245	2,331	1,793	610.94	425.4	185.58

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.4

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.5.3; पृष्ठ 144)

डी टी आर मीटरिंग की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्ड का नाम	खण्ड का नाम	स्थापित किया गया मापक/मोडम	संवादात्मक (प्रतिशतता)	गैर संवादात्मक (प्रतिशतता)
1.	सितारगंज	सितारगंज खटीमा	72 51	42(58.33) 50(98)	30(41.67) 1(2)
2.	हल्द्वानी	हल्द्वानी	309	140(45.31)	169(54.69)
3.	कोटद्वार	कोटद्वार	111	34(30.63)	77(69.37)
4.	देहरादून ग्रामीण	डिफेन्स कॉलोनी और एम डी डी ए कॉलोनी	30	18(60)	12(40)
योग			573	284(49.56)	289(50.44)

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.5

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.6.3; पृष्ठ 146)

के सी सी उपभोक्ताओं के एम आर आई करने योग्य और एम आर आई किये हुए को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्डों का नाम	एम आर आई करने योग्य			एम आर आई किया हुआ		
		मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17
1.	रुद्रपुर	2,046	2,103	2,158	1,371(67)	1,423(68)	1,499(69)
2.	हल्द्वानी शहरी	457	487	505	83(18)	106(22)	107(21)
3.	रुड़की ग्रामीण	725	725	725	489(67)	518(71)	549(76)
4.	रुड़की शहरी	836	1,139	1,187	669(80)	669(59)	522(44)
5.	बाजपुर	476	497	537	193(41)	201(40)	217(40)
योग		4,540	4,951	5,112	2,805(62)	2,917(59)	2,894(57)

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.6

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.6.4; पृष्ठ 146)

मार्च 2017 को के सी सी उपभोक्ताओं के संबंध में ए एम आर या मैनुअल के माध्यम से मीटर रीडिंग के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्डों का नाम	के सी सी की कुल संख्या	ए एम आर के माध्यम से मीटर रीडिंग	मैनुअल रूप से
1.	रुद्रपुर	2,158	390	1,768
2.	हल्द्वानी शहरी	505	78	427
3.	बाजपुर	537	68	469
4.	सितारगंज	877	108	769
5.	कोटद्वार	666	43	623
6.	हल्द्वानी ग्रामीण	635	128	507
7.	टिहरी	769	71	698
8.	देहरादून ग्रामीण	1,064	332	732
9.	रुड़की शहरी	1,193	123	1,070
10.	रुड़की ग्रामीण	1,194	292	902
11.	हरिद्वार शहरी	1,223	323	900
12.	हरिद्वार ग्रामीण	1,328	429	899
योग		12,149	2,385	9,764

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.7

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.7.1; पृष्ठ 147)

मार्च 2017 के अनुसार प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि न जमा करने वाले विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	रुद्रपुर	412	78.88
2.	हल्द्वानी शहरी	48	9.82
3.	बाजपुर	17	1.67
4.	सितारगंज	24	5.31
5.	कोटद्वार	7	3.70
6.	हल्द्वानी ग्रामीण	11	2.26
7.	टिहरी	55	55.69
8.	देहरादून ग्रामीण	8	15.81
9.	देहरादून दक्षिण	31	5.72
10.	काशीपुर	46	11.83
11.	रुड़की शहरी	7	0.95
12.	हरिद्वार शहरी	26	7.68
13.	रुड़की ग्रामीण	14	3.00
14.	हरिद्वार ग्रामीण	94	38.58
योग		800	240.90

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.8

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.8.1; पृष्ठ 149)

2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान जारी किये गये, वसूल किये गये, लौटाये गये और वसूली के लिए लंबित आर सी के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 2014-15 के लिए

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	01.04.2014 तक धारा 5 के अंतर्गत डी एम कार्यालयों को जारी किए गए आर सी व डी एम कार्यालयों में लंबित आर सी का प्रारम्भिक शेष।	11,413	9,994.90
2.	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान धारा 5 के अंतर्गत त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं के खिलाफ डी एम कार्यालय को वसूली के लिए जारी आर सी की संख्या।	101	33.32
3.	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान डी एम कार्यालय द्वारा वसूली गयी आर सी की संख्या व धनराशि।	31	5.76
4.	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के गलत पते, मृत उपभोक्ता आदि के कारण डी एम कार्यालय द्वारा वापस की गयी आर सी की संख्या।	207	78.27
5.	31.03.2015 तक वसूली न होने के कारण डी एम कार्यालय में लंबित आर सी की संख्या।	11,276	9,944.19

वर्ष 2015-16 के लिए

क्रम सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	01.04.2015 तक धारा 5 के अंतर्गत डी एम कार्यालयों को जारी किए गए आर सी व डी एम कार्यालयों में लंबित आर सी का प्रारम्भिक शेष।	11,276	9,944.19
2.	अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान धारा 5 के अंतर्गत त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं के खिलाफ डी एम कार्यालय को वसूली के लिए जारी आर सी की संख्या।	190	55.39
3.	अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान डी एम कार्यालय द्वारा वसूली गयी आर सी की संख्या व धनराशि।	24	19.74
4.	अप्रैल 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के गलत पते, मृत उपभोक्ता आदि के कारण डी एम कार्यालय द्वारा वापस की गयी आर सी की संख्या।	35	2.5
5.	31.03.2016 तक वसूली न होने के कारण डी एम कार्यालय में लंबित आर सी की संख्या।	11,407	9,977.34

वर्ष 2016-17 के लिए

क्रम सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	01.04.2016 तक धारा 5 के अंतर्गत डी एम कार्यालयों को जारी किए गए आर सी व डी एम कार्यालयों में लंबित आर सी का प्रारम्भिक शेष।	11,407	9,977.34
2.	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच धारा 5 के अंतर्गत त्रुटिकर्ता उपभोक्ताओं के खिलाफ डी एम कार्यालय को वसूली के लिए जारी आर सी की संख्या।	2,685	4,265.53
3.	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान डी एम कार्यालय द्वारा वसूली गयी आर सी की संख्या व धनराशि।	451	103.91
4.	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के गलत पते, मृत उपभोक्ता आदि के कारण डी एम कार्यालय द्वारा वापस की गयी आर सी की संख्या।	899	2,175.45
5.	31.03.2017 तक वसूली न होने के कारण डी एम कार्यालय में लंबित आर सी की संख्या।	12,742	11,963.51

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

परिशिष्ट-3.6.9

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.8.3; पृष्ठ 149)

के सी सी उपभोक्ताओं (आर टी एस-2 एवं 7) के संबंध में मार्च 2017 तक वांछित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के वर्णन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	वांछित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा (₹ करोड़ में)
1.	रुद्रपुर	151	11.67
2.	हल्द्वानी शहरी	192	0.97
3.	बाजपुर	79	1.73
4.	सितारगंज	179	3.71
5.	कोटद्वार	135	2.62
6.	हल्द्वानी ग्रामीण	127	1.21
7.	टिहरी	272	2.82
8.	देहरादून ग्रामीण	457	5.26
9.	देहरादून दक्षिण	311	1.65
10.	काशीपुर	22	4.16
11.	रुड़की शहरी	347	2.64
12.	हरिद्वार शहरी	380	1.99
13.	हरिद्वार ग्रामीण	772	15.15
14.	रुड़की ग्रामीण	7	1.95
योग		3,431	57.53

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>